24 नवम्बर, 1981

3 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 2, मंगलवार, 24 नवम्बर, 1981/3 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 25 और 27 से 29	...	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 27 और 30 से 40	...	23—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 327, और 329 से 460	....	33—160
तारांकित प्रश्न संख्या 2300 दिनांक 1 सितम्बर, 1981 में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	...	—161
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	....	262—266
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	267—271
समितियों पर अनुमति	...	271—272
महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	....	272—301
चलती रेलगाड़ियों में डकैतियों और अराजकता की बढ़ती हुई घटनायें		
श्री हरीश चन्द्रसिंह रावत	...	278—285
श्री केदार पांडे	...	278—302
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	...	287—292
श्री नारायण चौबे	...	294—297
प्रो० अजित कुमार मेहता	...	298—390
नियम 377 के अधीन मामले	....	302—307
(एक) कालीकट में एक हवाई अड्डे का निर्माण		
श्री वी. एस. विजयराघवन	...	302—303

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो) जेलों में विशेष रूप से सेंट्रल जेल, मुजफ्फरपुर (बिहार) के कैदियों के साथ होने वाला व्यवहार		
	श्री रामविलास पासवान	303—304
(तीन) रानीगज में धसकन की समस्या को हल करने के लिये किये गये उपाय		
	श्री अजित कुमार साहा ...	304—305
(चार) हाई टेन्शन पावर लाइन में तोड़फोड़ के कारण असम के कछार जिला में बिजली का बन्द हो जाना		
	श्री संतोष मोहन देव ...	305—306
(पांच) गन्ना उत्पादकों के लिये गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता		
	श्री कमला मिश्र मधुकर ...	—306
(छः) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वस्ती जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए तुरन्त राहत उपाय किये जाने की आवश्यकता		
	श्री अशफाक हुसैन ...	—307
सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (रोजगार विनियमन) विधेयक — जारी ...		308—334
विचार करने का प्रस्ताव		
	श्री मूलचन्द डागा ...	308—309
	श्री रशीद मसूद ...	309—311
	श्री नारायण चौबे ...	311—312
	श्री जेवियर अराकल ...	—312
	श्री जयपाल सिंह कश्यप ...	313—315
	श्री चित्त बसु	315—316
	श्री बसंत साठे	316—320

विषय		पृष्ठ
खण्ड 2 से 26 और ।	...	320—334
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव		
श्री बसंत साठे	...	331—333
प्रो० एन० जी० रंगा	...	333—334
आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक	...	—334
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री चरणजीत चानना	....	334—335
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	335—338
श्री जेबियर अराकल	...	338—340
श्री सी० बलानीअप्पन	...	340—342
श्री बापू साहिब परुलेकर	...	343—345
श्री मूलचन्द डागा	....	345—348
प्रो० एन० जी० रंगा	...	349—350
कार्य मंत्रणा समिति	...	—350
21 वां प्रतिवेदन		

लोक सभा

मंगलवार, 24 नवम्बर, 1981/3 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात में तेल निकालने के लिये विदेशी कम्पनियों के साथ बातचीत

*21. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन ओर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके साथ गुजरात के तेल क्षेत्रों से अधिक तेल निकालने के लिये बातचीत की जा रही है ;

(ख) ये कम्पनियां किन शर्तों पर तेल निकालने के लिए सहमत हुई है ; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च होने की सम्भावना है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गुजरात के क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या गुजरात के कुओं से अधिक तेल निकालेंगे लेकिन मन्त्री जी ने उत्तर दिया है खोज के बारे में जबकि खोज के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न था ही नहीं । अब आप बताइये, क्या किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : लगता है उन्होंने आगे की बात पहले ही सोच ली और कल का जवाब आज ही दे दिया ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : प्रश्न यह है :

"उन विदेशी तेल कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके साथ गुजरात के तेल क्षेत्रों से अधिक तेल निकालने के लिए बातचीत की जा रही है ?"

अध्यक्ष महोदय : अब बताइये ।

श्री नरसिंह मकवाना : आप डिटेल्स बतला दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : किसका ब्यौरा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि रुग्ण तेल के कुओं से शीघ्र तेल निकालने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है ।

मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि हमने हाल ही में सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया है जिसके अनुसार वे लगभग 12 कुओं की मरम्मत करेंगे तथा उनसे अधिक तेल निकल सकेगा ।

अन्य तेल के रुग्ण कुंए लगभग 364 हैं । उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और जल-अंतः क्षेपण तथा तेल निकालने की पद्धतियों के बारे में कनाडा के साथ समझौता हुआ है ।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इसी बात के लिये था लेकिन किस तरह से जवाब दे दिया, मुझे पता नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जिस मात्रा में तेल निकाला जा रहा है उससे अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? इस सम्बन्ध में कौन कौन सी कम्पनियों से बातचीत हुई है और कौन कौन सी कम्पनियों से बातचीत के लिए हम सहमत हुए हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : तेल निकालने की गौण पद्धतियों के बारे में हमने मैसर्ज नॉस्को वैल सर्विसेज लि० कनाडा के साथ उपकरणों की खरीद और तथा तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पश्चिमी क्षेत्र में कुओं के उद्दीपन के बारे में सेवाओं के सम्बन्ध में समझौता किया है । ठेके की राशि 5.8 करोड़ रुपए है । जोकि सी.आई. डी.ए. के ऋण नियमों के अंतर्गत आयेगी । वे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के हमारे कुछ व्यक्तियों, लगभग 64 जनमास को कनेडियन तेल कम्पनियों में प्रशिक्षण भी देंगे ।

श्री माधव राव सिंधिया : कुछ पत्रिकाओं में छपा है कि शुरू में सरकार ने 32 ब्लाक विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा खुदाई के लिए छोड़े थे परन्तु इस प्रस्ताव पर विदेशी कम्पनियों की प्रतिक्रिया निराशाजनक थी ।

शुरू में 67 कम्पनियों ने रुचि व्यक्त की थी, परन्तु बाद में कुछ ने अपने प्रस्ताव वापिस ले लिए तथा अंत में 24 कम्पनियाँ ही इस क्षेत्र में रह गईं ।

उनकी केवल कावेरी नदी घाटी तथा बंबई हाई में ही रुचि थी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शुरू में गुजरात में तेल की खुदाई के कार्य में कितनी विदेशी कम्पनियों ने रुचि व्यक्त की थी तथा बाद में कितनी कम्पनियों ने अपने प्रस्ताव वापिस ले लिये । उनके द्वारा अपने प्रस्तावों को वापस लेने के क्या कारण थे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब इन ब्लाकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे तब 67 कम्पनियों ने पूर्व अर्हक परीक्षण के लिए आवेदन दिये थे और उनमें से 35 कम्पनियां मापदण्ड पूरा नहीं करती थी। जब बातचीत शुरू हुई तब केवल 24 कम्पनियों ने ही उसमें रुचि ली। उनमें से अधिकाँश ने एक अथवा दो ब्लाकों के लिए ही प्रस्ताव दिया। बातचीत अंतिम दौर में है तथा हमें उनमें से एक दो के साथ 15 दिन के भीतर समझौता करना है।

श्री माधवराव सिन्धिया : उन्होंने अपने प्रस्ताव वापिस क्यों ले लिए ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कुछ कम्पनियों को जिन ब्लाकों का प्रस्ताव दिया गया वे उन्हें रुचिकर नहीं लगे।

विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का अधिकार और स्वामित्व दिये जाने का प्रस्ताव

*22. **श्री समर मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में सरकारी और झुग्गी-झोंपड़ियों की वस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों को भूमिका अधिकार और स्वामित्व देने के पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : सरकारी और अनुमोदित अनधिवासी बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का अधिकार और स्वामित्व देने के लिए 17-5-197८ को राज्य सरकार को हिदायतें जारी कर दी गई थीं। शहरी क्षेत्रों में भूमि, एक सौ वर्ग गज या उसके अंश के लिये 1/- रुपए के नाममात्र वार्षिक भूमि किराये की दर से, पट्टे के आधार पर, 99 वर्ष की अवधि पर देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पट्टे के मसौदे की, जो 19-10-8। को प्राप्त हुआ था, उनके परामर्श से जांच की जा रही है।

श्री समर मुखर्जी : श्रीमान, राज्य सरकार का मूल प्रस्ताव निःशुल्क प्रकार के पट्टा प्रलेख देने का था और ग्रामीण बस्तियों के सम्बन्ध में उसकी स्वीकृति दे दी गई है। शहरी भूमि के बारे में भारत सरकार ने यह सुझाव दिया कि पट्टे के बिना कोई भूमि न दी जाए। इस प्रकार इस बारे में बातचीत जारी रही। मैं जानना चाहता हूं कि ये लीज-होल्ड प्रलेख किस शर्त पर दिये जाते हैं उसके बारे में क्या भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कोई समझौता हो गया है, विशेषत: रहन रखे जाने तथा विरासत के मामले में। यह उनकी मुख्य मांगों में से एक थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मतैक्य होने में अभी भी कुछ बाधाएं रह गई हैं। अथवा पूर्ण रीति से समझौता हो गया है। यदि समझौता हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस बारे में आगे कार्यवाही करने के लिए अन्तिम रूप से अनुमति दे दी है। यदि इस बारे में अनुमति नहीं दी गई तो अन्तिम स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 1974 में, जब हमने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रलेख दिए जाने की अनुमति दी

थी। उन्हें फ्री-होल्ड, लीज होल्ड तथा 99 वर्ष के पट्टे के बारे में बातचीत आपत्ति थी। हमने पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार से इस पर बातचीत की और 3।-8-8। को हमारे पास संशोधित पट्टा प्रलेख प्राप्त हुआ। बातचीत के बारे वे दो मुख्य बातों पर सहमत हो गए हैं। एक तो पट्टे की अवधि के बारे में है कि इसकी अवधि 99 वर्ष रहे। परन्तु रहन रखने के अधिकार तथा उत्तराधिकार-प्राप्यता के बारे में उन्होंने एक बात उठाई थी। मैंने स्पष्टीकरण दिया है कि चूंकि 'पट्टेदार' शब्द की परिभाषा पट्टे में दी गई है। अतः उत्तराधिकार प्राप्यता तथा रहन रखने के मामले में कोई समस्या नहीं है। अब विचाराधीन बात यह है—

(एक) कि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी समितियों से सरकार की पूर्वानुमति के बिना ऋण लेने का अधिकार होना चाहिए। यह मामला अभी विवादास्पद है।

(दो) दो मामलों में क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। एक तो निविदा के भंग किए जाने की दशा में और दूसरे लीज के समाप्त होने पर इसे पुनः जारी किए जाने की दशा में।

इन मामलों पर हमारे कुछ मतभेद हैं। हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं तथा इसे हमने विधि मंत्री के पास भेजा है। शीघ्र ही इस बारे में एक बार बातचीत के बाद हमारा समझौता हो जायेगा अन्यथा इस मामले पर भी···

श्री समर मुखर्जी : उत्तराधिकार-प्राप्यता के बारे में क्या स्थिति है।

श्री भागवत झा आजाद : इसे हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति में इस बारे में कोई समस्या नहीं है। पट्टा-प्रलेख के अनुसार मृत्यु होने पर अथवा अन्यथा उत्तराधिकारी को सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, यह हमने स्पष्ट कर दिया है। पट्टा-प्रलेख में भी यह बात अत्यन्त स्पष्ट है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पट्टा-प्रलेख में भी पट्टेदार की जो परिभाषा दी गई है उसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अधिकार-भागी सम्मिलित है तथा इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव : पश्चिम बंगाल में विस्थापितों को बसाने के मामले में अति स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आसाम सरकार द्वारा विस्थापितों को विस्थापितों की बस्तियों में दी गई भूमि के सम्बन्ध में भी यही सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा स्पष्ट उत्तर है 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : ठीक संक्षेप में उत्तर दिया गया है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : मंत्री जी ने बतलाया है कि केन्द्रीय शासन द्वारा ता० 17-5-1974 को राज्य शासन को हिदायतें जारी कर दी गई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं—

17-5-1974 के बाद राज्य शासन ने अपनी प्रपोजल्ज भेजने में 7 साल लगा दिए, क्या केन्द्रीय शासन राज्य शासन को इसके लिए कोई विरोध भेजेगा ? मध्य प्रदेश तथा दूसरी जगहों पर विस्थापितों को बसाने के लिए समुचित कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस में बहुत लेट हो गई है, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय शासन राज्य शासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : 1974 में जब यह भेजा गया था, उस समय उन्होंने कुछ आपत्तियां प्रकट की थीं। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आपने देहाती क्षेत्रों में फ्री-होल्ड दिया है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी फ्री-होल्ड दीजिए, लीज-होल्ड मत दीजिए। यदि देना जरूरी हो तो 99 साल के बजाय, 999 साल के लिए दीजिए। हमने इस पर विचार किया और उनसे कहा कि हम यह नहीं चाहते हैं कि उनको फ्री-होल्ड न मिले, लेकिन यह इसलिए कर रहे हैं ताकि जमीनों की कीमतें जो बढ़ती जा रही है, उसको देख कर विस्थापितों में यह लालच न पैदा हो जाए कि जमीन को बेच लो। इसलिए इन सब बातों पर विवाद चल रहा था, अब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है कि यह उनके हक में हैं। इसलिए इतना समय इस बीच में लग गया, अतः उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

चतुर्थ श्रेणी के डाकियों और ई० डी० कर्मचारियों के विचाराधीन मामले

* 27. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त डाक तथा तार विभाग के परामर्शदाता तंत्र (विभागीय परिषद) में चतुर्थ श्रेणी डाकियों और ई० डी० कर्मचारियों से सम्बन्धित कौन-कौन से मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) इन माँगों के बारे में निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) कर्मचारी पक्ष ने संयुक्त सलाहकार तंत्र की विभागीय परिषद में पोस्टमैन तथा चतुर्थ श्रेणी से संबंधित नौ माँगें अर्थात् ड्यूटी समय में साईकिल का प्रयोग करने वाले पोस्टमैनों तथा अन्य कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभत्ता मंजूर करना, अनुपस्थित पोस्टमैन की ड्यूटी देने वाले पोस्टमैन के लिए समयोपरि भत्ते की समान दर में वृद्धि करना, बहुमंजिले भवनों वाली बीटों में पोस्टमैनों की मंजूरी के लिए मानकों का संशोधन, सोमवार तथा छुट्टी के बाद आने वाले दिनों में पोस्टमैनों को अतिरिक्त कार्यभारभत्ता, डाकघर की छुट्टियों में हरकारों तथा बहिरंग ड्यूटी करने वाले पैकरों के समयोपरि भत्ते के समान दर में बढ़ोत्तरी, पोस्टमैन तथा ग्रुप 'घ' स्टाफ को मिलने वाली वर्दी के लिए अच्छी किस्म का कपड़ा, पोस्टमैनों को चमड़े के थैले दिए जाने, टेलीग्राफ मैन (बहिरंग) के पद की मंजूरी के लिए मानक निर्धारित करना तथा मौजूदा वेतनमान 196-232 रुपए के बदले टेलीग्राफ मैन (अन्तरंग/बहिरंग) 210-270/-रुपए के वेतनमान की मंजूरी की मांग उठाई है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रयोजन से गठित संयुक्त सलाहकार तंत्र

की विभागीय परिषद की योजना के क्षेत्र में विभागेतर एजेंट नहीं आते हैं। कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई सभी मदों पर कर्मचारी पक्ष के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कर्मचारियों द्वारा उठाये गए सभी मामलों पर कर्मचारी पक्ष के परामर्श से विचार किया जा रहा है। तथापि उन्होंने बिलम्ब के कोई कारण नहीं बताये हैं और न ही यह बताया है कि इन मामलों को तय करने में कितना समय लग जायेगा। तो भी, मैं दो विशेष प्रश्न उठा रहा हूं। डाक तार बोर्ड पोस्टमैनों को कार्य के दिनों में निर्धारित समय के बाद किए गए कार्य के लिए घंटों के आधार पर समयोपरि भत्ते की दरों के बारे में निर्णय क्यों नहीं लेता ? इस प्रकार पोस्टमैनों को कई बार बिना भत्ता दिए अतिरिक्त कार्य करने पर विवश किया जाता है।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : श्रीमान, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस सभा का उपयोग सामूहिक सौदेबाजी करने के लिए न करें। यह मामला संयुक्त सलाहकार तन्त्र के पास विचाराधीन हैं तथा इस पर बातचीत चल रही है। उनमें से कुछ पर विचार किया जायेगा तथा कुछ पर बातचीत की जाएगी। ऐसे मामलों पर जिस पर कि बातचीत चल रही हैं कोई टिप्पणी करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस मामले पर बातचीत चल रही है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : डाक विभाग में ग्रुप 'डी' के लगभग 45,000 कर्मचारी कार्य के मापदण्ड और मानकों के बिना कार्य कर रहें है। कार्य अध्ययन दल द्वारा इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए मापदण्डों को अन्तिम रूप दिया गया था, परन्तु डाकतार (वित्त) ने अभी उसे अपनी मन्जूरी नहीं दी है। इन कर्मचारियों को कब तक बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करना पड़ेगा ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह प्रश्न ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो कि संयुक्त सलाहकार तंत्र के विचाराधीन है। श्रीमान, जब तक मामले पर वार्ता जारी है तब तक मुझे उस पर टिप्पणी करने के लिए विवश न किया जाये, क्योंकि यह सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

श्री जेवियर अराकल : उत्तर में बताया गया है कि विभागेतर एजेंट संयुक्त सलाहकार तंत्र की विभागीय परिषद योजना के अन्तर्गत नहीं आते। सम्बन्धित कर्मचारी एसोसियेशनों द्वारा नौ मांगें रखी गई है। मेरा प्रश्न यह है कि क्यों और कैसे इन विभागेतर एजेंटों को इसकी परिधि से बाहर रखा गया है। क्या सरकार की ओर से इस बातचीत और विचार-विमर्श में विभागेतर एजेंटों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : संयुक्त सलाहकार योजना एक ऐसी योजना है जो सभी विभागों पर लागू है। इस आशय के कुछ मानदण्ड बनाए गए हैं कि संयुक्त सलाहकार तन्त्र के अन्तर्गत कौन-कौन से कर्मचारी आयेंगे। केवल नियमित सरकारी कर्मचारी ही संयुक्त

सलाहकार तन्त्र योजना के अन्तर्गत आ सकते हैं। सरकार ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है कि विभागेतर कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारी हैं यद्यपि उनको असैनिक कर्मचारियों का दर्जा मिला हुआ है। वह बात भिन्न है। इसलिए वे उसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसी कारण से वे संयुक्त सलाहकार तंत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं और उनके मामलों को वहां नहीं लाया जा सकता। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उनके मामलों पर चर्चा नहीं की जा रही है। डाक तथा तार विभाग द्वारा उनके संघों को मान्यता प्राप्त है और उनकी माँगों के संबंध में उनके सम्बन्धित संघों के साथ बातचीत की जा रही है।

श्री नारायण चौबे : डाकियों तथा डाक-तार विभाग के अन्य कर्मचारियों के मामलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इन पर विचार किया जा रहा है और इस कारण इस बारे में यहां कुछ नहीं कहा जा सकता। यह उत्तर दिया गया है। किन्तु डाक तार विभाग में विद्यमान परिस्थितियों के कारण हम सभी, जिनमें संसद सदस्य तथा सम्भवतः कई बार स्वयं मन्त्री महोदय भी आते हैं, पीड़ित हैं। लोगों के कष्ट का एक कारण हम विभाग में स्टाफ की कमी है। जहां तक मैं जानता हूं, स्वयं मन्त्री महोदय ने इस वर्ष के आरम्भ में समाचार पत्रों को आश्वासन दिया था कि पर्याप्त कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए पग उठाये जा रहे हैं ताकि यह कमी दूर हो जाये। क्या मैं यह जान सकता हूं कि विभाग में विद्यमान मानदण्डों के अनुसार विभाग में वास्तविक कमी क्या है और इस सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, यह मामला इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न संयुक्त सलाहकार तंत्र के समक्ष मामलों के सम्बन्ध में है। यह मामला संयुक्त सलाहकार तन्त्र के समक्ष रखे मामलों में से नहीं है। फिर भी, चूंकि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए आश्वासनों का उल्लेख किया है, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी स्थानों पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में भर्ती पूरी हो चुकी है और वर्तमान स्थिति यह है कि यदि समूचे देश की दृष्टि से देखा जाए तो कुल मिलाकर भर्ती किए गए व्यक्ति लगभग 7,000 अधिक है। उन्हें रिजर्वपूल में रखा गया है। कुल जितने रिक्त स्थान थे उनसे 7,000 अधिक कर्मचारियों की भर्ती की गई है। उन्हें भर्ती कर लेने के पश्चात मेरा वचन पूरा हो गया है। (व्यवधान)। यह ऐसा मामला नहीं है कि इसके बारे में अनुमान लगाया जाये अथवा इसकी जांच पड़ताल की जाये।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है, ऐसे विभागेतर कर्मचारी सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं है। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके संघ उनकी शिकायतों का समाधान कराने के लिए सदैव सरकार के पास अभ्यावेदन करते रहे हैं और सरकार भी उनकी अनेक मांगों के प्रति उदार रही है क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार विभागेतर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे काम को देखते हुए अब विभागेतर कर्मचारियों को कोई और लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं यह कह सकता हूं कि सभी डाक-तार कर्मचारियों में से बिभागेतर कर्मचारियों का ही वर्ग ऐसा है जिसे मेरे मंत्री बनने के पश्चात सब से अधिक लाभ मिला है क्योंकि इस वर्ग को प्रतिवर्ष काफी अधिक धनराशि दी गई है और कुछ और भी कुछ दिनों के भीतर बहुत ही शीघ्र घोषित की जाने वाली है ।

जीवन रक्षक औषधियां

***24. डा. बसंत कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री, निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जीवन रक्षक औषधियों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों की एक सूची तैयार कर ली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी राज्यों में सरकारी अस्पतालों में सभी जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध हैं ;

(घ) भारत में इस समय कौन सी जीवन-रक्षक औषधियों का कितना आयात किया जाता है तथा भारत में कौन सी औषधियाँ बनती है ;

(ङ) क्या सरकार ने भारत में निर्मित जीवन रक्षक ओषधियों का उत्पादन बढ़ाने और जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने के लिये कार्यवाही की है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त स्टाक रखने के सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह : (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों की कोई सूची नहीं बनाई है । तथापि सामान्यतया निम्नलिखित श्रेणियों के औषधों को जीवन रक्षक माना जाता है :

1. एंटीवायोटिक्स
2. क्षय रोग निरोधी औषधें
3. मलेरिया निरोधी औषधें

4. मधुमेह निरोधी औषधें

5. कार्डियो-वेस्कुलर औषधें

6. एनेस्थेटिक्स

7. एन्थेतसेन्टिक्स

8. फ्लेरिया निरोधी

9. कोढ़ निरोधी

राज्यों के अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता की जिम्मेदारी प्रारंभिक रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि बाजार में जीवन-रक्षक औषधों की उपलब्धता की साप्ताहिक आधार पर देखरेख की जाती है जो राज्य औषध नियंत्रकों और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित होती है। देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर कुछ महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक औषधों के विशिष्ट ब्रांडों की कमी की सूचना समय-समय पर प्राप्त हुई है और तुरन्त सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथापि इनमें से अनेक मामलों में समान किस्म की औषधें उपलब्ध हैं। कमी वाले औषधों के निर्माताओं और समान किस्म के निर्माताओं को कमी वाले क्षेत्र में तुरन्त सप्लाई भेजने की सलाह दी जाती है। यह कहा जा सकता है कि सामान्यतया देश में जीवन रक्षक औषधों की कमी नहीं है।

(घ) से (च) जहां कहीं माँग और स्वदेशी उत्पादन में अन्तर है वहां ऐसे सरणीबद्ध जीवन रक्षक औषधों का आयात सरणीवत्र एजेन्सियों के माध्यम से आयात किए जाने वाले कुछ औषधें इस प्रकार हैं—एम्पीसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट, मिथाइल डोपा, डैप्सोन, पिपराजाइन, हेक्साहाइड्रेट, टेट्रासाइक्लीन एच. सी. एल. और क्लोरोक्वीन फास्फेट। वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किए जाने वाले जीवनरक्षक ओषधों की श्रेणी में आने वाले औषधों में प्रोकेवहाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोक्वीन सल्फेट, क्लोरमफेनीकल सोडियम सकीनेट फुसेमाइड आदि सम्मिलित हैं।

भारत में निर्मित कुछ जीवन रक्षक ओषधें निम्न प्रकार हैं : 1. क्लोरमपंजीकल 2. इरीथरोमाइसीन 3. डेप्सोन 4. स्ट्रेप्टोमाइसीन 5. टेट्रासाइक्लीन 6. एम्पीसिलिन 7. पैस थ्रोडियेम 8. आइ. एन एच. 9. थायासिटाजोन 10. क्लोरोक्वीन 11. एमोडियाक्वीन 12. कुनैन 13. इन्सुलिन 14. डाइगोक्सिन 15. प्रोकेन एच. सी. एल 16. पिपराजाइन और इसके लवण 17. डी. ई सी साइट्रेट।

जीवन रक्षक औषधों का निर्माण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

2. भारतीय क्षेत्रीय कंपनियों का बड़ी संख्या में पंजीकरण डी. जी. टी. डी. के साथ किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों को बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए हैं।

3. सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों को विभिन्न राज्यों में संयुक्त उद्यम फार्मुलेशन यूनिट लगाने के लिए अनुमति दी गई है।

4. जिस मामले में यह प्रमाणित हो गया है कि जिन कंपनियों को महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक औषधों के निर्माण के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे उन्होने उनको कार्यान्वित नहीं किया है तो ऐसी अनुमतियों को रद्द/वापस लेने की कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार निर्गत की गई क्षमता नए आवेदकों को दी जा रही है। नई औषध नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षमता भी प्रदान की जा रही है।

5. कुछ शर्तों के साथ 4 सितम्बर, 1980 तक की स्थापित क्षमता को मान्यता दी जा रही है।

डा. बसंत कुमार पंडित : मंत्री महोदय ने लम्बा गोल मोल वक्तव्य दिया है जिससे हमें अधिक जानकारी नहीं मिली है। आजाद होने के 34 वर्ष के पश्चात भी अभी तक हमें औषधियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है, जीवन रक्षक औषधियों की तो बात ही छोड़िये। सरकार ने अभी तक जीवन रक्षक औषधियों की सूचि भी तैयार नही की है। पहले भी उन्होंन ऐसे वक्तव्य दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन सभी को जीवन रक्षक औषधियां नहीं समझा जाता है।

डा. बसंत कुमार पंडित : उन सभी औषधियों को ऐसा नहीं समझा जाता है। हमने हर बिमारी मौसम में प्रति वर्ष औषधियों की कमी के स्थानीय चक्र को देखा है। और इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सभा के समक्ष सही बातों को स्पष्ट करें। हमारे सहयोगियों ने भी इसे महसूस किया है। हमें सामान्य औषधियां प्राप्त करने के लिए अपने आदमी को दो तीन बार दवाखाना भेजना पड़ता है। क्या कारण है कि यह स्थानीय कमी बनी हुई है मेरे अनुसार इसका कारण यह है कि औषधियों का निर्माण कार्यक्रम दोषपूर्ण है। हम अपनी औषधियों के निर्माण में आत्म निर्भर नहीं हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वितरण से खेलवाड़ करती हैं। समय-समय पर वे अपेक्षित मात्रा में वितरण नहीं करती और कृत्रिम अभाव पैदा कर देती हैं और चोर बाजार से काफी धनराशि प्राप्त करती हैं ये जीवन रक्षक औषधियाँ बड़े सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध नहीं हैं, जिला स्तर के अस्पतालों की तो बात ही छोड़िए। कुछ जिला अस्पतालों को एक साल से अधिक से जीवन रक्षक औषधियां नहीं मिली हैं। बड़े नगरों में भी हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इन औषधियों की कमी है जबकि चोर बाजार में ये औषधियाँ काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा जीवन रक्षक औषधियों के

वितरण हेतु कौन सा तंत्र बनाया गया है, जीवन रक्षक औषधियों के बनाने में काम आने वाले मौलिक तथा आधार भूत तत्वों का आयात करने के लिए आप की क्या योजना है ? आप के विभाग द्वारा गठित यह निगरानी तत्र कार्य क्यों नहीं कर रहा है ?

हर मानसून के दौरान हम निश्चित रूप से इसकी कमी पायेंगे। दोषपूर्ण वितरण के कारण क्या हैं। जब कभी कहीं कमी होती है, तो औषधियों को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है जिससे किसी अन्य स्थान पर भी कमी हो जाती है। अतः क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि सभी राज्यों में सभी सरकारी अस्पतालों को जीवन रक्षक औषधियों के समान तथा पर्याप्त वितरण के लिए कौन सा तंत्र गठित किया गया है ? राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल देने से सी ही काम नहीं चलेगा क्योंकि राज्य सरकारें औषधियाँ मंगवाती हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में औषधियां नहीं दी जाती हैं। क्या मंत्री महोदय समय समय पर होने वाली कमी के कारणों को स्पष्ट करेंगे ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : राज्य औषध नियंत्रकों तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जनता से प्राप्त कमी के बारे में सूचना के अधार पर सरकार प्रति सप्ताह आवश्यक तथा जीवन रक्षक दवाइयों और औषधियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। इस प्रयोजन हेतु, मंत्रालय में एक कक्ष भी बना हआ है और एक निर्दिष्ट अधिकारी है जो इसका ध्यान रखता है। जहां तक जीवन रक्षक औषधियों का सम्बन्ध है यह बात सच है कि सभी जीवन रक्षक औषधियों की सूची तैयार नही की गई है किन्तु जीवन रक्षक औषधियों के वर्गो का पता है और वे वर्ग ये है (1) एंटीबायोटिक्स (2) क्षय रोग विरोधी औषधियाँ (3) मलेरिया विरोधी औषधियां (4)मधु मेह विरोधी औषधियां (5) कार्डियो वेस्कुलर औषधियाँ (6) एनेस्थेटिक्स (7) एन्थेलमेन्टिक्स (8) फ्लेरिया विरोधी औषधियाँ (9) कोढ़ विरोधी औषधियाँ। अब इसके संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इन महत्वपूर्ण औषधियों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को अनेक आशय पत्र तथा लाईसेंस जारी किए गए हैं, ऐसा इसलिए ही नहीं किया गया है कि सभी औषधियों की कमी है। उदाहरणार्थ पेंसलीन के उत्पादन में वृद्धि हई है। स्ट्रेपटोमाइसीन के उत्पादन में वृद्धि हुई है क्लोरोमफेनीकोल पलमीटेटो तथा चूर्ण, टेट्रासाइक्लेन, एम्पीसीलिन, एरीथ्रोमाइसीन तथा डाक्सीसाइक्लाइंन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि उदाहणार्थ जेंटामाइसीन के उत्पादन में कमी हई है। जब कभी कमी होती है तो आयात की अनुमति दे दी जाती है और उस सीमा तक कमी को आयात के द्वारा पूरा किया जाता है और जब कभी एक विशेष वर्ग को एक विशेष कमी होती है, तो समान प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। यदि माननीय सदस्य की रुचि है और महोदय यदि आप अनुमति दें तो मैं उपलब्ध वैकल्पिक दवाइयों के उदाहरण दे सकता हूं।

डा० वसंत कुमार पण्डित : मंत्री महोदय ने ऐसी दवाइयों की सूची दी है जिनका उत्पादन बढ़ा है। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है देश में जीवन रक्षक औषधियों की वार्षिक आवश्यकता

कितनी है और देश में इनकी उत्पादित मात्रा कितनी है और कितनी मात्रा में इनका आयात किया जाता है ? जहाँ तक एडलफेन का सम्बन्ध है, यह अनिवार्य औषधि पिछले छः महीनों से देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है । मैं जानता हूं कि इसके समान एक औषधि उपलब्ध है किन्तु ऐसा हुआ क्यों ? क्या यह व्यापक भ्रम औषध तथा भेषजीय बाजार में उस नाम के कारण पैदा हुआ है अथवा यह उत्पादन नीति की असफलता के कारण पैदा हुआ है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक इस औषध का संबंध है, यह अधिकांशतः सीवा गेगी द्वारा उत्पादित किया जाता है और माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि सीवा गेगी कम्पनी में काफी दिनों तक लम्बी हड़ताल रही है और यह हाल ही में समाप्त हुई है । तथापि एक समान उत्पाद उपलब्ध है जिसका नाम सरपालजीनो है ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : जीवन रक्षक औषधियों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है, उनका उत्पादन कितना है और उनमें से कितनी आयात की जाती है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह एक बड़ी लम्बी सूची है और मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस स्थिति का सामना करने हेतु वैकल्पिक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है । सप्लाई की जा रही 40 प्रतिशत महत्वपूर्ण औषधियों पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है क्योंकि उन्होंने उन्हें काली सूची में दर्ज किया हुआ है । अन्य देशों द्वारा काली सूची में दर्ज की गई औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसे ही हमें किसी औषधि के बारे में पता चलता है जिसे अन्य देशों में काली सूची में दर्ज किया गया है, तो हम भी यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठाते हैं कि इसका आयात हमारे देश में न किया जाये ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जीवन रक्षक औषधियों की सप्लाई एक समस्या रही है । कई बार संसद में इस बारे में चर्चा की गई थी । तथ्य यह है कि वे विदेशी एकाधिकारी कम्पनियां जो इन औषधियों का उत्पादन कर रही हैं वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम नहीं करती हैं वे 'फैरा' कम्पनियां हैं, इन कम्पनियों ने अपने सामान्य हिस्सों को कम नहीं किया है और वे कमी पैदा कर रही हैं और मूल्यों को बढ़ा रही हैं । तीसरी बात यह है कि वे सरकार की अनुमति के बिना अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं । इस स्थिति में सरकार ने भी उनके आगे हार मान ली है । सामान्य हिस्सों को कम नहीं किया गया है । उन्होंने अपने मूल्य बढ़ा दिये हैं । अपनी क्षमता को नियमित कर दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन विदेशी एकाधिकारियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती तथा मामले को अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रखती और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को चाहिए कि इनका उत्पादन करें ताकि लोगों को इस प्रक्रिया से बचाया जा सके जिसके फलस्वरूप कमी हो जाती है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से पैसा लेना और एकाधिकारियों को नियंत्रित करना ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक इक्विटी का सम्बन्ध है, कार्यवाही की जा चुकी है और अधिकांश कम्पनियों ने अपनी इक्विटी में कमी कर दी है। केवल थोड़ी ही ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को अपने अभ्यावेदन दिये हैं और रिजर्व बैंक इक्विटी के प्रश्न पर उनके साथ विचार-विमर्श कर रहा है और मुझे आशा है कि इसके कुछ परिणाम निकलेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक विदेशी औषध कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर कई बार विचार हो चुका है और यह पाया गया कि इन कम्पनियों को अधिकार में लेने के लिए पूंजी निवेश करना उचित नहीं होगा ; इसके बजाय हमें इस उद्योग को विकसित करने के लिए प्रयास करने चाहिएं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि "देश में जीवन रक्षक औषधियों की कोई कमी नहीं है" और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि "सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों की कोई भी सूची नहीं बनाई है" ;

तो मैं जानना चाहती हूं, इनका उत्तर अच्छा होता यदि यह स्वास्थ्य मंत्री से विचार-विमर्श कर के उत्तर दिये होते, मैं जानना चाहती हूं कि देश में तो जीवन रक्षक औषधियों की कमी नहीं है लेकिन नोर्थ और साउथ ऐवेन्यू डिस्पेंसरीज में इन दवाओं की कमी है कि नहीं यह मंत्री जी बतायें ? (व्यवधान)।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा मैंने प्रारम्भ में बताया कि ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अगर सरकार को शिकायत आती है कि शोर्टेज है तो उसी समय उसको दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाती है। और मेरी जानकारी के अनुसार साउथ और नॉर्थ ऐवेन्यू के अस्पतालों में कोई शौर्टेजेज की रिपोर्ट नहीं हुई है।

श्रीमती कृष्णा साही : आप यदि स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ लेते तो अच्छा होता।

श्री रतन सिंह राजदा : यह एक महत्वपूर्ण और संगत प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनता शासन के दौरान इस समूचे विषय पर गहराई से विचार करने के लिए चावड़ा समिति का गठन किया गया था ? अब वह प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। सरकार ने चावड़ा समिति की कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और क्या सरकार इस समिति द्वारा इस विषय में दिये गये सभी सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कृत संकल्प है ? मंत्री महोदय चाहे कुछ भी कहें, साधारण व्यक्ति को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। उस दृष्टि से मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने चावड़ा समिति की सिफारिशों

को स्वीकार कर लिया है और क्या मंत्री महोदय चावड़ा समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह औषधियों की कमी के बारे विशिष्ट प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य चावड़ा समिति की सिफारिशों के बारे जानना चाहते हैं ; तो उसके लिए एक पृथक प्रश्न हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पृथक से पूछ सकते हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा : यह एक पूर्णतः टालने वाला प्रश्न है । कितनी सिफारिशें स्वीकार तथा कार्यान्वित की गयीं हैं ? वे सिफारिशें क्या हैं ? हमें बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकन्द मंडल ।

मेझिया में कोयला खनन की गति बढ़ाना

*25. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजलीघर में उपयोग के लिए मेझिया में कोयला खनन की गति बढ़ाने में कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रयास में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा की गई अब तक प्रगति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मेझिया ब्लाक की कालिदासपुर खनन परियोजना आशा है कि शीघ्र ही मंजूर हो जाएगी । परियोजना में 23.89 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था है और परियोजना पूरी हो जाने पर इससे 0 58 मिलियन टन कोयले के प्रतिवर्ष उत्पादन की आशा है । उत्पादन 1983-84 में आरम्भ हो जाने की आशा है और परियोजना में लक्ष्य उत्पादन सातवे वर्ष अर्थात् 1987-88 में होने की संभावना है ।

श्री मुकुन्द मंडल : सी. एम. पी. डी. आई. तथा जी. एफ. आई के अनुसार बाईजोरा क्षेत्र में और विशेषकर मेझिया क्षेत्र में कोयले के लगभग 20 करोड़ टन कोयले के भण्डार है । इसके अतिरिक्त मेझिया क्षेत्र का कोयला तापीय बिजली परियोजना के लिए उपयोगी है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बांकुरा जिले में मेझिया में सरकार का एक तापीय बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

श्री विक्रम महाजन : डी. वी. सी. से इस क्षेत्र में लगभग 600 मेगावाट का बिजलीघर स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव आया था । जिसका समर्थन पश्चिम बंगाल सरकार ने भी किया था । जिस कोयला भंडार का पता चला है और जिनका खनन अगले दस वर्षों तक हो सकता है । उससे यह पता चलता है कि जिस खान को स्वीकार किया गया है, उससे प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन कोयला निकलेगा । दूसरी खान से लगभग दस लाख टन कोयला निकलेगा । कोयले पर आधारित 600 तक मेगावाट क्षमता वाले तापीय बिजलीघर के लिए यह पर्याप्त नहीं है । लेकिन मुख्य कारण यह है कि जो कोयला मिला है, वह बढ़िया प्रकार का है जो उद्योगों

आदि ही के लिए उपयोगी है । बिजली के लिए हमें घटिया प्रकार का कोयला चाहिये । चूंकि हमारे पास बढ़िया प्रकार के कोयले की कमी है, अतः इसका उपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता । अगले 12 से 16 वर्षों तक हम केवल बढ़िया प्रकार के कोयले का ही खनन कर सकते हैं जो ऊपर की तहों में है । घटिया किस्म का कोयला नीचे की तहों में है । अतः अगले 12 से 16 वर्षों तक हम इन खानों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं कर सकते । यही मुख्य कारण है ।

श्री मुकुन्द मण्डल : मेरे विचार में मंत्री को गलत सूचना मिली है क्योंकि /

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सूचना दे रहे हैं या सूचना ले रहे हैं ?

श्री मुकुन्द मण्डल : बांकुरा क्षेत्र क्षेत्र का कोयला अच्छी किस्म का नहीं है ; उसमें धातु वाले गुण नहीं है । इसका उपयोग तापीय बिजली परियोजना के लिए किया जाना है / भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में कहा गया है :—

"मेझिया क्षेत्र में की गई क्षेत्रीय जांच के दौरान कोयले की किस्म के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी से यह प्रतीत होता है कि इसका उपयोग तापीय बिजली उत्पादन, भाप बनाने के अन्य प्रयोजनों ; ईंटें पकाने तथा अन्य घरेलू कामों के लिए किया जा सकता है । इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले कोयले के अधिकांश भाग का उपयोग पश्चिम की ओर 64 किलोमीटर दूर स्थित संगलडीह तापीय बिजली संयंत्र के लिए अथवा नजदीक स्थापित किसी अन्य संयंत्र के लिए हो सकता है । यदि दामोदर नदी के ऊपर होकर कोयले के भारी मात्रा में परिवहन की व्यवस्था की जा सके तो इस क्षेत्र का कोयला दुर्गापुर-रानीगंज-आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को आंशिक रूप में पूरा कर सकेगा" ।

अतः मंत्री द्वारा दिया गया तर्क सच नहीं है । इसे ध्यान में रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या केबिनेट मंत्री, श्री गनी खाँ चौधरी ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि मेझिया में ऐसा बिजली संयंत्र स्थापित किया जायेगा ? मंत्रालय की उस प्रतिवेदन पर क्या प्रतिक्रिया है जिससे मैंने अभी एक अंश उद्घृत किया है ?

श्री विक्रम महाजन : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, जुलाई, 1981 में मंत्री महोदय से मिले थे और ये सब बातें उन्हें बता दी गयीं थीं । उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले को फिर सामने नहीं लाई । जहां तक ऊर्जा क्षेत्र के लिए बढ़िया किस्म के कोयले के उपयोग का प्रश्न है, मैंने यह नहीं कहा है कि इस बढ़िया किस्म के कोयले का उपयोग नहीं किया जा सकता । अच्छी किस्म के कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन मैं यह बात बताना चाहता था कि बढ़िया किस्म के कोयले की आवश्यकता हमें उद्योगों के लिए होती है और हमारे पास बढ़िया किस्म के कोयले की कमी है । 60 से 70 प्रतिशत वाला घटिया किस्म का कोयला जमीन के नीचे पड़ा है और अगले 12 से 16 वर्षों तक हम केवल बढ़िया किस्म के कोयले का ही खनन कर सकते हैं, जो ऊपरी तहों पर है । उसके बाद

ही घटिया किस्म का कोयला निकलेगा । मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बढ़िया किस्म के कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन के लिये नहीं किया जा सकता । मैंने यही कहा है कि इसका उपयोग उस हेतु नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में स्पष्टरूप से यह कहा गया है कि मेझिया में अच्छी किस्म का कोयला है तथा पर्याप्त मात्रा में है जिसका उपयोग तापीय बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है । आप जानते ही है कि पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल, में बिजली की भारी कमी है । मंत्री महोदय श्री खान चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेझिया कोयला क्षेत्रों में एक तापीय बिजली संयंत्र स्थापित किया जायेगा । उन्होंने यह भी कहा है कि 600 मेगावाट के तापीय बिजली संयंत्र के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयले की आवश्यकता होगी । यदि वहाँ कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो मेझिया में 200 मेगावाट के एक तापीय बिजली संयंत्र को स्थापित करने में क्या कठिनाई है, जिससे कि बंगाल तथा बिहार दोनों राज्यों को वहां से बिजली मिल सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मेझिया के अन्य कोयला क्षेत्रों को भी चालू किया जायेगा ?

श्री विक्रम महाजन : मैं अपने पहले उत्तरों में बार-बार यह कह चुका हूं कि यह कोयला 600 मेगावाट के तापीय बिजली संयंत्र के लिए, जिसकी दामोदर घाटी निगम ने सिफारिश की थी, काफी नहीं है । यह पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव नहीं है । वे तो दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव का केवल समर्थन कर रहे हैं ।

बढ़िया किस्म का कोयला ऊपर की तहों में है । पहले इसका खनन करना पड़ेगा । इसका उपयोग विद्युत संयंत्रों के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास बढ़िया किस्म के कोयले की कमी है । अतः अगले 12 से 16 वर्षों तक हम बढ़िया किस्म के कोयले का ही खनन कर सकते हैं । उसके बाद घटिया किस्म के कोयले का खनन किया जा सकता है जो नीचे की तहों में है । अतः अगले 12 से 16 वर्षों तक कोई भी विद्युत संयंत्र इस कोयले का उपयोग नहीं कर सकता ।

जहां तक 200 मेगावाट क्षमता वाले बिजलीघर के स्थापित करने का सम्बन्ध है । इस बारे में किसी भी सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । अतः इस प्रश्न पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जुलाई में कोयला तथा ऊर्जा मंत्री से मिले थे । उन्होंने सभी बातें लिखित रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को दीं । उसके बाद उन्होंने इस प्रश्न को नहीं उठाया है, क्योंकि उन्होंने समस्या को समझ लिया है ।

यदि कोई वैकल्पिक प्रस्ताव आयेगा, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

डा० कृपा सिंधु भोई : दो माननीय सदस्यों तथा मंत्री महोदय के बीच एक भ्रम पैदा हो गया है । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में क्षेत्र के सर्वेक्षण का जिक्र किया गया है ।

इसका तात्पर्य यह है कि यह एक बड़े भाग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण है। इससे विस्तृत उत्तर नहीं मिल सकता। क्या मैं जान सकता हूं कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बाद क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण अथवा कोयले की खोज करने वाली किसी अन्य संस्था ने कोयले की ऊपरी तह का विस्तृत अध्ययन किया है। यदि हाँ तो उस कोयले में कितने प्रतिशत राख है ? क्या यह तार्पाय श्रेणी का है या धातु श्रेणी का है ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक भारतीय भु-विज्ञान सर्वेक्षण का सम्बन्ध है। उन्होंने कोयले के तीन निक्षेपों का पता किया है। एक 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कालिकापुर तथा कलीदासपुर ब्लाकों में हैं। उन्होंने अनुमान लगाया है कि वहां पर 4 करोड़ 70 लाख टन कोयले के आरक्षित भंडारों की सम्भावना है दूसरा भण्डार 9.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अर्धग्राम ब्लाक में है। अभी इसमें खोज कार्य चल रहा है। हमने अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अनुमान के अनुसार इससे 8 करोड़ टन कोयला निकलने की सम्भावना है। इन दो कोयला भण्डारों की मात्रा का 30 प्रतिशत भाग बढ़िया किस्म का कोयला है। जैसे कि मैं कह चुका हूं। यह कोयया ऊपर की तहों में है। हम एक खान के लिए पहले ही स्वीकृति दे चुके हैं। इससे 5 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा। एक, दूसरी खान, जिसके विकसित किये जाने की सम्भावना है, भी वहां है। बनायी गयी योजना के अनुसार इससे 10 लाख टन कोयला निकलेगा। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण से यह सूचना मिली है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या मंत्री महोदय दिये गए अपने उत्तर के संदर्भ में यह स्पष्ट करेंगे कि कोयले की किस्म की बात करते समय "बढ़िया" अथवा "घटिया" शब्दों से उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री विक्रम महाजन : "बढ़िया" किस्म वह है जिसमें वाष्पशील तत्व अधिक हों। इससे अधिक ऊर्जा मिलती है इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उससे भी बढ़िया किस्म का उपयोग इस्पात संयंत्रों में किया जाता है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : कोयला प्रौद्योगिकी में "बढ़िया" तथा "घटिया" कोयले का वर्गीकरण करने के लिये विभिन्न शब्दावलियां हैं। क्या मंत्री महोदय सभा को यह बता सकते हैं कि विश्लेषण के अनुसार कालीदासपुर तथा अर्धग्राम में ठीक किस किस्म का कोयला पाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिये धनराशि देने के मामले में विश्व बैंक की अनिच्छा

*27. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की चार सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए धनराशि देने के मामले में अपनी अनिच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इससे परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने की आशंका है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का जवाब तो ऐसा टकसाली है कि जैसे कोई समस्या ही नहीं है और सब सुपर थर्मल पावर स्टेशनों का निर्माण एक दम सुचारु रूप से चल रहा है । हम समझते हैं कि मन्त्री जी के लिए सब कुछ सही होगा चाहे वह कागज पर ही सही हो लेकिन वस्तुस्थिति एक दम भिन्न है । सुपर थर्मल पावर स्टेशंस के लिए जहां तक मेरी जानकारी है वर्ल्ड बैंक ने 1500 मिलियन डालर की स्वीकृति दी थी । उस में अभी तक केवल 340 मिलियन डालर ही उपलब्ध हो पाया है । यद्यपि सुपर थर्मल पावर स्टेशन केन्द्रीय क्षेत्र में हैं लेकिन बिजली की खरीदारी तो राज्यों के बिजली बोर्ड ही करेंगे । अतः उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए । किन्तु राज्यों के बिजली बोर्डों की जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है । अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वर्ल्ड बैंक शुरू से ही जोर दे रहा है कि जब ये परियोजनाएं निर्मित हो जायं उस समय तक राज्यों के बिजली बोर्ड उन आधारों पर आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त कर लें जिस की संस्तुति राजाध्यक्ष समिति ने की है ।

श्री विक्रम महाजन : मैंने मेन जवाब में कह दिया कि हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं कि वर्ल्ड बैंक पैसा देने के लिए अनविलिंग है । जहां तक टर्म्स का सवाल है अभी तक निगोशिएशंस जारी हैं । जब तक निगोशिएशंस फाइनलाइज नहीं होते तब तक यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने क्या टर्म रखी है और हम ने क्या माना है । जहां तक हमारी इन्फार्मेशन है उन्होंने अभी तक कोई निगेटिव बात नहीं की है ।

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, यही जवाब अगर सीधे सादे ढंग से पहले ही दे दिया जाता, इवेंसिव आन्सर देने का प्रयास न किया जाता तो मैं समझता हूं कि स्काइ-लेब नहीं गिर जाता ।

दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं, आप को मालूम ही होगा कि उत्तरी बिहार के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र की खानों में देश के कोयले का करीब करीब 46 प्रतिशत भाग है और उस के आसपास कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है···।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उठता है ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं पूछ रहा हूं, आप देख लेंगे ।

अध्यक्ष जी, जहां तक मेरी जानकारी है यहां के कोल सीम पर सिंगरौली के कोल सीम से कम ही ओवरबर्डेन है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई सुपर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण करने की बात उनके मन में है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता की बात चलाई जा सके या चलाई गई हो ?

श्री विक्रम महाजन : इस प्रश्न पर सोच-विचार हो रहा है लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है ।

श्री एच० एन० नन्जें गौडा : महोदय क्या यह सत्य नहीं है कि विश्व बैंक ने राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की उच्च तापीय विद्युत योजनाओं के लिए 15900 लाख डालर का ऋण देने का वचन दिया है ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि अब विश्व बैंक उसे देने में हिचकिचा रहा है ? क्या यह हमारे देश के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका के रवैये में आये परिवर्तन के कारण है और क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को भारत को सहायता न देने के लिए दबाव डाल रहे हैं ?

दूसरे, क्या यह सत्य नहीं है कि क्योंकि विश्व बैंक इसके लिए ऋण देने में हिचकिचा रहा है अतः भारत सरकार ने इनमें से एक उच्च तापीय परियोजना के लिए ब्रिटिश सरकार से सहायता देने के लिए अनुरोध किया ? यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है और इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : विश्व बैंक ने जितने ऋण का वायदा किया था वह दिया जा चुका है, और जहाँ तक विश्व बैंक के हिचकिचाने का प्रश्न है, मैं मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत उत्तर दे चुका हूं कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

जहां तक ब्रिटिश सरकार का सम्बन्ध है, ब्रिटिश सरकार की ओर से एक हजार मेगावाट शक्ति के बिजलीघर के लिए प्रस्ताव है और वह अभी विचाराधीन है ।

श्री डी. पी. यादव : महोदय कहलगांव में एक उच्चतापीय विद्युत गृह की स्थापना की और मंत्रालय पिछले दो वर्षों से ध्यान दे रहा है । आपको यह भी याद होगा कि कहलगांव परियोजना का मामला विचाराधीन है । मैं दोषारोपण करता हूं कि दुर्भाग्य से मंत्रालय की विलम्बकारी नीतियों के कारण जानबूझ कर कहलगाँव की उपेक्षा हो रही है । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि वे अपने आश्वासन के अनुसार इस सभा को बतायें कि क्या उन्होंने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से कहलगांव तापीय विद्युत गृह के लिए स्वीकृति प्राप्त करली है ।

श्री विक्रम महाजन : महोदय, जहाँ तक कहलगांव का सम्बन्ध है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने के लिए 4 × 200 मेगावाट अर्थात 800 मेगावाट

के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। इसमें निवेश के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है, परन्तु यह कहना गलत है कि फराक्का से कहलगांव का कोई सम्बन्ध है।

श्री डी. पी. यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां अर्थात सरकारी उद्यम ब्यूरो के समक्ष गये हैं ?

श्री विक्रम महाजन : मैंने कहा है कि यह विचाराधीन है।

श्री डी. पी. यादव : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री विक्रम महाजन : इसमें कुछ समय लगेगा ?

श्री डी. पी. यादव : 'कुछ समय' का अर्थ कितना समय है ? दो वर्ष पहले ही बीत चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कुछ समय नहीं है ?

श्री डी. पी. यादव : इसमें जानबूझ कर विलम्ब किया गया है।

श्री एम. एस. संजीवी राव : हमें खुशी है कि सिंगरौली, कोरबा, रामा मुन्डम और फरक्का में चार तापीय संयन्त्रों का निर्माण अबाध गति से चल रहा है। परन्तु मुझे डर है कि आपने बहुत सा विद्युत भार विभिन्न राज्यों को देने का वायदा किया है। आपको पता है कि ए०सी० प्रेषण द्वारा बहुत अधिक विद्युत भार ठीक तरह से प्रेषित नहीं कर सकते। और डी०सी. लाइनों का निर्माण करने में अभी तक हम सक्षम नहीं हो पाये। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि डी.सी. लाइनों की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक प्रेषण का सम्बन्ध है हमें विश्वास है कि हम उच्चतापीय विद्युत गृहों से विभिन्न राज्यों को विद्युत प्रेषित करने में सफल होंगे। और जहां तक डी.सी. लाइनों का सम्बन्ध है, वे विचाराधीन हैं।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव

*28. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** :

श्री सत्यगोपालम मिश्र : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल-शोधक कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ने में कितना समय लगने की आशा है और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता को 2.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष से 5.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिये 223 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव आई. ओ. सी. से प्राप्त हुआ है और उसकी जाँच की जा रही है। इस प्रस्ताव में प्रयोजना की अनुमोदन तिथि से 60 महीनों के अन्दर विस्तार प्रायोजना को पूरा करने का विचार किया गया है और प्रायोजना के कार्यान्वयन के दौरान पैदा होने वाले रोजगार अवसरों के अतिरिक्त 500 व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान करने का पुर्वानुमान लगाया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि :

"इस प्रस्ताव में प्रयोजना की अनुमोदन तिथि से 60 महीनों के अन्दर विस्तार प्रयोजना को पूरा करने का विचार किया गया है ...।"

विस्तार के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्वीकृति कब दी जायेगी ? विस्तार कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? क्या इस विस्तार कार्य को भारतीय तेल निगम को सौंपा जायेगा या किसी दूसरी संस्था को ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : कुछ बातों की स्वीकृति आई० ओ०सी० से लेनी है। यह किया जा चुका है। पी०आई०बी० पूर्व बैठक पहले ही हो चुकी है। अब इसको अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हम इस परियोजना की स्वीकृति के लिए पी०आई०बी० के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं। जैसा कि बताया जा चुका है इसकी स्वीकृति मिलते ही हम कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : 25 लाख मी. टन प्रति वर्ष से 55 लाख मी० टन प्रतिवर्ष तक क्षमता बढ़ाने के बाद नैपथा का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जायेगा। यह विस्तार कब तक पूरा हो जाएगा ? क्या हल्दिया में उत्पादित नैपथा हिन्दुस्तान फार्टिलाइजर कोरपोरेशन दुर्गापुर में एन०पी०के० सयंत्र शुरू करने के लिए भेजा जायेगा जो कि लम्बे समय से बेकार पड़ा हुआ है यद्यपि करोड़ों रुपये इस पर पहले ही खर्च किये जा चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि सदस्यगण एक मर्यादा बनाये रखें। चारों ओर कानाफूसी हो रही है। सभा में जो कुछ कहा जा रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि यह बात संसद के लिये उपयुक्त नहीं देता है। किसी को अपना ध्यान सभा की

कार्यवाही से दूसरी ओर नहीं ले जाना चाहिए । यदि आपको कोई व्यक्तिगत बातचीत करनी है तो कृपया बाहर जाकर बातचीत कर लीजिए यह सदन में नहीं होना चाहिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक मिश्रित 55 लाख मी० टन प्रति वर्ष उत्पादन का सम्बन्ध है, यह इस प्रकार होगा, एल०पी०जी० 42,000 टन, एस.आर. नैपथा 3,87,000 टन, एस०के० 900,600 टन, एच०एस०डी० 3,31,000 टन, भट्टी तेल 6,38,000 टन ।

हम बिटुमिन का उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं जो कि 2,50,000 टन तक हो जायेगा और ल्यूब्स तेल का उत्पादन 1,75,000 टन हो जायेगा । जहां तक नैपथा के प्रयोग का सम्बन्ध है ? मेरे लिए बिना पूर्व सूचना के यह कहना कठिन है कि हम नैपथा का उपयोग के घटते हुए उपउत्पादों के रूप में कैसे कर सकते हैं । (व्यवधान) ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हल्दिया तेल शोधक कारखाने का वर्तमान उत्पादन कितना है ? क्या यह अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर रहा है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हल्दिया तेल शोधक कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता 25 लाख टन है तथा इसमें 30 लाख टन की और वृद्धि करने का प्रस्ताव है । जिससे इसकी क्षमता 55 लाख टन तक हो जायेगी ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : अब वास्तविक उत्पादन क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वास्तविक उत्पादन बहुत संतोषजनक है । मेरे पास सही आँकड़े नहीं हैं ।

भारतीय महाद्वीपीय तट क्षेत्र भूमि में तेल की खोज के लिये विदेशी तेल कम्पनियों से बात-चीत

*29. **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महाद्वीपीय तट क्षेत्र भूमि में तेल की खोज शुरू करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तेल-खोज का कार्य शुरू करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के लिये कितने खण्ड क्षेत्र (ब्लाक) नियम किए गए हैं ; और

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उन खंडों में एक खंड के सम्बन्ध में बातचीत पुरी कर ली गई है तथा निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की संभावना है ।

कोई खंड किसी विदेशी तेल कंपनी के लिए निर्धारित नहीं किया गया है ।

प्रस्तुत किये गये खंडों में से किसी को दिया जाना प्रस्ताव की प्राप्ति तथा अन्य शर्तों के स्वीकार किये जाने पर निर्भर करता है ।

अभी और ब्यौरे प्रकट करना जनहित में न होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मै एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या मैं जान सकता हूं कि जिन खंडों में समझौते किये जा रहे हैं उनमें विदेशी तेल कम्पनियों के अनुसंधान कार्य में क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के सहयोग का भी प्रावधान किया गया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ये खंड बिदेशी तेल कम्पनियों को उनके द्वारा कार्य शुरू करने के लिए दिये जा रहे हैं और मूल खर्चा उन्हीं का होगा । परन्तु, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने उस समय खंड में प्रवेश करने का अधिकार अपने पास रखा है जब परिस्थिति उसके पक्ष में हो ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुनर्मतदान के लिए निर्वाचन खर्च

*26. **श्री एन. ई. होरो** : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धी करने का कोई निर्णय किया है जो निर्वाचन आयोग द्वारा पुनर्मतदान का आदेश दिये जाने पर लोक सभा अथवा विधान सभा का उम्मीदवार खर्च कर सकता है :

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने भी इस बारे में कुछ सुझाव दिए थे ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

बिधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :(क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में उपयुक्त रूप से संशोधन करके यह उपबंध किया जाए कि यदि आयोग द्वारा यथा

स्थिति सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या सभा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्मतदान का निदेश किया जाता है और ऐसा पुनर्मतदान उस तारीख से जिस तारीख को पूर्वतर मतदान किया गया था, तीस दिन के अन्तराल के पश्चात् किया जाता है तो उक्त नियमों में विहित निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा की बाबत समझा जाएगा कि विनिर्दिष्ट रकम में उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के रूप में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ।

न्यायालयों में वैवाहिक मुकदमों को निपटाने में विलंब

*30. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों में विवाह को रद्द किये जाने, बच्चों की अभिरक्षा और देखभाल जैसे वैवाहिक मुकदमों में होने वाले बिलंब से दोनों पक्षों और बच्चों को असुविधा पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर :) (क) जी हाँ ।

(ख) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे को ध्यान में रखते हुए, दिन-प्रतिदिन की सुनवाई का विनिर्दिष्ट उपबंध करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का संशोधन विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा किया गया है ।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स और सौराष्ट्र कैमिकल्स का विस्तार

*31. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहुत पहले मैसर्स टाटा कैमिकल्स और सौराष्ट्र कैमीकल्स की क्षमताओं में विस्तार करने की मंजूरी दी थी, परन्तु यह विस्तार अभी तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसे क्या उपाय करने का विचार है कि जिससे सरकारी अनुदेशों का पालन हो या दी गई अनुमति समाप्त कर दी जाये और लघु उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करके उन्हें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहा जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मैसर्स टाटा केमिकल्स लि. को 1,40,000 टन प्रतिवर्ष तक सोडा ऐश के निर्माण के लिए क्षमता महत्वपूर्ण विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस सं. सी. आई. एल. : 15 (73) दिनांक 4.12.1973 को दिया गया था। विस्तार के बाद 5 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता हो जायेगी। यह लाइसेंस अभी भी कार्यान्वयनाधीन है।

मैसर्स सौराष्ट्र को 1,00,000 टन प्रतिवर्ष तक सोडा ऐश के निर्माण के लिये क्षमता के महत्वपूर्ण विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस सं. सी. आई. एल. : 158 (16) दिनाँक 8.4.1976 को दिया गया। विस्तार के बाद मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स की क्षमता 2,68,000 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। कम्पनी ने पहले ही आँशिक रूप से लाइसेंस का कार्यान्वयन कर लिया है और 1.5.1980 से 62,000 टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की है। अब इस यूनिट की स्थापित क्षमता 2, 30,000 टन प्रतिवर्ष है।

(ख) मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने महत्वपूर्ण विस्तार में विलम्ब के निम्नलिखित कारण बताये हैं :

(1) सोड़ा ऐश की क्षमता में विस्तार के लिए लवण कार्य को विस्तृत करना इस योजना का एक अभिन्न अंग है। यद्यपि उन्हें सोडा ऐश की क्षमता के महत्वपूर्ण विस्तार के लिए दिसम्बर, 1973 में औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था किन्तु एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अन्तर्गत लवण कार्य के विस्तार के लिए मई, 1979 में मंजूरी दी गई थी। (11) वर्ष 1979 और 1980 में अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ के कारण लवण कार्य का विकास प्रभावित रहा।

अब कम्पनी ने सूचित किया है कि वैटरी सीमा के अन्तर्गत सोडा ऐश प्लाँट का विस्तार पूरा हो गया है और स्थायी किस्म की कुछ मदें स्थापित की जाती है और बिस्तृत क्षमता से उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं, सामग्री हैन्डलिंग यार्ड का पुर्नप्रबन्ध और वॉयलर फीड वाटर प्लाँट लगाने का कार्य पूरा किया जाना है। कंपनी ने यह भी तर्क किया है कि जब तक हापा से मीठापुर तक की रेलवे लाइन छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक विस्तृत क्षमता के लिए कच्चे माल का परिवहन आसानी से नहीं हो सकता।

मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स जिन्होंने पहले ही 1.5.80 से आंशिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तार को कार्यान्वित कर लिया है, ने सरकार को आश्वासन दिया है कि शेष क्षमता जून, 1982 तक कार्यान्वित हो जाएगी।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स और सौराष्ट्र केमिकल्स द्वारा की गई प्रगति पर विचार करने के बाद सरकार ने सम्बन्धित लाइसेंस की अवधि 31.12.81 तक बढ़ा दी है। यदि अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो सरकार उपयुक्त समय पर की गई प्रगति के आधार पर विचार करेगी।

(ग) और (घ) सोडा ऐश उद्योग काफी पूंजी और काफी समय लगने वाला है जिसमें 400 टन प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। इसलिए लघु उद्योग क्षेत्र में सोडा ऐश का निर्माण करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र में सोडा ऐश का निर्माण करने वाली कोई यूनिट नहीं है। औद्योगिक (विकास और विनियमन अधिनियम), 1951 के अन्तर्गत लघु उद्योग यूनिटों को लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले समाचार पत्रों को अखबारी कागज न देने का प्रस्ताव

*32. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ती :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज उद्योग समिति से कहा है कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले समाचार पत्रों को अखबारी कागज न देने के प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित कर दिया जाए ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को उस प्रेस आयोग की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है जिसे समाचार और विज्ञापन के अनुपात के बारे में सरकार को रिपोर्ट देनी थी ;

(घ) सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले कितने समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) अखबारी कागज सलाहकार समिति ने मामले को स्थगित रखने का निर्णय लिया, क्योंकि प्रेस परिषद का यह प्रस्ताव विचाराधीन था कि उसको, अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिकार दिया जाए कि वह उन समाचार पत्रों, जिनकी प्रेस परिषद द्वारा तीन बार निन्दा की गई हो, को अखबारी कागज के आवंटन में वृद्धि दर को अस्वीकार करने की सिफारिश कर सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रेस आयोग द्वारा निकट भविष्य में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही सरकार मामले में अपना अंतिम दृष्टिकोण बना सकती है।

(ङ) हाल ही के समय में सरकार द्वारा किसी भी समाचारपत्र को इस प्रकार की गतिविधियों में रत होने के लिए चेतावनी नहीं दी गई है।

दिल्ली और मास्को के बीच ट्रोपोस्केटर संचार व्यवस्था

* 33. श्रीमती माधुरी सिंह :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में दिल्ली और मास्को के बीच ट्रोपोस्केटर संचार व्यवस्था स्थापित की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो संदेश परिषण के कितने चेनल हैं ;

(ग) उस पर कितनी लागत आई है ;

(घ) उससे क्या लाभ हुए हैं ;

(ङ) इसके लिए करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(च) इस व्यवस्था के माध्यम से किन-किन देशों के साथ परिषण संभव होगा ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : (क) जी हां। यह संचार सम्पर्क दिनाँक 2 नवम्बर, 1981 को चालू हो गया है।

(ख) इन दिनों दो टेलीफोन परिपथ काम में लाए जा रहे हैं।

(ग) भारतीय अन्तस्थ की अनुमानित लागत 390 लाख रुपए हैं।

(घ) यह संचार सम्पर्क दोनों देशों के बीच संदेशों के परिषण एक अन्य स्वतंत्र माध्यम सुलभ करेगा और पड़ोसी देशों से आने-जाने वाले दोनों ओर के मार्गस्थ को भी सम्भालेगा।

(ङ) इस संचार सम्पर्क को स्थापित करने के लिए हुए करार की प्रमुख शर्तें नीचे दी हैं :

(एक) दोनों पक्ष, अपनी अपनी ओर की अन्तस्थ सुविधाओं का खर्च उठाएगें।

(दो) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ट्रोपोस्केटर रेडियो उपस्कर सुलभ करेगा जिसकी लागत ऋण/व्यापार करार के रूप में चुकाई जाएगी। रूसी अन्तस्थ के लिए एन्टोना प्रणाली, इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इन्डिया द्वारा सुलभ की जानी है।

(तीन) भारतीय अन्तस्थ के लिए अन्य सभी उपस्कर और एन्टीना प्रणाली भारत द्वारा ही लगाई जाएगी।

(चार) रेडियो उपस्कर लगाने, समायोजित करने और चालू करने के लिए तकनीकी सहायता एवं विशेषज्ञ सेवाएं सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ द्वारा सुलभ की जाएगी और वही इस उपस्कर के रखरखाव व सामान्य मरम्मत के लिए तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण देगा ।

(च) भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच के दूरसंचार परियात् के अलावा इस संचार सम्पर्क के माध्यम से, भारत की ओर से श्री लंका, नेपाल, बंगलादेश, बर्मा और दक्षिण एशियाई देशों के मार्गस्थ परियात की और सोवियत संघ की ओर से जर्मन जनवादी गणराज्य, हंगारी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बलगारिया आदि पूर्वी यूरोपीय देशो के मार्गस्थ परियात को संभालना संभव हो सकेगा ।

दिल्ली में दोषपूर्ण टेलीफोन उपकरण

*34. **श्री डी०एम० पुत्ते गोडा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नागरिकों को सुधरी हुई टेलीफोन सेवा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था; यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गए हैं ;

(ख) क्या 40 प्रतिशत शिकायतें दोषपूर्ण टेलीफोन उपकरणों के कारण होती हैं; और यदि हां, तो उपकरणों में सुधार करने अथवा दोषपूर्ण उपकरणों को बदलने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या दिल्ली में टेलीफोनों की बिक्री तथा स्थानाँतरण की अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) जी हां, दिल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :—

1. जंक्शन तथा प्राथमिक केबुलों का दाबीकरण ।
2. केबुल डक्ट में से भूमिगत केबुल डालकर उनकी सुरक्षा हेतु केबुल डक्ट का निर्माण ।
3. वितरण प्वाइंट तथा उपभोक्ता फिटिंग को पुनः ठीक करना ।
4. केबिनेट तथा खंभों में जम्पर्स या में पुनः तार लगाना ।
5. वितरण जालकार्य में जेली भरे केबुलों का प्रयोग ।
6. खराबी का पता लगाने के लिए खुदाई के कारण भूमिगत केबुल जहां खुल गए हैं वहां खाईयों को भरना ।

7. भारी संख्या में परीक्षण कालें करके अन्तर एक्सचेंज जंक्शनों का व्यापक परीक्षण ।

8. अनुपस्थिति की स्थिति से निपटने के लिए आपरेटरों का "आरक्षित प्रशिक्षित पूल" बनाना ।

(ख) (i) लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें तो टेलीफोन उपकरण तथा उपभोक्ता की फिटिंग में खराबी के कारण होती हैं । घरों के एल्युमिनियम कंडक्टर्स की सभी वायरिंग को कापर कंडक्टर्स द्वारा बदलने का एक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

(ii) भारतीय टेलीफोन उद्योग ने "677" कोड वाले एक उन्नत किस्म के टेलीफोन उपकरण का उत्पादन आरंभ कर दिया है । खराबियों का जैसे ही पता लगता है वैसे ही खराब उपकरणों को बदला जा रहा है ।

(ग) टेलीफोन का अंतरण उपभोक्ता के वैध उत्तराधिकारियों और कुछ विशिष्ट निकट सम्बन्धियों तथा फर्म के मामले में भी कुछ निर्दिष्ट शर्तों पर करने की अनुमति है । कानूनी बाध्यता पूरी करने हेतु उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन के मामले में भी टेलीफोन का अंतरण किया जा सकता है । तीसरे पक्ष को टेलीफोन कनेक्शन बेचने की अनुमति नहीं है ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में दूसरी उर्वरक परियोजना

*35. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अन्तर्गत दूसरी कम्प्लेक्स उर्वरक परियोजना लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है खास कर उन क्षेत्रों में जहां राकफास्फेट के विस्तृत भण्डार हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के लिए स्थान चयन करने के बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ;

(घ) यह परियोजना कब तक और कितनी लागत से लगायी जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया लिमिटेड से तकनीकी लोगों का निकलना

*36. **श्री रशीद मसूद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड से तकनीकी तौर से प्रशिक्षित लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो सालों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड से तकनीकी तौर से प्रशिक्षित कितने लोग निकले और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कमी पूरी करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) यह सच है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड से कुछ तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों ने सेवा से त्याग दे दिया है। उनकी 1979 और 1980 वर्ष के लिए संख्या क्रमशः 62 और 85 हैं। इन अधिकारियों ने मुख्यतः व्यक्तिगत आधार पर सेवा से त्याग पत्र दिया है परन्तु यह बाद में ध्यान में आया है कि उनमें से अधिक व्यक्तियों ने विदेशों में और अधिक लाभदायक नौकरियां लेने के लिए सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

(ग) इन रिक्त-स्थानों को पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती करके, जिसमें स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षार्थी और अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों की भर्ती शामिल है, के आधार पर भरे जाने के उपाय किये गये हैं।

उड़ीसा के लिये औषध एकक

*37. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उस राज्य में एक मूल औषध एकक की स्थापना के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्मिथ स्टीवस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस.एस.पी.एल.) के प्रस्तावित वल्क औषध संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में की जाये।

(ख) और (ग) एनलजिन और डायजेपाम का निर्माण करने के लिये एस.एस.पी.एल. कलकत्ता को एक आशय पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि परियोजना के स्थान का निर्णय कंपनी द्वारा रसायन और उर्वरक विभाग के परामर्श से किया जायेगा। एनलजिन के निर्माण के लिए परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और डायजेपाम के निर्माण के लिये व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अधिक दूरदर्शन चैनलों की स्थापना करना

*38. श्री चिन्तामणि जैना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस समय दिल्ली दूरदर्शन में काम कर रहे एक चैनल के अतिरिक्त तीन चैनल और बनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छठी योजना के दौरान नए दूरदर्शन केन्द्र

*39. श्री मोहन लाल पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए जाने वाले नए दूरदर्शन केन्द्र तथा आकाशवाणी केन्द्रों के लिए कितनी राशि रखी गई है और ये केन्द्र कहाँ-कहां खोले जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) नए दूरदर्शन केन्द्र	परिव्यय लाख रुपयों में
1. दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद	502.42
2. दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर	424.42
3. दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम्	481.42
4. बी०पी०यू०, दिल्ली का जयपुर में स्थानान्तरण	97.48
5. स्थायी स्टूडियो, हैदराबाद	96.00
6. कार्यक्रम निर्माण-केन्द्र, रायपुर	195.30
7. कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, मुजफ्फरपुर	205 50
8. कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, गुलबर्गा	202.50

9.	रिले केन्द्र, मुर्शिदाबाद	173.00
10.	रिले केन्द्र, मदुरै	200.42
11.	रिले केन्द्र, आसनसोल	184.50
12.	रिले केन्द्र, पाणजी	184.42
13.	रिले केन्द्र, वाराणसी	192.00
14.	रिले केन्द्र, विजयवाड़ा	200.00
15.	रिले केन्द्र, कटक	180.00
16.	रिले केन्द्र, कसौली	127.75
17.	दूरदर्शन केन्द्र, गोहाटी	500.00
18.	"इनसैट" के माध्यम से दूरदर्शन सेवा	1,250.00

(ख) नए रेडियो स्टेशन		परिव्यय लाख रुपयों में
1.	तुरा : 20 कि०वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर, टाइप-1 स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर	195.60
2.	गंगलोक : 20 कि० वा० मीडियमवेव ट्रांसमीटर, टाइप-1 स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर	202.58
3.	मदुरै : 10 कि०वा० मीडियमवेव ट्रांसमीटर, टाइप-2 स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर	196.53
4.	आगरा : 10 कि०वा० मीडियमवेव ट्रांसमीटर, टाइप-1 स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर	171.14
5.	जमशेदपुर : 1 कि०वा० मीडियमवेव ट्रांसमीटर, टाइप-1 स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर	133.06
6.	इटानगर : 100 कि०वा० मीडियमवेव ट्रांसमीटर स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर	90.00
7.	6 स्थानों (कोटा, दीफू, क्योंझर, शोलापुर, आदिलाबाद और नागर कोइल) में 1 कि०वा० मीडियमवेव ट्रांसमीटर के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन और स्टाफ क्वार्टर।	300.00

"अर्द्ध कुम्भ" के अवसर पर इलाहाबाद में अस्थायी दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

*40. श्री बी०डी. सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी "अर्द्ध कुम्भ" के अवसर पर इलाहाबाद में एक अस्थायी दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद में जो अनेक बातों में विख्यात नगर है एक स्थायी दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक तैयार हो जायेगा और उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ग) जी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

ओ०वाई०टी० योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

231. श्री पीयूष तिरकी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ओ०वाई०टी० योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं ; और

(ख) राज्य वार कितने आवेदन लंबित हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) विभिन्न दूर-संचार प्रशासनिक यूनिटों एवं उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 1.9.81 को ओ०वाई०टी० प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या के सम्बंध में एक विवरणी संलग्न है । 1.9.81 को देश में ऐसे आवेदनों की संख्या 59,249 थी ।

विवरण

तारीख 1-9-1981 तक देश में ओ०वाई० टी० प्रतीक्षा सूची की विवरणी

क्रमांक	दूरसंचार सर्किल/टेलीफ़ोन जिले का नाम	राज्य/संघ शसित क्षेत्र जहां सेवा प्रदान की जा रही है	ता० 1-9-81 को ओ.वाई.टी. प्रतिक्षा सूची
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल तथा हैदराबाद एवं विजयवाड़ा टेलीफोन जिले ।	आन्ध्र प्रदेश	2338
2.	बिहार दूरसंचार सर्किल एवं पटना टेलीफोन जिला	बिहार	483
3.	गुजरात दूरसंचार सर्किल तथा अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट एवं सूरत टेलीफोन जिले	गुजरात, दमन दीव एवं सेलवासा	3259
4.	जम्मू एवं काश्मीर दूरसंचार सर्किल	जम्मू एवं काश्मीर	901
5.	कर्नाटक दूरसंचार सकिल तथा बंगलौर टेलीफोन जिला	कर्नाटक	2295
6.	केरल दूरसंचार सर्किल तथा त्रिवेन्द्रम एवं एरनाकुलम टेलीफोन जिले	केरल, माहे एवं लक्षद्वीप	2128
7.	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल एवं बम्बई नागपुर एवं पुणे टेलीफोन जिले	महाराष्ट्र एवं गोवा	26204
8.	मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल एवं इन्दौर टेलीफोन जिला	मध्य प्रदेश	991
9.	उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल एवं गोहाटी टेलीफोन जिला	असम, त्रिपुरा मणिपुर, मिजोरम नागालैंड, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश	780
10.	उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल एवं अमृतसर, लुधियाना, जलन्ध एवं चण्डीगढ़ के जिले	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़	2537
11.	उड़ीसा दूरसंचार सर्किल	उड़ीसा	225
12.	राजस्थान दूरसंचार सर्किल एवं जयपुर टेलीफोन जिला	राजस्थान	973

1	2	3	4
13.	तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल एवं मद्रास, एवं मदुरै टेलीफोन जिले	तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी	3575
14.	उत्तर प्रदेश-दूरसंचार सर्किल एवं लखनऊ एवं आगरा टेलीफोन जिले	उत्तर प्रदेश	1846
15.	पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल एवं कलकत्ता टेलीफोन जिला	पश्चिम बंगाल सिक्किम एवं अण्डमान निकोवार	1772
16.	दिल्ली टेलीफोन जिला	दिल्ली	8942
		योग	59249

नालन्दा और पटना में टेलीविजन स्टेशन लगाना

232. **श्री विजय कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर का टेलीविजन स्टेशन बिहार के लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पाता है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष तौर से चालू वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न भागों में टेलीविजन स्टेशनों का जाल बिछाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ; और

(ग) क्या नालंदा और पटना जैसे ऐतिहासिक स्थानों में नये टेलीविजन स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर 'साइट' उत्तरवर्ती योजना के रूप में लगाया गया था । इस दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र की सेवा परिधि केवल 40 किलोमीटर ही है । यह 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 23.54 लाख जनसंख्या को सेवा प्रदान करने में सक्षम है । दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए इनसेट 1 के उपयोग की योजना के अन्तर्गत, छठी योजना अवधि के दौरान बिहार में राँची में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और एक उपग्रह पुनः प्रसारण वी० एच० एफ० ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) नालन्दा में नया दूरदर्शन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, पटना में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बिहार सरकार और पटना के कुछ लोगों की ओर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

233. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार और पटना के कुछ लोगों के नाम पर टेलीफोन के बिलों की बहुत बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने बकाया राशि बसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) टेलीफोन बिलों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं—

1. उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर स्मरण कराया जाता है तथा जो रजिस्ट्री स्मरण पत्र जारी किये जाने के लिए पंजीकृत हैं उन्हें नोटिस रजिस्ट्री डाक से भेजे जाते हैं ।

2. अगर बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो टेलीफोन काट दिए जाते हैं ।

3. अगर उसी पार्टी के कोई और भी टेलीफोन होते हैं । तो बकाया का भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को राजी करने के लिए उन्हें भी काट दिया जाता है ।

4. बकाया राशि का निपटान करने के लिए उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाता है तथा उनसे निवेदन किया जाता है ।

5. अगर सभी प्रयत्न असफल रहते हैं तो बकाया की वसूली के लिए अदालतों में मुकदमें दायर किए जाते हैं ।

सरकारी विभागों के मामले में सम्बन्धित विभागों के साथ विभिन्न स्तरों पर शीघ्र भुगतान करने हेतु पत्र व्यवहार किया जाता है । छूट प्राप्त श्रेणियों के टेलीफोनों को छोड़ कर बाकी के टेलीफोन भी काट दिए जाते हैं । भुगतान जल्दी करने के लिए महाप्रबन्धक तथा सचिव (संचार) मुख्य सचिवों से पत्र-व्यवहार करते हैं ।

कोटापुट जिले के टेलीफोन एक्सचेंज का स्वचालितीकरण

234. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार सर्किल उड़ीसा ने छठी योजना और वार्षिक योजना में कोटापुट जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों के स्व-चालितीकरण की कोई योजना या कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 में जयपुर, कोटापुट, रायगढ़ जैसे शहरों के स्व-चालिती-करण की योजना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) देशी स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का सीमित उत्पादन होने के कारण देश में टेलीफोन एक्सचेंजों का क्रमिक रूप से स्वचलीकरण किया जा रहा है। परन्तु कोरापुट जिला उन जिलों में से एक है जिन्हें प्रस्तावित समेकित जालकार्य विकास के लिए चुना गया है जो स्वचल डायलिंग सुविधा प्रदान करेगा ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं । उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण ।

राजस्थान में बिजली की माँग और पूर्ति

235. **आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की बिजली की न्यूनतम मांग 5 करोड़ 20 लाख यूनिट है :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 में राजस्थान को कुल कितनी बिजली मिली और चालू वर्ष में अब तक राज्य को कितनी बिजली सप्लाई की गई है ; और

(घ) केन्द्र सरकार राजस्थान को अधिक बिजली सप्लाई करने के लिये क्या उपाय कर रही है क्योंकि राज्य के औद्योगिक एकक या तो बन्द हो गए हैं या कम बिजली मिलने के कारण उनका उत्पादन बहुत कम हो गया है जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान की औसत ऊर्जा आवश्यकता लगभग 13 7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन या लगभग 5000 मिलियन यूनिट प्रति-वर्ष है ।

(ख) जनवरी से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में कुल ऊर्जा उपलब्धता लगभग 4025 मिलियन यूनिट थी तथा 11 जनवरी से 15 नवम्बर 1981 के दौरान लगभग 3660 मिलियन यूनिट थी ।

(ग) राजस्थान की सहायता करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त जब कभी राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट जबरन बन्दी में होने जाता है तो जिस

सीमा तक संभव होता है भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली से तथा बदरपुर से राजस्थान को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। 1982-83 के दौरान कोटा ताप विद्युत केन्द्र के 2×110 मेगावाट के यूनिटों के चालू हो जाने पर राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है। उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, देहर और पोंग विस्तार आदि जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से भी राजस्थान को विद्युत सप्लाई का लाभ प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश में उप-डाक घर और शाखा डाक घरों का खोलना

236. **श्री जेनुल बसर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्थानों में उपडाक घर और शाखा डाक घर खुले हैं जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये उपडाक घर और शाखा डाक घर खोले गए हैं ; और

(ग) ये डाक घर किस आधार पर खोले गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के अस्थाई स्टाफ आर्टिस्ट

237. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कितने स्टाफ आर्टिस्ट अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वे अस्थाई स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर कब से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास उनकी सेवाएं नियमित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं और दूरदर्शन में लगभग 1700 स्टाफ आर्टिस्ट हैं। केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों का ही अस्थायी या स्थायी के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों का इस प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा दवाओं का निर्माण

238. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित बल्क दवाओं के नाम क्या हैं और यदि इनका आयात किया जाता है तो इनमें से प्रत्येक का लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या है और पिछले तीन सालों के दौरान इनके देसी मूल्य क्या रहे ;

(ख) बल्क दवाओं के प्रत्येक किलोग्राम में लगे आयातित और देसी कच्चे माल का ब्यौरा क्या है और किस मंजूरी के अन्तर्गत इनका आयात किया गया ; और

(ग) पिछले तीन सालों में इन कम्पनियों द्वारा आयात की गई दवाओं की मात्रा का ब्यौरा क्या है और किस अधिकार के अन्तर्गत इनकी आयात की मंजूरी दी गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सम्भावित सीमा तक सूचना एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

रामगुंडम और तलचर के कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

239. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुंडम (आन्ध्र प्रदेश) में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है, और 1980 और 1981 (1.11.81) तक में मास-वार विस्तृत ब्यौरे सहित कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या संयंत्र को सुस्थापित करने में आई प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है और जिन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है उनका तथा जिन कठिनाइयों का अभी सामना करना पड़ रहा है उनका स्वरूप क्या है ;

(ग) तलचर (उड़ीसा) में इसी प्रकार के संयंत्र जो कि बहुत पहले पूरा हो चुका है, को चालू करने में विलम्ब के कारण क्या हैं तथा इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) क्या सरकार तेल पर आधारित उर्वरक औद्योगिकी की बजाय कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व देना चाहती है जो कि भारत के लिए अधिक उपयुक्त है ; और

(ङ) यदि हां, तो देश में कोयले पर आधारित उर्वरक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रामागुण्डम उर्वरक एकक का उसके प्रारम्भण की तिथि अर्थात 1-11-1980 से 1-11-1981 तक, माहवार क्षमता उपयोग और उत्पादन निम्न प्रकार है :-

माह	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि 1.11.1980		
	उत्पादन		
	यूरिया	नाइट्रोजन	क्षमता उपयोग
नवम्बर, 80	15016	6907	36.4
दिसम्बर, 80	2580	1187	6.25
जनवरी, 81	1096	504	2.66
फरवरी, 81	20039	9218	48.58
मार्च, 81	4189	1927	10.15
अप्रैल, 81	8106	3729	19.65
मई, 81	9471	4357	22.96
जून, 81	3480	1601	8.44
जुलाई, 81	शून्य	शून्य	—
अगस्त, 81	1790	823	4.34
सितम्बर, 81	8054	3705	19.52
अक्तूबर, 81	11295	5196	27.38
कुल उत्पादन	85116	39154	

(ख) रामागुण्डम उर्वरक संयंत्र की प्रारंभिक प्रमुख समस्याएं इस प्रकार थी : वेस्ट हीट बायलर का बार-बार फेल होना, गैसीफायर्स की ट्रीपिंग, कच्ची गैस पाइपिंग और कच्ची गैस कूलरों में जंग और अवरोध, एयर-टर्बो कम्प्रेशर के स्टीम ब्लेडों की बार-बार खराबी तथा वायु पृथक्कीकरण संयंत्रों के रिजनरेटरा पर रिसाव। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिये उपचारी कार्यवाही की गई है। कच्ची गैस के पाइप और कूलरों की जंग और अवरोधों से सुरक्षा करने के लिए कोरोजिव गैस (साइट्रस आवसाइड) को समाप्त करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ उपकरणों/संघटकों को बदल दिया गया है। वायु पृथक्कीकरण

यूनिट रिजनरेटर और गैसीफीकेशन में वेस्ट हीट वायलर्स पर रिसाब को समाप्त करने के लिए मरम्मत कार्य चल रहा है ।

(ग) रामागुण्डम के साथ-साथ ही तालचर में कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना भी दिनांक 1-11-1980 को प्रारम्भ हुई थी । राज्य विद्युत बोर्ड से पावर की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को प्रारम्भ करने में विलम्ब हो गया था । तालचर में प्रारम्भिक संचालनों के दौरान सामने आई उपकरण समस्यायें रामगुण्डम जैसी ही हैं । इसके अलावा कोयले की घटिया किस्म के कारण तालचर की कुछ समस्यायें हैं । इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए न्यूनाधिक रामागुण्डम की ही भांति उपचारी कार्यवाही की गई है । जहां तक कोयले की किस्म का सम्बन्ध है, कोयले के सप्लाई कर्ता मै० सेन्ट्रल कोलरीज लि० को, किस्म में सुधार के लिए कोयले की लाभप्रदत्ता की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(घ) और (ङ) नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए वर्तमान फीड स्टाक नीति, स्वदेशी रूप से उपलब्ध गैस को प्रथम वरीयता देती है । कोयले पर आधारित रामागुण्ड और तालचर संयंत्रों के संचालन अनुभवों से कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता सिद्ध हो जाती है तो नीति में उर्वरक फीडस्टाक के रूप में कोयले के प्रयोग की भी व्यवस्था है । कोयले पर आधारित नये संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब कोयले पर आधारित इन दो उर्वरक संयंत्रों के स्थिर संचालनों से पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जायेंगे ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक ऋण

240. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से अब तक देश में गांवों को बिजली देने और सिंचाई के लिए पम्प सेटों को बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को मिले ऋण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपर्युक्त निगम और ऋण पाने के लिए विश्व बैंक से वार्ता कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का वित्त पोषण करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को विश्व बैंक से दो ऋण प्राप्त हुए हैं । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस्तेमाल हेतु सामग्री प्राप्त करने के लिए यह ऋण राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है । पहला ऋण (572 आ०एन०) 57 मिलियन अमरीकी डालर का था तथा दूसरा ऋण (911-आई० एन०) 175 मिलियिन अमरीकी डालर का था । पहले ऋण का पूर्ण रूप से उपयोग अक्तूबर, 1975-दिसम्बर, 1980 के दौरान कर लिया गया था दूसरा ऋण जो कि अक्तूबर, 1979 से प्रभावी हुआ है, मार्च, 1984 के अन्त तक चलता रहेगा । लगभग 92

मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन विश्व बैंक (आई० डी० ए०) को भेजे गये हैं जिसमें से अब तक 85 मिलियन अमरीकी डालर की अदायगी की जा चुकी है।

(ख) जी, हां।

(ग) तीसरे ऋण के लिए इस समय विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है। तीसरे ऋण के लिए परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक को भेजी जा चुकी है। यह ऋण 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्रियान्वित किये जाने वाले ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति के लिए होगा।

ग्रामीण टेलीविजन योजना लागू करना

241. **श्री कैयूर भूषण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन नेशनल सेटेलाइट की सहायता से ग्रामीण टेलीविजन योजना लागू की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो देश के किन क्षेत्रों को इससे लाभ मिलेगा ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को भी लिया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इण्डियन नेशनल सेटेलाइट की बकाया क्षमता का उपयोग रेडियो के जाल को फैलाने में किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या रायपुर रेडियो स्टेशन में ग्रहण करने वाला यंत्र लगाने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) छठी योजना में 6 राज्यों में कुल मिलाकर 18 जिलों को कवर किया जाना है, ये हैं—आन्ध्र प्रदेश में कर्नुल, हैदराबाद और महबूबनगर, उड़ीसा में बालंगीर, सम्बलपुर और ढेंकानाल, महाराष्ट्र में नागपुर, बांद्रा और चन्द्रापुर; उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती ; गुजरात में राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ तथा बिहार में रांची, पलासू और सिंहभूम।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। अतिरिक्त क्षमता का उपयोग रायपुर सहित आकाशवाणी केन्द्रों में रिसीवर स्थापित करके रेडियो नेटवर्किंग के लिए किया जाना है।

कोटा में ताप बिजली परियोजना

242. **श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा ताप बिजली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और यहां पर कब से उत्पादन शुरू होने लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : यूनिट सं० 1 के बायलर को नवम्बर, 1981 तक प्रज्वलित किए जाने की सम्भावना है। यूनिट को मार्च, 1982 तक चालू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

लन्दन में प्रचार एजेंटों की काली सूची की फर्मों के नाम

243. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो सालों में लन्दन में प्रचार एजेंटों की किसी फर्म को काली सूची में रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और उनको काली सूची में रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ राज्य में महिला डाकियों की नियुक्ति

244. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में महिला डाकियों को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां महिलाओं की ऐसी नियुक्त की गई है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों को इसी प्रकार के अवसर देने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को लागू करने का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एवं (घ) पोस्टमैन कडार में नियुक्ति हेतु महिला उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों के समान माना जाता है तथा वे भर्ती नियमों के अनुसार बिना किसी लिंग-भेद के पोस्टमैन के बतौर नियुक्ति की पात्र हैं। अतः उन्हें पोस्टमैन के बतौर भर्ती के लिए विशेष अवसर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इटली की फर्म के सहयोग से टेलीफोन के सामान का उत्पादन

245. **श्री भीकू राम जैन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की फर्म के सहयोग से टेलीफोन का सामान बनाने की फैक्ट्री लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने डाक तार विभाग की सलाह से नैनों और बंगलौर के 2 कारखानों में समसामयिक डिजाइन के 10 लाख टेलीफोन उपकरण और 15 लाख महत्त्वपूर्ण उपायों के उत्पादन में सहयोग के प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इण्डियन टेलीफोन ,इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टेन्डर आमंत्रित करने के लिए जारी सूचना के जवाब में मैसर्स फेस स्टेण्डर्ड आफ इटली तथा मैसर्स सोमेन्स आफ फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने तकनालाजी के तबादले और इन उपकरणों को बनाने के लिए जानकारी देने के हित टेण्डर प्रस्तुत किए। सहयोगी का अन्तिम रूप से चयन और परियोजना आदि की मंजूरी के लिए कार्रवाई प्रगति पर है।

कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य

246. **श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी चार वर्षों में कच्चे तेल के उत्पादन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को नये तेल क्षेत्र खोजने में सफलता मिली है जिससे उत्पादन लक्ष्य पाने में मदद मिली हो ; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अप्रैल में अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान तेल एवं प्रकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई से पूर्व स्थित संरचनाओं में, गुजरात में अरबसागर पाक जलडमरूमध्य और सिमोदरा में तथा असम में नापामुआ में तेल की खोज की है। ये तेल की नयी खोजें किस प्रकार से लक्ष्यों को पार करेंगी इसका ठीक-ठीक पता इन क्षेत्रों की तेल क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही चलेगा, जिसके लिए कुछ अन्वेषी कूप खोदने की आवश्यकता होगी।

बिजली की अधिक खपत वाले उद्योगों का बिजली संयंत्र लगाने का प्रस्ताव

247. **श्री हरिहर सोरेन :**
श्री दयाराम शाक्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के बिजली की अधिक खपत वाले कुछ उद्योगों ने अपने बिजली के संयंत्र लगाने की इच्छा जाहिर की है ;

(ख) क्या बिजली की अधिक खपत वाले उद्योगों के अपने बिजली के संयंत्र लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सरकार की वर्तमान नीति उद्योगों द्वारा कैप्टिव विद्युत उत्पादन सेटों की स्थापना किये जाने की संभाव्यता में बाधक नहीं है । कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के संबंध में वर्तमान नीति यह है कि जिन उद्योगों में प्रक्रिया भाप की आवश्यकता होती है या जिसमें अवशेष ऊष्मा उपलब्ध होती है उनमें 'सकल ऊर्जा संकल्पना' के अनुरूप कैप्टिव उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित किया जाये । देश में विद्युत की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये, क्षमता की कमी को मद्दे नजर रखते हुए तथा इस्पात, उर्वरकों और अल्यूमीनियम के प्रमुख उद्योगों जैसे उत्पादक क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे यूनिटों में कोयले पर आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है । जहां पर उद्योगों को डीजल उत्पादन सेटों की आवश्यकता होती है वहां पर, जिन प्रस्तावों में ऐसे सेटों का आयात करना शामिल हो उन मामलों में निर्धारित नियमों और पद्धतियों का अनुपालन करके, वे आवश्यकतानुसार इनको प्रतिष्ठापित करने में स्वतंत्र हैं । यदि क्षमता 25 मेगावाट से कम है तो राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारें अपने आप ही आवश्यक अनुमति दे सकती है । क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होने के मामले में राज्य बिजली बोर्डों से यह अपेक्षा की जाती है कि अनुमोदन देने से पहले वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामर्श कर लें । 25 मेगावाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव उत्पादन सैटों के मामले में भारत सरकार की स्वीकृति भी आवश्यक है । विद्युत गहन उद्योगों द्वारा अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव समय-समय पर सरकार को प्राप्त होते है तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

कुट्टीयाडि जल विद्युत योजना

248. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुट्टीयाडि जल विद्युत योजना कब से आरंभ हुई है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इसको बढ़ाने की किसी योजना की परियोजना रिपोर्ट भेजी है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) संवर्धन योजना को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारत सरकार मंजूरी कब तक देगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुट्टीयाडि जल विद्युत स्कीम सितम्बर-नवम्बर, 1972 से प्रचालन में है।

(ख) और (ग) कुट्टीयाडि विस्तार स्कीम की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दिसम्बर, 1976 में प्राप्त हुई है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम में 34.5 मीटर ऊंचे एक बांध का, चार सैडल बांधों का और 4.68 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण किया जाना है। इस स्कीम से 175 मिलियन यूनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन होने की आशा है। परियोजना की अनुमानित लागत 13.05 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और टिप्पणियों परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पुनः भेजी गई टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

इस स्कीम में, वर्तमान कुट्टियाडि बिजली घर में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए करमन्थोडू नदी के जल को, जो कावेरी बेसिन में काविनी की एक सहायक नदी है, पश्चिम की ओर कुट्टीयाडि बेसिन में व्यववर्तित किया जाना है। इस स्कीम के अंतर्राज्यीय पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और अन्तर्राज्यीय मामले हल हो जाने तथा परियोजना की विशिष्टियां हल हो जाने के बाद स्कीम पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।

बंगलादेश के आदिवासी शरणार्थियों का पुनर्वास

249. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में बंगला देश के कितने आदिवासी शरणार्थियों को भारत में बसाया गया :

(ख) उनको किन राज्यों में बसाया गया ;

(ग) उनका मंत्रालय इनके पुनर्वास पर लगभग कितना व्यय कर रहा है ; और

(घ) बंगला देश के और आदिवासी शरणार्थियों को हमारे देश में आने से रोकने के लिए उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शून्य ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ईंधन तेल का प्रयोग

250. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंधन तेल की मुख्य खपत औद्योगिक क्षेत्र में होती है और आजकल उपयोग में लाये जा रहे ईंधन तेल का एक चौथाई भाग उद्योग के "हाउस कीपिंग" उपायों में सुधार लाने से किया जा सकता है जबकि पुराने जर्जर ताप उपकरणों को बदलने से ईंधन तेल की और बचत हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कारण जानने के लिए और उपाय सुझाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) से (ग) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के पहले से ही किये गये अध्ययनों ने यह बताया है कि इन इकाईयों द्वारा अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय किये जाने से करीब 18 प्रतिशत की बचत होने की सम्भावना है । इसमें से, हाऊस कीपिंग उपायों से करीब 8 से 10 प्रतिशत तक और शेष वेस्ट हीट रिकवरी साधनों के जुटाने और वायलरों और भट्टियों आदि का आधुनिकीकरण करने से किया जा सकता है ।

अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपायों में जलाने से पहले तेल के ताप और विस्कासिता को तैयार करना भाप के निकलने को रोकना ताप रिकार्डर्स, वेस्ट गैस एन्लायनर्स, जैसे तरल मानीटरिंग उपकरणों की स्थापना करना रिक्यूपेटर और इकानमाइजर्स की स्थापना करना और पुराने अप्रचालित, ज्वलनशील उपकरणों जैसे वाचलर भट्टी आदि का आधुनिकीकरण प्रतिस्थापना करना शामिल है । औद्योगिक इकाईयों को परामर्श किया गया है कि वे इन उपायों को अपनाये । पुराने और अकुशल वायलरों के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापना की एक योजना तैयार की गई है । इस योजना में इसके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था है । वेस्ट हीट प्रतिप्राप्ति उपकरण यंगीकरण और नियंत्रण प्रणालियों आदि के लिए भी इसी प्रकार कार्यक्रम को विचार में लिया गया है ।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

251. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें तथा उनके चालू किए जाने की संभावित तारीख को दिखाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं ।

(ग) विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करने के लिए परियोजनाओं की विभिन्न गति-विधियों की सस्ती से मानीटरिंग करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय बनाए गए हैं। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं, तथा निर्माताओं निर्माण एजेंसियों आदि के साथ के० वि० प्रा० में समन्वय तथा समीक्षा बैटकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है । सभी बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके । के० वि० प्रा० के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले उठाते हैं । राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु विद्युत विभाग में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । ऊर्जा मंत्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैटकों का आयोजन भी राष्ट्रीय स्तरों पर किया गया जिनमें उपचारी उपाय करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू किये जाने की समीक्षा की गई थी ।

विवरण—1

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की प्रत्याशित तारीख दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	प्रथम/आखिरी यूनिट को चालू करने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1.	पश्चिम यमुना नहर	6 X 8	84-85
			84-85
2.	बिन्वा	2 X 3	83-84

1	2	3	4
3.	आन्ध्र	3 X 5	84-85
4.	रोंगटोंग	4 X 0.5	84-85
5.	भाबा (संजय)	3 X 40	86-87
6.	शानन विस्तार	1 X 50	81-82
7.	मुकेरियाँ	(6 X 15) + (6 X 19.5)	82-83 85-86
8.	आनन्दपुर साहिब	4 X 33.5	82-83 83-84
9.	माही बजाज सागर	(2 X 25) + (2 X 45)	83-84 85-86
10.	अनूपगढ़	6 X 105	85-86
11.	यमुना चरण—दो (खोडरी)	4 X 30	82-83 83-84
12.	मानेरी भाली चरण—एक	3 X 30	83-84
13.	लखवार व्यासी	(3 X 100) + (2 X 60)	86-87
14.	मानेरी भाली चरण—दो	3 X 52	86-87
15.	टीहरी	4 X 250	88-89
16.	विष्णु प्रयाग	4 X 65.6	90-91
17.	पोंग विस्तार	2 X 60	82-83 83-84
18.	देहर विस्तार	2 X 165	83-84 83-84
19.	सलाल	3 X 115	87-88
पश्चिम क्षेत्र			
20.	उकई एल० टी० सी०	2 X 2.5	84-85

1	2	3	4
21.	कडाना	2 X 60	84-85
			84-85
22.	बेधघाट	4 X 125	86-87
			87-88
23.	पैथन	1 X 12	83-84
24.	भीरा टेल रेस	2 X 40	84-85
			85-86
25.	बन्डरधारा	(1 x 10) + (1 X 33.3)	85-86
			86-87
26.	टिल्लारी	1 X 60	84-85
27.	पावाना	1 X 10	85-86
28.	पेंच	2 X 80	83-84
			84-85
	दक्षिणी क्षेत्र		
29.	नागार्जुनसागर पी. एस. एस चरण-एक	4 X 100	चालू किया जा चुका है
			82-83
30.	श्रीशेलम चरण-एक	4 X 100	81-82
			82-83
31.	डोंकाराई	1 X 25	82-83
32.	वलीमेला बांधघर	2 X 30	85-86
33.	नागार्जुनसागर दा० त० न०	2 X 30	82-83
34.	अपर सिलेरू चरण-दो	2 X 60	85-86
35.	नागार्जुनसागर पी. एस. एस. चरण-दो	3 X 100	84-85
			85-86
36.	श्रीशैलम चरण-दो	3 X 110	84-85
			85-86

1	2	3	4
37.	कालीनदी चरण-एक	(6 X 135) + (2 X 50)	चालू किया जा चुका है
			84.85
38.	वराही	(2 X 115) + (2 X 4.5)	85-86
39.	गंगावली	2 X 105	1984-85 के पश्चात्
40.	कालीनदी चरण-दो	(4 X 32) + (4 X 25) + (2 X 25)	90-91
			92-93
41.	इदामलयार	2 X 37.5	83.84
42.	कक्कड	2 X 25	85-86
43.	कदमपराई पी. एस. एस.	4 X 100	84-85
			85-86
44.	इडुक्की चरण-दो	3 X 130	84-85
			85-86
45.	सरवालार	1 X 20	83-84
46.	लोअर मेत्तुर	8 X 25	84-85
			86-87
47.	कुन्डाह बिजली घर 5	1 X 20	84-85
पूर्वी क्षेत्र			
48.	रेंगाली	2 X 50	84-85
49.	अपर कोलाब	3 X 80	84-85
			85-86
50.	अपर इन्द्रावती	4 X 150	86-87
			87-89
51.	जलढ़ाका	2 X 4	82-83
52.	राम्मन चरण-दो	4 X 12.5	85-86
53.	पंचेतहिल	1 X 40	84-85
54.	कोयल कारो	(6 X 115) + (1 X 20)	1948-85 के पश्चात्

1	2	3	4
	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र		
55.	लोअर बोपरबानी	2 X 50	84-85
			85-86
56.	दीखु	(1 X 0.75)+(1 X 0.25)	83-84
57.	गुमटी	1 X 5	83-84
58.	कोपिली	(2 X 25)+(2 X 50)	83-84
			83-84
59.	लोकतक	3 X 35	82-83

विवरण—2

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की प्रत्याशित तारीखों को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की प्रत्याशित तारीख	
1	2	3	4	
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	पानीपत चरण-दो (यूनिट-3 और 4)	2 X 110	यूनिट-3	3/84
			यूनिट-4	9/84
2.	पानीपत चरण-तीन यूनिट-5	1 X 210		12/85
3.	रोपड़ (यूनिट-1 और 2)	2 X 210	यूनिट-1	12/84
			यूनिट-2	6/85
4.	कोटा (यूनिट-1 और 2)	2 X 110	यूनिट-1	5/82
			यूनिट-2	12/82
5.	कोटा चरण-दो (यूनिट-3 और 4)	2 X 210	यूनिट-3	10/85
			यूनिट-4	4/86

1	2	3	4	
6.	ओवरा चरण-तीन (यूनिट-12 और 13)	2 X 200	यूनिट-13	3/82
7.	परिछा (यूनिट-1 और 2)	2 X 110	यूनिट-1	12/82
			यूनिट-2	6/83
8.	अन्नपारा	3/210	यूनिट-1	12/83
	(यूनिट-1,2 और 3)		यूनिट-2	6/84
			यूनिट-3	12/84
9.	टाण्डा	4 X 110	यूनिट-1	5/84
	(यूनिट 1,2,3 और 4)		यूनिट-2	11/84
			यूनिट-3	5/85
			यूनिट-4	11/85
10.	ऊंचाहार	2 X 210	यूनिट-1	12/85
	यूनिट-1 और 2)		यूनिट-2	6/86
11.	अनपारा "बी"	2 X 500	यूनिठ-1	1986-87
			यूनिट-2	1987-88
12.	बदरपुर चरण-तीन	1 X 210		2/82
	(यूनिट-5)			
13.	सिंगरौली सु०ता०वि०के०	3 X 210	यूनिट-1	3X82
	चरण-1 (यूनिट-1,2 और 3)		यूनिट-2	12/82
			यूनिट-3	6/83
14.	सिंगरौली सु.ता.वि.के.	2 X 210+	यूनिट-4	12/83
	चरण-दो (यूनिट-4,5,6 और 7)	2 X 500	यूनिट-5	6/84
			यूनिट-6	1986-87
			पूनिट-7	1987-88
पश्चिम क्षेत्र				
15.	वानकबोरी	3 X 210	यूनिट-1	2/82
	(यूनिट-1,2 और 3)		यूनिट-2	6/82
			यूनिट-3	12/82

1	2	3	4	
16.	वानकबोरी विस्तार (यूनिट-4,5 और 6)	3 X 210	यूनिट-4	10/84
			अनिट-5	4/85
			यूनिट-6	10/85
17.	उकई यूनिट-5	1 X 210	यूनिट-5	9/83
18.	कुच्छ लिग्नाइट (यूनिट-1 और 2)	2 X 60	यूनिट-1	6/85
			यूनिट-2	12/85
19.	सिक्का (प्रतिस्थापन)	1 X 120		4/85
20.	सतपुड़ा (यूनिट-8 और 9)	2 X 210	यूनिट-8	9/82
			यूनिट-9	3/83
21.	कोरवा पश्चिम (यूनिट-1 और 2)	2 X 210	यूनिट-1	11/82
			यूनिट-2	5/83
22.	कोरबा पश्चिम विस्तार (यूनिट-3 और 4)	2 X 210	यूनिट-3	4/84
			यूनिट-4	10/84
23.	बिस्सींधपुर (यूनिट-1 और 2)	2 X 210	यूनिट-1	12/85
			यूनिट-2	6/86
24.	कोराडी चरण-तीन	1 X 200+	यूनिट-6	3/82
	(यूनिट-5,6 और 7)	2 X 210	यूनिट-7	9/82
25.	भुसावल विस्तार (यूनिट-3)	1 X 210		5/82
26.	पारली चरण-तीन (यूनिट-4)	1 X 210		1985-86
27.	चन्द्रपुर चरण-एक (यूनिट-1 और 2)	2 X 210	यूनिट-1	11/82
			युनिट-2	3/83
28.	चन्द्रपुर चरण-दो	2 X 210	यूनिट-3	10/84
	(यूनिट-3 और 4)		यूनिट-4	4/85
29.	चन्द्रपुर चरण-तीन (यूनिट-5)	1 X 500	यूनिट-5	87-88

1	2	3	4	
30.	बम्बई के समीप उरण में गैस टर्बाइन जैनरेटिंग सेट (यूनिट-1,2,3 और 4)	4X60	यूनिट-1	12/81
			यूनिट-2	3/82
			यूनिट-3	6/82
			यूनिट-4	8/82
31.	ट्राम्बे	1X500		6/83
32.	कोरवा सु. ता. वि. के.	3X210+	यूनिट-1	2/83
	(यूनिट 1, 2, 3 और 4)	1X500	यूनिट-2	7/83
			यूनिट-3	1/84
			यूनिट-4	86-87
33.	कोरबा सु. ता. वि. के. चरण-दो	2X500	यूनिट-5	1987-88
	(यूनिट-5 और 6)		यूनिट-6	1988-89
	दक्षिणी क्षेत्र			
34.	रायचूर	2X210	यूनिट-1	1/84
	(यूनिट-1 और 2)		यूनिट-2	7/84
35.	तूतीकोरिन विस्तार (यूनिट-3)	1X210		3/82
36.	मेत्तुर	2X210	यूनिट-1	10/85
	(यूनिट-1 और 2)		यूनिट-2	4/86
37.	नेवेली दूसरा माइन कट	3X210	यूनिट-1	9/84
	(यूनिट-1, 2 और 3)		यूनिट-2	3/85
			यूनिट-3	9/85
38.	रामा गुण्डम सु. ता. वि. के.	3X210+	यूनिट-1	2/84
	(यूनिट 1, 2, 3 और 4)	1X500	यूनिट-2	8/84
			यूनिट-3	2/85
			यूनिट-4	87-88

1	2	3	4	
पूर्वी क्षेत्र				
39.	बरौनी (यूनिट-6)	1X110	यूनिट-6	9/82
40.	बरौनी (यूनिट-7)	1X110	यूनिट-7	10/83
41.	पतरातु (यूनिट-9 और 10)	2X110	यूनिट-9	4/83
			यूनिट-10	9/83
42.	मुजफ्फरपुर (यूनिट-1 और 2)	2X110	यूनिट-1	11/83
			यूनिट-2	5/84
43.	तेनूघाट (यूनिट-1 और 2)	2X210	यूनिट-1	6/86
			यूनिट-2	6/87
44.	दुर्गापुर (यूनिट-4)	1X210	यूनिट-4	12/81
45.	बोकारो 'बी' 6	1X210		4/84
46.	बोकारो बी विस्तार	2/210	यूनिट-1	1985-86
			यूनिट-2	1986-87
47.	तलचेर चरण-तीन (यूनिट-5 और 6)	2X110	यूनिट-5	3/82
			यूनिट-6	12/82
48.	बण्डेल विस्तार यूनिट-5	1/210	यूनिट-5	5/82
49.	कोलाघाट (यूनिट-1, 2 और 3)	3X210	यूनिट-1	3/83
			यूनिट-2	3/84
			यूनिट-3	12/84
50.	कोलाघाट विस्तार (यूनिट-5, 5 और 6)	3X210	यूनिट-4	12/85
			यूनिट-5	6/86
			यूनिट-6	12/86
51.	दुर्गापुर (डीपीएल) (यूनिट-6)	1X110	यूनिट-6	8/83
52.	टीटागढ़ (यूनिट 1, 2, 8 और 4)	4X60	यूनिट-1	8/82
			यूनिट-2	12/82
			यूनिट-3	6/83
			यूनिट-4	12/83

1	2	3	4	
53.	फरक्का सु. ता. वि. के. (यूनिट-1, 2 और 3)	3X210	यूनिट-1 यूनिट-2 यूनिट-3	2/85 8/85 2/86
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
54.	ओंगाईगांव (यूनिट-1 और 2)	2X60	यूनिट-2	2/82
55.	बोंगाईगांव विस्तार (यूनिट-3 और 4)	2X60	यूनिट-3 यूनिट-4	3/84 9/84
56.	लकवा गैस टर्बोइन (यूनिट-1, 2 और 3)	3X15	यूनिट-3	3/82
57.	नामरूप गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र पर वेस्ट हीट समुपयोजन संयंत्र	1X22		10/82
58.	चन्द्रपुर विस्तार	30	3/83	7/84
59.	मोबिल गैस टर्बाइन	4X3	81-82	12/81 से 2/82
60.	बोरगलाई	2X30	1986-87	1986-87
61.	गारोहिल (यूनिट-1 और 2)	2X30	यूनिट-1 यूनिट-2	12/87 6/88

उड़ीसा के ढेकानाल के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सुविधाएं

252. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जिला ढेकानाल में, उप-मंडलवार तथा खंडवार, 2,500 से अधिक जनसंख्या वाले कौन-कौन से तथा कितने गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या चरणबद्ध रूप से यह सुविधा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1981-82 के दौरान कामारूपा नगर ब्लाक के अंगारूआ के सिवाय सभी ग्रामों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा की योजना तैयार की गई है । 1982-83 की योजना में अंगारुआ को शामिल किया गया है ।

विवरण

उड़ीसा के धैनकनाल जिले के 2500 अथवा अधिक जनसंख्या वाले ग्राम जहां सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा नहीं है ।

उप मंडल का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम
1. अंगुल	1. अंगुल	1. कांगुला
	2. बनारपाल	1. जरासिंगा
		2. बल राम प्रसाद
2. तलचेर	1. तलचेर	1. घंटापारा
		2. तेनतुलई
3. कामारूपा नगर	1. कामारूपा नगर	1. अंगारुआ
4. धैनकनाल	1. धैनकनाल	1. चौलिया
		2. संकरपुर
	2. गोंदिया	1. पिंगुआ

पावर टेलेकाम को-आर्डिनेशन कमेटी

253. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर टेलेकाम को-आर्डिनेशन कमेटी चालू वित्तीय वर्ष में काम करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो समिति का इस समय का गठन क्या है और सदस्यों के नाम तथा पद क्या हैं ;

(ग) डाक तार विभाग द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों आदि से सम्बन्धित कौन कौन सी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए इसे निर्देशित की गई थी और प्रत्येक परियोजना कौन-कौन सी तारीख को इसे निर्देशित की गई थी ;

(घ) कौन-कौन सी परियोजनाओं को इस बीच स्वीकृति दी जा चुकी है ; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं और स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) इस समिति में डाक तार, राज्य विद्युत बोर्ड, रेलवे तथा सेना प्राधिकारियों के सदस्य होते हैं । समिति के सदस्यों के नाम और पदनाम विवरण-1 में दिए गए है ।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थान पी० टी० सी० सी० को नहीं सौंपा जाता है । केवल पावर लाइनों की समीपता में खुला तार दूरसंचार लाइनें तथा भूमिगत दूरसंचार केबुल इस समिति को सौंपा जाता है। पी० टी० सी० सी० को डाक तार द्वारा सौंपी गई डाक तार लाइनें तथा उन्हें सौंपने की तारीख बिवरण-2 में दी गई है ।

(घ) जैसा कि विवरण-2 में दिया गया है ।

(ङ) विवरण-2 में दिए अनुसार ।

विवरण-1

(क) विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति के राज्य स्तर के सदस्य

राज्य	सदस्य का नाम	पदनाम
1. जम्मू व कश्मीर	1. श्री एच, एस. सोढी	महाप्रबंधक दूरसंचार, श्रीनगर
	2. श्री एम एल दाम्वी	सहायक इंजीनियर, पी. टी. सी. सी. श्रीनगर
	3. श्री खान	अधीक्षण अभियन्ता, आर. ई. उप ट्रांस सर्किल, श्रीनगर
	4. श्री एस. पी. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, आर. ई. उप ट्रांस सर्किल, जम्मू
	5. श्री कैलान सिंह	डी. सी. एस रेलवे, उत्तरी रेलवे, बड़ौदा हाउस, नयी दिल्ली
	6. ले. कर्नल शमशेर सिंह	सेना
	7. ले. कर्नल एस. डी. भाटिया	सेना
	8. ले. कर्नल एस. डी. सिंह	सेना

2. आन्ध्र	1. श्री एम. जी. जिलानी	सदस्य (टी) उप महाप्रबन्धक दूरसंचार
	2. श्री भास्कर राव	सदस्य (पी) ए. पी. एस. ई. बी.
	3. श्री एन. के. मिश्र	सहायक इंजीनियर, पी. टी. सी. सी. सर्किल कार्यालय, हैदराबाद
	4. श्री के. गोविन्दा राव	एस. एस. टी. (ईएससी) एस. सी. रेलवे सिकन्दराबाद
3. पश्चिम बंगाल	1. श्री एस. एम. बनर्जी	उप महाप्रबंधक दूरसंचार
	2. श्री एन. के. साह	सहायक इंजीनियर पी. टी. सी. सी. (डाकतार)
	3. श्री आर. एम. दास	सहायक महाप्रबंधक दूरसंचार
	4. श्री पी. के. डे	सहायक इंजीनियर पी. टी. सी. सी. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड
	5. श्री डी. के. वैद्य	उप मुख्य सिग्नल अधिकारी, बंगाल क्षेत्र
	6. श्री एस. कल्याण सुन्दरम	उप सी. एस. टी. ई. उत्तर पूर्व रेलवे
	7. श्री आर. रेही	अतिरिक्त मुख्य संचार इंजीनियर, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता
	8. श्री एम. एस. जयरामन	वरिष्ठ सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता
	9. श्री ए. के. दास गुप्ता	डी. ई. टी. पी. टी. सी. सी. तकनीकी एवं विकास सर्किल, कलकत्ता
4. राजस्थान	1. श्री टी. एन. जैन	सी. ई. (टी. एड. सी.) आर. एस. ई. बी. राजस्थान, जयपुर
	2. श्री बी. प्रसाद	उप महाप्रबंधक, दूरसंचार, राजस्थान सर्किल, जयपुर
	3. श्री जगमोहन लाल	कार्यकारी इंजीनियर (पी. टी. सी. सी.) आर. एस. ई. बी. जयपुर
	4. श्री ए. जी. नाजोर	सहायक इंजीनियर, पी. टी. सी. सी. महाप्रबंधक दूरसंचाद का कार्यालय, जयपुर
5. तमिलनाडु	1. श्री टी. वी सिवकुमारन	उप महाप्रबंधक दूरसंचार, तमिलनाडु सर्किल, मद्रास

	2. श्री वी. वी. सुब्रहमण्यिन	वरिष्ठ सिग्नल एवं दुरसंचार इंजीनियर दक्षिण रेलवे, मद्रास
	3. श्री एम. चिन्नास्वामी	अधीक्षण इंजीनियर (आर. ई.) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, मद्रास
6. पंजाब	1. श्री वी. पी. शर्मा	निदेशक (ट्रांस) डिजाइन, निदेशालय पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड जालंधर
	2. श्री निर्मल स्वरूप	निदेशक दूरसंचार, जालधर,
	3. श्री दर्शन सिंह	सहायक इंजीनियर पी. टी. सी. सी. महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, अम्बाला
7. हरियाणा	1. श्री आर. सी. गुप्ता	अधीक्षण इंजीनियर (ट्रांस) डिजाइन हिसार
	2. श्री एम. सी. त्रेहन	निदेशक दूरसंचार, महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, अम्बाला
	3. दर्शन सिंह	सहायक इंजीनियर, पी टी. सी. सी. महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, अम्बाला
8. हिमाचल प्रदेश	1. श्री जी. के. काग	अधीक्षण इंजीनियर पी. एण्ड डी. (ई.) शिमला
	2. श्रीं एम. सी. त्रेहन	निदेशक दूरसंचार, एच. एण्ड एच. पी. अम्बाला
	3. श्री दर्शन सिंह	सहायक इंजीनियर, पी. टी. सी. सी. महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय अम्बाला
9. संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	1. श्री एम. सी. जोशी	जिला प्रबन्धक टेलीफोन्स, चंडीगढ़
	2. श्री पी. ओ. सरवाल	अधीक्षण इंजीनियर (यूटी) विद्युत चण्डीगढ़
	3. श्री दर्शन सिंह	सहायक इंजीनियर, पी. पी. सी. सी. महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय अम्बाला
10. विहार	1. श्री वी. पी. सिन्हा	उप महाप्रबंधक दूरसंचार, पटना
	2. श्री बी. प्रसाद	अधीक्षण इंजीनियर (एस. एण्ड डी.) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना
	3. श्री पी. एस. वेंकटारमन	डी. एस. टी. ई. पूर्वी रेलवे, कानपुर
	4. श्री एम. राम कुमार	डी. एस. टी. जी. दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर

	5. श्री वी. एस. कटियार	उप सी. एस. टी. ई. (टी.) उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर
	6. कैप्टन पी. बी. वर्गीज	ओ/सी बिहार और उड़ीसा क्षेत्र दानापुर
	7. श्री ए. के. देवा	सहायक इंजीनियर पी. टी. सी. सी. जी. एम. टी. पटना का कार्यालय
	8. श्री वी. कुमार	ए. डी. टी. (ए. टी. सी. सी.) जे. टी. टेकर पटना
11. मध्य प्रदेश	1. श्री प्रकाश नारायण	उप जी. एम. टी. भोपाल
	2. श्री एन. आई. श्रीवास्तव	मंडल इंजीनियर, कार्य, मुख्य इंजीनियर का कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जबलपुर
	3. श्री आई. वी. के. गुमस्ता	सहायक इंजीनियर पी. टी. सी. सी. जी. एम. टी. भोपाल का कार्यालय
12. केरल	1. श्री एस. के. डी. गर्ग	उप महाप्रबंधक, दूरसंचार, त्रिवेन्द्रम
	2. श्री पी. के. गोविन्दन कुट्टी	अधीक्षक इंजीनियर (टेक) केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेन्द्रम
	3. श्री वी. सेशन	डी. ई. ठी. पी. टी. सी. सी. (टी. एण्ड डी.) सर्किल, मद्रास
	4. श्री वी. वी. सुब्रहमणियन	एस. एस. टी. ई. (दक्षिण रेलवे)
13. उत्तर प्रदेश	1. श्री ए. एल. गुप्ता	उप महाप्रबंधक, जी. एम. टी. लखनऊ का कार्यालय
	2. श्री अहमद सैय्यद	अधीक्षण इंजीनियर ग्रामीण विद्युतीकरण एवं जे. के. सिस्टम लखनऊ
14. महाराष्ट्र	1. श्री पी.एच. वेंकटेश्वर	निदेशक दूरसंचार, बंबई मुख्य इंजीनियर
	2. श्री सी.जी. मलखानी	(आर.ई. एंड काम) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वोर्ड, बंबई
	3. श्री मुथूकुरुबिन	डी.ई.टी पी.टी.सी.सी बम्बई।

विद्युत निरीक्षणालय और केन्द्रीय रेलवे से प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। कोई विशिष्ट नामांकन नहीं होता है।

15. उत्तर पूर्व क्षेत्र जिसमें असम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मेघालय, मणिपुर त्रिपुरा, नागालैंड राज्य/संघ शासित आते हैं।	1. श्री आर. लालवानी	निदेशक दूरसंचार, शिलांग
	2. श्री डी.एस.राजपुर	निदेशक दूरसंचार, डिब्रूगढ़
	3. श्री ए.के. चौधरी	सहायक इंजीनियर पीटीसीसी, जीएमटी शिलांग का कार्यालय
	4. श्री आर.के. जैन	कार्यकारी इंजीनियर, पीटीसीसी, असम राज्य विद्युत बोर्ड
	5. श्री जे.एच. कैंटा	कार्यकारी इंजीनियर, विद्युत, मेघालय विद्युत बोर्ड
	6. श्री एस.ऐच. सीमा	कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत) नागालैंड राज्य
	7. श्री आर.के. तिकेन्द्र	अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत) मणिपुर राज्य
	8. श्री ए. भौमिक	कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत) त्रिपुरा राज्य
	9. श्री एस.आर. दास	अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत) मिजोरम राज्य
	10. श्री ए.के. मजूमदार	कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत) अरुणाचल प्रदेश
	11. श्री एम.के.मिहा	कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत) शिलांग
	12. श्री टी.डी.गुप्ता	अधीक्षण इंजीनियर, एनईआरईबी, शिलांग
	13. कर्नल टी. जान	101 क्षेत्र मुख्यालय, मार्फत 99 ए.पी.ओ.
	14. श्री गोस्वामी	मुख्य विद्युत निरीक्षक, असम सरकार
	15. ले. कर्नल यू. एन. महापात्र	356 सिग्नल रेजिमेंट, मार्फत 99 ए.पी.ओ.
	16. श्री पी.बी.दाह	वरिष्ठ बिद्युत निरीक्षक, मेघालय सरकार
	17. श्रीमती मिली राय	विद्युत निरीक्षक, त्रिपुरा सरकार
	18. श्री एस.एस. घोष	क्षेत्रीय विद्युत निरीक्षक, एनईआरईबी (सीईए) अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
	19. श्री पी. आर.दुगल	मुख्य विद्युत निरीक्षक, मणिपुर सरकार
	20. श्री आई.लेनूटाय	मुख्य इंजीनियर (विद्युत) नागालैंड सरकार
16. उड़ीसा	1. श्री पी.पी. पिट्टल	निदेशक दूरसंचार, भुवनेश्वर
	2. श्री जी. पात्र	अधीक्षण इंजीनियर, टेक.ओं.एस.ई.बी, भुवनेश्वर

17. कर्नाटक	1. श्री रुस्तम अली	उप महाप्रबंधक दूरसंचार, बंगलूर
	2. श्री बी.टी.सिद्दाबासावै	अधीक्षण इंजीनियर, लोड डिस्पैच सेंटर, के.ई.बी. बंगलूर
18. गुजरात	1. श्री एस.पी.कवकड़	उप महाप्रबंधक दूरसंचार अहमदाबाद
	2. श्री एस.पी.बुध	सदस्य (विद्युत) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड, अहमदाबाद
	3. श्री के.एन.चटोपाध्याय	सहायक इंजीनियर पीटीसीसी, जी.एम.टी. अहमदाबाद का कार्यालय
	4. श्री सी.एम.बालाचन्द्रन	एस.एस.टी.ई. पश्चिम रेलवे
	5. श्री एम.आई.खुमारी	विद्युत निरीक्षण, गुजरात सरकार अहमदाबाद

(ख) केन्द्रीय पी.टी.सी.सी. 1981-82 के सदस्य

1. सदस्य (पी.एस.) सी.ई.ए, नई दिल्ली	श्री वी.वी.राव, मुख्य इंजीनियर (पी.एस.)
2. निदेशक (ट्रांस) सी.ई.ए नई दिल्ली	श्री एन.वी. कृष्णास्वामी निदेशक(दूरसंचार)
3. उप निदेशक(पी.टी.सी.सी)सी.ई.ए. नई दिल्ली	श्री वी.के मल्होत्रा, उप निदेशक पी.टी.सी.सी
4. महाप्रबंधक तकनीकी एवं विकास सर्किल, जबलपुर	श्री एच. सी. माथुर, महाप्रबंधक
5. मंडल इंजीनियर तार (पी.टी.सी.सी.)	1. श्री वी.सी. सक्सेना
	2. मुथूकुरुवै
	3. वी.सेशन
	4. ए.के. दासगुप्ता
6. निदेशक(एम.एल.)डाक तार निदेशालय	श्री एम.आर. राव
7. निदेशक (आर.डी.) डाक तार निदेशालय	श्री के. राधाकृष्णन
8. उप निदेशक, टी.आरती, नई दिल्ली	श्री के.एन. सिंह

9.	उप महाप्रबंधक (टी.) टी. एन्ड डी. सर्किल जबलपुर	श्री टी.एल.भाटिया
10.	संयुक्त निदेशक दूरसंचार (जी) रेलवे बोर्ड नई दिल्ली	श्री अरुण भटनागर, संयुक्त निदेशक (एस. एंड टी.)
11.	बेतार सलाहकार, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली	श्री टी.वी. श्रीरंगन
12.	सेना प्रतिनिधि	ले. कर्नल जे.एस. नरसिम्हन सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

सभी राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकार और महाप्रबंधक दूरसंचार के नामित भी भाग लेते हैं ।

विवरण-2

1981 में लम्बित अथवा निपटाई गई डाक-तार द्वारा पी.टी.सी.सी. को सौंपी गई डाक-तार लाइनें

लाइन का नाम	सोंपने की तारीख	मौजूदा स्थिति	देरी/रुकावट का कारण	निपटान की संभावित ता०
1	2	3	4	5
1. जम्मू-पठानकोट एनसीजे साईन (ज.वका.)	फरवरी, 1977	लम्बित	पावर/दूरसंचार लाइनों को तकनीकी विवरण की प्रतीक्षा है।	मार्च, 82 तक आशा है
2. हिंगलाकांडी कैनाल साईन (प० बंगाल)	18.11.78	निबटा दिया		
3. पांडुआ टेलीफोन एक्सचेंज (प०बंगाल) से एलडी नया टेलीफोन कनेक्शन	17.12.80	वही		
4. एलडी नया टेलीफोन कनेक्शन कालना एक्स-चेंज (प० बंगाल)	17.12.80	वही		
5. कालना एक्सचेंज (प०बं०) से एलडी नया टेली-फोन कनेक्शन	17.12.80	वही		
6. रासीपुरम एक्सचेंज से नामागिरीपट एलडी पीटी (तमिलनाडु)	29.9.81	लम्बित	पावर/दूरसंचार लाइनों को तकनीकी विवरण की प्रतीक्षा है।	लगभग 2 माह में
7. रानीपट-ब्रह्मादेसम एलडी पीटी (तमिलनाडु)	19.8.81	निबटा दिया		

1	2	3	4	5
8. डालमिया-पुदुपुलेय एलडी पीटी (तमिलनाडु)	31.3.81	निबटा दिया		
9. नादुरापट्टी-एलडी पी.टी.	13.2.81	वही		
10. झुखाला-बिलासपुर एस.ए.एक्स. जं० लाइन (हि०प्र०)	21.10.81	लम्बित	पावर/दूरसंचार लाइनों के तकनीकी विवरण की प्रतीक्षा है।	लगभग 4 माह में
11. सेंदवा-पानसेमल ट्रंक लाईन पानसेमल एस.ए. एक्स (म०प्र०) के लिए	14.8.81	लम्बित	वही	लगभग 2 माह में
12. सेंदवा-ओजहार एस.ए.एक्स. ट्रंक लाइन (म.प्र.)	14.8.81	वही	वही	वही
13. थान्न थोड एक्सचेंज से टेलीफोन विस्तार	अगस्त, 81	वही	वही	वही
14. चतरापुर-आई.आर.ई एल.एंड डी. माटीखल साइल (उड़ीसा)	21.5.81	लम्बित	पावर व दूरसंचार विवरण की प्रतीक्षा है।	लगभग 1 माह में
15. देहरादून-रजवाला एल.डी.पी.सी.ओ.(उ०प्र०)	12.6.80	निबटा दिया		
16. देहरादून-फेंलाकुई एल.डी.पी.सी.ओ (उ०प्र०)	12.6.80	वही		
17. मुजफ्फरनगर-मेरठ कोएक्सल केबिल	12.9.77	वही		
18. मुजफ्फरनगर-रुड़की कोएक्सिअल केबिल	12.9.77	वही		

1	2	3	4	5
19. आगरा-सागर कोएक्सिअल केबिल	30.4.81	लम्बित	मामला विचाराधीन है	क्रम सं० 125/134 पर दी गई टिप्पणी देखें।
20. यमनानगर-अम्बाला कोएक्सिअल केबिल	12.9.77	निबटा दिया		
21. जयंत-केराली रोड रेलवे रोड संरेखण	18.5.79	वही		
22. बड़ौदा-देरोल ट्रंक लाइन	30.9.80	वही		
23. अमरेली-ललवादर कोएक्सिअल केबिल	23.5.81	वही		
24. कुशल-कनकोवली ट्रंक लाइन (महाराष्ट्र)	23.7.81	वही		
25. मुरबाद-धसेई (महा०)	28.5.81	वही		
26. बीर-डिवानी (महा०)	29.4.81	वही		
27. बीर-पिम्पलनेर (महा०)	29.4.81	वही		
28. चांदनी-कोइलूवर (बिहार)	24.3.81	वही		
29. भादौर-कोइलवर	24.3.81	वही		
30. खागोन कोइलवर	24.3.81	वही		
31. कुलहारिया-कोइलवर	24.3.81	वही		
32. साकाड़ी-कोइलवर	24.3.81	वही		
33. कोरी-एसिआन	24.3.81	वही		
34. नारायणपुर-एसिआन	24.3.81	वही		
35. कव-विक्रम	24.3.81	वही		

1	2	3	4	5
36. कटैया-बेहिया	24.3.81	निबटा दिया		
37. बागेन-रघुनाथपुर	24.3.81	वही		
38. नन्दन-दुमरों	24.3.81	वही		
39. केशोपुर-सिमरी	24.3.81	वही		
40. सेधा-पिरो	24.3.81	वही		
41. मेराबरीथ-पावापुरी	26.3.81	वही		
42. घोसरावां-पावापुरी	26.3.81	वही		
43. बरहौना-नूरसराय	26.3.81	वही		
44. बाराखुन्ड-नूरसराय (बिहार)	26.3.81	वही		
45. सरथा-हरनौट	26.3.81	वही		
46. दोसूत-हरनौट	26.3.81	वही		
47. सबनाथुआ-हरनौट	26.3.81	वही		
48. पनहार-इस्लामपुर	26 3.81	वही		
49. अंगारी-एकानगरसराय	26.3.81	वही		
50. ओपी-इकानगरसराय	26.3.81	वही		
51. जूनियर-हिलसा	26.3.81	वही		
52. असारही-हिलसा	26.3.81	वही		
53. सुगांव-जहानाबाद	26.3.81	वही		

1	2	3	4	5
54. कसवान-जहानाबाद	26.3.81	निबटा दिया		
55. अलीनगर-सूरजगढ़	29.3.81	वही		
56. कवतपुर-सूरजगढ़	29.3.81	वही		
57. बालगुदर-लाखीसराय	29.3.81	वही		
58. शरमा.लाखीसराय	29.3.81	वही		
59. नन्दनामा-लाखीसराय	29.3.81	वही		
60. तीअरहट-लाखीसराय	29.3.81	वही		
61. गंगासराय-भारहिया	29.3.81	वही		
62. घोरहाट-वारीयरपुर	29.3.81	वही		
63. अमारी-जमालपुर	29.3.81	वही		
64. माकनपुर-वारीसालीगंज (बीएच)	29.3.81	वही		
65. मोंगढ़-जमालपुर	29.3.81	वही		
66. ढडौढ़ा-चट्टे वाड़-वारीसालीगंज	29.3.81	वही		
67. पानीगढ़ी-वारीसालीगंज	29.3.81	वही		
68. चकभाई-वारीसालीगंज	29.3.81	वही		
69. कुटरी-वारीसालीगंज	29.3.81	वही		
70. मादोखाड़ा-नवादा	29.3.81	वही		
71. सोंसीहारी-नवादा	29.3.81	वही		

1	2	4	4	5
72. कैना-नवादा	29.3.81	निबटा दिया		
73. नदीगिंज-हसूआ	29.3.81	वही		
74. टुंगी-हसूआ	29.3.81	वही		
75. बांगलवा.जमालपुर	29.3.81	वही		
76. शियोकुंड-मुंगैर	29.3.81	वही		
77. माफा-शेखपुरा	29.3.81	वही		
78. बेरु-नवादा	29.3.81	वही		
79. मंझीला-नवादा	29.3.81	वही		
80. हुसैनवाद-शेखपुरा	29.3.81	वही		
81. आन्ध्रवाड़ी-नवादा	29.3.81	वही		
82. सतगांवा-नवादा	29,3.81	वही		
83. मुबारकपुर-मरहौरा	8.4.81	वही		
84. औलहानपुर-मरहौरा	8.4.81	वही		
85. अर्ना-मशरक (बां.एच)	8.4.81	वही		
86. नरायणपुरा-मरहौरा	8.4.81	वही		
87. लाचीकेतुका-मरहौरा	8.4.81	वही		
88. बरदाहीआ-मरहौरा	8.4.81	वही		

1	2	3	4	5
89. पर्चामंडा-मरहौरा	8.4.81	निबटा दिया		
90. गम्हारी-सिद्धवालियन	8.4.81	वही		
91. परसोना-डिगवाड़ा	8.4.81	वही		
92. पिरौना-छपरा	8.4.81	वही		
93. सतजौड़ा-मशरक	8.4.81	वही		
94. गोपालपुर-मशरक	8.4.81	वही		
95. जगलपुर-बशरक	8.4.81	वही		
96. फजल्लाहपुर-सिद्धवालिया	8.4.81	वही		
97. सेवतपुर-सेरवा	8.4.81	वही		
98. कबीरपुर-मेरवा	8.4.81	वही		
99. पचौड़ी-बिहारशरीफ	28.3.81	वही		
100. गोनान-हरनौट	28.3.81	वही		
101. पवारी-हरनौट	28.3.81	वही		
102. खमेनी-अरावाल	26.3.81	वही		
103. काराथ-पीरो	26-8.81	वही		
104. बीहटा इंगलिश-पीरो	26.8.81	वही		
105. शुराहीजंगल महल (बी. एच)-पीरो	26.8.81	वही		

1	2	3	4	5
106. सेमराओं-पीरो	26.8.81	निवटा दिया		
107. नोनार-पीरो	26.8.81	वही		
108. भीमाओंन-बेहिया	26.8.81	वही		
109. हरदिया-बेहिया	26.8.81	वही		
110. मारानपुर-अगिआन	26 8.81	वही		
111. कयामनगर-आरी	26.8.81	वही		
112. रांची और पटराटू के बीच नात एक्सचेंज लाइनें	28.12.81	वही		
113. रतठा-हवेली खारंगपुर	9.3.81	लम्बित	पावर/टेलीकाम लाइनों का तकनीकी विवरण की प्रतीक्षा है	लगभग 2 माह में
114. अगराहन-हवेली खारंगपुर	9.3.81	लंबित	वही	वही
115. बांहारा-हवेली खारंगपुर	9.4.81	वही	वही	वही
116. दनरे-गोड्डा	9.3.81	वही	वही	वही
117. दुमका-अमरापुरा-दुमका	19.3.81	वही	वही	वही
118. देवगढ़-सरय्यत-देबगढ़	19.8.80	वही	वही	वही
119. दुमका-मसंगोर-दुमका	19.8.80	वही	वही	वही
120. मधुपुर-साराथ-मधुपुर	19.8.80	वही	वही	वही
121. सन्ध्या-डोड्डूमलजे (कर्नाटक) (25 लाइनों के एसएएक्स का खोला जाना)	16.12.80			

1	2	3	4	5
122. सी.एक्स.एल.केवल मंगलौर-कन्नानौर	29.6.79	निबटा दिया		
123. भंडारे-गौडिया-तुमसा कौएक्स केवल	21.11.80	वही		
124. जलगाँव-सोनवाड	24.1.81	वही		
125. दीवा-वासी रेलवे टेलकाम लाइन	4.4.81	लंबित	तकनीकी विवरण की प्रतीक्षा है,	उक्त निपटान में अनेक तकनीकी विवरणों का अध्ययन, जैसे मृदा की प्रतिशोधशक्ति, दूरसंचार विवरण की प्रेरण संगणना, सीमान्त मामलों में एल०एफ० परीक्षण आदि निहित हैं। इनको शीघ्र ही निवटा दिया जायेगा बशर्ते कि ये तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो तथा सुरक्षित सीमा है अन्तर्गत हो।
126. चंडीगढ़-रेवर-हरौआशहर कोएक्सियल केवल	1.9.81	बही	वही	
127. अमृतसर-वागा-कोएक्सियल केवल	13.8.81	वही	वही	
128. शिनेगोप्पा सिन्धानूर एनसीजे टेलकाम लाइन	12.8.81	वही	वही	
129. कौजीकौड-त्रिचुर-कोएक्स-केबल	7.8.81	वही	वही	
130. कौजीकौड-पालघाट कोएक्स केबल	8.9.81	वही	वही	
131. जबलपुर-दमौह-सागर कोएक्स केबल	12.12.80	वही	वही	
132. सतना सूक्ष्मतरंग स्टेशन सतना एमयूएक्स स्टेशन	17.6.81	वही	वही	
133. कलकत्ता और आसनसोल के बीच 4 वायर कोएक्सियल केबल	1981	वही	वही	
134. नागपुर-भंडारा-रायपुर-साँबलपुर कोएक्सियल केबल	9.6.80	वही	वही	

राज्य विधान परिषद् की सदस्यता का कार्यकाल

254. श्री जनार्दन पुजारी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान परिषद् की सदस्यता के कार्यकाल में कुछ परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विधि में संशोधन किया जाए कि राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचन प्रत्येक दो वर्ष बाद हों और इन सदनों के सदस्यों की पदावधि का क्रम स्थायी आधार पर नियत हो। यह कार्य स्वयं विधि में इस आशय का उपयुक्त उपबंध करके किया जाए कि ऐसे मामले में जिनमें इन सदनों के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन नियत तारीख को नहीं किए जा सके, तत्पश्चात् निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य छह वर्ष में से शेष अवधि के लिए ही कार्य करेंगे और इसकी संगणना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 या धारा 74 के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी। सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।

तालवेर कोयला खानों में अस्पताल

255. श्री मन मोहन टुडु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश की विभिन्न कोयला खानों में कुल कितने अस्पताल खोले हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजनावधि में तालचेर कोयला खान क्षेत्र में अस्पताल की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि मंजूर की है ; और

(घ) वहां पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जाना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुल मिलाकर, कोयला कामगारों के लिए कोल इंडिया लि० और कोयला खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा 65 अस्पताल चलाए जा रहे हैं।

(ख) तालचर क्षेत्र में एक 'प्रादेशिक अस्पताल' सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा पहले ही स्थापित किया जा चुका है। फिर भी, इस क्षेत्र में एक केन्द्रीय 'अस्पताल'' खोलने का प्रस्ता भी विचाराधीन है।

(ग) और (घ) तालचर क्षेत्र में प्रस्तावित केन्द्रीय अस्पताल के लिए मंजूरी अभ दी जानी है।

ठाणे जिले में गैस के कनेक्शन

256. श्री आर. के. महालंगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठाणे जिले में 30 सितम्बर, 1981 को विभिन्न डीलरों के पास विधिवत् रूप से पंजीकृत गैस कनेक्शनों के कितने आवेदन पत्र लम्बित थे ; और

(ख) ठाणे जिले में 1 अप्रैल, 1981 और 30 सितम्बर, 1981 के बीच कितने गैस कनेक्शन दिये गये और 1 अक्तूबर, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक तथा वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस जिले में कितने कनेक्शन देने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) 30 सितम्बर, 1981 को महाराष्ट्र में थाणे जिले में खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के लिए प्रतीक्षा सूची में लगभग 90,000 आवेदन कर्ता हैं।

(ख) 1 अप्रैल, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान उक्त जिले में लगभग 9000 एल. पी जी. कनेक्शन जारी किये गये हैं। शेष वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान थाणे में प्रस्तावित जारी किए जाने वाले एल. पी. जी. कनेक्शनों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

तेल तथा गैस के नये क्षेत्रों की खोज

257. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल तथा गैस युक्त नये क्षेत्रों की खोज की गई है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता सम्बन्धी अनुमान क्या हैं ;

(ख) इन नये पता लगाये गये संसाधनों के विदोहन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और पंम्पिग गतिविधियाँ आरम्भ करनें में कितना समय लगेगा ; और

(ग) भारत को निकट भविष्य में तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य कौन-कौन से संभावित क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचंद्र सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

आकाशवाणी प्रसारणों के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की प्रतिशतता

258. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आकाशवाणी प्रसारण कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहीं सुने जा सकते तथा वह क्षेत्र कहां कहां पर हैं ;

(ख) क्या सरकार का बिचार उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के अधार पर आकाशवाणी की प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है, यदि हां तो इस बारे में किस प्रकार की कार्यवाई की जानी है ;

(ग) क्या यह सच है कि बाडमेर तथा जैसलमेर के जिलों के साथ लगने वाले 60,000 वर्ग मील क्षेत्र के अधिकतर भागों में आकाशवाणी सुविधाएं नहीं हैं और सरकार पिछले दस वर्षों से उन क्षेत्रों में यह सुविधा देने में आनाकानी कर रही है ;

(घ) क्या सरकार का विचार बाडमेर और जैसलमेर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का है जिससे उक्त क्षेत्रों को भी इस सेवा के अन्तर्गत लिया जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) देश का लगभग 27% क्षेत्र किसी भी मीडियम वेव ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में नही आता है । तथापि, कवर न होने वाले इन सभी क्षेत्रों को द्वितीय ग्रेड की शार्ट वेव सेवा प्रदान की जाती है । चालू पंचवर्षीय योजना में, ग्यारह केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है । इसके अलावा, 12 स्थानों पर नये रेडियो स्टेशन भी खोले जा रहे हैं । इन योजनाओं के कार्यान्वित होने पर मीडियम वेव सेवा से कवर न होने वाले क्षेत्रों का रकबा कम होकर 14% रह जायेगा । राज्य-वार क्षेत्रों का ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जनसंख्या-वार कवरेज अब 89% है और छठी योजना के अंत में यह 95% हो जाएगी ।

(ग) यह सही है कि बाड़मेर और जैसमेर के आसपास के क्षेत्रों को पर्याप्त मीडियम वेव सेवा प्राप्त नहीं होती । संसाधनों की कमी के कारण छठी योजना में बाड़मेर और जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्तावों को शामिल नहीं किया जा सका ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिवरण

आकाशवाणी के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न होने वाले जिलों/क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	छठी योजना पूरी होने के बाद
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. करीमनगर
		2. वारंगल
		3. खमाम
		4. पूर्व गोदवरी
		5. विशाखापत्तनम
2.	असम	1. गोलपारा
		2. उत्तर कछार और मिकिर पहाड़ियां
3.	गुजरात	1. दि डेंगस
		2. सूरत
		3. बनास कंठा
4.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा
		2. कांगड़ा
		3. मंडी
		4. कुलू
		5. महासु
		6. लाहुत स्पिति
		7. किन्नौर
5.	जम्मू व कश्मीर	1. लद्दाख
		2. डोडा
		3. राजौरी
		4. पुंच

6.	कर्नाटक	1. कूर्ग
		2. दक्षिण कनारा
		3. हस्सन
		4. सिमोगा
		5. चिकमंगलूर
		6. मैसूर
7.	केरल	1. कन्नानोर
		2, कोजिकोड
		3. मलापुरम्
		4. पालघाट
		5. इडिखी
8.	मध्य प्रदेश	1. बस्तर
		2. सरगुजा
		3. सिधी
		4. शिवपुरी
		5. मोरेना
		6. शाहडोल
		7. मांडला
9.	महाराष्ट्र	1. कोल्हापुर
		2. रत्नागिरी
		3. नासिक
10.	मेघालय	1. गारो पहाड़ियां
11.	नागालैंड	1. त्वेनसांग
12.	उड़ीसा	1. सम्बलपुर
		2. बालागीर
		3. कालाहांड़ी
		4. कोरापुट
		5. बौधखुंडमाल

3.	पंजाब	फीरोजपुर
4.	राजस्थान	1. गंगानगर
		2. बीकानेर
		3. चुरू
		4. जैसलमेर
		5. बाड़मेर
		6. जालौर
		7. सिरोही
15.	सिक्किम	1. सिक्किम
16.	तमिलनाडु	1. नीलगिरी
17.	उत्तर प्रदेश	1. उत्तरकाशी
		2. चमोली
		3. पिथौड़ागढ़
		निम्नलिखित के भाग :—
		1. टिहरी गढ़वाल
		2. अल्मोड़ा
		3. नैनीताल
		4. पीलीभीत
		5. मिर्जापुर
	संघशासित क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार द्वीप	1. उत्तर अंडमान द्वीप
		2. निकोबार
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. कामेंग
		2. लोहित
3.	गोवा, दमन और दिउ	1. गोवा
4.	मिजोरम	1. लुंगलेह
		2. सेहा

नोट : तथापि, कालम 3 में उल्लिखित सभी क्षेत्रों को द्वितीय ग्रेड की शार्टवेव सेवा प्रदान की जाती है ।

महाद (महाराष्ट्र) से हिन्दी में तारों का पारेषण

259. **श्री बापू साहेब पारुलेकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ में महाद से हिन्दी में तारों के पारेषण की कोई व्यवस्था नहीं है हालांकि वहाँ पर चैनल उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि महाद से हिन्दी के तार टेलीफोन के द्वारा पेन भेजे जाते हैं वहां से तार पारेषित किये जाते हैं जिसके कारण जनता को असुविधा होती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं । महाद से हिन्दी तार प्रेषण की व्यवस्था उपलब्ध है ।

(ख) महाद से पैन के लिए हिन्दी तार मोर्स परिपथ द्वारा भेजे जाते हैं और तार लाइनों में खराबी के दौरान उक्त तारों को टेलीफोन द्वारा भेजा जाता है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को कुकिंग गैस की एजेंसियाँ देना

260. **श्री के०टी०कोसलराम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को कुकिंग गैस की एजेन्सियां दी गई हैं और वे कहां-कहाँ पर हैं ;

(ख) कुकिंग गैस की एजेन्सी के लिये आवेदन करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों के नाम क्या है ; और

(ग) कुकिंग गैस की एजेन्सियों के लिये कौन-कौन से स्थान केवल मात्र स्वतन्त्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों के लिये आरक्षित किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केवल वर्ष 1981-82 से उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्त्ताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण आरम्भ किया गया है । ऐसी सूचना मिली है कि इस श्रेणी के अन्तर्गत अभी तक कोई कुकिंग गैस एजेंसी आबंटित नहीं की गई है ।

(ख) ऐसी सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ग) वर्ष 1981-82 की योजना में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित की गई कुकिंग गैस एजेंसियों के स्थानों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं ।

विवरण

राज्य	सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित स्थान
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़
असम	जोरहाट
विहार	सीतामड़ी
गुजरात	अहमदाबाद, सूरत
हरियाणा	सिरसा
कर्नाटक	मैसूर, चितरादुर्गा
केरल	केनोर
मध्य प्रदेश	उज्जयन..रत्लाम, भोपाल, इन्दौर
महाराष्ट्र	वम्बई, पूणे
उड़ीसा	रूरकेला
पंजाब	गुरदासपुर, पटियाला, कपूरथला
राजस्थान	जयपुर, बीकानेर, चुरू
तमिलनाडु	मद्रास, कोयम्वटूर
उत्तर प्रदेश	मेरठ, लखनऊ, जलालावाद, वरेली, गौंडा, सहारनपुर मथुरा
पश्चिम वंगाल	कलकत्ता

सांगली आकाशवाणी केन्द्र के लिए केप्टिव डीजल जनरेटर की स्थापना

261. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 में ट्रांसमीटर के लिये बिजली की समुचित सप्लाई न मिल पाने के कारण सांगली आकाशवाणी केन्द्र (महाराष्ट्र) के निर्धारित कार्यक्रमों के लगभग 200 घन्टे वर्वाद हो गए ;

(ख) क्या कार्यक्रमों की इस तरह क्षति से बचने की दृष्टि से आकाशवाणी एक केप्टिव डीजल जनरेटर स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है ;

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) केप्टिव डीजल जनरेटर की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ट्रांसमीटर के लिए बिजली की सप्लाई न मिलने के कारण वर्ष 1980-81 में निर्धारित कार्यक्रमों के 4007 घंटों में से, कार्यक्रम समय के केवल 65 घंटे और 12 मिनट (1.63%) बरबाद हुए।

(ख) जी, हाँ।

(ग), (घ) और (ङ) परियोजना का नोट तैयार करने के लिए कार्रवाई जुलाई 1981 में हाथ में ली जा चुकी है। योजना को सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद कैप्टिव डीजल जनरेटर लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

गोले गांव तालुक सिलोड़ जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करना

262. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोले गाँव तालुक सिल्लोड़ जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में 1980 में एक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या यह सच है कि 1978 में नए कनेक्शनों के लिये सैकड़ों रुपये वसूल कर लिये गये थे यदि हां तो कुल कितना पैसा जमा किया गया ;

(ग) गा ले गांव में उक्त प्रस्तावित टेलीफोन केन्द्र न बनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) जी हाँ।

(ख) 1979 में 17 संभावी उपभोक्ताओं ने 1,700/- रु० जमा कराए थे।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करने की योजना जनवरी, 1980 में मंजूर की गई थी। योजना की मंजूरी तथा सुविधा प्रदान करने के बीच की तैयारी का सामान्य समय लगभग

24 महीने है परन्तु भारतीय टेलीफोन उद्योग में हड़ताल के कारण स्थिति और अधिक खराब हुई है।

(घ) अत्यावश्यक मदें प्राप्त करने एवं एक्सचेंज खोलने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बिहार में बिजली की स्थिति

263. **श्री रामबिलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली की खपत क्या है ;

(ख) बिहार में बिजली की माँग कितनी है ;

(ग) बिहार में कितनी बिजली पैदा होती है ;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान सिंचाई प्रयोजनों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी बिजली दी गई और नगरीय क्षेत्रों को कितनी दी गई।

(ङ) क्या सरकार बिहार में बिजली की सप्लाई स्थिति से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(च) बिजली की माँग एवं सप्लाई के राज्य-वार आँकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार में वर्तमान दैनिक औसत खपत लगभग 8 मिलियन यूनिट है।

(ख) बिहार में ऊर्जा की वर्तमान दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 12 मिलियन यूनिट है।

(ग) बिहार में वर्तमान दैनिक औसत निबल उत्पादन लगभग 8 मिलियन यूनिट है।

(घ) वर्ष 1980-81 के दौरान बिहार में कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई ऊर्जा 434 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1980-81 के दौरान शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक सेन्टर को दी गई ऊर्जा लगभग 3321 मिलियन यूनिट थी।

(ङ) बिहार में विद्युत की सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। विद्युत की कमी के लिए मुख्य कारण है, पतरातू तथा बरौनी में ताप विद्युत केन्द्रों का असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन होना। बिहार में ताप विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 660 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की भी आयोजना की गई है।

(च) अक्तूबर, 1981 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है :

विवरण

अक्तूबर, 1981 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता तथा उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं) अक्तूबर, 1981 में आवश्यकता तथा उपलब्धता	
I. उत्तरी क्षेत्र			
1. हरियाणा	आवश्यकता		340
	सप्लाई		375
	कमी	+	35
2. हिमाचल प्रदेश	आवश्यकता		30
	सप्लाई		33
	कमी	+	3
3. जम्मू और कश्मीर	आवश्यकता		88
	सप्लाई		85
	कमी		3
4. पंजाब	आवश्यकता		566
	सप्लाई		526
	कमी		40
5. राजस्थान	आवश्यकता		396
	सप्लाई		387
	कमी		9
6. उ०प्र०	आवश्यकता		1226
	सप्लाई		889
	कमी		337

7. दिल्ली	आवश्यकता	226
	सप्लाई	252
	कमी	26
8. चन्डीगढ़	आवश्यकता	21
	सप्लाई	19
	कमी	2
II. पश्चिमी क्षेत्र		
1. गुजरात	आवश्यकता	896
	सप्लाई	850
	कमी	46
2. म०प्र०	आवश्यकता	585
	सप्लाई	556
	कमी	29
3. महाराष्ट्र	आवश्यकता	1995
	सप्लाई	1585
	कमी	410
4. गोवा	आवश्यकता	43
	सप्लाई	35
	कमी	8
III. दक्षिणी क्षेत्र		
1. आंध्र प्रदेश	आवश्यकता	604
	सप्लाई	684
	कमी	280
2. कर्नाटक	आवश्यकता	764
	सप्लाई	668
	कमी	96
3. तमिलनाडु	आवश्यकता	975
	सप्लाई	940
	कमी	35

4. केरल	आवश्यकता	292
	सप्लाई	329
	कमी	37
5. पांडिचेरी	आवश्यकता	16
	सप्लाई	16
	कमी	—
IV. पूर्वी क्षेत्र		
1. बिहार	आवश्यकता	330
	सप्लाई	251
	कमी	79
2. पश्चिमी बंगाल	आवश्यकता	585
	सप्लाई	472
	कमी	113
3. दामोदर घाटी निगम	आवश्यकता	462
	सप्लाई	427
	कमी	35
4. उड़ीसा	आवश्यकता	264
	सप्लाई	336
	कमी	72
5. सिक्किम	आवश्यकता	3
	सप्लाई	3
	कमी	—
V. उत्तरी पूर्वी क्षेत्र		
	आवश्यकता	94
	सप्लाई	120
	कमी	26

1982 के एशियायी खेलों के संदर्भ में संचार सुविधाओं को सुधारने के उपाय

264. **श्री डी० पी० यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1982 में होने वाले एशियायी खेलों के संदर्भ में संचार सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1982 में आयोजित होने वाले एशियन खेलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की दूरसंचार प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. संबंधित टेलीफोन एक्सचेंजों की विशेष जांच एवं सफाई तथा डाक-तार विभाग के तकनीकी एवं विकास सर्किल द्वारा इस वर्ष में एक बार तथा अगले वर्ष मानसून के बाद एक बार जाँच की व्यवस्था की गई है ।

2. इस प्रयोजन हेतु खेलों के सम्बन्ध में प्रयोग किए जाने वाले सभी टेलीफोन उपकरणों एवं टेलीप्रिंटर मशीनों की विशेष जाँच की व्यवस्था नई दिल्ली के जाँच कक्ष में की गई है ।

3. खेलों के दौरान अल्प सूचना पर अपेक्षित परिवर्तन एवं स्थानान्तरण करने के लिए विशेष अनुरक्षण नियन्त्रण केन्द्र खोले जाएंगे ।

4. उन खेल गाँव एवं होटलों में आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (पी० ए० बी० एक्स०) संस्थापित किए जा रहे हैं, जो एशियन खेलों के लिए निर्माणाधीन हैं ।

5. इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापन एवं अनुरक्षण हेतु स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

6. अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एवं टेलेक्स कालों के शीघ्र निपटान हेतु खेल गांव एवं अन्य प्रेस केन्द्रों को अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक एवं टेलेक्स एक्सचेंजों के साथ सीधा जोड़ा जाएगा ।

(ख) इन सभी पहलुओं पर कार्रवाई की गई है और कार्य उत्तरोत्तर जून 1982 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

बेनामी प्रमाणपत्रों के द्वारा सेंसर शिप नियमों से बच निकलना

265. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सिनेमाओं द्वारा सेक्स सम्बन्धी ऐसे नैतिक विचारों का प्रचार एवं प्रदर्शन किया जा रहा है जो भारतीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार को ऐसे प्रदर्शन के लिए बेनामी प्रमाणपत्रों के द्वारा बड़े पैमाने पर वर्तमान सेंसर नियमों से बचने की घटनाओं का पता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत में फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में है और सरकार का उस पर इस रूप में कोई नियन्त्रण नहीं है । तथापि, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकरण से पहले, सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जांची जाती है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अशिष्टता, अशलीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए । बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्म उसके समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से उसके पुर्ण रूप में निर्णीत की जाए और उस देश और उन लोगों के, जिनसे फिल्म सम्बन्धित है, तत्कालीन मानकों के प्रकाश में परीक्षित की जाए । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, फिल्मों के जिन अंशों को आपत्तिजनक समझा जाता है उनकी सेंसर प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के पहले निकाल दिया जाता है । जिन मामलों में इस प्रकार की काटछांट के बाद भी फिल्म के आपत्तिजनक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता हो उनमें प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया जाता है ।

(ख) प्रश्न का यह भाग ज्यादा स्पष्ट नहीं है । सम्भवतया माननीय सदस्य फिल्म उद्योग के एक वर्ग द्वारा दिए जा रहे सेंसरशिप उल्लंघनों का उल्लेख कर रहे हैं। जिस प्रकार के उल्लंघन ध्यान में आते हैं वे हैं (1) काटे हुए अंशों को सेंसर की हुई प्रिंट में जोड़ना (2) किसी दूसरी फिल्म के पक्ष में जारी किए गए प्रमाणपत्र पर जाली नाम देकर सेंसर न हुई फिल्मों का प्रदर्शन करना । (3) प्रतिबन्धित फिल्मों को दिखाना । (4) सेंसर न हुई फिल्मों को दिखाना (5) सेंसर प्रमाण पत्र के बिना फिल्में दिखाना । (6) ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी छिपे लाई गई विदेशी फिल्मों को जाली सेंसर प्रमाणपत्रों के साथ कभी-कभी कुछ राज्यों में दिखाया जाता है और (7) यह भी रिपोर्ट है कि अव्यस्कों को उस समय सिनेमा हालों में प्रवेश दे दिया जाता है जब प्रदर्शित की जा रही फिल्म केवल व्यस्कों के लिए प्रमाणीकृत की हुई होती है । तथापि, चलचित्र क्षधिनियम, 1952 के दांडिक उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है । समय-समय पर बोर्ड और केन्द्रीय सरकार ने सेंसर शिप के उल्लंघनों की समस्या को राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के ध्यान में लाया है । इस समस्या पर 1980 में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया था और उन पर चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था ।

फिल्मों के प्रमाणीकरण से सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों को प्रैज्ञेय अपराध बनाने, दण्डों को बढ़ाने और सेंसरशिप उल्लंघनों के मामलों में सेंसर प्रमाण पत्र का निलम्बन या प्रबिसंहरण करने के अधिभार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के प्रस्ताव संसद के समक्ष हैं।

निजी क्षेत्र द्वारा बिजली संयन्त्रों की स्थापना किया जाना

266. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिये हैं कि निजी क्षेत्र को अपने प्रबन्ध के अधीन विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु आमन्त्रित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से तथा विद्युत सेक्टर के लिए अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी कुछ राज्य सरकारों के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी सेक्टर से प्राप्त कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

व्यापारिक घराने/ पार्टी का नाम	स्थान, जहाँ परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है	क्षमता	संयुक्त क्षेत्र में या अकेले ही	जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. मैसर्ज टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०	जमशेदपुर	200 मे० वा०	बिहार सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में	अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
2. मैसर्ज विहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्ज लि०	पालामाऊ	135 मे० वा०	बिहार सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में	अन्तिम निर्णय नही लिया गया है।
3. मैसर्ज किरलोसकर उद्योग समूह	(क) कावेरी नदी पर माध्वमंत्री एनीकट	135 मे० वा०	तय नहीं हुआ है।	कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

1	2	3	4	5
मैसर्ज सेनापती व्हिटले एण्ड एसोशिएटेड कम्पनी तथा मैसर्ज जोन फाउलर लि० द्वारा संयुक्त रूप से	(ख) के० आर० सागर बांध के नीचे कावेरी पर नहर स्थल	1.5 मे० वा०		
	(ग) शिवासमुद्रम	0.25 मे० वा०		
4. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० तथा बुलन्दशहर क्षेत्र के औद्योगिक यूनिट	बुलन्दशहर क्षेत्र	2+30 मे० वा०	अकेले ही	प्रस्ताव में जरूरी विवरण नहीं थे तथा इसे के० वि० प्रा० द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दिया गया है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहावाद उच्च न्यायालय की अलग न्यायपीठ बनाया जाना

267. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायपीठ की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्यों के नाम तथा पते क्या है ; और यह आयोग कब तक काम करना आरम्भ करेगा ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग का गठन 4 सितम्बर, 1961 को किया गया था और उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है । उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री जसवन्त सिंह उसके अध्यक्ष हैं तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रोदूतूर श्री रामलू, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री करम सिंह उसके सदस्य हैं । आयोग का मुख्यालय विज्ञान भवन अनेक्सी नई दिल्ली में स्थित है ।

पश्चिम बंगाल में रानीगंज आसनसोल क्षेत्र में नई खानों का खोला जाना

268. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रानीगंज आसनसोल क्षेत्र में नई खानें खोलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन खानों द्वारा कब तक उत्पादन आरम्भ किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रायय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी योजना के दौरान रानीगंज कोयला क्षेत्र में जो 15 नई कोयला खान परियोजनाएं शुरू की जानी हैं, उनमें से आठ प्राप्त हो गई हैं और 7 खानों की परियोजना रिपोर्टें अभी तैयार हो रही हैं।

(ख) इनमें से अधिकांश खानों में आशा है कि छठी योजना के दौरान अथवा सातवीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

तेल साफ करने के भारतीय कारखानों में मैक्सिको के कच्चे तेल का साफ किया जाना

269. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल साफ करने के भारतीय कारखानों में मैक्सिको के भारी कच्चे तेल को साफ करने में कोई दिक्कतें अनुभव की जाती हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में किन उपचारी उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मैक्सिको के कच्चे तेल (जो माया/इस्थुमस का एक सम्मिश्रण है) को साफ करने में अनेक तकनीकी समस्याओं का अनुभव हुआ था जिनको मैक्सिको से आये हुए तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा भी देखा गया था, क्योंकि माया कच्चा तेल अपेक्षीकृत प्रकृति से भारी एवं चिपचिपा (विस्कास) होता है। मैक्सिको के प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया मानक कच्चे तेल का मिश्रण (जिसमें माया/इस्थुमस 50 : 50 के अनुपात में है) को तकनीकी समस्याओं के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विधि आयोग पर किया गया व्यय

270. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विधि आयोग की संस्थापना पर (जैसे कि वेतन, भत्तों, लेखन

सामग्री, बिजली, टेलीफोन बिलों, स्टाफकारों के लिए पेट्रोल, आदि) 1 सितम्बर, 1980 से जिस तारीख से सरकार की विधि आयोग के नए चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति करने में असफलता के कारण पिछले विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, 30 सितम्बर, 1981 तक कुल कितना व्यय किया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार ने इस कारण कि वह विधि आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने में असफल रही है, 1 सितम्बर, 1980 से 30 सितम्बर, 1981 तक की अवधि में विधि आयोग की स्थापना पर कोई रकम खर्च की है ।

प्रश्नगत अवधि के दौरान सरकार ने विधि आयोग की स्थापना पर 7,32,409 रु० की राशि खर्च की थी और वह इस अवधि के दौरान आवश्यक प्रारंभिक गवेषणा कार्य, जिसके अंतर्गत आयोग के सदस्यों के विचारार्थ आंकड़े एकत्र करने का कार्य भी है और उसके कार्य को सुकर बनाने के लिए कार्य करती रही थी ।

"50 हजार मजदूरों की छटनी की आशंका" शीर्षक से समाचार

271. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र के मुख पृष्ठ पर "50 हजार मजदूरों की छटनी की आशंका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिये कोई ठोस उपाय करने का निर्णय किया है ; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने आर्क फरनेस उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि आर्क फरनेसों को 1 नवम्बर, 1981 से 8.30 घंटे या इससे अधिक समय विद्युत सप्लाई मिल रही है । इन उद्योगों के कार्मिकों की छंटनी के किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव

272. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने के "प्रोपान डेसफालटिंग प्लाँट का विस्तार" करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उस तेल शोधक कारखाने में स्नेहक तेल का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ;

(घ) इसमें कितने नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा ;

(ङ) संयंत्र में उत्पादन कब शुरू होगा ; और

(च) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) हल्दिया शोधनशाला पहले ही स्नेहक तेल वेस स्टाकस का उत्पादन कर रही है। प्रोपेन डीआसकालटिंग संयंत्र का विस्तार सिलेंडर तेल वेस स्टाक का आयात प्रतिस्थापन करने के लिये किया जा रहा है।

(ग) संयंत्र के विस्तार से निष्कर्षण क्षमता 336,000 मी० टन से बढ़कर 448,000 मी० टन प्रति वर्ष हो जाने का अनुमान है। प्रायोजना पर 4.36 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

(घ) यह अनुमान है कि विस्तार सुविधाओं के प्रचालन तथा रख रखाव के लिये केवल 8 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

(ङ) और (च) यह अनुमान है कि संयंत्र यांत्रिक दृष्टि से मार्च, 1983 तक पूरा हो जायेगा।

निजी क्षेत्र द्वारा बिजली के संयंत्र

273. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री सूरज भान :
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कुछ समय पूर्व निजी क्षेत्र से कहा था कि वह बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिये विशिष्ट प्रस्ताव पेश करें ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है, प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी कोई प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं तथा उनके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) क्या बिजली वितरण के बारे में भी कोई प्रस्ताव है ; यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कुछ व्यापारिक घरानों/वर्तमान लाइसेंसधारियों से, विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया जाता है :

व्यापारिक घराने/पार्टी का नाम	स्थान, जहाँ परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है	क्षमता	संयुक्त क्षेत्र में या अकेले ही	जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. मैसर्ज टाटा इलैक्ट्रिक कं०	ट्राम्बे	500मे.वा. (अतिरिक्त सेट)	अकेले ही	प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था । राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।
2. मैसर्ज टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०	जमशेदपुर	200मे.वा	बिहार सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में	अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।
3. मैसर्ज बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्ज लि०	पालामाऊ	135मे.वा.	बिहार सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में	अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

2	2	3	4	5
4. मैसर्ज अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कं०	साबरमती तापविद्युत केन्द्र	110मे.वा.	अकेले ही	के०वि०प्रा० ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि कोयला लिंक की अंतिम रूप से पुष्टि हो जाए ।
5. मैसर्ज बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लि०	डंडेली बाँध और बिजली घर	30 मे.वा.	अकेले ही	कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।
6. मैसर्ज किरलोसरक उद्योग समूह	क) कावेरी नदी पर माधवमंत्री एनीकट	1.35मे.वा.	तय नहीं हुआ	कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।
मैसर्ज सेनापती व्हिटले एण्ड एसोशिएटेट कम्पनी तथा	ख) के०आर० सागर बांध के नीचे कावेरी पर नहर स्थल	1.5मे.वा.		
मैसर्ज जोन फाउलर लि० द्वारा संयुक्त रूप से	ग) शिवासमुद्रम	0.25मे.वा.		
7. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० तथा बुलन्दशहर क्षेत्र के औद्योगिक यूनिट	बुलन्दशहर क्षेत्र	2X30मे.वा.	अकेले ही	प्रस्ताव में जरूरी विवरण नहीं थे तथा इसे के०वि० प्रा० द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दिया गया है ।
8. मैसर्ज रेणुसागर विद्युत कं० लि०	रेणुसागर ताप विद्युत केन्द्र	2X67.5मे.वा. (अतिरिक्त)	अकेले ही	कम्पनी से अनुरोध किया गया है कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत संबंधित विभागों/संगठनों से तथा पर्यावरण दृष्टि से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें ।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) विद्युत के वितरण के लिए विशेष रूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल निकालने के लिए सोवियत रूस का प्रस्ताव

274. **श्री के० ए० राजन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल निकालने के लिये प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ । तटीय क्षेत्र में ठेके पर खुदाई और अन्य कार्य आरम्भ करने के लिये एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) एक सोवित दल के साथ अधिक विस्तृत विचार-विमर्श करते के पश्चात एक सम्भव कार्यक्रम तैयार किया जायेगा ।

जल तथा तापीय स्रोतो के लिए ऊर्जा का उत्पादन

275. **प्रो० रूप चन्द पाल** :

श्री एन०के० शेजवलकर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में परमाणु और जल तथा तापीय स्रोतों के माध्यम से किसी ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है ; और

(ख) अगले दो वर्षों में हमारे देश में ऊर्जा की कुल कितनी मांग होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभी हाल ही में किए गए ग्यारहवे विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार अगले दो वर्षों में ऊर्जा की कुल उपलब्धता नियमानुसार होगी :—

1982-83	142167 मिलियन यूनिट
1983-84	161411 मिलियन यूनिट

छटी योजना के अगले दो वर्षों में, क्षमता में परिकल्पित अभिवृद्धि निम्नानुनार है :—

	जल विद्युत	ताप विद्युत	न्युक्लीय
1982-83	1374 मे.वा.	2980 मे.वा.	235
1983-84	1086 मे.वा.	3150 मे.वा.	—

(ख) ग्यारहवें विद्युत सर्वेक्षण में किए गए मूल्यांकन के अनुसार अगले दो वर्षों में देश में कुल आवश्यकता निम्नानुसार होगी :—

1982-83	153921 मिलियन यूनिट
1983-84	168415 मिलियन यूनिट

गांवों के लिए चलते फिरते डाकघर

276. **श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दो हजार अथवा कम जनसंख्या वाले गाँवों के लिए चलते फिरते डाकघर की कोई योजना शुरू की है और यदि हाँ तो कब से (उसका उत्तर प्रदेश के बारे में ब्यौरा दिया जाय) ;

(ख) 1 जनवरी, 1976, 1 जनवरी, 1977, 1 जनवरी, 1978, 1 जनवरी, 1979, और 1 जनवरी, 1980 और 31 अगस्त, 1981 को देश में चलते फिरते डाकघरों की राज्य वार संख्या क्या थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलता फिरता डाकघर योजना प्रारम्भ की है । यह योजना दो हजार अथवा उससे कम जनसंख्या वाले ग्रामों के लिए ही सीमित नहीं है । चलते फिरते डाकघरों की सुविधा उन ग्रामों को प्रदान की जाती है जहां निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्थायी डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया जाता । यह योजना महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के शिरगाँव ग्राम में 1.5.1974 को प्रारम्भ की गई थी । अन्य डाक सर्किलों के अध्यक्षों को जुलाई, 1975 में इस सुविधा को प्रारम्भ करने की सिफारिश की गई । इस योजना को अखिल भारतीय आधार पर नियोजित एवं चरणवद्ध ढंग से वर्ष, 1977-78 में प्रारम्भ किया गया । उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में इनकी सं० प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दी गई है ।

(ख) 1-1-76- 1-1-77. 1-1-78, 1-1-79, 1-1-80 तथा 31-8-1981 को देश के विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) तथा संघ शासित क्षेत्रों में चलते फिरते मौजूदा डाकघरों की संख्या विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

	1-1-76	1-1-77	1-1-78	1-1-79	1-1-180	31-8-81
आन्ध्र प्रदेश	—	46	894	1338	1494	991
बिहार	—	—	124	1284	2318	2598
दिल्ली	—	—	10	16	29	34
गुजरात	—	9	2687	2906	3589	3267
दियु	—	9	—	—	—	—
दमन	—	—	6	6	5	4
दादर और नगर हवेली	—	—	5	5	14	17
जम्मू और कश्मीर	—	1	1	39	44	57
केरल	—	21	76	172	182	200
एल एम ए	—	—	—	—	—	—
माहे 5	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	2420	2833	3274	3625
मध्य प्रदेश	—	24	1737	2321	3046	3239
महाराष्ट्र	24	179	1066	2289	2889	3233
गोवा	—	1	13	21	39	40
असम	—	352	381	422	614	608
मणिपुर	—	28	52	52	71	81
त्रिपुरा	—	21	42	60	53	43
अरुणाचल	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—

पंजाब,	—	—	229	777	977	1049
हरियाणा	—	—	101	449	503	538
हिमाचल प्रदेश	—	—	99	343	407	604
चण्डीगढ़	—	—	—	2	2	2
उड़ीसा	—	—	816	1309	1737	1771
राजस्थान	3	69	123	134	157	145
तमिलनाडु	—	108	740	2092	2818	2720
पांडिचेरी	—	1	6	14	13	13
उत्तर प्रदेश	—	—	4948	5399	6675	5906
प० बंगाल	—	47	1320	1516	1822	1819
सिक्किम	—	—	1	1	1	1
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	2	2	2
कुल	27	906	17692	25802	32775	32652

मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों का सोवियत रूस का दौरा

277. **श्री टी० दामोदर रेड्डी :**
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बीरभद्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तापीय तथा पन बिजली घर स्थापित करने के लिए सोवियत रूस के सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल सोवियत रूस गया था ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक सहयोग के लिये भारत सोवियत संयुक्त आयोग के छठे सूत्र के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रोटोकोल में इस बात पर सहमति हुई थी कि भारत में 1000 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए तथा सम्बद्ध कोयला खान और पारेषण प्रणाली को विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता में से सोवियत यूनियन लगभग 250/300 करोड़ रुपए

की आंशिक सहायता प्रदान करेगा। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग की सम्भाव्यताओं की जाँच करेगे। इस प्रोतोकोल के अन्तर्गत गठित किए गए विद्युत कार्यकारी दल ने हाल ही में मास्को में अपनी पहली बैठक की थी। इस बैठक में जिस मुख्य मामले पर विचार-विमर्श किया गया था वह है, वैधन परियोजना के लिए हाथ में लिए जाने वाले कार्य का विस्तृत ब्यौरा। इसके अतिरिक्त, विद्युत के जिन विभिन्न क्षेत्रों में भारत रुचि रखता है, उनमें यू०एस०एस०आर० के सहयोग की सम्भाव्यताओं पर भी यू०एस०एस०आर० के पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

जिन क्षेत्रों में यू०एस०एस०आर० के साथ और सहयोग किया जा सकता है उन क्षेत्रों की जांच करने के लिए, ताप विद्युत केन्द्रों विद्युत प्रणालियों, जल विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के क्षेत्रों के धिशेषज्ञों के तीन दलों ने भी हाल ही में यू.एस.एस.आर. का ब्यौरा किया था। सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

'आर०आई०सी० लिमिटेड', कलकत्ता में अधिकारियों की भर्ती

278. **श्री रेणु पद दास :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आर.आई.सी० लिमिटेड में कितने अधिकारियों की भर्ती की गई है और इसके फलस्वरूप व्यय और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों/प्रबंधकों पर व्यय और उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) गत एक वर्ष के दौरान अर्थात नवम्बर, 1980 से पुनर्वास उद्योग निगम समिति कलकत्ता में 18 अधिकारी भर्ती किए गए हैं। तथापि, तब से छः अधिकारी निगम की सेवा छोड़ गए हैं। व्यय में औसत वृद्धि 18,000 रुपये प्रति माह थी। इन अधिकारियों की भर्ती रिक्त स्थानों में की गई थी। 1978-79 से 1980-81 के दौरान सेवा प्रभारों सहित लगभग एक करोड़ रुपये के औसत वार्षिक उत्पादन की तुलना में नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक सेवा प्रभारी सहित उत्पादन का अनन्तिम मूल्य 1.46 करोड़ रुपये है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े (सेवा प्रभारी सहित) तथा अधिकारियों/प्रबन्ध के व्यय के आँकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अधिकारियों/प्रबन्ध पर हुआ व्यय	उत्पादन (सेवा प्रभारी सहित)
1978-79	4.02	89.59
1979-80	4.61	95.32
1980-81	3.92	101.60

कुकिंग गैस कनेक्शन

279. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में कुकिंग गैस कनैक्शन प्राप्त करने के लिये लोगों के नाम बड़ी संख्या में प्रतीक्षा सूची में दर्ज है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे लोगों की संख्या क्या है, जिन्होंने कुकिंग गैस कनैक्शन प्राप्त करने के लिये पंजीकरण कराया है ; और

(ग) प्रतिवर्ष कितने लोगों को कुकिंग गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है और अब तक पंजीकृत लोगों को कब तक गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) देश में इस समय कुकिंग गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लगभग 30 लाख आवेदन कर्ता प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज हैं।

(ग) देश में बढ़ी मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता के साथ तेल कंपनियों ने इस वर्ष मार्च से देश में प्रति माह एक लाख एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करना आरम्भ कर दिया है। ऐसी आशा है कि एल.पी.जी. कनैक्शन के लिए आवेदन कर्ताओं की वर्तमान प्रतीक्षा सूचियां अगले दो वर्षों में निपटा दी जायेंगी।

दिल्ली में वितरण प्रणाली में व्यवधान डाल रहे अनधिकृत पावर कनेक्शन

280. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बीरभद्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि राजधानी में ऐसे हजारों अनधिकृत पावर कनैक्शन हैं, जो अधिकांशत: औद्योगिक यूनिटों के पास हैं, जो वितरण प्रणाली में व्यवधान डाल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत कनेक्शनों को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ;

(ग) ऐसे अनधिकृत कनेक्शन किस प्रकार उपलब्ध कराये जाते हैं ; और

(घ) अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे बहुत से औद्योगिक यूनिट या तो कनेक्शनों

का दुरुपयोग कर रहे हैं अर्थात् जिन कार्यों के लिए कनेक्शन स्वीकृत किए गए थे, उनके लिए उनका प्रयोग न करके दूसरे कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं या स्वीकृत भार से अधिक अनधिकृत भार पर कार्य कर रहे हैं। सभी विद्युत कनेक्शन, जब प्रारम्भ में प्रतिष्ठापित किए जाते हैं तब प्राधिकृत कनेक्शन होते हैं परन्तु जब उपभोक्ता इनका उपयोग, जिन कार्यों के लिए कनेक्शन मूलरूप से स्वीकृत किया गया उन कार्यों के लिए न करके अन्य कार्यों के लिए करने लगता है, तब यह अनधिकृत हो जाता है। ऐसे कई मामलों में, बिजली का कनेक्शन घरेलू या वाणिज्यिक कार्यों के लिए लिया जाता है परन्तु बाद में इस कनेक्शन को उद्योग चलाने के काम में लाया जाता है। ऐसे अनधिकृत प्रयोग या अधिक भार के कनैक्शनों से प्रणाली में ओवरलोडिंग के परिणामस्वरूप केवल विद्युत सप्लाई ही बार-बार फेल नहीं होती अपितु संस्थान को वित्तीय हानि भी होती है अनधिकृत कनेक्शन/अधिक भार का प्रयोग, दोनों ही मामलों में उपभोक्ता को उचित नोटिस देने के पश्चात् उनकी विद्युत सप्लाई काटने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अधिकार प्राप्त हैं। तथापि वास्तविक व्यवहार में सप्लाई काटी नहीं जाती, क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसे कनेक्शन काटने से क्षेत्र में औद्योगिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है। और काफी संख्या में कार्मिकों के रोजगार को हानि हो सकती है तथापि इस समय अधिक भार के लिए 25% सरचार्ज तथा दुरुपयोग के लिए अधिक टैरिफ और सरचार्ज दोनों ही लगाए जाते हैं। इस समस्या से कैसे निपटा जाय, इस समूचे प्रश्न पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

अमरीकी फर्म से "डिलशीप" की खरीद

281. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 3 वर्ष के लिये 90 मिलियन डालर के किराये पर एक अमरीकी फर्म से डायनामिकल्ली पोजीशन्ड (डी०पी० ड्रिलशिप, सिडको-445), मंगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सिडको 445 की तुलना में डी०पी० ड्रिलशिप का वर्तमान अंन्तर्राष्ट्रीय क्रय मूल्य 60 से 80 मिलियन डालर के बीच है ; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उपर्युक्त प्रस्ताव की पुनरीक्षा की जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ। तेल एंवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में आगे और अन्वेषी कार्य जारी रखने के लिए एक गतिशील स्थित (डी०पी०) ड्रिलशिप "सेडको-445" के किराये पर लेने के लिए हाल ही में सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक करार किया है। कुल किराया लागत करीब 104 मि० अमरीकी डालर होगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का यह प्रस्ताव गोदावरी अपतटीय क्षेत्र के अधिक प्रत्याशित क्षेत्र में आगे और शीघ्रता से अन्वेषी कार्य करने

के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि नये डी०पी० ड्रिलशिप को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित लीड समय करीब 2 वर्ष है। किराये पर लिये गये डी०पी० ड्रिलशिप के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को खुदाई के लिए दिसम्बर 1981 जनवरी 1982 के प्रारम्भ तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, नहीं। नये डी०पी० ड्रिलशिप की अनुमानित लागत करीब 100-120 मि० अमरीकी डालर है और इसकी सप्लाई अवधि करीब दो वर्ष है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में डाक सुविधायें

282. **श्री बी०एस० विजय राघवन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पिछले दो वर्षों के दौरान जिलावार कितने नये डाक घर खोले गये ;

(ख) केरल की जनसंख्या और डाकघरों की संख्या के बीच क्या अनुपात है ;

(ग) क्या यह अनुपात संतोषजनक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केरल के सभी जिलों में डाक सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पिछले दो वर्षों में केरल में खोले गए नए डाकघरों की जिलावार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केरल में डाकघरों और जनता के बीच 1:5544 का अनुपात है।

(ग) एवं (घ) जी हां। इस तथ्य को देखते हुए यह सामान्यत: संतोषजनक है कि केरल में एक डाकघर 8.47 वर्ग किलोमीटर में सेवा प्रदान करता है जबकि अखिल भारतीय औसत 23.57 वर्ग किलोमीटर का है।

विवरण

केरल सर्किल

केरल सर्किल में 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान खोले गए नए डाकघरों की संख्या (जिलेवार)

जिले का नाम	खोले गए डाकघर 1979-80	खोले गए डाकघर 1980-81
त्रिवेन्द्रम	18	8
क्वीलोन	17	10
अलेप्पी	8	3
कोट्टायम	7	4
इदुक्की	10	18
एर्नाकुलम	8	4
मालापुरम	13	4
पालघाट	18	3
त्रिचूर	8	10
कालीकट	18	4
कन्नानोर	33	14
वैनाद	—	4
योग	158	81

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का मिलना

283. श्री अजय विश्वास : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के अनेक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में अब तक कितने कुओं की खुदाई की है ; और

(ग) उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बारापुर कूप संख्या 6 में प्राकृतिक गैस की कुछ मात्रा मिली है। त्रिपुरा में कुछ अन्य कुओं की खुदाई किए जाने पर गैस के भी संकेत मिले है।

(ख) अभी तक त्रिपुरा में बारामुरा संरचना पर छः कुओं की खुदाई की गई है। इस समय दो कुओं की खुदाई की जा रही है—एक रोखिया संरचना पर और दूसरा गोजालियां संरचना पर।

(ग) कुओं के परिणामों के विवरण निम्न प्रकार है :—

बारामुरा 1. दो खुले छिद्रों के परीक्षण करने से गैस निकली।

बारामुरा 2. दो कुओं से पानी और कुछ थोड़ी मात्रा में गैस निकली।

बारामुरा 3. हाइड्रोकार्बन्स की कोई व्यापारिक मात्राएं नहीं पाई गई।

बारामुरा 4. परीक्षणों के पश्चात कूप गैस युक्त सिद्ध हुए। इसकी सक्षमता का पता कुछ मरम्मत करने और आगामी परीक्षण किए जाने के पश्चात् लगेगा।

बारामुरा 5. दो पदार्थों का परीक्षण किया गया था, परन्तु कोई कार्यकलाप नहीं देखा गया है।

बारामुरा 6. प्रारम्भिक परीक्षण पर कूप से प्रतिदिन 90,000 घन मीटर की दर से छटी एम० एम० बीन० के माध्यम से गैस निकली। विस्तृत अध्ययनों के लिए यह परीक्षणाधीन है।

साझेदारी अधिनियम के बारे में स्पष्टीकरण

284. **डा० ए० यू० आजमी** : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साझेदारी अधिनियम सभी संयुक्त व्यापारों पर लागू नहीं होता है जिसके कारण बेईमान व्यापारियों द्वारा हेरा-फेरी किए जाने तथा लोगों द्वारा सरकार को उसके राजस्व की चोरी करने का अवसर मिल जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके उपबन्धों को सभी साझेदारी/संयुक्त व्यापारों पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) साझेदारी अधिनियम, 1932 उन साझेदारी फर्मों पर लागू होता है जहां संविदात्मक सम्बन्धता उन व्यक्तियों के मध्य विद्यमान है जिन्होंने सभी या उन सभी के लिए कार्य करने वाले किसी एक के द्वारा सम्पन्न व्यापार के लाभों में हिस्से के लिए सहमति की है। प्रश्न के अन्त भाग में आकृष्ट तर्क का विषय ऐसा है जिसके लिए साझेदारी अधिनियम सम्बन्धित नहीं है तथा अन्य अधिनियम हैं, जैसे आयकर अधिनियम आदि जो इन विषयों पर ध्यान देते हैं।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्णिया, किशनगंज और अररिया (बिहार) में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

285. **जमीलुर्रहमान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पूर्णिया किशनगंज और अररिया (बिहार) में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध कराने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) स्थिति इस प्रकार है:—

(i) प्रस्तावित आयातों में पूर्णिया हस्तचल एक्सचेंज के स्वचलीकरण के लिए अपेक्षित उपस्कर सम्मिलित कर लिया गया है। यदि आयात प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये गए तो पूर्णिया टेलीफोन एक्सचेंज का स्वचलीकरण छठी योजना के अन्त तक कर दिये जाने की संभावना है।

(ii) किशनगंज — किशनगंज हस्तचल एक्सचेंज के स्वचलीकरण के लिये 400 लाइन का देशी उपस्कर भारतीय टेलीफोन उद्योग के 81-82 के उत्पादन कार्यक्रम में आवंटित किया गया है। उपस्कर 1982 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है। इसके प्राप्त होने पर 1983-84 तक एक्सचेंज स्थापित कर दिया जायेगा।

(iii) अररिया: — अररिया आर० एस० 50 लाइन का एक छोटा स्वचल एक्सचेंज है। अररिया कोर्ट में हस्तचल एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। देशी उपस्कर की भारी कमी के कारण अभी तक स्वचल उपस्कर का आवंटन संभव नहीं हो सका है। यह देश के उन 1300 हस्तचल एक्सचेंजों में से एक है जिनका कि उपस्कर की उपलब्धता, एक्सचेंज की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवहार्यता के अन्तर्गत उत्तरोत्तर स्वचलीकरण किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में हाइड्रो-कार्बन निकालने के लिए सोवियत रूस के साथ करार

286. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाइड्रो-कार्बन की खोज के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सोवियत रूस के बीच एक करार हुआ है :

(ख) क्या किसी कार्यवाही के किसी विशिष्ट कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 10 दिसम्बर, 1980 को आर्थिक और तकनीकी सहयोग के करार पर किये गये हस्ताक्षर और उसके उपरांत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी विशेषज्ञों के बीच हुए विचार-विमर्श के अनुसार यह प्रस्तावित किया गया है कि सोवियत संघ का वी०/ओ० टेक्नोएक्सपोर्ट पश्चिम बंगाल में लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हाईड्रो-कार्बन्स के लिये अन्वेषी कार्य करेगा ।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1981 में, सोवियत रूस के तेल उद्योग के उप-मंत्री, श्री डी० ए० तकोव की यात्रा के दौरान, सोवियत संघ तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श हुए थे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था । इस कार्यक्रम के अनुसार, ऐसी सम्भावना है कि दिसम्बर, 1981 के मध्य तक सोवियत संघ के विशेषज्ञों का एक अग्रिम दल चुने गए क्षेत्र में अन्वेषी कार्यक्रम के लिए, निश्चित प्रस्ताव तैयार करने के लिए सूचना और ब्यौरे एकत्र करने के लिये भारत की यात्रा करेगा । सोवियत संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि पश्चिम बंगाल के चुने गये क्षेत्र में हाईड्रो-कार्बन्स के अन्वेषण के कार्यक्रम के लिये वे ठेके का एक प्रारूप मार्च, 1982 तक प्रस्तुत करेगा ।

शिमला जिले के बटारी (कोटगढ़) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा शाखा डाकघर का खोला जाना

287. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला जिले के बटारी (कोटगढ़) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा शाखा डाकघर खोले जाने का प्रश्न काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इसे कब तक खोला जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ ।

(ख) एवं (ग) बटारी में सार्वजनिक टेलीफोन घर किराए एवं गारंटी की शर्तों के आधार पर खोला जा सकता है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले घाटे को क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

बदरपुर तापीय बिजली घर के लिए ब्रिटिश तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशें

288. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश तकनीकी दल जिसने बदरपुर तापीय बिजली घर के कार्यकरण की जांच की थी, ने इसकी 'बायलर फायरिंग प्रणाली' यथा 'कोल हैण्डलिंग' व्यवस्था में भारी परिवर्तन करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दल ने यह भी सिफारिश की है कि बदरपुर स्थित वर्तमान 'इन्स्ट्रमेन्टल प्रणाली' पुरानी पड़ गई हैं। और इसे बदले जाने की आवश्यकता है।

(ग) क्या इसके द्वारा इस संयंत्र को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म में खराबी की ओर भी ध्यान दिलाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन विशेषज्ञों ने बदरपुर के हाउस कीपिंग की भी आलोचना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए अन्य दोष क्या हैं और इन दोनों को दूर करने तथा विशेषज्ञ दल द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल के दो बिशेषज्ञों के एक दल ने-29 जुलाई से 12 अगस्त, 1981 तक बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का दौरा किया था। 210 मेगावाट की क्षमता के यूनिट—4 के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए दल ने कुछ सिफारिशें की हैं, इनमें बायलर कम्बरशन कंट्रोल तथा कोयला हैण्डलिंग व्यवस्था से सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं। दल ने रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि बदरपुर की वर्तमान इंस्ट्रमेटेशन प्रणाली पुरानी हो गई है और इसको बदलने की आवश्यकता है। यद्यपि, उन्होंने कुछ इस्ट्रूमेंटस/इन्डीकेटर्स में संशोधन/प्रतिस्थापन के सुझाव दिए हैं।

(ग) दल ने यह कहा है कि विद्युत केन्द्र को जो घटिया किस्म का कोयला मिल रहा है= उससे केन्द्र के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) बदरपुर में सुरक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए और उत्तम व्यवस्था का= के बारे में दल ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं।

(ङ) बदरपुर में 200 मेगावाट के यूनिट के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए अ सुझाव देने के अतिरिक्त, इस दल ने 100 मेगावाट के यूनिटों की आयल सीलिंग प्रणाली बायलर फीड पम्प मोटरों के परिवर्तन के लिए भी सुझाव दिए हैं।

दल की सिफारिशों की जांच की गई है तथा जो व्यवहार्य समझी गई हैं वे क्रियान्वित की जा रही हैं।

बंगलौर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

289. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या जैसा कि आश्वासन दिया गया था, 1 नवम्बर, 1981 (अर्थात् कन्नड़ राज्योत्सव दिवस) के दिन दूरदर्शन शुरू हो गया है ;

(ग) क्या बंगलौर में दूरदर्शन व्यवस्था आंशिक होगी अथवा पूर्ण होगी ; और

(घ) यदि यह व्यवस्था आंशिक होगी तो बंगलौर में दूरदर्शन केन्द्र पूर्ण दर्जे का कब होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) बंगलौर में एक किलोवाट वाले ट्रांसमीटर से प्रयोगात्मक दूरदर्शन प्रेषण 1-11-1981 से शुरू कर दिया गया है। यह ट्रांसमीटर मद्रास और बम्बई से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों को रिले करता है। बंगलौर में स्थायी दूरदर्शन केन्द्र के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

सितम्बर, 1981 में कोयले का उत्पादन

290. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1981 में कोयले का 9.22 मिलियन टन उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में कोयले के उत्पादन में इस वर्ष 14 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ग) कोयला उद्योग के कार्यकरण में सुधार के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कार्य-निष्पादिता के बनाए रखने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सितम्बर, 1981 में कोयला उत्पादन 9.28 मिलियन टन था। यह उत्पादन सितम्बर, 1980 में हुए कोयले उत्पादन से 14.86% अधिक है।

(ग) और (घ) कोयला उत्पादन में हुए सुधार के मुख्य कारण और कोयला उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम हैं :

1. दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में सुधार ।

2. बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सामान्य सुधार । यह सुधार कोयला कम्पनियों के राज्य सरकारों से बराबर बात-चीत करते रहने के कारण हुआ ।

3. खानों में बेहतर निगरानी और उपकरणों के इस्तेमाल में सुधार ।

4. निवेशों से खोली गई नई खानों और पुनर्निमित खानों से कोयला उत्पादन में हुई वृद्धि ।

बिजली की माँग तथा सप्लाई के बीच अन्तर

291. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, से 31 अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान बिजली की राज्यवार माँग और सप्लाई में क्या अन्तर था और पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि के आंकड़े क्या है ; और

(ख) (एक) इस अन्तर को समाप्त करने ;

(दो) निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार का अल्पावधि तथा दीर्घावधि के क्या विभिन्न उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राज्यवार ऊर्जा अधिशेष/कमी को दिखाने वाला अप्रैल से अक्तूबर 1980 तथा 1981 तक की अवधि का ब्यौरा क्रमशः विवरण 1 और 2 में संलग्न है । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०2932/81] ।

(ख) मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से ताप विद्युत संयत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए तथा छुट्टियों के दिन अलग-अलग करके व्यस्ततम कालीन भार प्रतिबंधों आदि जैसे उपायों द्वारा बेहतर भार प्रबंध करके अल्पकालीन उपायों के रूप में कई कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं ।

1. संयंत्र सुधार कार्यक्रम, संयंत्र और उपस्कर में कमियों का पता लगाने तथा उनके परिशोधन, आशोधन अथवा प्रतिस्थापन करने आदि का कार्य हाथ में लेने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना :

2. विद्युत केन्द्रों की प्रचालन पद्धत्तियों में सुधार करने के लिये उपाय सुझाने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणकारी दलों द्वारा विभिन्न विद्युत संयंत्रों के दौरे ।

3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड आई० एल० के० परामर्शदाताओं आदि के प्रतिनिधियों से बनी कृतिक बलों द्वारा विद्युत संयंत्रों के 200 मेगावाट के विभिन्न यूनिटों के दौरे ताकि यूनिट के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा सके।

4. बायलर की स्थापना करके तथा आनुषंगिक या स्टेटर वाइन्डिग आदि में उपयुक्त आशोधन करके कुछ यूनिटों की उत्पादन क्षमता का अधिनिर्धारण करना।

5. देशी और विदेशी निर्माताओं से फालतू पुर्जे प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना।

6. विद्युत केन्द्रों के लिए समुचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करना।

7. जिन इंजीनियरों और तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण आदि का काम सौंपा गया है उनके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

दीर्घकालीन उपायों के रूप में, 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 19666 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि परियोजनायें शीघ्र पूरी हों, सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत मानीटरिंग की जाती है। इस प्रयोजन के लिये विभिन्न स्तरों पर, समय-समय पर बैठकें भी आयोक्षित की जाती हैं।

शहरघाट "पब्लिक काल आफिस" का जिला मुख्यालय, मधुबनी से सीधा सम्पर्क

292. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर घाट "पब्लिक काल आफिस" को जिला मुख्यालय से बरास्ता बेनीपट्टी सीधे जोड़ने की बजाए बरास्ता सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-दरभंगा जोड़ा गया है और इसी प्रकार बिशफी और प्रसौनी "पब्लिक आफिस" को बरास्ता कमरौला और दरभंगा जोड़ा गया है ;

(ख) क्या "पब्लिक काल आफिस" खुलने के पश्चात् लाईन टेढ़ी-मेढ़ी होने के कारण मधुबनी मुख्यालय को एक भी काल नहीं की जा सकी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन तीनों "पब्लिक काल आफिसिस" को बरास्ता बेनीपट्टी को मधुबनी से जोड़ने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां, शहर घाट सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा मधुबनी के बीच ट्रंक कालें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के रास्ते

मिलाई जाती है । बिशफी तथा प्रसौनी कमटौल छोटे स्वचल एक्सचेंज (न कि कमरौला) के सार्वजनिक टेलीफोनघर है, जो कि दरभंगा से जुड़ा है ।

(ख) ट्रंक कालों का रिकार्ड 6 माह तक ही सुरक्षित रखा जाता है । पिछले छह महीनों के दौरान इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों से मधुबनी को कोई काल बुक नहीं की गई है ।

(ग) जी नहीं, इन तीन सार्वजनिक टेलीफोनघरों को मधुबनी से सीधे जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) इन तीन सार्वजनिक टेलीफोनघरों को मधुबनी से सीधे जोड़ने की योजनाएं वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

राजधानी में बिजली की कटौती

293. **श्री चिता महाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में जनवरी, 1981 से अब तक बिजली में कितनी बार कटौती की गई है ; और

(ख) बिजली की इस कटौती को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जनवरी से नवम्बर, (14 तारीख तक) 1981 तक 33 दिन लोड शैडिंग की गई । इसकी तुलना में 1980 में 90 दिन तथा 1979 में 104 दिन लोड शैडिंग की गई थी ।

(ख) जब दिल्ली में उत्पादन से माँग बढ़ जाती है तो कभी कभी अधिक लोड हो जाने के कारण पारेषण प्रणाली को नष्ट होने से बचाने के लिए लोड शैडिंग करनी पड़ती है । विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से इष्टतम उत्पादन करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के अतिरिक्त, बदरपुर तापविद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट की क्षमता के एक और यूनिट को दिसम्बर, 1981 के अन्त तक चालू करने का कार्यक्रम है । उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय सेक्टर के विद्युत केन्द्रों से भी दिल्ली को लाभ प्राप्त होंगे । उपलब्ध ऊर्जा के समुपयोजन को इष्टतम करने के लिए उत्तम भार प्रबंध हेतु छुट्टियों के दिनों को अलग अलग करने आदि जैसे कदम भी उठाये गये हैं ।

निजी पार्टियों द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना किया जाना

294. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी पार्टियों द्वारा निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन निजी पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है और तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी निजी पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पहले ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यूटिलिटी के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प, 1956 के द्वारा शासित होती है। इस संकल्प के अन्तर्गत बिजली के उत्पादन और विवरण को अनुसूची "क" में शामिल किया गया है। इसमें उन उद्योगों की सूची दी गई है, जिनमें सभी नई यूनिटें केवल राज्य द्वारा ही स्थापित की जाएंगी। अपवाद केवल उन मामलों में होगा जिनमें नये यूनिटों की स्थापना निजी क्षेत्र में किए जाने का अनुमोदन दिया जा चुका है। निजी स्वामित्व वाले वर्तमान यूनिटों के विस्तार में अथवा जब नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्रहित में अपेक्षित हो, तब राज्य द्वारा इसे प्राप्त करने की संभावना में यह प्रस्ताव बाधक नहीं है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के लिए निजी क्षेत्र को स्वीकृति देने का कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विद्यत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी यूटिलिटीज के प्रस्तावों पर विचार, उनके गुण-दोषों के आधार पर, औद्योगिक नीति संबंधी उक्त संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है।

(ख) कुछ व्यापारिक घरानों/वर्तमान लाइसेंसधारियों से, विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया जाता है :

व्यापारिक घराने/ पार्टी का नाम	स्थान, जहां परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है	क्षमता	संयुक्त क्षेत्र में या अकेले ही	जाँच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. मैसर्ज टाटा इलेक्ट्रिक कं०	ट्राम्बे	500 मे.वा. (अतिरिक्त सैट)	अकेले	प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. मैसर्ज टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०	जमशेदपुर	200 मे०वा०	बिहार सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में	अंतिम निर्णय ले लिया गया है।

1	2	3	4	5
3. मैसर्ज बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्ज लि०	पालामऊ	135 मे०वा०	बिहार सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में	अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4 मैसर्ज अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं०	सावरमती ताप विद्युत केन्द्र	110 मे०वा०	अकेले ही	के.वि.प्रा. ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि कोयला लिंक की अंतिम रूप से पुष्टि हो जाए।
5. मैसर्ज बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०	डंडेली और बिजली घर	30 मे०वा०	अकेले ही	कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
6. मैसर्ज किरलोसकर उद्योग समूह	क) कावेरी नदी पर माध्व मंत्री एनीकट	1.5 मे०वा०	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
मैसर्ज सेनापती व्हिटले एण्ड एसोशिएटेड कम्पनी तथा	ख) के०आर० सागर बांध के नीचे कावेरी पर नहर स्थल	1.5 मे०वा०		
मैसर्ज जोन फाउलर लि० द्वारा संयुक्त रूप से	ग) शिवासमुद्रम	0.25 मे.वा०		
7. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० तथा बुलन्दशहर क्षेत्र के औद्योगिक यूनिट	बुलन्दशहर क्षेत्र	2 × 30 मे.वा.	अकेले ही	प्रस्ताव में जरूरी विवरण नहीं थे तथा इसे के०वि०प्रा० द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दिया गया है।
8. मैसर्ज रेणुसागर विद्युत कं०लि०	रेणुसागर ताप विद्युत केन्द्र	2 × 67.5 मे०वा० (अतिरिक्त)	अकेले ही	कम्पनी से अनुरोध किया गया है कि विद्युत(प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संबधित विभागों संगठनों से तथा पर्यावरण दृष्टि से आवश्यकता स्वीकृति प्राप्त करें।

(ग) निजी यूटिलिटीज के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों की सूची नीचे दी गई है :

(क) टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी	क्षमता मेगावाट में
1. ट्राँम्बी ताप विद्युत संयंत्र	337.5
2. भिवपुरी जल-विद्युत संयंत्र	72.0
3. कोपली जल-विद्युत संयंत्र	72.0
4. भीरा जल-विद्युत संयंत्र	141.0
(ख) अहमदाबाद इलक्ट्रिसिटी कम्पनी लि० :	
1. अहमदाबाद में ताप विद्युत संयंत्र	327.5
(ग) कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई निगम :	
1. कलकत्ता में ताप विद्युत संयंत्र	412.5
(घ) डिशेरगढ़ ताप विद्युत कम्पनी :	
1. डिशेरगढ़ ताप विद्युत संयंत्र :	18.0
(ङ) एसोशिएटिड पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड :	
1. सीबपुर	8.38

झरिया कोयला क्षेत्रों में खान जल आपूर्ति योजना

295. **श्री सुबोध सेन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बिहार में झरिया कोयला क्षेत्रों में "माडर्न ट्रीटमेंट प्लाँट्स के निर्माण से संबंधित खान मजदूरों की बस्तियों में खान जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

छठी योजना अवधि के दौरान कोयले की मांग और उपलब्धता में अन्तर

297. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान कोयले की माँग और उपलब्धता में क्या अन्तर है ; और

(ख) सरकार उस स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) छठी योजना की अवधि के दौरान कोयले की कुल अनुमानित माँग और उसकी उपलब्धि में कोई अन्तर नहीं है।

निदेशकों/फिल्म निर्माताओं को दिए गये कच्चे माल का दुरुपयोग

297. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निदेशकों/फिल्म निर्माताओं को दिए जाने वाले कच्चे माल के कोटे का घटिया मल्टीस्टार फिल्में बनाकर दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार ने ऐसे व्यापारियों को सप्लाई बन्द करने तथा फिल्मों का स्तर जो कि बड़ी तेजी से गिर रहा है, में सुधार लाने के प्रश्न पर विचार किया है ताकि गुंडागर्दी, शराब, बलात्कार और हत्याओं के स्थान पर उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस द्वारा निर्मित कोरी फिल्मों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों की, चलचित्रिकी फिल्में (एक्सपोज न की हुई) आयात नीति के अनुसार समय समय पर आयात की जाती है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि माननीय सदस्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से कैनेलाइज की जाने वाली चलचित्रिकी फिल्मों (एक्सपोज न की हुई) का उल्लेख कर रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्म उद्योग की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से युक्त कोरी फिल्म स्टियरिंग समिति की सिफारिश पर फिल्मों के निर्माताओं को कोरी फिल्मों के लिए परमिट जारी करता है। सरकार का उन फिल्मों पर कोई नियन्त्रण नहीं है जिनको निर्देशक/ निर्माता उन कोरी फिल्मों से बनाते हैं जो वे प्राप्त करते हैं। तथापि, सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 और, उसके अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जांची जाती हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जिन अंशों को आपत्तिजनक समझा जाता है उनको बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले निकाल दिया जाता है।

उड़ीसा में सुपर तापीय बिजलीघर

298. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में एक सुपर तापीय बिजलीघर स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी स्थापना और लागत के बारे में ब्यौरा क्या है तथा उसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उड़ीसा में धेनकनाल जिले में तलचेर में एक बृहत पिटहैट ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस ताप विद्युत केन्द्र में अंतिम तौर पर 2१C0 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की गई है तथा इसे चरणों में हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इसका पहला चरण 200-200 मेगावाट की चार यूनिटों वाला 8C0 मे०वा० का होगा। तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

जिलों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण

299. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में किन्हीं जिलों को शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए चुना जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं तथा उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता देता है। तथापि, ग्राम विद्युतीकरण कार्य की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों ने सभी गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लिए कुछ जिलों/ब्लाकों का चयन किया है।

1981-82 के लिए, किसी भी जिले को शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

निर्वाचन आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव

300. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सुझाव दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान एक व्यक्ति वाले निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन किया जाए जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधान मंत्री और विरोधी दल के नेता के परामर्श से तीन सदस्य नियुक्त किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) यह सुझाव व्यापक निर्वाचन सुधारों संबंधी प्रस्तावों का एक अंग है और इन निर्वाचन सुधारों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

दिल्ली में ओ०वाई०टी० और नान ओ०वाई०टी० श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

301. श्री के० लकप्पा :
श्री विजयकुमार यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत 31 मार्च 1981 तक टेलीफोन केन्द्र वार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

(ख) क्या यह सच है कि गत 4-5 वर्षों के दौरान नान ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत दिल्ली में अधिकांश केन्द्रों में कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस श्रेणी के साथ भेदभाव के क्या कारण हैं :

(ग) क्या ओ०वाई०टी० कनेक्शनों की तुलना में 7 जुलाई 1978 से गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत 7 जुलाई 1978 तक पंजीकृत कोई कनेक्शन जोरबाग केन्द्र से नहीं दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं तथा 7 जुलाई 1978 के पश्चात पंजीकृत लोगों को कब तक टेलीफोन दिये जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दिल्ली में 31-3-81 को ओ.वाई.टी. प्रतीक्षा सूची में 6957 आवेदक दर्ज थे । एक्सचेंजवार ब्यौरे संलग्न विवरण में निदर्शित हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जोरबाग एक्सचेंज में नए कनेक्शनों का अंतिम सामान्य बंटन जून 1930 में हुआ था जिससे गैर ओ.वाई.टी.-सामान्य श्रेणी में 7-7-78 तथा ओ.वाई.टी. सामान्य श्रेणी में 17-8-79 तक दर्ज आवेदनों को निपटाया गया तथा कनेक्शन प्रदान किए गए ।

(घ) एक्सचेंज क्षमता में कमी के कारण उपर (ग) में निर्दिष्ट तारीखों से आगे बंटन नहीं किया जाएगा । तथापि आशा की जाती है कि विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के पूरा हो जाने पर फिलहाल प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को 1984-85 तक उत्तरोत्तर कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे ।

विवरण

दिल्ली टेलीफोन जिले में 1-4-81 को एक्सचेंजों में ओ.वाई.टी. प्रतीक्षा सूची :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	1-4-81 को ओ. वाई. टी. प्रतीक्षा सूची
1.	अलीपुर	2
2.	बदरपुर	5
3.	बादली	1
4.	कनाट प्लेस	—
5.	कैंट-39	179
6.	चाणक्यपुरी	219
7.	दिल्ली गेट 26 तथा 27	123
8.	हौजखास 65 तथा 66	995
9.	ईदगाह 51 तथा 52	164
10.	जनपथ 31, 32, 34, तथा 35	213
11.	जनकपुरी	39
12.	जोरबाग 62, 61, तथा 69	741
13.	करौलबाग 56 तथा 58	396
14.	नेहरू प्लेस	762
15.	नजफगढ़	9
16.	नांगलोई	13
17.	नरेला	2
18.	ओखला	427
19.	प्रगति मैदान	—
20.	राजौरी गार्डन 50, 54, 59 तथा 53	472
21.	राजपथ	242
22.	सचिवालय	346
23.	शक्ति नगर 71 तथा 74	525
24.	शाहदरा पूर्व-20	180

25.	शाहदरा-21	237
26.	तीस हजारी 22, 23 तथा 25	103
27.	बहादुरगढ़	9
28.	बल्लभगढ़	18
29.	फरीदाबाद	260
30.	गाजियाबाद	275
	योग :	6957

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवा

302. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल ने टेलीफोन प्रयोक्ताओं की अकथनीय कठिनाइयों और असुविधाओं को टेलीफोन सेवा में सुधार करके दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) उपभोक्ताओं के अहातों का निरीक्षण बढ़ा दिया गया है ।

(ii) घरों की वायरिंग में अल्युमिनियम तारों के स्थान पर उत्तरोत्तर तांबे के तार लगाए जा रहे हैं ।

(iii) 4 स्पैन से कम ऊपरी लौह तार संरेखण उत्तरोत्तर ड्राप तार से प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

(iv) शिकायतों पर प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है ।

(v) अधिकांश एक्सचेंजों में इंजन आल्टरनेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं ।

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमित परीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं, बड़ा पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

तेल उत्पादन में आत्म-निर्भरता

303. **श्री जयनारायण रौत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत छठी और सातवीं योजना अवधि में तेल के मामले में आत्म-निर्भर हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या आधार हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए अन्वेषण तथा उत्पादन के लिये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया गया है। सरकार की नीति यह है कि कम से कम सम्भव समय में अधिकतम सम्भव तेल खोजने का प्रयास किया जाए तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार की गयी हैं। ऊर्जा के इस अपूर्व स्रोत को सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है।

यह आशा है कि 1984-85 तक 30 मि० मी० टन प्रति वर्ष की दर से देशी अशोधित तेल का उत्पादन किया जायेगा जिससे प्रक्षिप्त मांग का 70 प्रतिशत पूरा किये जाने की सम्भावना है। सातवीं योजना अवधि के लिये अभी विस्तृत योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। तथापि, जबकि तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं, वर्तमान में खोजे गये भण्डारों/क्षेत्रों से निकट भविष्य में आत्म निर्भरता के बारे में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है।

विश्रामपुर में तापीय बिजलीघर

304. **श्री चक्रधारी सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्राम मध्य प्रदेश में जहाँ कोयला बहुतायत में उपलब्ध है तथा देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है एक तापीय बिजली घर स्थापित करने का विचार सरकार क्यों नहीं कर रही है ; और

(ख) यदि प्रस्ताव विचाराधीन है, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् यह पाया गया कि विश्रामपुर क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत ग्रेड कोयले की भण्डार ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, विश्रामपुर में 2X210 मेगावाट की प्रतिष्ठापना के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुए प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। तथापि, आसपास के क्षेत्र में कोयले के भण्डारों का विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है तथा यदि कोयले के उपयुक्त और पर्याप्त भण्डार पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।

देश में टेलीफोन सेवा

305. **श्री पी० नामग्याल :**

श्री अजित बाग : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन सेवा बहुत खराब है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संचार मंत्री दिल्ली के नागरिकों की परिषद के एक प्रतिनिधि मण्डल से, जो 8 अक्तूबर, 1981 को उनसे मिला था, इस बारे में सहमत है कि टेलीफोन विभाग में खराब सेवा के कुछ मुख्य कारण घटिया किस्म के कल पुर्जे, कर्मचारियों में अनुशासन का अभाव तथा अर्हताहीन कर्मचारियों का होना है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो असंतोषजनक टेलीफोन सेवा में सुधार करने, और कलपुर्जों की किस्म में सुधार करने अनुशासनहीनता को दूर करने तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने अथवा अर्हताहीन कर्मचारियों को बदलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) कुल शिकायतों में से लगभग 40% टेलीफोन उपकरणों तथा घरेलू वायरिंग में खराबी के कारण होती है ।

विभिन्न संवर्गों में भर्ती प्रत्येक प्रकार के पद के लिए निर्धारित योग्यता के मानक के अनुसार की जाती है तथा भर्ती किए गए उम्मीदवारों को फील्ड में भेजने से पहले कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है । अनुशासन की कमी नहीं है जब कभी अनुशासनहीनता के मामले जानकारी में आते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है ।

(ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग ने 677 कोड वाले उन्नत किस्म के टेलीफोन उपकरण का उत्पादन आरंभ कर दिया है ।

तकनीकी कार्मिकों तथा प्रचालन कर्मचारियों को नियमित पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें अधुनातन टैक्नालौजी की जानकारी रहे । अनुशासन हीनता के मामले जब जानकारी में आते हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का खोज कार्यक्रम

306. **श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बड़े पैमाने पर खोज कार्यक्रम आरम्भ किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल का पता लगाया है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने आरम्भ से 39 लाख मीटरों से अधिक खुदाई की है और तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में 1895 कूपों को पूरा किया है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक असम, गुजरात, गोदावरी आदि तटीय और बम्बई हाई, पाक जलडमरू मध्य, पांडेचेरी, अन्डमान आदि अपतटीय क्षेत्रों में तेल/गैस की खोज की है ।

वर्ष 1980-81 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 9 मिलियन मी० टन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया है और वर्तमान वर्ष का लक्ष्य दोनों तटीय और अपतटीय क्षेत्रों का 13.70 मिलियन मी० टन है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषण कार्यक्रम में तटवर्ती क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हिमालय की तलहटियों, राजस्थान आदि तथा अपतटीय क्षेत्र में गोदावरी रत्नगिरी, पाक जल डमरु मध्य, कावेरी में और आगे अन्वेषण की परिकल्पना है । बम्बई हाई क्षेत्र, पाक जलडमरू मध्य आदि जहां तेल और प्राकृतिक गेस आयोग ने अभी हाल में तेल की खोज की है, में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्वेषण कार्य को और आगे जारी रखने के लिए प्रस्ताव दिया है । अन्वेषण कार्य एक लगातार प्रक्रिया है और कम से कम समय में हाईड्रोकार्बन्स की खोज करने और अधिकतम मात्रा में उसका उत्पादन करने के लिए बड़े उत्साह से जारी रहेगी ।

अखबार बिक्रेताओं की मांग की जांच

307. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्र बिक्रेताओं के हाल के आँदोलन को देखते हुए जिसमें कार्य के लिए 30 प्रतिशत कमीशन की मांग पर बल दिया गया था सरकार ने विक्रेताओं की माँग के औचित्य का पता लगाने के समाचारपत्र उद्योग के सम्पूर्ण मूल्य ढांचे की जांच का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पुनर्गठित प्रेस आयोग के विचारणीय विषयों में से एक "समाचार उद्योग की अर्थ-व्यवस्था, अखबारी कागज, मुद्रण यंत्र और समाचारपत्रों के लिए अन्य निवेश" से संबंधित है ।

मुहानों पर कोयला इकट्ठा होना

308. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुहानों पर भारी तादाद में कोयला इकट्ठा हो गया है ;

(ख) क्या कोयले से संबंधित विभिन्न एजेंसियां कोयले के उत्पादन की दर से अनुरूप कोयला वितरण नहीं कर सकीं ; और

(ग) मुहानों पर जमा कोयले की तादात कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिनांक पहली नवम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार देश में खान-मुहानों पर कोयले का भंडार अनुमानतः 15.4 मि० टन है।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में वृद्धि हुई है। अप्रैल-अक्टूबर, 1981 में 65.30 मि० ट० कोयला उपभोक्ताओं को प्रेषित किया गया जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष की इसी अवधि में 57.74 मि० टन कोयला प्रेषित किया गया था, अर्थात् 13 1% की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप अप्रैल—अक्टूबर में खान मुहानों पर कोयले का भंडार लगभग 3 मि० ट० कम हो गया। यह सुधार कोयले के लदान के लिए वैगनों की अधिक उपलब्धि के कारण संभव हुआ। खान मुहानों पर कोयले के भंडार को और कम करने की दृष्टि से, कोयले के लदान के लिए वैगनों की उपलब्धि में और सुधार के लिए परिचालन स्तर पर, कोयला कम्पनियाँ रेलवे के साथ बराबर निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। इसके अलावा, रेल वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई पर और कोयले के उत्पादन पर मंत्रिमंडल की आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं संबंधी समिति भी कड़ी निगरानी रख रही है।

उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव

309. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने तीसरा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस उर्वरक कारखाने की स्थापना पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) उस उर्वरक कारखाने का किस तिथि तक अनुमोदन कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) मैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने प्रतिदिन 1350 टन अमोनिया और 1800

यूरिया का निर्माण करने की क्षमता के साथ वहरुच में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है। इस पर, गैस की कुल उपलब्धता, गुजरात और अन्य राज्यों के लिए उर्वरकों की माँग और पूर्ति अनुमानों तथा वहरुच और अन्य सम्भावित स्थानों में संयंत्र की स्थापना करने में तुलनात्मक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जायेगा। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गयी व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, 125.70 करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा अंश सहित परियोजना लागत अनुमान 339 करोड़ रुपये हैं और कार्यान्वयन प्रारम्भ करने की तिथि से 42 महीनों में पूरा होने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सूचना सेवा में पदों का भरना

310. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना से लेकर अब तक इसके सभी ग्रेडों में रिक्तियों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को किस प्रकार से भरा जाता था और अब भरा जा रहा है ;

(ख) इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसके विभिन्न ग्रेडों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कितनी बार सीधी भर्ती की गई और किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और प्रत्येक ग्रेड में प्रत्येक बार सीधी भर्ती द्वारा और विभागीय पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गए अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता 'रिक्ति रोस्टर' के अनुसार किस प्रकार निर्धारित की गई ;

(ग) मंत्रालय ने किन विवशताओं के कारण नियमों के अनुसार प्रति वर्ष विभागीय पदोन्नति की नियमित बैठकें नहीं बुलाई तथा केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में निर्धारित कोटे को भरने के लिए प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती नहीं कराई ; और

(घ) ग्रेड-1 और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सीधी भर्ती रोकने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना से लेकर अब तक इसके विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियों को सम्बन्धित नियमों के अनुसार भरा गया है। तथापि, केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियों के वर्ष-वार ब्यौरे से संबंधित सूचना एकत्र करने में अन्तर्निहित प्रयास प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना से लेकर अब तक इसके विभिन्न ग्रेडों में सीधी भर्ती 19 बार की गई है। प्रत्येक ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर वरीयता को संबंधित नियमों के अनुसार निश्चित किया गया था सिवाय 1977 में उक्त सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए

व्यक्तियों के मामले में इनकी परस्पर वरीयता जिसे कार्मिक विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिए गए निर्णय के अनुसार निश्चित किया जाना है, अभी निश्चित नही हुई है ।

(ग) उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पर विचार करने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं । तथापि, भूतकाल में ऐसे उदाहरण रहे हैं कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें प्रशासनिक कारणों से समय पर नहीं बुलाई जा सकी ।

इसी प्रकार, विभिन्न ग्रेडों में सीधी भर्ती हर वर्ष नहीं की जा सकी, क्योंकि सीधी भर्ती करने की सम्भाव्यता के बारे में ही लम्बा विचार-विमर्श चलता रहा । उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड—I और जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में सीधी भर्ती बन्द कर दी जाए । ग्रेड –2 और ग्रेड—4 में सीधी भर्ती अब पुनः शुरू की जा चुकी है और ग्रेड —3 में रिक्तियों को भरने के लिए एक बारगी सीधी भर्ती की जा रही है ।

(घ) इन दोनों ग्रेडों में सीधी भर्ती के प्रावधान को सेवा के बेहतर संवर्ग प्रबन्ध के हित में और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया गया था ।

उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

311. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिए स्थल चयन समिति के प्रतिवेदन के बारे में 18 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और निर्णय का ब्यौरा क्या है तथा किस स्थल का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) नई ग्रास रूट शोधनशाला के लिए स्थान से सम्बन्धित प्रश्न जाँच के अन्तिम चरणों में है और इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र एक निर्णय लिए जाने की आशा है ।

महाकवि भारती के सम्मान में डाक-टिकट जारी करना

312. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे महाकवि भारती के सम्मान में एक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी इस वर्ष के अन्त में पड़ती है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त डाक-टिकट जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) महाकवि भारती पर 11-9-1960 को एक समरक डाक-टिकट जारी किया गया था तथा उनके जन्मशताब्दी महोत्सव के उपलक्ष में महाकवि भारती पर दूसरा डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

313. **श्री मंगल राम प्रेमी :**

श्री शिव शरण वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दू समाज में दो से अधिक विवाह की अनुमति देने के लिए पुराने कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या कठिनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दू भी बहुविवाह कर सकते हैं जैसे कि इस्लाम में इसकी अनुमति है ;

(ग) अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ; और

(घ) क्या विवाह कानून में प्रस्तावित संशोधन से परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार नीति के विषय के रूप में, ऐसा कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं करती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अन्तर्जातीय विवाहों पर लगे विधिक निर्बन्धन बहुत पहले 1949 में ही समाप्त कर दिए गए थे और यह हर व्यक्ति का काम है कि वह अपना पति/अपनी पत्नी चुने ।

(घ) विवाह सम्बन्धी विधियों में प्रस्थापित संशोधन वे ही हैं जो विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में सम्मिलित किए गए हैं । यह विधेयक लोक सभा में 27 फरवरी, 1981 को पुर:स्थापित किया गया था । इन सशोधनों से परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

महर्षि दयानन्द की स्मृति में डाक-टिकट

314. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महर्षि दयानन्द की समृति में कोई डाक टिकट जारी किया है और यदि हां, तो कब तथा उस डाक टिकट का मूल्य क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महर्षि दयानन्द की स्मृति में कोई डाक-टिकट जारी करने का है ;

(ग) यदि हाँ तो कब तक तथा उस डाक टिकट का मूल्य क्या होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) महर्षि दयानन्द की स्मृति में एक 15 पैसे मूल्य का डाक टिकट 4 मार्च 1962 को जारी किया गया था ।

(ख) (ग) एवं (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया

3 5. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) किन क्षेत्रों में तेल और गैस मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आम विज्ञापन के माध्यम से पूर्व अहर्ता बोलियाँ (बिडस) आमंत्रित की गयी थीं । कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय एवं तकनीकी आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात औपचारिक बोलियाँ (बिडस) प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त पार्टियों की संक्षिप्त सूची तैयार की गयी थी । प्रत्येक खंड के लिए उपलब्ध भू – वैज्ञानिक और भू—भौतकीय आंकड़े रुचि रखने वाली संक्षिप्त सूची में रखी गयी पार्टियों को उपलब्ध कराये गये थे तथा वह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों से तकनीकी विचार-विमर्श भी कर सकते थे । जिन पार्टियों ने लगातार रुचि दर्शायी उन्हें यह मुख्य शर्तें उपलब्ध कराई गयीं जिन्हें कि विस्तृत संविदाओं का आधार बनाया जाना था तथा उन्हें कहा गया कि वह एक विशेष तिथि तक विस्तृत बोलियां (बिडस) प्रस्तुत करें ।

(ख) और (ग) मुख्यतः देश के तलछटी वेसिनों में हाईड्रोकार्बनों की उपलब्धता की सम्भावनाएं हैं। जैसे जैसे किसी वेसिन में अधिक से अधिक अन्वेषण कार्य किया जाता है उसके भू—विज्ञान तथा हाईड्रोकार्बन संचयन के बारे में साफ तस्वीर उभरती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड दोनों ने अन्वेषण प्रयासों को अधिकतम क्षमता तक तीव्र करने के लिए तथा विस्तृत सम्भव क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य कलापों को करने के लिए योजनाएं तैयार की है। किसी वेसिन में हाईड्रोकार्बन हैं या नहीं इसके बारे में अन्ततः व्ययधन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में पोस्ट आफिस तथा सब-पोस्ट आफिस की नई शाखायें खोलना

316. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तार विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में पोस्ट आफिस तथा सब-पोस्ट आफिस की कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है तथा जनता के प्रतिनिधियों से कितने प्रस्ताव, जहां ये खोले जाने हैं उन स्थानों के नाम सहित प्राप्त हुए हैं ;

(ख) विभाग द्वारा 1981-82 में कितने पोस्ट आफिस और सब-पोस्ट आफिस खोले गए हैं या खोले जाने हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ ये खोले गये है अथवा खोले जाने हैं ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ प्रस्तावित पोस्ट आफिस नहीं खोले जा रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पाक्षिक समाचारों पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष संवाददाताओं को मान्यता देना

317. **श्री सूरज भान** :

श्री चतुर्भुज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पत्रकारों की भांति ही पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष-संवाददाओं को भी मान्यता देने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन संवाददाताओं तथा तत्सम्बन्धी समाचार-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय प्रेस मान्यता समिति द्वारा किए गए निर्णय के बाद मान्यता पाने के लिए आवेदन किया है ;

(ग) किन-किन को मान्यता दे दी गई है ;

(घ) किन-किन के आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं ;

(ङ) किन-किन के आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए गए हैं तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या कुछ मामलों में अस्वीकृति का एक कारण 'सुरक्षा का जोखिम' रहा है ; यदि हाँ, तो कितने मामलों में यह कारण रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ । केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति ने मई, 1981 में पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष संवाददाताओं को भी प्रत्यायन प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के इस निर्णय के बाद श्री दिलीप बोब और श्री प्रभु चावला नामक केवल दो संवाददाताओं ने ही अंग्रेजी पाक्षिक 'इंडिया टूडे' की ओर से प्रत्यायन प्रदान किए जाने के लिए आवेदन किया था । इन दोनों को प्रत्यायन प्रदान कर दिया गया है ।

(घ), (ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में बसे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों को कृषि-भूमि तथा वास-भूमि का आवंटन

318. **श्री अनादिचरण दास** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश को दण्डकारण्य स्थिति शरणार्थी पुनर्वास बस्तियों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आकर बसे शरणार्थियों को कृषि-भमि तथा वास-भूमि देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कुल कितनी योग्य-भूमि तथा वास-भूमि दी जा रही है ;

(ग) उन्हें पट्टों का वितरण कब तक किये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उन क्षेत्रों में आरम्भ होने वाले सिंचाई कार्यक्रमों का खर्च वहन करेगी ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) कृषि में बसाए गए परिवारों को कृषि तथा आवासीय भूमि आवंटित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसाए गए गैर-कृषक परिवारों को आवासीय भूमि तथा कृषि के लिए कुछ कृषि भूमि भी आवंटित की गई है। शहरी क्षेत्रों में लघु व्यापार में बसाए गए परिवारों को आवासीय भूमि के साथ-साथ लघु व्यापार के लिए सहायता भी दी गई है।

(ख) 31-7-1981 तक बसाए गए परिवारों को 1,13,000 एकड़ कृषि-योग्य और आवासीय भूमि आवंटित की जा चुकी है।

(ग) मध्य प्रदेश के परियोजना क्षेत्र में पट्टे देने का कार्य शुरू हो गया है तथा उड़ीसा के क्षेत्र में शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है;

(घ) और (ङ) दण्डकरण्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कर ली गई/की जा रही पोटेरू सिंचाई परियोजना, सतीगुडा बांध, परलकोट बाँध (पूर्ण हो चुके हैं) और बड़ी संख्या में लघु सिंचाई परियोजना की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इसके विवरण निम्न हैं :—

	कृषि के अधीन क्षेत्र	अनुमानित सिंचाई क्षमता	वास्तविक निर्मित क्षमता	टिप्पणी
1. भाक्कल बाँध	4,400 हैक्टे०*	6.680 हैक्टे०	3,278 हैक्टे०	1-5-73 को उड़ीसा सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया।
2. परलकोट बाँध	9,717 हैक्टे०	14,576 हैक्टे०	14,576 हैक्टे०	मार्च, 1981 में पूर्ण हो गया।
3. सतीगुडा बाँध	11,336 हैक्टे०	13,600 हैक्टे०	6,000 हैक्टे०	जून, 1983 तक पूर्ण हो जाएगा।
4. लघु सिंचाई योजनाएं	2,957 हैक्टे०	—	3,817 हैक्टे०	
5. पोटेरू सिंचाई परियोजना	61,034 हैक्टे०	109,861 हैक्टे०	5,546 हैक्टे०	मार्च, 1985 तक पूर्ण हो जाएगा।

*वास्तविक अधिकार क्षेत्र 2727 हैक्टेयर है, 1423 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करके कुल क्षेत्र को 4,150 हैक्टेयर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पूर्वी गोदावरी में गैस का मिलना

319. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी गोदावरी में गैस मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितनी गैस है और गैस लोगों के उपयोग के लिए कब तक सुलभ होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज और एम० टी० डी० सुविधाएं

320. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के अनेक जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्चेंज और एस•टी०डी० की सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नालन्दा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में एक्चेंज कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है ; यदि हां, तो उपर्युक्त जमीन में निर्माण कार्य शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चालू वर्ष में ऐसे किसी अन्य जिला मुख्यालय में स्वचालित एक्सचेंज लगाया जाएगा, यदि हां, तो उसका नाम क्या है ; और

(घ) बिहार शरीफ टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित करने की समय सीमा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार शरीफ में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भूमि का अधिग्रहणकर लिया गया है तथा उसकी चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है । अब भवन निर्माण का कार्य चल रहा है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) बिहार शरीफ हेतु स्वचल उपस्करों के बनाने का कार्यक्रम अस्थायी रूप से वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारित किया गया है । उपस्करों की सप्लाई के पश्चात् एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा ।

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों तथा संसद सदस्यों की ओर टेलीफोन के बिलों का बकाया

321. **श्री रामवतार शास्त्री : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों की ओर टेलीफोन बिलों की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन बकाया बिलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बिलों की राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उनके प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

आदिवासी तथा लोक संस्कृति की फिल्मों के निर्माण के लिए निर्माण एककों की स्थापना करना

322. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी एवं लोक संस्कृति की फिल्मों के निर्माण के लिए प्रस्तावित एककों की स्थापना कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना कहां पर की गई है और इन एककों द्वारा 16 एम० एम० की फिल्मों के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न विषयों, क्षेत्रों तथा आदिवासियों को चुना गया है ;

(ग) क्या इन एककों ने चरणबद्ध फिल्मीकरण के लिए आदिवासी जिलों को चुन लिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ये परियोजनाएं कब तैयार की जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) ग्रामोन्मुखी लघु फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए बंगलौर और कलकत्ता के लिए फिल्म प्रभाग के प्रादेशिक केन्द्र मंजूर हो चुके हैं । बंगलौर केन्द्र के लिए आवास किराये पर ले लिया गया है ।

(ग) से (ङ) ये केन्द्र स्थानीय भाषाओं/बोलियों में 16 किलोमीटर की फिल्मों का निर्माण करेंगे । इन फिल्मों का विषय आसपास के ग्रामीण और आदिवासी लोगों के जीवन के

विशेष अनुरूप होगा और राष्ट्रीय और सामुदायिक रुचि के विषयों पर केन्द्रित होगा। कवर किए जाने के लिये कोई विशिष्ट आदिवासी जिले नहीं चुने गए हैं, क्योंकि प्रायोजन पारस्परिक विविधता के वृत्त चित्र बनाने का नहीं है। चुनीदा विषयों पर कहानियां आमंत्रित की गई हैं। "भौरेर आलो" (प्रातःकालीन कीर्ति) नामक एक फिल्म जिसे प्रत्यगात्मक रूप से अन्तिम रूप दिया जा चुका है, पुरुलिया जिले की एक आदिवासी लड़की पर आधारित है।

कुकिंग गैस के वितरण के लिए नई एजेंसियां

323. **आचार्य भगवान देव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस साल कुकिंग गैस के वितरण के लिए दी गई नई एजेंसियों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) नई ऐजेंसियों सहित अब राज्य-वार ऐजेन्सियों की कुल संख्या क्या है और भविष्य में राज्यवार खुलने वाली ऐजेन्सियों की संख्या क्या है ; और

(ग) किसी राज्य में या उसके क्षेत्र में नई ऐजेन्सी खोलने की कसौटी क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचंद्र सेठी) : (क) और (ख) यह बताया गया है कि चालू वर्ष के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा अभी तक कुल 92 कुकिंग गैस ऐजेन्सियां प्रदान की गई हैं, वर्तमान सूचना के अनुसार 31-3-1982 तक करीब 510 और कुकिंग गैस एजेन्सियां दिये जाने की सम्भावना है। राज्यवार ब्यौरे शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 31-7-1981 को एल. पी. जी. की वितरक ऐजेन्सियों/उप-वितरक ऐजेन्सियों की कुल संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) उद्योग ने सभी जिला मुख्यालयों और शहरों में जिनकी आबादी 50,000 से अधिक है में क्षेत्र की उपभोक्ता माँग, सप्लाई स्रोत से बाजार की निकटता और वितरक एजेन्सी की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर चरणबद्ध रूप में एल. पी. जी. वितरक ऐजेन्सियों की नियुक्ति के लिए एक योजना तैयार की है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	31-7-1981 को एल. पी. जी. वितरक एजेन्सियों/उप-वितरक एजेन्सियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	92
2.	असम	10
3.	बिहार	34
4.	गुजरात	118
5.	हरियाणा	17
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	जम्मू और कश्मीर	19
8.	कर्नाटक	66
9.	केरल	22
11.	मध्य प्रदेश	55
12.	महाराष्ट्र	302
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	20
16.	पंजाब	13
17.	राजस्थान	11
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	73
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	71
22.	पश्चिम बंगाल	92
23.	चन्डीगढ़	6
24.	दिल्ली	83
25.	मिजोरम	1
26.	पाण्चिेरी	2
27.	गोवा, दमन और दिऊ	14
	जोड़	1131

छोटे समाचारपत्रों को डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन

324. **श्री बालसाहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी छोटे समाचारपत्रों को डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन देने का है जिनका एक अंक का 'पेड सर्कूलेशन" 500 प्रतियां हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर छोटे समाचार-पत्रों को "शीट" आकार में अखबारी कागज वितरित करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि आल इण्डिया रेडियो द्वारा राज्य की राजधानी से अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में धीमी गति के अधिक समाचार बुलेटिन आरम्भ किये जायें ; और

(घ) यदि भाग (क) (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्णय किये जाने तथा क्रियान्वित किये जाने की कब तक संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, वर्तमान विज्ञापन नीति के अंतर्गत, विशिष्ट, वैज्ञानिक, तकनीकी पत्रिकाएं और संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं तथा पिछड़े, सीमावर्ती या दूरस्थ क्षेत्रों से या जन जातीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जिनकी विक्रीत प्रसार संख्या प्रति अंक कम से कम 500 हो (अन्य समाचारपत्रों के बारे में प्रति अंक कम से कम 1000 प्रतियों की प्रसार संख्या की तुलना में) सरकारी विज्ञापनों के लिए पात्र हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार शीर्षक "जोब रोकेट इन पब्लिक सैक्टर"

325. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री पीयूष तिरकी : : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 नवम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार शीर्षक "जोब रेकेट इन पब्लिक सैक्टर माइन्स" की तरफ आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के धनबाद खान में 28 लोगों को जाली प्रमाण-पत्र पेश करके नौकरियां मिलीं ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या जब उपर्युक्त उपक्रम में रोजगार की इस प्रकार की जालसाजी चल रही थी मामले में सरकार ने कोई जांच की ; और

(ङ) सरकार ने उन अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जो इस रोजगार षड्यन्त्र में शामिल थे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ यूनियन के साथ 24-3-1981 को जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे उसके अनुसार 26 व्यक्तियों को, गाँव के मुखिया/खण्ड बिकास अधिकारी और यूनियन के सचिव द्वारा की गई शिनाख्त के आधार पर नौकरी दे दी गई थी। प्रबंध मंडल को जून, 1981 में जब यह शिकायत मिली कि उपर्युक्त व्यक्तियों की गलत शिनाख्त की गई है तो प्रबन्ध मन्डल ने जाँच की और शिकायत के सही होने के बारे में संतुष्ट हो जाने पर इन सभी छदमवेशी जालसाजों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस जांच में कंपनी के किसी अधिकारी को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया है और इसीलिए अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। एक फौजदारी मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उसमें जांच कार्य चल रहा है।

प्रैस रिपोर्ट देख ली गई है।

एफ.पी.डी.आई.एल. सिन्द्री के लिए विदेशी जानकारी

326. **श्री ए. के. राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि सिन्द्री (बिहार) स्थित एफ.पी.डी.आई.एल. ने विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त की है तथा उर्वरक प्रौद्योगिकी में परामर्श के लिए विदेशों से आमंत्रित किया है।

1. यदि हां, तो तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

2. प्राप्त परामर्श का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि यह सच है कि योजना और विकास डिवीजन ने अब जिसका नाम एफ.पी.डी.आई.एल. है, कंटेलिस्ट विकास कार्य के लिए 1969 में पी.सी. के पदक तथा 1973 में एक स्वर्ण पदक जीता था, यदि हाँ तो इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या डा.एच. एन. सेथना द्वारा बनाई गई समिति ने 1976 में इस डिवीजन के बेहतर कार्यकरण के लिए दूरभाषी सिफारिशें की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्यां कार्यवाही की गई है, विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

1. एफ.सी.डी.आई.एल. ने हाल ही में प्राकृतिक गैस से अमोनिया निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण के बारे में मैसर्स हाल्दा टोप्सो के साथ करार किया है। उन्होंने हाल ही में स्नैम प्रोगेटी आमोनिया स्ट्रिपिंग प्रोसेस पर आधारित यूरिया प्लांट लगाने और बेचने के लिए लाइसेंसशुदा ठेकेदार के रूप में करार किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मामला दर मामला के आधार पर उर्वरक प्लांट के कुछ क्षेत्रों में विदेश से प्रौद्योगिकी प्राप्त की है और प्रयुक्त की है ;

(2) एफ.पी.डी.आई.एल. ने निम्नलिखित विदेशी परामर्शी दायित्वों पर कार्य किया है :

फिलिपीन्स	ईधन तेल पर आधारित अमोनिया यूरिया कम्पलेक्स के लिए व्यवहार्यता अध्ययन।
बर्मा अफगानिस्तान इथोपिया	विपणन व्यवहार्यता अध्ययन
तंजानिया	उर्वरक उत्पादन के लिए गैस के प्रयोग पर व्यवहार्यता अध्ययन
ईराक, वेनेज्येला	प्लांट चालू करने और समस्या समाधान की सेवाएं
टर्की	यूनिटों योजना के अन्तर्गत फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं लगाना।

(ख) जी हाँ। भारत में रसायन उद्योग में स्वदेशी प्रयासों द्वारा सर्वोच्च औद्योगिक यूनिट विकसित करने के लिए सर पी.सी.राय पुरस्कार 1969 में एफ.पी.डी.आई.एल. को दिया गया था।

वियाना में यूनिडो द्वारा उत्प्रेरकों पर आयोजित 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एफ. पी. डी. आई. के तत्कालीन महाप्रबन्धक को एक स्वर्ण पदक पारितोषिक दिया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) सिफारिश के मुख्य मुद्दे निम्नप्रकार थे :

(1) उस समय उर्वरक उद्योग में परामर्शी कार्य में लगे तीन सरकारी क्षेत्रीय संगठनों की जनशक्ति और विशेषज्ञता के मूल्यांकन के बाद समिति ने सिफारिश की कि भविष्य के उर्वरक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये प्रारंभिक कार्य को योजना और विकास (फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया) (और फीडो) फैक्ट को सौंपा जाए।

(2) योजना और विकास तथा फैक्ट इंजीनियरिंग और डिजाइन आर्गेनाइजेशन को उनके सम्बद्ध अनुसंधान और विकास स्कंध को मिलाते हुए कुछ प्राइवेट लि० कम्पनी बना दी जाए।

(3) अनुसंधान और विकास कार्यकलाप को ठेका कार्यकलाप से अलग किया जाना चाहिए ; अनुसंधान और विकास कार्यकलाप को एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में संगठित करना चाहिए और उद्योग से एकत्रित उपकर से उसकी सहायता करनी चाहिए।

इन सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट (फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया) (फिलहाल फर्टिलाइजर) (प्लॉनिंग एंड डेवलपमेंट) (इंडिया लि०) और फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन आर्गेनाइजेशन (फैक्ट) को झाल और हजीरा के नए अमोनिया यूरिया कम्पलैक्स के सम्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। फीडो और प्लांनिग एण्ड डेवलपमेंट (फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया) को मिलाने पर सहमति नहीं हुई क्योंकि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के कर्मचारी इस विचार के विरुद्ध थे। अप्रैल 1978 में फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया और नैशनल फर्टिलाइजर्स लि० के पुनर्गठन के बाद फर्टिलाइज कार्पोरेशन आफ इंडिया के योजना और विकास प्रभाग को फर्टिलाइजर (प्लांनिग एन्ड डेवलपमेंट) इंडिया लि० के नाम के अन्तर्गत एक अलग निगम में बदल दिया गया। अनुसंधान और विकास कार्यकलाप को आंशिक रूप से सरकारी क्षेत्रीय कम्पनियों से प्राप्त समर्थन और आंशिक रूप से योजनाबद्ध आवंटनों से सहायता दी जाती है।

वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान एफ.पी.डी.आई.एल. द्वारा अर्जित आय

327. **श्री ए.के. राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ.पी.डी.आई.एल. द्वारा आज तक कुल कितने प्रोसेस विकसित किये गए हैं और इन्हें वाणिज्यिक और प्रौद्योगिक संयंत्र उत्पादन में प्रयोग किया गया है तथा तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान उसमें से कितनी आय हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश और विदेश के बाजारों में बहुत से उत्पादों जैसे कैटेलिस्ट और बाइकार्बोनेट्स की भारी मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एफ.पी.डी.आई.एल. ने विभिन्न फीडस्टाकों से उर्वरकों समेत अनेक साधनों के निर्माण के लिए लगभग 31 प्रक्रियों वाली प्रोसेस इंजीनियरिंग के विकाश करने का दावा किया है।

(ख) एफ.पी.डी.आई.एल. ने (क) के अन्तर्गत दर्शाई गई योजनाओं पर आंशिक रूप से इंजीनियरिंग के लिए पारितोषिक और आंशिक रूप से रायल्टी/जानकारी के लिए वर्ष 1979-80 में 110 लाख रुपये और वर्ष 1980-81 में 145 लाख रुपये कमाये हैं।

(ग) और (घ) भारत में उत्प्रेरक और अमोनियम बाइकार्बोनेट जैसे उत्पादों के लिए बाजार है। पहले कुछ खेपों का निर्णय किया गया है। एफ.पी.डी.आई.एल. के पास अपना विपणन दल है जो अपने उत्पादों के लिए बिक्री प्रवर्तन और उपभोक्ता सेवाओं की देख रेख करता है।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई जाने वाली कोयला खानें

329. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जिन्हें आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने का विचार है ;

(ख) इन कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने में अनुमानतः कितना खर्चा होगा ;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी अन्य देश का सहयोग प्राप्त करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उस देश का क्या नाम है और उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में कितना समय लगने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उन कोयला खानों के नाम जिन्हें आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधीन लाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण-पत्र में दिएं गए हैं।

(ख) आधुनिकीकरण की लागत तभी पता लगेगी जब विस्तृत साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हो जाएं। फिर भी, मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि इन खानों के आधुनिकीकरण में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

(ग) और (घ) जिन विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी अपनायी जानी है उनमें कुछ समुन्नत देशों की सहायता लेने का प्रस्ताव है। यह देश हैं-सोवियत रूस, फ्रांस, पोलैण्ड, यू०के०, और पश्चिम जर्मनी।

विवरण

वह प्रमुख खानें जिन्हें आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित हैं :—

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. दुर्गापुर-रैयतवाड़ी
2. ओरियन्ट
3. गोविन्दा
4. शिवपुरी
5. पाथाखेरा
6. विश्रामपुर
7. घुघस
8. महाकाली
9. न्यू मजरी
10. नन्दन
11. जमुना भूमिगत
12. जमुना ओपेनकास्ट
13. गोवरा

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. कालीदासपुर/कालीकापुर
2. चौरा ब्लांक
3. कुमारडीह
4. शिवपुर
5. कुमारधूबी
6. चित्रा
7. मोहनपुर
8. लालमटीया

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. सेलेक्टिड घोरी
2. घोरी वेस्ट
3. आरा अग्रिम कार्रवाई
4. ए० के०
5. टोपा
6. लैयो भूमिगत
7. चूरी मनकी
8. राई बचरा
9. करकटा ओपेनकास्ट
10. साउथ बलन्दा विस्तार
11. जगन्नाथ विस्तार
12. सेन्ट्रल साउथ विस्तार
13. सोन्डा "डी" ओपेनकास्ट
14. रेलीघरा भूमिगत
15. हिन्देगिर ओपेनकास्ट
16. गोरबी विस्तार
17. के.डी. विस्तार
18. गिडी ए विस्तार
19. तालचेर
20. नन्दीरा

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

1. पुटकी-बलिहारी
2. नार्थ अमलाबाद
3. भालगोरा
4. खरखरी-धर्माबन्द
5. केशलपुर
6. निचितपुर-तेतुलमारी
7. भौरा इन्कलाइन
8. मुरुलीडीह 20/21 पिट्स
9. मुरईडीह विस्तार
10. गोसलीटाँड भूमिगत
11. भालगोरा/साउथ तिसरा

नई दिल्ली में दूरदर्शन टावर का निर्माण

330. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के शुरू होने से पूर्व नई दिल्ली में एक दूरदर्शन टावर के निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर प्रस्तावित दूरदर्शन टावर का निर्माण किया जाएगा ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नई दिल्ली में एक टी०वी० टावर के निर्माण का प्रस्ताव है। इसका निर्माण यथाशीघ्र करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(ख) टावर को रिंग रोड के परे पीतम्पुरा के निकट लगाया जाएगा।

(ग) टावर के लिए स्थान कब्जे में ले लिया गया है। धरती की जाँच, सलाहकार की नियुक्ति और नक्शों को तैयार करने जैसे प्रारम्भिक काम मुकम्मल हो चुके हैं।

तेल की खोज के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव

331. **श्री कैयूर भूषण** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए उच्च अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई में समुद्री प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए एक प्रभाग की स्थापना करने का निश्चय किया है।

(ख) गहरी जल संरचनाओं का और अनिश्चित तेलाशयों का विकास करने के लिए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि एक इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जाए जो बम्बई अपतटीय परियोजना के लिए अनुसंधान और विकास समर्थन प्रदान करेगी। इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :

1. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन और उन्हें आरम्भ करना।
2. क्षेत्रीय आंकड़ों का एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना।

3. क्षेत्रीय आकड़ों के विश्लेषण पर आधारित परियोजनाओं की योजना बनाना और उनका डिजाइन तैयार करना ।

4. नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना ।

5. आर्ट रिपोर्टों की स्थिति तैयार करना ।

तमिलनाडु के कुछ डिवीजनों में डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां न दिया जाना

332. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग में डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति वर्ष दो जोड़ा वर्दियां तथा एक छाता दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से तमिलनाडु में तिरूनेलवेली, तुतिकोरिन और कोविलपट्टी डिवीजनों में न तो वर्दियां ही दी गई हैं और न ही छाते ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उन मैदानी स्टेशनों पर जहां गर्म वर्दियां सप्लाई नहीं की जाती हैं वहां वर्दियों के पात्र डाक तार कर्मचारियों को सूती वर्दियों के दो सैट सप्लाई किए जाते हैं । छाते दो साल में एक बार सप्लाई किए जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेलीफोनों का दुरुपयोग

333. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों द्वारा नियम के विरुद्ध टेलीफोन का दुरुपयोग किए जाने पर रोक लगाने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रेक्षण किए जा रहे हैं तथा दुराचार में संलग्न पाए गए अनैतिक प्रचालकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है । महानगरीय टेलीफोन जिलों में निम्न कार्यों हेतु उड़न-दस्तों का गठन किया गया है :—

1. आकस्मिक पड़ताल करना ।

2. दुराचार को समाप्त करने हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में निवारक कार्रवाई करना ।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा कोयले का उत्पादन

334. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने संघ सरकार को सूचित किया है कि वे चालू योजना अवधि के दौरान 20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए, जो आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अनेक उपाय किए हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय के निर्देश के अन्तर्गत कोयला विभाग ने एक बहुपक्षी नीति अपनाई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि वे बेहतर किस्म के कोयले का भी उत्पादन करेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क), (ख) और (ग) कुछ गैर-सरकारी निजी संगठनों ने समय-समय पर कोयला खनन का काम शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि कोयले के खनन और कोयला उद्योग के विकास के क्षेत्र में गैर-सरकारी निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दी जाए।

(घ) से (च) कोयले की किस्म में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. साइडिंगों पर कोयले के लदान की गहरी निगरानी ताकि जरूरत से बड़े आकार के कोयले का अथवा कोयले के साथ विजातीय पदार्थों का लदान नहीं हो।

2. कोयले की मजदूरों द्वारा हाथ से गहरी छंटाई ताकि लादे जाने से पहले कोयले से कंकड़-पत्थर और अन्य विजातीय पदार्थ निकाल दिए जाएं।

3. कोयले की बड़े पैमाने पर हाथ से तुड़ाई ताकि कोयले के आकार को घटाकर जरूरत के अनुसार किया जा सके।

4. कोयले की छनाई और उसे यही आकार देने के लिए अनेक खातों में कोयला रख रखाव संयंत्रों की स्थापना।

5. बिजलीघरों में वैगनों से कोयला निकालते समय संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए विजर्ल घरों में किस्म निरीक्षकों की तैनाती। यह तैनाती इसलिए की गई है ताकि जं

कोलियरियां जरूरत से बड़े आकार का कोयला अथवा कोयले के साथ बिजातीय पदार्थ सप्लाई करती हैं उनका पता लगाया जा सके। इनका पता लगाने का उद्देश्य यह है कि सुधार की कार्रवाई कोलियरियों में ही की जाए।

6. बिजली घरों से भी अनुरोध किया गया है कि वे कोलियरियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें ताकि रेलवे साइडिंगों पर लदान कार्य का संयुक्त पर्यवेक्षण किया जा सके।

हमें निजी क्षेत्र के बेहतर किस्म के कोयले का उत्पादन करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

टेलीफोनों के कार्यकरण की बिगड़ती स्थिति के बारे में 'दिल्ली सिटीजन्स काउंसिल' द्वारा ज्ञापन

335. **श्री एच० एन० नन्जे गोंडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सिटीजन्स काउंसिल का एक प्रतिनिधि मण्डल 9 अक्तूबर, 1981 को उनसे मिला था और टेलीफोनों आदि के कार्यकरण की बिगड़ती स्थिति के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने देश के कुछ हिस्सों में टेलीफोनों के वाणिज्यीकरण का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस सुझाव के पक्ष में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस काउंसिल द्वारा और क्या सुझाव दिए गए हैं और उनमें से कितने सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) एवं (घ) समिति द्वारा दिए गए सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं। डाक-तार विभाग द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

दिनांक 7-10-81 के ज्ञापन में नागरिक परिषद, दिल्ली द्वारा दिए गए सुझाव

(क) दिल्ली टेलीफोन सेवा का वाणिज्यीकरण किया जाना चाहिए और यदि सरकार इसे कुशलतापूर्वक नहीं चला सकती है तो इसे अमेरिका की तरह निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाना चाहिए। इसका एक बड़े शहर से आरम्भ किया जा सकता है।

(ख) स्टाफ में अनुशासन लागू किया जाना चाहिए तथा ऊपर से नीचे तक सभी स्तर के व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाया जाए ।

(ग) वेतन एवं मजदूरी पर बेहतर योग्य स्टाफ की नियुक्ति की जाए ।

(घ) टेलीफोन में प्रयोग किये जाने वाले अतिरिक्त पुर्जे एवं उपकरण अच्छे किस्म के होने चाहिए । सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार को पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए ।

(ङ) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण किया जाना चाहिए । उन्हें अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ सम्पर्क बनाये रखना चाहिए ।

(च) पुरानी मशीनों वाले एक्सचेंजों को तुरन्त बदला जाए ।

(छ) टेलीफोन काटने से पहले उपभोक्ता को कारण सहित एक रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना चाहिए ।

(ज) आमतौर पर सहायक इंजीनियर, मंडल इंजीनियर एवं क्षेत्रीय प्रबंधक अपने स्थानों पर नहीं होते और वहां शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है । वे अपने निजी सहायकों को अनुदेश दें कि वे शिकायतें दर्ज करें तथा उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास भेजें । शिकायत संख्या उपभोक्ताओं को सूचित की जानी चाहिए ।

(झ) जो लाइनमैन पैसा लेकर एक व्यक्ति की एस० टी० डी० काल दूसरे व्यक्ति के टेलीफोन के साथ जोड़ देते हैं उन पर निगरानी रखने के लिये एक आसूचना कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए ।

त्रिपुरा में गैस का मिलना

336. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अगरतला के पूर्व में वारामूरा क्षेत्र में तथा देश के अन्य भागों में कुछ नये क्षेत्रों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1981 के दौरान देश में तेल/गैस की नई उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं :

क - तटीय

(i) त्रिपुरा में बारामुरा-6—प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है। विस्तृत अध्ययनों के लिए कूप परीक्षणाधीन है।

(ii) अंकलेश्वर (गुजरात) में कुदरा-1— दो स्थानों में परीक्षण गैस उत्पादित की गयी है।

(iii) अहमदाबाद (गुजरात) में सिसोदा-7—दो स्थानों में तेल प्रवाहित हुआ है।

(vi) असम में नपमुआ—परीक्षण उत्पादन के दौरान तेल/गैस प्रवाहित होती देखी गयी थी।

ख-अपतटीय

बम्बई हाई क्षेत्र में बी-57—1

परीक्षण किये गये सात स्थानों में से 6 स्थानों में तेल एवं गैस प्रवाहित हुई थी।

पाक जेल डमरूमध्य में पी० एच० 9—1

परीक्षण किये गये दो स्थानों में से एक में से तेल प्रवाहित हुआ है।

देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

337. **श्री भीकू राम जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्यवार प्रतीक्षा सूचियों में कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) उन्हें कब तक टेलीफोन कनैक्शन दे दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) विभिन्न दूरसंचार प्रशासनिक यूनिटों एवं उनके द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 1-9-81 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या के संबन्ध में एक विवरणी संलग्न है। देश में 1-9-81 को ऐसे आवेदकों की संख्या 5,25,135 थी।

(ख) आशा की जाती है कि निम्नलिखित किस्म की मांगों के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर 31-12-79 तक दर्ज आवेदकों में से अधिकांश को उत्तरोत्तर 1982-83 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करा दिये जायेंगे।

— बड़े शहरों के कुछ क्षेत्रों की मांगें जहां भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण करके नये एक्सचेंज खोलना अपेक्षित है तथा इस प्रकार इनके पूर्ण होने में कुछ अधिक समय लगेगा।

— एक्सचेंजों से दूर बहुत लम्बी दूरी के कनेक्शन ।

— कुछ बड़े शहरों में सामान्य श्रेणी के आवेदन जहां बड़ी संख्या में नई ओ० वाई० टी० मांगें दर्ज हैं ।

विवरण

तारीख 1-9-1981 तक देश में प्रतीक्षा सूची की विवरणी

क्रम संख्या	दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिले का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ सेवा प्रदान की जा रही है	ता०-1-9-81 को प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल तथा हैदराबाद एवं विजयवाड़ा टेलीफोन जिले	आन्ध्र प्रदेश	22993
2.	बिहार दूरसंचार सर्किल एवं पटना टेलीफोन जिला	बिहार	4807
3.	गुजरात दूरसंचार सर्किल तथा अहमदाबाद, बड़ोदा, राजकोट एवं सूरत टेलीफोन जिले	गुजरात, दमन दीप एवं सेलवासा	42220
4.	जम्मू एवं काश्मीर दूरसंचार सर्किल	जम्मू एवं काश्मीर	3648
5.	कर्नाटक दूरसंचार सर्किल तथा बंगलूर टेलीफोन जिला	कर्नाटक	22940
6.	केरल दूरसंचार सर्किल तथा त्रिवेन्द्रम एवं करनाकुलम टेलीफोन जिले	केरल, माहे एवं लक्षद्वीप	27606
7.	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल एवं बम्बई नागपुर एवं टेलीफोन जिले	महाराष्ट्र एवं गोवा	178058
8.	मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल एवं इन्दौर टेलीफोन जिला	मध्य प्रदेश	11073
9.	उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल एवं गोहाटी टेलीफोन जिला	असम, त्रिपुरा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश	4632

1	2	3	4
10.	उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल एवं अमृतसर, लूधियाना, जालन्धर एवं चण्डीगढ़ जिले	पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़	31271
11.	उड़ीसा दूरसंचार सर्किल	उड़ीसा	2645
12.	राजस्थान दूरसंचार सर्किल एवं जयपुर जिला	राजस्थान	14348
13.	तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल एवं कोयम्टूर मद्रास, मदुरै जिले	तमिलनाडु एवं पांडीचेरी	31504
14.	उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल एवं कानपुर, लखनऊ एवं आगरा टेलीफोन जिले	उत्तर प्रदेश	19473
15.	पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल एवं कलकत्ता टेलीफोन जिला	पश्चिम बंगाल सिक्किम एवं अण्डमान निकोबार	39976
16.	दिल्ली टेलीफोन जिला	दिल्ली	77941
		योग	525135

देश में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

338. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने टेलीफोन उपकरणों का प्रतिवर्ष निर्माण किया जाता है ;

(ख) देश में टेलीफोन उपकरणों की प्रतिवर्ष आवश्यकता कितनी है ;

(ग) अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश में टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए अन्य यूनिट स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सार्वजनिक संचार तंत्र में इस्तेमाल के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत में पिछले तीन वर्षों में बनाये टेलीफोन उपकरणों की वर्षवार संख्या नीचे दी है :—

1978-79	4.25 लाख
1979-80	4.27 लाख
1980-81	3.26 लाख (इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के बंगलौर और नैनी कारखानों में हड़ताल के कारण उत्पादन पर बुरा असर पड़ा)।
1981-82	5.40 लाख (लक्ष्य)

(ख) छटी पंचवर्षीय योजना अवधि में ऐसे टेलीफोन उपकरणों की जरूरत का ब्यौरा नीचे दिया है :—

	डाकतार	डाकतार से भिन्न	कुल
1981-82	4.73	0.71	5.44
1982-83	5.81	0.87	6.68
1983-84	7.12	1.07	8.19
1984-85	8.38	1.25	9.63

(ग) इस समय, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के बंगलोर और नैनी कारखानों में टेलीफोन उपकरण बनाने की स्थापित क्षमता क्रमशः 3 लाख तथा 2.5 लाख है। यह उत्पादन क्षमता तथा देश में ही आधुनिक डिजाइन के टेलीफोन उपकरण बनाने की प्रस्तावित क्षमता द्वारा छठी योजना अवधि में टेलीफोन उपकरणों की जरूरतों के पूरे होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर ने, डाकतार विभाग की सलाह से, मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को बदल कर अपने 2 कारखानों, नैनी और बंगलौर में समसामायिक डिजाइन के 10 लाख टेलीफोन उपकरण और 15 लाख महत्वपूर्ण उपांगों के उत्पादन में सहयोग के प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। सहयोगी का अन्तिम रूप से चयन और परियोजना आदि की मंजूरी की कार्रवाई प्रगति पर है। इसके अलावा, गुजरात, केरल तथा कर्नाटक राज्यों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, क्रमशः मैसर्स गुजरात कम्यूनिकेशन्स एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बड़ौदा, केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम तथा कर्नाटक राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर को प्रतिवर्ष 2 लाख टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए अनुज्ञप्तियां दी गई हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ड्रिल जहाजों की आवश्यकता

339. श्री हरिहर सोरन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कुल कितने ड्रिल जहाजों की आवश्यकता है ;

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस प्रकार के जहाजों को बेचने की पेशकश की है ;

(ग) इन ड्रिल जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ;

(घ) इन ड्रिल जहाजों की डिलीवरी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ङ) इन में से प्रत्येक ड्रिल जहाज की कीमत के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) छठी पंच वर्षीय योजना के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषी खुदाई करने के लिए 5 ड्रिलशिपों/ड्रिलिंग रिगों की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) किसी भी देश ने ड्रिलशिपों की बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आम निविदा के आधार पर अपने अन्वेषी कार्यक्रम के लिए आवश्यक ड्रिलशिपों की खरीद अथवा उन्हें किराये पर लेता है । इसके द्वारा एक ड्रिलशिप के लिए आर्डर दिया गया है जो पश्चिमी जर्मनी शिपयार्ड से सप्लाई किया जाना है । इस समय सरकार के सामने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा और अधिक ड्रिलशिपों की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ङ) नये ड्रिलशिप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पश्चिमी जर्मनी के शिपयार्ड से भारतीय समुद्र में जून 1982 तक सप्लाई किये जाने की सम्भावना है । इस ड्रिलशिप की लागत 55 मि० अमरीकी डालर है ।

झरिया कोयला खान क्षेत्र में भूमिगत खानों को खुली कास्ट खानों में बदलना

340. श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से झरिया कोयला क्षेत्र में वर्तमान भूमिगत खान पद्धति के स्थान पर खुली "कास्ट" खान पद्धति शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस नई तकनीक, को अपनाया जाएगा ;

(ग) झरिया कोयला क्षेत्र का कुल कितना क्षेत्र इस नई पद्धति के अन्तर्गत लाया जाएगा ; और

(घ) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिक्रम महाजन) : (क) जी, हां । झरिया कोयला क्षेत्र में मुकुन्द ओपेनकास्ट खान का आयोजन सोवियत विशेषज्ञों की सहायता से किया जा रहा है ।

(ख) कोककर और अकोककर दोनों प्रकार के कोयला भंडारों का उपयोग बड़े पैमाने पर ओपेनकास्ट खनन के जरिए किया जाएगा और इसमें मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा ।

(ग) इस परियोजना के अधीन आने वाला कुल क्षेत्र लगभग 20 वर्ग कि० मीटर है ।

(घ) साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो भू-वैज्ञानिक और अन्य तथ्य और आंकड़े आवश्यक हैं वह सभी एकत्र करके सोवियत पक्ष को दे दिए गए हैं ।

कुरियार कुट्टी-कारपारा पन बिजली परियोजना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट

341. **श्री नीलालोहिथादसन नाडार :**
श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरियाकुट्टी-कारपारा पन बिजली योजना के संबंध में केरल सरकार द्वारा दी गई परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को यह परियोजना रिपोर्ट कब भेजी है ;

(ग) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिक्रम महाजन) : (क) और (ख) कारपारा कुरियार कुट्टी बहुद्देशीय परियोजना (विद्युत) (वाले भाग) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जनवरी 1979 में प्राप्त हुई थी । परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इस स्कीम के अन्तर्गत कारपारा नदी पर 57 मीटर ऊंचा ग्रेविटी बांध, 4.55 किलोमीटर लम्बी सुरंग तथा पुलिकलार घाटी में स्थित 15 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता का एक बिजलीघर, पुलिकलार पर 45 मीटर ऊंचा बांध, 2.9 किलोमीटर लम्बी सुरंग, तथा कुरियार कुट्टी घाटी

में स्थित 20 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता का बिजलीघर, कुरियारकुट्टी नदी पर 45 मीटर ऊंचा बांध 8.84 किलोमीटर लम्बी सुरंग तथा 6) मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के बिजलीघर का निर्माण किया जाना है। परियोजना पर 48.55 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है जिसमें से 32.10 करोड़ रुपए विद्युत पर प्रभार्य होंगे। इस स्कीम से 11,740 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होने के अतिरिक्त, 211 मेगावाट ज्ञावर वार्षिक ऊर्जा का उत्पादन होने की आशा है।

(ग) और (घ) परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की गई है तथा परियोजना प्राधिकारियों को टिप्पणियां भेज दी गई हैं। इन टिप्पणियों के उत्तर जुलाई, 1981 के अन्त में प्राप्त हो गये हैं तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में इनकी जांच की जा रही है। बहुद्देशीय परियोजना होने के कारण, उसका अनुमोदन पहले योजना आयोग की तकनीकी परामर्शी समिति से करना होगा और उसके बाद विद्युत वाले भाग पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

लोअर पेरियार पन-बिजली योजना पर परियोजना रिपोर्ट

342. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के स्वीकृति के लिए लोअर पेरियार पन-बिजली योजना की परियोजना रिपोर्ट कब भेजी गई थी ;

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केरल में लोअर पेरियार जल विद्युत स्कीम की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी।

(ख) परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी। उपरोक्त टिप्पणियों के उत्तर परियोजना प्राधिकारियों से अगस्त, 1981 में प्राप्त हुए हैं। इन उत्तरों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जाँच की गई है और तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिए जाने के लिए अब परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दिए जाने के पश्चात परियोजना प्रस्ताव को निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा जायेगा।

पूर्ण दर्जे के अथवा माइक्रोवेव प्रणाली के दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए चुने गये नगर

343. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के क्या नाम हैं जिनमें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण दर्जे के अथवा माइक्रोवेव प्रणाली के दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन स्थानों में उक्त पूर्ण दर्जे के अथवा माइक्रोवेव प्रणाली के दूरदर्शन केन्द्रों के स्थापित होने में सम्भवत: कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

(क) पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र :—

1. बंगलौर 2. अहमदाबाद 3. त्रिवेन्द्रम और 4. गोहाटी

(ख) रिले केन्द्र :—

1. कसौली 2. मुर्शिदाबाद 3. मदूरै
4. आसनसोल 5. विजयवाड़ा 6. कटक
7. पणजी और 8. वाराणसी

मुर्शिदाबाद, मदुरै, आसनसोल, विजयबाड़ा, पणजी और वाराणसी के रिले केन्द्रों को डाकतार माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ा जायेगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त परियोजनाओं को छटी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत देश में दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार करने की दृष्टि से मन्जूर किया गया है। इन सभी परियोजनाओं के छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है।

खाना पकाने की गैस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना

344. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा देश को खाना पकाने की गैस में आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कौन से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ग) देश को खाना पकाने की गैस में आत्मनिर्भर बनाने में कितना समय (वर्ष) लगने की सम्भावना है ; और

(क) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) बड़ी मात्रा में निम्नलिखित स्रोतों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपलब्ध होने का अनुमान है :

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) के उरान संयंत्र ।

2. मथुरा तथा कोयाली शोधनशालायें ।

3. आयल इंडिया लिमिटेड, असम का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस निष्कर्षण संयंत्र ।

4. शोधनशाला विस्तार कार्यक्रम ।

5. हजीरा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रभाजन एकक ।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में वृद्धि से, यह अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में देशी उत्पादन द्वारा देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की माँग को पूरा किया जा सकता है ।

उड़ीसा में ढेकानाल जिला मुख्यालय के लिए भवन का निर्माण

345. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ढेकानाल जिला मुख्यालय के लिए टेलीफोन भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है :

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्चा आया है ;

(ग) किस तारीख को निर्माण कार्य पूरा हुआ है ;

(घ) क्या टेलीफोन सेवा चालू करने के लिए भवन सम्बद्ध विभाग को सौंप दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे किस तारीख को सौंपे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) जी हां ।

(ख) प्राक्कलन लागत 4,97,150 रुपये मात्र है ।

(ग) 30.10.1981

(घ) जी हां । भवन 16.11.1981 को सौंप दिया गया ।

(ङ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

धेनकनाल जिले में मोर्स पद्धति द्वारा तार भेजने की सुविधायें

346. **श्री के० पी० सिंह देब** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धेनकनाल जिले के उन सब डिवीजनों की संख्या कितनी है जिनमें मोर्स पद्धति से तार देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो इन क्षेत्रों से इस समय किस प्रकार से तार भेजे जाते हैं ;

(ग) तारघर से सीधे भेजे जाने वाली तारों की अपेक्षा इन क्षेत्रों से भेजे जाने वाली तारों को अपने नियत स्थान पर पहुंचने में कितना अतिरिक्त समय लगता है ; और

(घ) इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को कब तक दूर करने का सरकार का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) धेनकनाल जिले की तीन उप डिवीजन बिना मोसर्स सुविधा के हैं ।

(ख) इस समय तारों को फोनोकाम परिपथों द्वारा भेजा जाता है । जब भी कभी यातायात की मात्रा, को औचित्य सम्मत पाया जाता है तो उनको मोसर्स परिपथों में बदलने हेतु जांच की जाती है ।

(ग) इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा ।

(घ) वर्ष 1981-82 तक एक मोर्स परिपथ की व्यवस्था करने की योजना है ।

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत पन बिजली परियोजनाएं

347. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में निर्माण के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं। राज्यवार प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत, बिजली उत्पादन क्षमता और निर्माण अवधि क्या है ;

(ख) उनमें से ऐसी परियोजनाओं के क्या नाम है जिनका निर्माण कार्य अब तक शुरू हो गया है और प्रत्येक मामले में यह निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू हुआ ; और

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर निर्माण कार्य किस तारीख तक शुरू होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे :

राज्य	स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	निर्माण आरंभ करने का वर्ष	पहले यूनिट को चालू करने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4	5	6
पंजाब	शानन विस्तार	50	1326.00	1976-77	1981-82
	आनन्दपुर साहिब*	1134	9612.00	1974-75	1982-83
	मुकेरियां	207	11558.00	1975-76	1982-83
हिमाचल प्रदेश	बस्सी विस्तार*	15	444.9	जनवरी 1981 में चालू किया जा चुका है।	
	आन्ध्रा	15	974.23	1977-78	1983-84
	विनवा	6	432.29	1977-78	1982-83
	रोंगटोंग	2	2820.00	1977-78	1984-85
	वैरा स्यूले (केन्द्रीय क्षेत्र)	180	9222.00	1970-71	दो यूनिट 1980 में चालू किए गए। तीसरा यूनिट 11/81 में चालू किया गया।

टिप्पणी : *इन निर्माणाधीन परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

1	2	3	4	5	6
	भावाx	120	5584.00	1978-79	1986 87
जम्मू और कश्मीर	सलाल (केन्द्रीय क्षेत्र)	345	222.13	1970.71	1983-84
संयुक्त	देहर विस्तार	330	5910.26	1978-79	1983-84
परियोजनायें	पोंग विस्तार	120	3404.43	1978-79	1982-83

xइन स्कीमों से छठी योजनावधि के पश्चात् लाभ प्राप्त होने की आशा है ।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए डाक सलाहकार समितियों का गठन

348. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए डाक सलाहकार समितियां गठित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक का गठन किस तारीख को किया गया है, इसके सदस्य कौन-कौन हैं और कितनी अवधि के लिये गठित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस प्रकार की पहली समितियों ने किस तारीख से कार्य करना बंद किया ; और

(घ) किस तारीख तक उनमें से प्रत्येक का पुनर्गठन कर लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) पंजाब के लिए डाक सलाहकार समिति का पुनर्गठन 17-11-81 को कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा के लिए विभिन्न हितों का नामांकन, जिसके लिए राज्य की समितियों की अवधि 31-12-80 को समाप्त हो गई थी, संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाब की डाक सलाहकार समिति में राज्य विधान सभा, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, ग्रामीण हेतु, समाचार-पत्र, राज्य सरकार के सरकारी एवं गैर सरकारी नामिति व्यक्ति, संसद सदस्य आदि होते हैं। समिति की अवधि 2 वर्ष होती है।

(घ) हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा के लिए समितियों का गठन संबंधित राज्य सरकारों से नामांकन प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा ।

ईराक द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

349. **श्रीजनार्दन पुजारी :**

श्री चिन्तामणी जैना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने वर्ष 1982 के लिये करारगत 3 करोड़ 50 लाख टन कच्चे तेल की सप्लाई के अतिरिक्त एक करोड़ 50 लाख टन कच्चे तेल की सप्लाई की पेशकश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस पेशकश पर कोई निर्णय लिया है ;

(ग) उन अन्य देशों के क्या नाम हैं जो 1982 के दौरान कच्चा तेल सप्लाई करेंगे और प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जायेगा ;

(घ) कच्चे तेल का कुल घरेलू उत्पादन कितना है ;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए तटदूर अथवा अपतटीय तेल की खोज के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(च) यदि हाँ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) यह संकेत मिले हैं कि ईराक 5 मि० मी० टन अशोधित तेल प्रतिवर्ष सप्लाई कर सकता है । तथापि, अभी तक केवल 3.5 मि० मी० टन अशोधित तेल के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(ग) वर्ष 1982 के दौरान नाइजीरिया तथा चेकोसलाव दोनों में प्रत्येक 0.5 मि०मी० टन अशोधित तेज की सप्लाई करेगा । ईरान भी वर्ष 1982 के दौरान अशोधित तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए सहमत हो गया है । अन्य देशों के साथ बातचीत करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 16 मि० मी० टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है ।

(ङ) जी हाँ ।

(च) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक त्वरित योजना प्रस्तुत की है । योजना में वर्ष 1981-82 के 8.4 मि० मी० टन उत्पादन को बढ़ाकर 1984-85 में 19.12 मि० मी० टन किये जाने का अनुमान है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये योजनाएं तैयार कर रहा है ।

मंगलौर में तेल शोधन कारखाने की स्थापना

350. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में तेल शोधन कारखाने की स्थापना का निर्णय लिये जाने के बाद से इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कारखाने की स्थापना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी ।

(ग) सर्वेक्षण आदि पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा और यह कब तक पूरा होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) नई ग्रास रूट शोधनशालाओं की स्थापना से सम्बन्धित प्रश्न जांच की अन्तिम स्थिति में है, जिसके उपरांत विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जायेंगी । उस हालत में, प्रायोजना लागत अनुमानों, समय अवधि आदि से संबंधित मामलों पर विचार किया जाएगा ।

मंगलौर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन

351. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1981 तक मंगलौर में टेलीफोन कनैक्शनों के विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) सरकार द्वारा विचाराधीन सभी आवेदन-पत्रों के संबंध में टेलीफोन कनैक्शन दिये जाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) 908.

(ख) मौजूदा एक्सचेंज के विस्तार की योजना है ।

कर्नाटक में बिलम्बित बिजली परियोजनायें

352. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कोन-कौन सी बिजली परियोजनाएं नियत कार्यक्रम से पिछड़ रही हैं ; और बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हो गई है ; और

(ग) उनका निर्माण कार्य संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) रायचूर ताप विद्युत, कालीनदी जल विद्युत बहारी जल विद्युत तथा गंगावली जल विद्युत परियोजनाओं को पहले के संभाव्य कार्यक्रम के अनुसार पूरा किए जाने के बारे में प्रगति नहीं हुई। पूरा करने में देरी, निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से हुई है :—

1. अपर्याप्त निधियां ।
2. आनुषंगिक उपस्करों के लिए आर्डर देने में देरी ।
3. भूमि के अधिग्रहण में देरी ।
4. समय पर भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण सिविल कार्य आरम्भ करने में देरी ।
5. परिस्थिति-विज्ञान संबंधी विचार ।
6. विशेषज्ञों और उपस्करों की प्राप्ति में देरी ।

(ख) निर्माण परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि के बारे में ठीक तौर से बता सकना कठिन है क्योंकि यह वृद्धि कई कारणों पर निर्भर करती है । तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि सामग्री तथा मजदूरी की लागत में वृद्धि होने के कारण बढ़ोतरी की प्रवृत्ति प्रतिवर्ष 8% से 12% के बीच रही है ।

(ग) परियोजनाओं के प्रबन्ध में सामान्य सुधार के लिए सभी राज्य बिजली बोर्डों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे । सीमेंट, स्टील आदि की कमी संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सहायता दी गई है। कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से परियोजनाओं को लगातार मानीटरिंग की जा रही है ।

झालावाड़, राजस्थान में तेल का होना

353. **श्रीमती संयोगिता राणे** :

श्री बागुन सुम्बरूई : : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें राजस्थान में झालावाड़ के "ताम्बा खान" क्षेत्र के पानी में तेल के अंश होने की व्यक्तिगत रूप से जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर तेल की खोज के लिये क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

थीन बांध

354. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री दयाराम शाक्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बाँध के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) नवीनतम अनुमानों के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी ;

(ग) क्या इस पर आने वाली लागत की हिस्सेदारी के बारे में केन्द्र और भागीदार राज्यों के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) किस एजेंसी के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा और इसके पूरे होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) स्टाफ कालोनी, रेलवे लाइन, पहुंच मार्ग जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है । व्यपवर्तन सुरगों की खुदाई का कार्य मई 1981 से हाथ में लिया गया है ।

(ख) पंजाब राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा 3-10-77 को ली गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, 1980 की मूल्य सूचकांक तथा वर्तमान निर्माण दर-सूची के आधार पर परियोजना की लागत 469 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) केन्द्र के साथ समझौते का प्रश्न इस समय नहीं उठता क्योंकि परियोजना को पंजाब द्वारा अपने योजना आवंटनों से क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ङ) परियोजना को पंजाब सिचाई विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा दिसम्बर, 1987 तक यह पूरा हो जाने की आशा है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई

355. श्री वागुन सुम्बरुई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ (राजस्थान) जिले के कम विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष में इस जिले के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) कितने पम्प सेटों को बिजली दी गई है ; और

(घ) इस जिले के सभी गाँवों में बिजली कब तक दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अक्तूबर, 1981 के अन्त तक राजस्थान के झालावाड जिले की :.82 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता की 9 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के पूरा हो जाने पर 310 गांवों में बिजली पहुंचाये जाने तथा 4329 पम्पसैटों को ऊर्जित किए जाने के अतिरिक्त लघु उद्योगों, घरेलु और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को तथा सड़कों पर रोशनी के लिए बिजली दिए जाने की भी परिकल्पना की गई है। पिछड़े क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों के 257 गांवों के लिए बिजली के विस्तार की तीन स्कीमें तथा पहले से ही विद्युतीकृत गांवों की निकटवर्ती 9 हरिजन बस्तियों के लिए बिजली के विस्तार की 3 स्कीमें इनमें शामिल हैं। जून 1981 के अन्त तक राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि 218 गांवों का जिनमें पिछड़े क्षेत्रों के 205 गाँव शामिल हैं, विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा 1793 पम्पसैट का, जिनमें पिछड़े क्षेत्र 1370 पम्पसैट शामिल हैं, को ऊर्जित कर दिया गया है। इसके अलावा लघु उद्योगों, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को तथा सड़कों पर रोशनी के लिए बिजली दी गई है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष (1981-82) के दौरान वार्षिक योजना के अंतर्गत राजस्थान में स्वीकृत की गई। स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरण किए जाने के लिए 17.53 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। जिले-वार आबंटन अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, राजस्थान में झालवाड़ जिले में स्वीकृत की गई स्कीमों और कार्यान्वन के विभिन्न चरणों में चल रही स्कीमों के बारे में यह आशा की जाती है कि 0·13 करोड़ रु॰ की राशि के ऋण की किस्तों का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।

(ग) झालावाड़ जिले में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के बारे में जून, 1981 के अंत तक 1793 पम्पसेंटों का ऊर्जन किया गया है।

(घ) झालावाड़ जिले में 1441 गांव हैं जिसमें से ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गये 218 गांवों सहित 501 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अंतर्गत शामिल किए गए 92 गाँवों के 1983-84 तक विद्युतीकृत कर दिए जाने की संभावना है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के लिए राजस्थान रा॰वि॰बोर्ड द्वारा जब भी उपयुक्त स्कीमें तैयार की जायेगी और प्रस्तुत की जायेगी और ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने पर ग्राम विद्युतीकरण निगम विचार करेगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। राज्य द्वारा तैयार की गई संदर्शी योजना के अनुसार राज्य में सभी गांवों को 1993-94 तक विद्युतीकरण करने की व्यवस्था है।

मध्यप्रदेश में डाक, तार और टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

356. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यप्रदेश में डाक, तार और टेलीफोन संचार सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो मध्यप्रदेश के अल्प विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए डाक-तारघर, कितने चल डाकघर खोलने और विद्यमान डाक सुविधाओं में क्या सुधार करने की योजना बनाई गई है और यह कार्य कहां कहां और कब तक ऐसा किया जाएगा ;

(ग) कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोलने, कितने विद्यमान केन्द्रों का आधुनिकीकरण अथवा सुधार करने, कितनी नई एस. टी.डी. सेवाएं और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है और कहां कहां और कब तक ऐसा किया जाएगा ;

(घ) मध्यप्रदेश में डाक और तार बांटने में होने वाले असाधारण विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) कितने डाक तार और दूरसंचार भवन और संचार विभाग के कर्मचारियों के लिये कितने मकान बनाने की योजना है और ये कहां कहां और कब बनाए जाएंगे ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ ।

(ख) (i) समूची छठी पंचबर्षीय योजना के लिए ग्रामीण डाक विकास हेतु लक्ष्य अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित किए गए हैं । सर्किलवार लक्ष्य क्रमिक वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किए गए हैं । वार्षिक योजना 1981-82 के अधीन 31-10-81 तक मध्यप्रदेश के ग्रामीण/पिछड़े/जनजाति क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों के नाम अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2933/81] शेष प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् ग्रामीण डाक विकास की अन्य योजनाओं के अतिरिक्त सर्किल के इसी प्रकार के क्षेत्रों में लगभग 10 और डाकघर खोले जाएंगे ।

(ii) जहां तक तारघरों का संबंध है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यप्रदेश में 600 नए तारघर खोलने की आजमाइशी तौर पर योजना है जैसा कि अनुबन्ध-2 में दिखाया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2933/81] ।

(ग) (i) अनुबन्ध-3 में दिए अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यप्रदेश में नई ट्रंक सुविधाएं तथा एस. टी.डी. सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2933/81] ।

(ii) जहां तक नए टेलीफोन एक्सचेंज, मौजूदा एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण तथा सुधार का संबंध है, सूचना अनुबंध-4 में दी जा रही है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2933/81]।

(घ) डाक एवं तार के वितरण में असाधारण विलम्ब की विशिष्ट घटनाओं की जांच की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उपचारी उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर भविष्य के लिए डाक तथा तार सुविधाओं के लिए बनाई गई योजनाओं तथा मौजूदा सुविधाओं में किए गए सुधारों से यह आशा है कि पारेषण तथा वितरण सेवाओं में लगने वाला समय कम हो जाएगा।

(ङ) (i) छठी योजना के लिए अनुबंध-5 में दर्शाए अनुसार टेलीफोन एक्सचेंज भवनों की योजना बनाई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2933/81]।

(ii) जहाँ तक डाकघर भवनों का संबंध है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 22 भवनों के विस्तार, निर्माण और पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है। उनके नाम अनुबंध 6 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2933/81] छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संचार विभाग के स्टाफ के लिए जिन स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों की योजना बनाई गई है उनकी सूचना अनुबंध-7 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2933/81]।

मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन में वृद्धि का प्रस्ताव

357. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव में संबंध में (1) स्थापना स्थल, (2) लागत (3) संभावित बिजली उत्पादन क्षमता, (4) संभावित सिंचाई क्षमता, (5) प्रस्ताव भेजे जाने की तारीख और (6) स्वीकृति की तारीख का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मंजूरी हेतु विचाराधीन प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 2287 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें, जिनमें 607 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनायें हैं और 1680 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनायें है,

स्वीकृत की गई हैं और राज्य में इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं । इनका ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 6 जल विद्युत परियोजनाओं के तथा 4 तापविद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं इन परियोजनाओं का ब्यौरा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इनकी जांच किये जाने की स्थिति विवरण-2 में दी गई है ।

(ग) जैसा कि उपाबन्ध-दो में बताया गया है, परियोजना प्रस्तावों से संबंधित विभिन्न मसलों को हल किया जाना है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति इन मसलों का समाधान होने के बाद ही दी जा सकती है और इसके बाद योजना आयोग इनके लिये निवेश संबंधी स्वीकृति देने के लिए इनकी जांच करेगा ।

विवरण-1

(लाख रुपये)

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत	सिचाई शक्यता	स्वीकृति की तारीख
जल विद्युत				
1. बोधघाट	4X125	35000	शून्य	2/79
2. पेंच	2 × 80	8498	मध्यप्रदेश के लिए आबंटन "कुछ नहीं"	12/72
ताप विद्युत				
3. सतपुड़ा 8वाँ और 9वाँ एकक	2X210	17524		1/78
4. कोरबा पश्चिम	2X210	23557		3/77
5. कोरबा पश्चिम विस्तार	2X210	8160		3/79
6. बीरसिंहपुर	2X210	29100		7/80

विवरण—2

मध्य प्रदेश की नई जल-विद्युत उत्पादन स्कीमें जिनकी केन्द्रीय बिद्युत प्राधिकरण मे जांच की जा रही है।

जल-विद्युत परियोजनायें

क्र०सं०	स्कीम/राज्य का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	के.वि.प्रा.में रिपोर्ट/ टिप्पणियां प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु०)	चरम सिंचाई शक्या*	स्कीम की तकनीकी जाँच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	बानसागर (संशोधित प्रस्ताव)	3X105+ 2X15+ 3X15 =390	जून, 80 सित०,80	19582 विद्युत	248.8 हजार हैक्टेयर	परियोजना रिपोर्ट की जांच के.वि प्रा. में की गई है। जब वैज्ञानिक और सिविल डिजाइनों के पहलुओं के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।
2.	सिंध नदी बहुद्देशीय परियोजना सोपान-2 (मोहिनी सागर)	3X25 =75	जुलाई, 78	3931 विद्युत	91.4 —वही—	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न निदेशालयों की टिप्पणियों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।
3.	ओरछा एम.पी.पी.	2X15+ 2X30=90	सित०, 78	3748 विद्युत	अन्तिम रूप नहीं दिया गया	परियोजना रिपोर्ट की जांच के.वि.प्रा./केन्द्रीय जल आयोग में की गई है। के वि. प्रा. की टिप्पणियों के उत्तर की प्रतीक्षा है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू उठाये हैं।

*और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6	7
4.	हसदेव (बाँगो) एम पी.पी.	3X40 =120	मई, 81 (संशोधित)	(4097)	167.0 हजार हैक्टेयर	प्राप्त हुई संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है । लागत अनुमानों के संबंध में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं । उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
5.	कुतरु आई.एच.ई.	3X50= 150	जून, 80	7256(एफ.पी.आर)	शून्य	के.वि.प्रा /केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों का भेज दी गई हैं । उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
6.	महानदी जलाशय	4X2.5 =10	अगस्त,81	734 विद्युत	9.1-वही-(नये सोपान-3 के लिए)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जाँच की जा रही है ।

मध्य प्रदेश की नई ताप विद्युत उत्पादन स्कीमें जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है ताप-विद्युत परियोजनाएं

स्कीम का नाम तथा परियोजना रिपोर्ट के अनुसार चालू करने का अन्तिम कार्यक्रम	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु०)	स्कीम की तकनीकी जाँच की वर्तमान स्थिति
1. बांधव ता.वि.के. (गुजरात और मध्यप्रदेश की एक संयुक्त परियोजना) 1. 87-88 2. 3 और 4— इसके पश्चात 2 वर्षों में	4X500	मई, 81	99060.00	(1) कोयला विभाग को 26-5-81 को लिखा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। (2) जल-विज्ञान-2 की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

टिप्पणी : — बहुद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की वास्तविक क्षमता स्कीमों की जांच पूरी हो जाने के बाद ही मालूम होगी।

देश में बिजली परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब

358. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किए गये हाल ही के अनुमान के अनुसार देश में बिजली परियोजनाओं को चालू करने में भारी बिलम्ब हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को चालू करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना के मामले में लागत में अनुमानित वृद्धि क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के आरम्भ में किये गये मूल्यांकन के अनुसार यह आशा की गई थी कि 3212 मेगावाट कुल क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी । हाल ही में की गई समीक्षा से पता चलता है कि वर्ष के अन्त तक क्षमता में कम वृद्धि हो सकती है ।

परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक हैं :---

1. निधियों का अपर्याप्त प्रावधान ।
2. भूमि अधिग्रहण में बिलम्ब ।
3. स्थल का अपर्याप्त अन्वेषण ।
4. परियोजनाओं की इंजीनियरी को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ।
5. आनुषंगिक उपस्करों के लिए आर्डर देने/ठेका देने में विलम्ब ।
6. विभिन्न सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब ।
7. प्रमुख निर्माण सामग्री की कमी ।
8. सिविल निर्माण कार्यों में विलम्ब ।
9. मुख्य संयत्र और उपस्कर की सिलसिलेवार सप्लाई न होने के कारण उत्थापन प्रभावित होना ।
10. औद्योगिक सम्बन्ध अप्रिय होना ।

परियोजना को चालू करने में हुए विलम्ब के कारण ही परियोजना की लागत में हुई वृद्धि को ठीक तौर से बता सकना मुश्किल है क्योंकि यह वृद्धि कई कारणों पर निर्भर करती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि सामग्री तथा मजदूरी की लागत में वृद्धि होने के कारण बढ़ोतरी की प्रवृत्ति प्रति वर्ष 8% से 12% के बीच रही है। तथापि निर्माणाधीन ताप विद्युत स्कीमों की मूल तथा संशोधित अनुमानित लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करने के लिए परियोजनाओं की विभिन्न गति विधियों की सरती से मानीटरिंग करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय बनाए गए हैं। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण एजेंसियों आदि के साथ के० वि० प्रा० में समन्वय तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। सभी बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि सुधारात्मक कार्रवाही की जा सके। के०वि०प्रा० के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले उठाते हैं। राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु विद्युत बिभाग में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ऊर्जा मंत्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैठकों का आयोजन भी राष्ट्रीय स्तर पर किया गया जिनमें उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए नई तथा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू किए जाने की बारीकी से समीक्षा की गई थी।

विवरण

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं को तथा उनकी मूल तथा संशोधित अनुमानित लागत को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	
			मूल	संशोधित
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	पानीपत चरण-दो (यूनिट 3 और 4)	2 X 110	7293 11850	11850
2.	पानीपत चरण-तीन (यूनिट 5)	1 X 210	11110	अभी संशोधित नहीं की गई।

1	2	3	4	5
3.	रोपड़ (यूनिट 1 और 2)	2 X 210	16800	20700
4.	कोटा (यूनिट 1 और 2)	2 X 110	8160	14304
5.	कोटा चरण-दो (यूनिट 3 व 4)	2 X 210	13378	23000
6.	ओबरा चरण-तीन (यूनिट 12 व 13)	2 X 200	15790	37440
7.	परीच्छा (यूनिट 1 और 2)	2 X 110	8372	12556
8.	अनपारा (यूनिट 1, 2 व 3)	3 X 210	22710	34483
9.	टाण्डा (यूनिट 1, 2, 3 व 4)	4 X 110	15925	21209
10.	ऊंटाहार (यूनिट 1 व 2)	2 X 210	19903	अभी संशोधित नहीं की गई ।
11.	अनपारा 'बी'	2 X 500	41610	अभी संशोधित नहीं की गई ।
12.	बदरपुर चरण-तीन (यूनिट 5)	1 X 210	6385	8822
13.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (यूनिट 1, 2 व 3)	3 X 210	25566	30545
14.	सिंगरौली सु० ता० वि० केन्द्र चरण-दो (यूनिट 4, 5, 6 व 7)	2 X 210 + 2 X 500	49437	49531
	पश्चिमी क्षेत्र			
15.	बानकबोरी (यूनिट 1, 2 व 3)	3 X 210	17214	24200
16.	बानकबीरी बिस्तार (यूनिट 4, 5 व 6)	3 X 210	20679	25060
17.	उकई यूनिट-5	1 X 210	6683	8430
18.	कच्छ लिग्नाइट (यूनिट 1 व 2)	2 X 60	7127	संशोधित नहीं किया गया ।
19.	सिक्का (प्रतिस्थापन)	1 X 120	5478	— वही —
20.	सतपुड़ा (यूनिट 8 व 9)	2 X 210	12968	17524
21.	कोरबा पश्चिम (यूनिट 1 व 2)	2 X 210	15099	23557

1	2	3	4	5
22.	कोरबा पश्चिम बिस्तार (यूनिट 3 व 4)	2 X 210	12941	18160
23.	बीरसिंहपुर (यूनिट 1 व 2)	2 X 210	20032	29100
24.	कोराडी चरण-तीन (यूनिट-5, 6 और 7)	1 X 200 + 2 X 210	11240	23341
25.	भुसावल विस्तार (यूनिट-3)	1 X 210	6437	7762
26.	पारली चरण-तीन (यूनिट-4)	1 X 210	9300	संशोधित नहीं किया गया।
27.	चन्द्रपुर चरण-एक (यूनिट 1 व 2)	2 X 210	14003	20113
28.	चन्द्रपुर चरण-दो (यूनिट 3 व 4)	2 X 210	12856	19000
29.	चन्द्रपुर चरण-तीन (यूनिट-5)	1 X 500	25983	संशोधित नहीं किया गया।
30.	बम्बई के निकट उरण में गैस टर्बाइन उत्पादन सेट (यूनिट 1, 2, 3 व 4)	4 X 60	5280	9884
31.	ट्राम्बे	1 X 500	18000	18000
32.	कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र (यूनिट 1, 2, 3 व 4)	3 X 210 + 1 X 500	45080	47691 (बिना ब्याज के)
33.	कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र चरण-दो (यूनिट-5 व 6)	2 X 500	42405	संशोधित नहीं किया गया।
	दक्षिणी क्षेत्र			
34.	रायचूर (यूनिट-1 व 2)	2 X 210	15925	23948
35.	तूतीकोरिन विस्तार (यूनिट-3)	1 X 210	7121	8500
36.	पेत्तूर (यूनिट-1 व 2)	32 X 210	18970	23000
37.	नेवेली दूसरा माइन कट (यूनिट-1, 2 व 3)	3 X 210	21398	47958

1	2	3	4	5
38.	रामागुण्डम सु० ता० वि० केन्द्र (यूनिट 1, 2, 3 व 4)	3 X 210 + 1 X 500	45914	67120
	पूर्वी क्षेत्र			
39.	बरौनी (यूनिट-6)	1 X 110	2000	9820
40.	बरौनी (यूनिट-7)	1 X 110	3764	—
41.	पतरातू (यूनिट 9 व 10)	2 X 110	4200	11500
42.	मुजफ्फपुर (यूनिट 1 व 2)	2 X 110	8435	14602
43.	तेनुघाट (यूनिट 1 व 2)	2 X 210	17513	28133
44.	दुर्गापुर (यूनिट-4)	1 X 210	3780	9500
45.	बोकारो 'बी'	1 X 210	6976	15559
46.	बोकारो 'बी' विस्तार	2 X 210	18693	26600
47.	तलचेर थरण-तीन (यूनिट 5 व 6)	2 X 110	3840	8874
48.	बंडेल विस्तार (यूनिट-5)	1 X 210	3331	8343
49.	कोनाघाट (यूनिट-142 व 3)	3 X 210	11559	28205
50.	कोलाघाट विस्तार (यूनिट-4, 5 व 6)	3 X 210	28673	संशोधित नहीं किया गया।
51.	दुर्गापुर (डी० पी० एल०) (यूनिट-6)	1 X 110	4842	7024
52.	टीटागढ़ (यूनिट-1, 2, 3 व 4)	4 X 60	9576	17300
53.	फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र यूनिट 1, 2 व 3)	3 X 210	29060	34970
	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र			
54.	बोगाईगांव (यूनिट 1 व 2)	2 X 60	4708	8368
55.	बोंगाईगांव विस्तार (यूनिट 3 व 4)	2 X 60	4717	9383

1	2	3	4	5
56.	लकवा गैस टर्बाइन्स (यूनिट 1, 2 व 3)	3 X 15	1564	1811
57.	नामरूप गैस टर्बाइन्स विद्युत केन्द्र में विशेष ऊर्जा समुपयोजन केन्द्र	1 X 22	902	1489
58.	चन्द्रपुर विचार	30	1292	2210
59.	मोबाइल गैस टर्बाइन	4 X 3	734	764
60.	बीरगाल	2 X 30	4564	संशोधित नही किया गया ।
61.	गारो हिल्स (यूनिट-1 व 2)	2 X 30	4320	—वही—
	43. इदुक्की चरण-दो		3 X 130	84-85 85-86
	44. बदमपराई पी० एस० एस०		4 X 100	84-85 85-86
	45. सर्वालायर		1 X 20	83-84
	46. लोअर पैत्तूर		8 X 25	84-85 86-87
	47. कुन्डाह बिजली घर-5		1 X 20	84-85
	उत्तरी क्षेत्र			
	48. रेंगाली		2 X 50	84-85
	49. अपर कोलाब		3 X 80	84-85 85-86
	50. अपर इन्द्रावती		4 X 150	86-87 87-88
	51. जलढाका		2 X 4	82-83
	52. रामन चरण-दो		4 X 12.5	85-86
	53. पंचेत हिल		1 X 40	84-85

1	2	3	4
	54. कोयल कारो	(6 X 115) + (1 X 20)	84-85 के बाद
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
	55. लोअर बोरपानी	2 X 50	84-85 85-86
	56. दिक्खु	(1 X 0.75) + (1 X 0.25)	83-84
	57. गुमटी	1 X 5	83-84
	58. कोपिली	(2 X 25) + (2 X 50)	83-84 83-84
	59. लोकतक	3 X 35	82-83

राज्य विद्युत बोर्डों को हुआ घाटा

359. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :**

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान, वर्षवार, राज्य विद्युत बोर्डों को, (राज्यवार) कितना घाटा हुआ है ;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों को लगातार घाटा होने के पता लगाये गए प्रमुख कारण क्या हैं ; और

(ग) इन कमियों को दूर करने और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के परीक्षित लेखे के आधार पर 1 अप्रेल, 1979 की स्थिति के अनुसार उनके लाभ/हानियां संलग्न है। 1979-80 तथा 1980-81 से सम्बन्धित सूचना शीघ्र ही उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ नई परियोजनाओं को क्रियान्वित तथा चालू करने में हुए विलम्ब, मौजूदा उत्पादन क्षमता के कम समुपयोजन, पारेषण तथा वितरण में अधिक हानियों तथा कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अलाभकर टैरिफें होने से राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

राज्य बिजली बोर्डों का कार्य-निष्पादन, मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है । लेकिन उनके कार्य निष्पादन की केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा वित्तीय और तकनीकी मामलों पर उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया जाता है ।

राज्य बिजली बोर्डो के वित्तीय कार्य-निष्पादन की तथा सम्बद्ध समस्याओं की समीक्षा 17 जुलाई, 1981 को राज्य बिजली बोर्डो तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में तथा 6 से 9 नवम्बर, 1981 तक हुए विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में की गई थी । परियोजना निर्माण में देरी को कम करने के लिये तथा अपनी स्टाफ व्यवस्था को युक्ति-संगत बनाने सहित वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विशिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्य बिजली बोर्डों को टैरिफ का युक्ति संगत ढांचा अपनाना चाहिए जिसमें विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का पूर्णरूप से ध्यान रखा जाए तथा उचित लाभ दर के लिए भी व्यवस्था हो क्योंकि हाथ में लिए गए विद्युत विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है ।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डो की हानियाँ

(सरकार से मिली आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के बाद)

रा० बि० बो०		क	ख
		रुपए लाखों में	
1. उत्तर प्रदेश	—	42,271 ज	9,144 ज
2. पंजाब	—	8,655	छ
3. हरियाणा	—	5,401 ज	361 ज
4. बिहार	—	5,294	—
5. उड़ीसा	—	4,391	1,668
6. गुजरात	—	3,730	392
7. हिमाचल प्रदेश	—	2,434 ज	435 ज
8. आंध्र प्रदेश	—	1,801	छ
9. केरल	—	1,240	छ
10. पश्चिमी बंगाल	—	591	129
		जोड़ 75,868	12,129

11. मेघालय (क्रमश: 31-3-77 को समाप्त हुए वर्ष तक और के लिये संचयी)	—	1,505	92

क – 31-3-1979 तक संचयी

ख—31-3-1979 को समाप्त वर्ष के लिए

छ—पंजाब—512, आन्ध्र प्रदेश – 668, केरल—2,215 इन्होंने 31-3-1979 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया ।

ज—निकट भूतकाल में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी ।

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ

(सरकार से मिली आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के बाद)

रा० बि० बो०		क	ख
			(रुपये लाखों में)
1. महाराष्ट्र	—	7,992	1,139
2. तमिलनाडु	—	6,914	598
3. कर्नाटक	—	3,964	1,463
4. राजस्थान	—	1,161	1,221
5. मध्य प्रदेश	—	1,458	74
	जोड़	21,939	4,495
6. असम (क्रमश: 31-3-1978 तक समाप्त हुए वर्ष और के लिए संचयी)		1,124	X

क =31-3-1979 तक संचयी

ख =31-3-1979 को समाप्त वर्ष के लिए

X= 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हुई हानियां =331

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स में 7वीं तथा 8वीं यूनिट की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव

360. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में 7 और 8 युनिट की स्थापना के लिये पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव की स्थिति क्या है ;

(ख) उनके मन्त्रालय को यह प्रस्ताव कब मिला था ;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने इस प्रस्ताव पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया है ;

(ङ) यदि हां, तो आवेदन पत्र की स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दुर्गापुर परियोजना लि० ने अपने दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के दुसरे सोपान के रूप में 2X 110 मेगावाट यूनिटों (7वीं और 8वीं यूनिटें) की स्थापना के लिए 9781 लाख रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 1978 में भेजी थी । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में रिपोर्ट की जाँच की गयी थी । दुर्गापुर परियोजना लि० द्वारा यथा परिकल्पित समयावधि के लिए प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि रानीगंज कोयला, क्षेत्रों का कोयला, जहाँ से कि परियोजना को कोयला प्राप्त होने की आशा थी, पर्याप्त नहीं पाया गया था । दुर्गापुर परियोजना लि० में इस परियोजना के लिए जिस साइज का प्रस्ताव किया था वह साइज भी पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लाभकर समझा गया था और उन्होंने मामले पर कार्रवाई नहीं की । तदनुसार यह मान लिया गया कि इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता ।

रानीगंज में कोयले पर आधारित ईधन और रसायन संयंत्र की स्थापना करना

361. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रानीगंज में कोयले पर आधारित ईधन और रसायन संयंत्र की स्थापना के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर सरकार ने कहाँ तक विचार कर लिया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) रानीगंज कोयला क्षेत्र में रानीगंज के कोयले को डीजल और मेथानोल में बदलने के पश्चिम बंगाल सरकार के मूल प्रस्ताव को संशोधित कर दिया गया है और अब कोयले को केवल मेथानोल में ही बदला जाएगा और उसकी वार्षिक क्षमता ½ मिलियन टन होगी। पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करके मन्त्रालय ने प्रस्तावित संयंत्र को कोयला देने के संभव स्रोत तय कर लिए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार से कह दिया गया है कि वह इस प्रकार तय किए गए कोयले की किस्म के आधार पर साध्यता रिपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दें। पश्चिम बंगाल सरकार ने साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए फर्टिलाइजर प्लानिंग ऐंड डेवलपमेंट इंडिया लि० को अनुबंधित किया है।

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा तेल के विकल्प के रूप में कोयले के बारे में रूपरेखा

362. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के कोयला आधारित "फयूल्स एन्ड कैमिकल्स प्रोजेक्ट्स डिवीजन" ने दिसम्बर, 1980/जनवरी, 1981 में उनके मन्त्रालय को तेल के विकल्प के रूप में कोयले के बारे में रूप रेखा की प्रतियां प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस रूप रेखा के बारे में उनके मन्त्रालय द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले पर आधारित ईधनों के संबंध में एक अध्ययन किया था और निम्नलिखित योजनाओं के बारे में एक रूपरेखा भेजी है :—

(1) संश्लिष्ट तेल का उत्पापदन जिसमें विशेष बल डीजल/केरोसीन और सम्बन्धित उच्चतर अलकोहलों के उत्पादन पर हो, तथा औद्योगिक गैसों और मेथानोल का भी उत्पादन।

(2) मेथानोल और औद्योगिक गैसों का उत्पादन जिन्हें गैसोलीन और ईधन आवश्यकताओं में मिश्रण पदार्थ के तौर पर अंशत: प्रतिस्थापित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने मूल प्रस्ताव यह भेजा था कि एक मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला "संश्लिष्ट—तेल—संयंत्र" स्थापित किया जाए जिसमें संबद्ध उत्पादनों के रूप में

इन पदार्थों का भी उत्पादन हो— गैसोलीन में मिश्रण के लिए मैथोनोल का 1500 टन प्रतिदिन उत्पादन, ईधन तेल के उपयोग प्रतिस्थापन के लिए औद्योगिक गैसें, कार्बोरसायनों के लिए अन्य उप-उत्पाद । किन्तु इस मूल प्रस्ताव में अब संशोधन कर दिया गया है वार्षिक क्षमता $\frac{1}{2}$ मिलियन टन हो ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करके मंत्रालय ने प्रस्तावित संयंत्र को कोयला देने के संभव स्रोत तय कर लिए हैं । पश्चिम बंगाल सरकार से कह दिया गया है कि वह इस प्रकार तय किए गए कोयले की किस्म के आधार पर साध्यता रिपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दें । पश्चिम बंगाल सरकार ने साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए फर्टिलाइजर प्लानिंग ऐण्ड डेवलेपमेन्ट इंडिया लिमिटेड को अनुबंधित किया है ।

वर्ष 1980-81 के दौरान अधिस्थापित क्षमता तथा बिजली का उत्पादन और छठी योजना के लिए आयोजित अतिरिक्त क्षमता

363. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के लिए सारे देश के संयंत्रों की राज्यवार अधिस्थापित क्षमता और उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में छठी योजना के दौरान कितनी अतिरिक्त तापीय और जल विद्युत क्षमता का आयोजन किया गया है और कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश भर के संयंत्रों की वर्ष 1980-81 की राज्यवार प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिये गए हैं ।

(ख) प्रत्येक राज्य में छठी योजना के दौरान आयोजित अतिरिक्त ताप विद्युत और जल विद्युत क्षमता का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है । जिन परियोजनाओं से छठी योजना अवधि में लाभ मिलना है, वे सभी परियोजनायें स्वीकृत कर दी गई हैं ।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 की राज्यवार प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन

क्र० सं	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मेगावाट अवर)
1	2	3	4
(1)	उत्तरी क्षेत्र		
1	दिल्ली	275.80	3636
2	हरियाणा	1140.93	1001
3	जम्मू और कश्मीर	206.18	769
4	पंजाब	1536.34	11604
5	राजस्थान	819.58	1903
6	उत्तर प्रदेश	3611.66	11203
7	हिमाचल प्रदेश	128.53	261
8	चण्डीगढ़	2.00	—
9	केन्द्रीय	1078.00	*
	जोड़	8791.02	30417
(2)	पश्चिमी क्षेत्र		
1	गुजरात	2212.22	4364
2	मध्य प्रदेश	1648.00	6536
3	महाराष्ट्र	3992.30	19639
4	केन्द्रीय	519.00	*
	उप-जोड़ (प०क्षे०)	8368.52	30539

1	2	3	4
(3)	दक्षिणी क्षेत्र		
1	कर्नाटक	1469.80	6330
2	आन्ध्र प्रदेश	2240.43	7587
3	केरल	1011.50	5256
4	तमिलनाडु	2329.00	10543
5	केन्द्रीय	600.00	*
6	लक्षद्वीप	1.58	—
	जोड़	7652.31	29716
(4)	पूर्वी क्षेत्र		
1	बिहार	955.45	2252
2	सिक्किम	3.22	14
3	दा०घा०नि०	1421.50	4484
4	अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	—
5	उड़ीसा	922.92	2918
6	पश्चिमी बंगाल	1722.54	5378
7	केन्द्रीय	12.00	*
	उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	5051.74	15046
(5)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
1	असम	227.78	463
2	अरुणाचल प्रदेश	10.77	*
3	मणीपुर	15.00	*

1 2	3	4
4 मेघालय	131.16	—
5 त्रिपुरा	15.98	391
6 नागालैंड	3.66	—
7 मिजोरम	2.89	*
जोड़ (उ०पू० क्षेत्र)	407.24	854
जोड़ अखिल भारत	30270.83	111572

* केन्द्रीय सेक्टर में हुआ वास्तविक उत्पादन क्षेत्र के संबंधित राज्य में शामिल है।

विवरण-2

3. छठी योजना के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता में राज्यवार अभिवृद्धियां

उत्तरी क्षेत्र	जल-विद्युत	तापीय/न्युक्लीय	जोड़
हरियाणा	174	280	454
हिमाचल प्रदेश	38	—	38
जम्मू और कश्मीर	—	—	—
पंजाब	462	210	672
उत्तर प्रदेश	282	1690	1972
चण्डीगढ़	—	—	—
दिल्ली	—	—	—
केन्द्रीय	60	1260+220	1540
उत्तरी क्षेत्र (जोड़)	1292	3660+220	5172

	जल-विद्युत	तापीय/न्युक्लीय	जोड़
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	125	1050	1175
मध्य प्रदेश	108	1380	1488
महाराष्ट्र	224	2420	2644
केन्द्रीय	—	630	630
पश्चिमी क्षेत्र (जोड़)	457	5480	5937
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	885	210	1095
कर्नाटक	775	420	1195
केरल	125	—	125
तमिलनाडु	420	210	630
लक्षद्वीप	—	—	—
केन्द्रीय	—	1050+470	1520
दक्षिणी क्षेत्र (जोड़)	2205	1890+470	4565
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	65	660	725
उड़ीसा	340	220	560
पंश्चिमी बंगाल	58	1310	1368
दा० घा. नि.	40	420	460
सिक्किम	—	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
केन्द्रीय	—	210	210
पूर्वी क्षेत्र (जोड़)	503	2820	3323

	जल-विद्युत	तापीय/न्युक्लीय	जोड़
उत्तर-पूर्वी-क्षेत्र			
असम	50	358	408
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मणीपुर	—	—	—
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैण्ड	1	—	1
त्रिपुरा	5	—	5
केन्द्रीय/उत्तर—पूर्वी परिषद	255	—	255
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र(जोड़)	311	358	669
अखिल भारत (जोड़)	4768	14208+690	19666

जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर

364. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन रक्षक औषधियों के स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच अन्तर क्या है ;

(ख) इन औषधियों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ; और

(ग) स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) कुछ कैंसर निरोधी जैसे महत्त्वपूर्ण क्षौर जीवनरक्षक फार्मुलेशनों को छोड़कर देश फार्मुलेशनों के मामले में न्यूनाधिक रूप से आत्म निर्भर है। तथापि कुछ महत्त्वपूर्ण और जीवनरक्षक बल्क औषधों के सम्बन्ध में अनुमानित मांग और उत्पादन में अन्तर है। यह अन्तर वस्तुतः इस कारण है कि डैप्सीन, टेट्रासाइक्लीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट क्लोरोक्वीन फास्फेटआदि जैसे कुछ औषधों के मामले में स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है जबकि मिथाइल डोपा, विटामिन बी—6 आदि जैसे कुछ अन्य औषधों का फिलहाल देश में बिल्कुल भी निर्माण नहीं हो रहा है।

(ख) स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (सी.पी.सी.) इतनी ही मात्रा में सरणीबद्ध औषधों का आयात करता है जितनी माँग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। वर्ष, 1980-81 के दौरान सी. पी. सी. द्वारा ऐसे औषधों के आयात के लिए 24.67 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(ग) जीवन रक्षक औषधों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(i) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ii) भारतीय क्षेत्रीय कम्पनियों को बड़ी संख्या में डी. जी. टी. डी. में पंजीकृत किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बल्क औषधों और फार्मुलेशनों के लिए सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए हैं।

(iii) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों को विभिन्न राज्यों में संयुक्त उद्यम फार्मुलेशन यूनिटें लगाने के लिए स्वीकृतियां दी गई हैं।

(iv) जहां यह पाया जाता है कि जिन कम्पनियों को महत्त्वपूर्ण और जीवन रक्षक औषधों के निर्माण के लिए आशयपत्र/ औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए है, उन्होंने उनका कार्यान्वयन नहीं किया है तो ऐसी स्वीकृतियों को रद्द/वापस लेने की कार्यवाही की जाती है और इस प्रकार निर्गत क्षमता नए आवेदकों को दी जा रही है। नई औषध नीति के दायरे में अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दी जाती है।

(v) 4 सितम्बर, 1980 तक की स्थापित क्षमता को मान्यता दी जा रही है (कुछ शर्तों के साथ)।

चिरस्थायी बिजली संकट से प्रभावित राज्यों के नाम

365. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें लगातार चिरस्थायी बिजली संकट बना हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य कुछ समय तक विद्युत की कमी का सामना करते रहे हैं तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य वर्ष के कुछ महीनों के दौरान कुछ सीमान्त विद्युत की कमी का सामना करते हैं।

उत्तर कन्नड़ की बेडथी पन बिजली परियोजना

366. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया ने बेडथी परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव का विश्लेषण किया गया था ;

(ख) क्या इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ; यदि हाँ, तो तत्संबंन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर कन्नड़ की बेडथी पनबिजली परियोजना को इसके संभव प्रतिकूल प्रभाव से संकट का सामना करना पड़ रहा है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एडमिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ने बेडथी परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभाव का विश्लेषण किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पर्यावरण विभाग ने सुरक्षा संबंधी कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण की दृष्टि से स्कीम को स्वीकृति दे दी है । इसका ब्यौरा संलग्न उपाबंध (मूल अंग्रेजी में) दिया गया है —(विषय वस्तु उपाबंध के पृष्ठ चार पर दी गई है) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2934/81] ।

सोडा ऐश की कमी

367. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में सोड़ा ऐश की कमी है और माँग और उत्पादन के बीच भारी अंतर है जिसके परिणामस्वरूप धोबियों, गृहणियों और लघु उद्योगों को दिक्कत होती है जिससे इसके मूल्य में वृद्धि की जाती है और कुछ व्यक्तियों को लेखा बाह्य धन कमाने का अवसर मिल सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने और सोडा ऐश के जमाखोरों, सट्टेबाजों और कालाबाजारियों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1978,1979 और 1980 के प्रारंभ में सोडा ऐश की कम सप्लाई थी । सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप उपलब्धता स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सोडा ऐश बाजार में न्यूनाधिक निर्माण मूल्य पर ही आसानी से उपलब्ध है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोडा ऐश के लिए एक स्थायी समिति का गठन

368. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश के उत्पादन, वितरण और इससे संबंधित अन्य कार्यों पर विचार करने के लिये एक स्थायी समिति का गठन किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले पर विचार कर लिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय देश में उत्पादित और आयातित सोड़ा ऐश का प्रतिमीटरी टन मूल्य क्या है ;

(घ) सोडा ऐश के अधिक आयात पर अत्याधिक आवश्यक और कम विदेशी मुद्रा संसाधनों की बेकार खर्च करने के बजाय इसके मूल्यों में कमी करने तथा लघु क्षेत्र में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सोडा ऐश के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सरकार को सहयोग देने हेतु 7 अगस्त, 1978 को सोडा ऐश पर एक स्थाई समिति गठित की गई थी। समिति की बैठक समय-समय पर होती रहती है और अभी तक इसकी बैठक सात बार हुई है। समिति समान्य तौर पर उत्पादन और वितरण की समीक्षा करती है और स्थिति में सुधार के लिए साधन और उपाय सुझाती है। सुझावों पर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक हो, यथोचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 1-8-81 को कारखाने से बाहर सोडा ऐश के मूल्य नीचे दिए गये हैं :—

	रु० प्रति टन
1. मैं. टाटा कैमिल्स	
सोड़ा-ऐश हल्का	2153.85
सोडा-ऐश मध्यम	2212.60
सोडा-ऐश घना	2261.53
2. मैं. सौराष्ट्र कैमिकल्स	
सोडा-ऐश हल्का	2207.32
सोडा-ऐश घना	2299.25

3. मैं. घागंधरा कैमिल्स लि०
सोडा-ऐश हल्का 2142 76

4. मैं. उड़ीसा सीमेन्ट्स लि०
(हरी फर्टिलाइजर्स)
सोडा-ऐश हल्का 2227.02

सोडा ऐश के आयातित मूल्य अलग-2 प्रेषण पर अलग-2 होते हैं जो प्रेषित माल की मात्रा और माल प्रेषित करने वाले देश पर निर्भर होता है। यह देखा जा सकता है कि इस समय सी. आई. एफ. मूल्य 100 से 120 अमेरीकी डालर प्रतिटन के आस-पास है।

(घ) और (ङ) सोडा ऐश पर कोई कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है। तथापि सरकार एक तरफ तो सोडा ऐस के वितरण की अनौपचारिक नियंत्रण और देखरेख तथा दूसरी ओर मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये पर्याप्त आयात की व्यवस्था करके दोहरी प्रक्रिया अपना रही है। वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा आयात किये जाने के लिये सोडा ऐश को दिनांक 14 जनवरी, 1979 से आम खुली सूची के अन्तर्गत रखा गया है।

इस विभाग ने जनवरी, 1979 में मार्गदर्शन जारी किये हैं जिनके अन्तर्गत निर्माता सोडा ऐश के उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत भाग सीधे तौर पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई कर रहें हैं। निर्माताओं को प्रतिमाह 1000 टन सोडा ऐश राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को सप्लाई करने के लिए भी सहमत किया गया है जिसका वितरण फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से लघु उपभोक्ताओं अर्थात् धोवियों और गृहणियों को किया जायेगा।

सोडा ऐश की समस्याओं के बारे में जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन

369. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सोडा ऐश की समस्याओं के बारे में जांच करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से एक शिक्षाविदों और कनिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित करके एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या उसके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सोडा ऐश की कमी के कारणों और बारम्बार कमी होने के कारणों तथा सोडा ऐश उद्योग को बारम्बार उत्पन्न होने

वाली ऐसी स्थिति से बचाने के लिए उपाय सुझाने के विशेष संदर्भ में सोडा ऐश के उत्पादन, परिवहन और विपणन की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये रसायन और उर्वरक विभाग ने सितम्बर, 1978 में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया था :—

1. प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी सेवा निवृत अध्यक्ष रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	अध्यक्ष
2. डा. डी. के. राय, औद्योगिक सलाहकार, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो,	सदस्य
3. डा. एस. पी. वर्मा. उप महानिदेशक तकनीकी विकास महानिदेशालय	सदस्य
4. श्री प्रवीन्द्र सिंह, निदेशक, रेलवे बोर्ड, (पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक के रूप में उनकी नियुक्ति तक, 4-2-1979 से श्री आर. पी. सिंह, निदेशक)	सदस्य
5. श्री एम. झा. निदेशक, कोयला विभाग, (उनके स्थानान्तरण तक, 11-1-1979 से श्री एम. एस. नागर, निदेशक, कोयला विभाग)	सदस्य
6. श्री पी. पी. प्रभु, निदेशक (रसायन), रसायन और उर्वरक विभाग	संयोजक

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1979 में प्रस्तुत की। समिति की शिफारिशें सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे दिनाँक 24 फरवरी, 1981 को पूछे गये लोक सभा अ. ता. प्र. सं. 1050 के उत्तर में दिये गये थे।

दिल्ली छावनी में क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडरों की सप्लाई

370. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1981 में दिल्ली छावनी में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं को पूरी तरह से लैक करते हुए क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर सप्लाई किये गये हैं जो लोगों की जान के लिए खतरनाक बात थी;

(ख) क्या ऐसा कोई मामला नोटिस में आया है जिसमें सूचना देने पर एक सिलेंडर को उठाने से मना किया गया था और एजेंट ने इस गंभीर मामले में सहायता नहीं की थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस वर्ष अगस्त में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के दिल्ली छावनी क्षेत्र में उप एजेन्ट को खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के सिलेंडर के रिसाव की रिपोर्ट मिली थी ।

(ख) और (ग) सिलेंडरों के रिसाब के सम्बन्ध में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपभोक्ताओं से यदा कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं । ऐसे रिसाब सिलेंडरों के पारगमन के समय अनुपयुक्त रख-रखाव के कारण होते हैं । इन शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है तथा त्रुटिपूर्ण सिलेंडरों को बदलने के लिए कार्यवाही की जाती है । तेल कम्पनियों द्वारा अपने वांटलिंग संयंत्रों को निर्देश दिये गए है कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी खराब/त्रुटिपूर्ण सिलेंडरों के बाल्वों को बदल दिया जाए । इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों के डिलीवरीमेनों को सिलेंडरों के रख-रखाव में सुधार लाने के लिये शिक्षित किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कुछ औषध कंपनियों के उत्पादों का वहिष्कार

371. **श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माता, कैमिस्ट्स और ड्रगिस्ट्स कुछ औषध कम्पनियों के उत्पादों का बहिष्कार करने की सांठ गांठ में लगे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वहिष्कार सितम्बर, 1981 में शुरू किया गया था ;

(ग) क्या संगठन ने सरकार से आग्रह किया था कि वह इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें अन्यथा देश को आवश्यक औषधियों की कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था; और

(ङ) क्या कोई समाधान निकला है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) "आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स" एण्ड ड्रगिस्ट" और केमिस्टों और ड्रगिस्टों के कुछ सगठनों ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत उल्लिखित व्यापार लाभ में वृद्धि करने के लिए मेरे मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है । औषध निर्माताओं और कैमिस्टों और

ड्रगिस्टों को प्रश्नावलियां इस दृष्टि से जारी की गई थी कि कैमिस्टों और ड्रगिस्टों को व्यापार लाभ प्राप्त करने में लगी लागत का गहराई से अध्ययन करने के लिए सूचना प्राप्त की जा सके। यद्यपि अनेक निर्माताओं ने सूचना दे दी है किन्तु कैमिस्टों और ड्रगिस्टों ने नहीं दी है।

इसी बीच हमें देश के कुछ हिस्सों से सितम्बर और अक्टूबर, 1981 से दो निर्माताओं के उत्पादों के बहिष्कार करने की रिपोर्ट मिली है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पूछताछ से पता चलता है कि वर्तमान बहिष्कार से किसी नाजुक औषध पर प्रभाव नहीं पड़ा है और औषधों के मिलते जुलते किस्म बाजार में उपलब्ध हैं।

एल.टी. (इन्डोर) ट्रांसफर पैकेज ठेका देने सम्बन्धी निर्णय

372. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम ने एल. टी. (इंडौर) ट्रांसफर पैकेज का ठेका एक स्वदेशी फर्म बोल्टास को देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने ठेके के लिए आवेदन दिया था ;

(ग) यदि इनमें से किसी फर्म ने बोल्टास को ठेका देने पर कोई आपत्ति की है ; यदि हां तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और ठेके की राशि क्या है ;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप रामगुंडम सुपर तापीय बिजलीघर के लिए महत्वपूर्ण उपकरण खरीदने में विलम्ब हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने एल.टी. इनडोर ट्रांस्फार्मर का ठेका स्वदेशी फर्म, मैसर्स वोल्टाज को दिया है, जोकि इस ठेके के लिए सबसे कम दर की बोली लगाने वाले पाए गए थे।

(ख) जिन भारतीय तथा विदेशी फर्मों ने इस ठेके के लिए बोली दी थी उनके नाम निम्नानुसार हैं : -

(1) भारतीय बोलीदाता

(1) मैसर्ज वोल्टाज

(2) मैसर्ज इलेक्ट्रिक ट्रांस्फार्मर्ज एण्ड एक्विपमेंट कम्पनी

(2) विदेशी बोलीदाता

(1) जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, यू.एस.ए.

(2) जी.ई.सी. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस्फार्मर्ज लि., यू.के.

(3) पेरसन्स पीवल्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस्फार्मर्ज लि• यू.के.।

(ग) एक फर्म, मैसर्ज जी. ई. सी. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस्फार्मर्ज लि० यू. के. ने (भारत में जिसका प्रतिनिधित्व उनके स्थानीय ऐजेन्ट मैसर्ज टरकोन इंडिया प्रा० लि० द्वारा किया जा रहा है) मैसर्ज वोल्टाज को ठेका दिये जाने का विरोध केवल इस आधार पर किया है कि मैसर्ज वोल्टाज के स्वदेशी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए निविदा कागजात में दी गई अर्हकारी शर्तों में ढील दे दी गई है यह एतराज मान्य नहीं था क्योंकि अर्हकारी शर्तें निर्दिष्ट करने वाले निविदा कागजात में यह भी बताया गया था कि बोलीदाताओं की अनुबन्ध को पूरा करने की योग्यता तथा सक्षमता का मूल्यांकन करने का अधिकार भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के मूल्यांकन के अनुसार वोल्टाज अनुबन्ध को कार्यान्वित करने में सक्षम थे और मूल्यांकित किये जाने पर उनका प्रस्ताव सबसे कम मूल्य का था। तदनुसार ठेका उनको दिया गया। दिए गए ठेके का मूल्य 29,73,588/- रुपए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु फिल्मों के लिए ठेके

373. **श्री रशीद मशूद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन निदेशालय ने हाल ही में लघु फिल्मों के लिए कुछ ठेकों पर हस्ताक्षर किये थे ;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन निदेशालय द्वारा ऐसे कितने ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये थे और किन-किन व्यक्तियों के साथ ठेके किये गये हैं ;

(ग) ऐसे ठेकों को देने के लिए निर्धारित की गई विशेष शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या ये शर्तें उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिनके साथ लघु फिल्मों के लिए ठेके किये गये हैं ; विधिवत पूरी की गई थीं ; यदि नहीं तो कितने मामलों में शर्तें पूरी की गई थीं ; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को, जो निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते थे ठेके देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के निदेशकों द्वारा चालू वर्ष में जिन व्यक्तियों को संविदाएं दी गई हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(ग) जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है वे इस प्रकार हैं :—

(1) व्यक्ति की क्षेत्र में पृष्ठ भूमि और ख्याति।

(2) माध्यमों और संबंधित क्षेत्रों में उसका सृजनात्मक कार्य।

(3) विषय और दूरदर्शन की आवश्यकताओं के लिए उसकी प्रासंगिकता और उपयुक्तता।

(4) विषय का प्रतिपादन।

(5) निर्माण, इत्यादि की अनुमानित लागत।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	निर्माता का नाम	फिल्म का नाम और उसका विषय
1.	मैसर्स संगम फिल्म्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली के श्री सोमनाथ नागर।	"अंगारे"—दहेज पर।
2.	मैसर्स स्वर सुधा स्टूडियो, नई दिल्ली के श्री विनोद रावल।	हास्य पर दो एपिजोड।
3.	मैसर्स प्रगति फिल्म्स, नई दिल्ली की कुमारी पंजवानी।	"शोभा"—परिवार कल्याण पर।
4.	मैसर्स एक्शन फिल्म्स, नई दिल्ली के श्री विनोद कपूर।	"बदलू"—परिवार कल्याण पर।
5.	मैसर्स संगम फिल्म्स इंटरनेशनल, दिल्ली के श्री चान्द्र प्रकाश।	"एक लाख पूत सवा लाख नाती" परिवार कल्याण पर।
6.	मैसर्स स्पाट फिल्म्स, नई दिल्ली के श्री प्रमोद माथुर।	ट्राइबल्स आफ बिहार फोरेस्ट्स" आदिवासी कल्याण पर।
7.	टी.वी. प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड, मद्रास के श्री पी.डी.पी. राव।	"वल्ली"—परिवार कल्याण पर।
8.	मैसर्स अवध फिल्म्स, लखनऊ के श्री फरमान इलाही।	अपने अपने ताजमहल— परिवार कल्याण पर।

उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन

374. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री जैनुल बशर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है और इस समय कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) बिजली उत्पादन में कमी के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठापित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3789 मेगावाट है तथा इस समय व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकतम विद्युत उत्पादन 1600 मेगावाट से 1700 मेगावाट के बीच भिन्न-भिन्न मात्रा में होता है ।

(ख) विद्युत उत्पादन का अपेक्षाकृत कम स्तर इन कारणों से है : (क) ताप विद्युत केन्द्रों का घटिया कार्य-निष्पादन तथा (ख) 1981 के दौरान रिहन्द जल-विद्युत परियोजना के मुख्य जल-विद्युत जलाशयों में जल स्तर अपेक्षाकृत कम होना जिसके परिणामस्वरूप जल-विद्युत केन्द्रों से विद्युत कम उपलब्ध होना ।

साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से कम होने के कारण उत्पन्न हुई सूखे की स्थिति के फलस्वरूप भार मांग में वृद्धि होने से विद्युत की कमी गंभीर हो गई ।

(ग) उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं : —

1. संयंत्र तथा उपस्कर में कमियों का पता लगाने के लिए तथा समयबद्ध तरीके से संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने तथा हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों को सहायता दी जा रही है ।

2. बन्दियों की अवधियों को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना ।

3. अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करना ।

4. विशेषकर 200 मेगावाट के यूनिटों में, जिनमें उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठापित यूनिट भी शामिल है, कमियों का पता लगाने तथा इन यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए तथा उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बल का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी-इलेक्ट्रिक लि० तथा रा० बि० बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

5. विद्युत केन्द्रों को अधिक कुशलता से चलाने के लिए समस्याओं का पता लगाने और समाधान हेतु सुझाव देने की दृष्टि से ओबरा ताप विद्युत केन्द्र का तकनीकी और प्रबंधकीय

सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने मैं० ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल लि० की सहायता का अनुरोध किया है ।

रेल ट्रैक के निकट कोयले का अवैध डिपो

375. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर विशेष मालगाड़ी के हाल ही में पटरी से उतर जाने पर ट्रैक के निकट एक अवैध कोयले के डिपो का पता चला था । जहां से बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी की जा रही थी ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का बारम्बार खराब होना

376. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर के बारम्बार खराब होने का कारण कोयले की खराब सप्लाई और वायलरों की कालावधि समाप्त होना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजधानी में बड़े पैमाने पर बिजली की अनाधिकृत खपत से बिजली की कमी और बारम्बार खराब होने की स्थिति उत्पन्न हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र इस समय विद्युत का संतोषजनक उत्पादन कर रहा है । कुछ समय पहले इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र की मशीनों के बार-बार ब्रेकडाउन होने का एक कारण कुछ घटिया गुणवत्ता वाला कोयला था । तथापि, यह कहना सही नहीं है कि वायलरों का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।

(ख) इस समय दिल्ली में विद्युत की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है । विद्युत के अनाधिकृत उपयोग से विद्युत की कमी गंभीर होती है तथा इसके परिणामस्वरूप, वितरण प्रणालो में बार-बार ब्रेकडाउन भी होते हैं ।

(ग) जहाँ व्यवहार्य है वहां वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, बिजली के अनाधिकृत उपयोग की समस्या को हल करने के लिये कानून के समूचे प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

कोरवा उर्वरक परियोजना का चालू होना

377. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरवा उर्वरक परियोजना को कब चालू किया जाना था और इसको पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था ;

(ख) इस परियोजना की मूलतः अनुमानित लागत क्या थी और अब इस परियोजना पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने में असामान्य विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोरवा में कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना का कार्यान्वयन, पूर्ण करने के लिये 57 महीने की प्रतिबन्धित अवधि के अन्दर, जून, 1974 में प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) और (ग) कोरवा परियोजना की मूलतः अनुमानित लागत 118.25 करोड़ रुपये थी । संशोधनों में बाधाओं के कारण परियोजना पर कार्य धीमा कर दिया गया था । दिनांक 1-11-1980 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाले कोयले पर आधारित रामागुण्डम और तालचर संयंत्रों के सुस्थिर संचालनी से प्रर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाने के पश्चात सरकार कोरवा परियोजना पर कार्य दुबारा चालू करने का विचार रखती है । परियोजना की लागत का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब परियोजना पर कार्य दुबारा चालू करने का निर्णय ले लिया जाये ।

बिजली की कमी के कारण राजस्थान में उत्पादन में कमी का सामना कर रहे उद्योग

378. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली संकट के कारण राजस्थान में उद्योगों को उत्पादन में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि परमाणु रिएक्टर यूनिट—1 और 2 में समस्याओं और जलाशयों में पानी का कम स्तर होने के कारण राजस्थान में उद्योगों को अपने कार्यों को बाध्य होकर कम करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान में इस समय बिजली की सीमान्त कमी हैं । तथापि राजस्थान परमाणु संयंत्र के यूनिट —1 और 2

में जब प्रचालन संबंधी समस्यायें आजाती हैं तब बिजली की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस समय बिजली की कमी का प्रभाव, कुछ हद तक, औद्योगिक उत्पादन पर अवश्य पड़ता है।

(ग) राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये कदम उठाये गये हैं, और उठाये जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के कई विद्युत केन्द्रों से राजस्थान को अधिक विद्युत उपलब्ध होगी ;

2. राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के कार्यनिष्पादन में हो रहे निरन्तर सुधार के फलस्वरूप इस केन्द्र से बिद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी ;

3. 1980-85 की अवधि के दौरान राजस्थान प्रणाली में 496 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आशा है ;

4. राजस्थान की बिजली की आवश्यकता पूरी करने में उसको सहायता देने के लिये, जब भी सम्भव होता है तब, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ग्रिड से तथा अन्य पड़ौसी राज्यों से सहायता का प्रबन्ध किया जाता है।

राजस्थान में जर्मन जनवादी गणराज्य के सहयोग से लिगनाइट पर आधारित बिजली संयंत्र

379. **आचार्य भगवान देव :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राज्य के विभिन्न भागों में पता लगे लिगनाइट के समृद्ध भंडारों पर आधारित तापीय बिजली संयंत्रों की स्थापना जर्मन जनवादी गणराज्य के सहयोग के किए जाने की कोई परियोजना विचाराधीन है :

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसको अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है और इन बिजली घरों की कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वित होने के बाद राजस्थान को बिजली की कितनी अतिरिक्त सप्लाई होने की संभावना है और कब तक ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) बीकानेर जिले में पालना में लिग्नाइट पर आधारित, 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले ताप विद्युत केन्द्र की

प्रतिष्ठापना की स्कीम का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन कर लिया गया है और निवेश संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा है । परियोजना पर 67.38 लाख रुपयों की लागत आने का अनुमान है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति देते हुए पालना विद्युत परियोजना तथा पालना माइनिंग परियोजना के लिए एक साथ ही स्वीकृति देने की सिफारिश की है ताकि निर्धारित समय अवधि में लिग्नाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके । जर्मन गणराज्य की सहायता के लिए बात-चीत चल रही है लिग्नाइट माईनिंग परियोजना के लिए छठी योजना के दौरान राज्य सरकार ने कोई वित्तीय प्रस्ताव नहीं किया है ।

विवाह का अनिवार्य रजिष्ट्रीकरण

380. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विवाह के रजिष्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इस बारे में अपनी रुचि दिखाई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूरदर्शन मद्रास के नैमित्तिक तथा ठेका कर्मचारियों को नियमित करना

381. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन, मद्रास के नैमित्तिक तथा ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का मामला संतोषजनक ढंग से सुलझा दिया गया है ; और

(ख) वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास का केवल एक ही नैमित्तिक कलाकार दूरदर्शन केन्द्रों में इस प्रकार के कलाकारों को नियमित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों अर्थात् किसी एक वर्ष में नैमित्तिक बुकिंगों के कुल 200 दिन या 1974-75 से 1979-80 तक लगातार किन्हीं तीन वर्षों में 365 दिन, को पूरा करता है । उसको नियमित करने की कार्रवाई पहले ही चल रही है ।

तथापि, कुछ नैमित्तिक कलाकारों ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह कहा गया था कि उनको भी नियमित किया जाना चाहिए था और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि याचिका करने वालों के दावे पर विचार किया जाये। क्योंकि नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने के मानदण्ड सभी दूरदर्शन केन्द्रों पर समान रूप से लागू होते हैं, अतः इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की गई है जो पेंडिंग है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

382. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री चित्त महाटा :
श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कुछ प्रमुख संशोधन करने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नए विधेयक का सौदा तैयार करते समय सरकार ने सच्चर समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका कारण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के संशोधनों के सम्बन्ध में अधिनियम के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को अधिक पूर्णता से समग्रमात्रा में उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्च समिति) के सुझावों पर सरकारी उच्च स्तर पर सक्रिय रूप सें विचार किया जा रहा है। यथाशीघ्र निर्णय होने पर आवश्यक विधायी कार्यवाही को प्रारम्भ किया जायेगा। तथापि, इस अनुमान का कोई आधार नहीं है कि सरकार ने सच्चर समिति के महत्त्वपूर्ण सुझावों को वस्तुतः अस्वीकार कर दिया है।

बस्तर (मध्य प्रदेश) को सूक्ष्मतरंग प्रणाली से जोड़ना

383. **श्री कँवर भूषण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर (मध्य प्रदेश) को सूक्ष्मतरंग प्रणाली से जोड़ने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) योजना 1983 में लागू किए जाने की संभावना है ।

(ग) जगदलपुर को धमतरी रायपुर से जोड़ने वाली तंग पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना को स्वीकृति दे दी गई है । इस मार्ग के लिए रेडियो उपस्कर आयात किया जा रहा है । अन्य संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं ।

रायपुर-मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

384. **श्री कैयूर भूषण** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश वार काउंसिल, संसद् सदस्य, विधायक और अन्य संगठन रायपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए लंबे समय से माँग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए रायपुर के कुछ अधिवक्ताओं, छत्तीसगढ़ खण्डपीठ संघर्ष समिति, रायपुर के अध्यक्ष और जनता के कुछ लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । सरकार इस माँग पर कोई विचार नहीं कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ रायपुर में स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

नैशनल फैडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एम्पलाईज की माँगें

385. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फैडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एम्पलाइज ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डाक-तार विभाग में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सुनियोजित मशीनरी है । स्टाफ यूनियनों

के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय सर्किल एवं मंडल स्तर पर साक्षात्कार की अनुमति देने के अलावा, जहां कि उनकी मांगों पर विचार किया जाता है तथा उचित निर्णय लिये जाते हैं, केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभागीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार तंत्र) कार्य करती रही है तथा नियमित बैठकें होती रहती हैं। 1-2-80 से 31-7-81 की अवधि के दौरान केन्द्रीय स्तर पर विभागीय परिषद् की 5 बैठकें हुई जहां 300 से अधिक मुद्दों पर विचार किया गया था। डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ तथा राष्ट्रीय डाक-तार संगठन के महासंघ को विभागीय परिषद् में स्थान दिया गया है।

(ख) उनकी मांगें मुख्यतः वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, पदोन्नति के अवसर, छुट्टी, बोनस तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए अन्य विविध मामलों से संबंधित थीं।

(ग) लगभग 100 मदों पर समझौते/निपटान किए गए तथा काफी मदें अभी भी विचाराधीन हैं। संयुक्त सलाहकार तंत्र के अंतर्गत जो मदें मध्यस्थता योग्य हैं तथा जिन पर अंतिम असहमति रिकार्ड की गई हो उनको इस योजना के अंतर्गत मध्यस्थता बोर्ड के पास भेज दिया जाता है।

पटना के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

386. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पटना जिले के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति अभी तक गठित नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुचित विलंब के क्या कारण हैं और सरकार का विचार यह काम कब तक करने का है ; और

(ग) यदि यह समिति गठित कर दी गई है तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) नामांकन-पत्र देरी से प्राप्त हुए थे तथा उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

387. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री भीकूराम जैन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 31 अक्तूबर, 1981 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा-सूची में थे :

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाने की संभावना है ; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के शेष आवेदन पत्रों का कब तक निपटान कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 80,770.

(ख) एक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 8050 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

(ग) ऐसी आशा है कि मौजूदा प्रतीक्षा सूची के अधिकतर आवेदकों को उत्तरोत्तर वर्ष 1984-85 के दौरान कुछ स्थानों को छोड़कर टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

तेल तथा गैस के निक्षेपों का पाया जाना

388. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1981 के दौरान तेल तथा गैस के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) ऐसे निक्षेपों का किन-किन स्थानों पर पता लगा हैं ; और

(ग) इन निक्षेपों से कितनी मात्रा में तेल और गैस प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अप्रैल अक्तूबर, 1981 के दौरान देश में खोजे गए नए तेल/गैस क्षेत्र निम्नलिखित रूप में हैं :

(क) तटीय :

1. त्रिपुरा में बारामूरा-6 : प्राकृतिक गैस पाई गई है । विस्तृत अध्ययनों के लिए कुएं की परीक्षा की जा रही है ।
2. अंकलेश्वर गुजरात में कुआरा-1 परीक्षाधीन दो स्थानों से गैस का उत्पादन हुआ ।
3. अहमदाबाद (गुजरात) में सिलोदरा-7 दो स्थानों में तेल का प्रवाह हुआ ।
4. असम में नापा मुग्रा : परीक्षण उत्पादन के दौरान तेल/गैस के प्रवाह को देखा गया था ।

(ख) अपतटीय

बम्बई हाई क्षेत्र में बी-57-1 : परीक्षण किये गये सात स्थानों में छः स्थानों से तेल और गैस प्रवाहित हुए ।

पाक जलडमरु मध्य में पी.एच-9-1 में : परीक्षण किये गये दो स्थानों में से एक स्थान से तेल प्रवाहित हुआ ।

(ग) उपयुक्त क्षेत्रों में तेल/गैस भंडारों का उचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए और अधिक अन्वेषी कुओं को खोदने और उनका परीक्षण करने की आवश्यकता होगी ।

गैस कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में विचाराधीन आवेदन पत्र

389. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये गैस कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र उनके विचाराधीन हैं ;

(ख) ये कब से विचाराधीन हैं : और

(ग) उनके द्वारा इन आवेदन-पत्रों का कब तक निपटान किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) से (ग) प्राथमिकता के आधार पर खाना पकाने की गैस (एल.पी.जी.) के कनैक्शन जारी करने के लिए संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन-पत्रों सहित एक बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं । ऐसे आवेदन-पत्रों की श्रेणी वार प्राप्ति के सम्बन्ध में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गए अधिकांश आवेदन-पत्रों का निपटारा किया जा चुका है । एल.पी.जी. कनैक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर विचाराधीन आवेदन-पत्रों की जाँच की जायेगी और उनका निपटान किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में नए उप-डाक-घर खोलना

390. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने नये उप डाक-घर खोले जाने की संभावना है ;

(ख) कौन-कौन से और कितने उप डाक-घरों का दर्जा बढ़ाकर डाकघर बनाये जाने की संभावना है ; और

(ग) किन-किन नये उप डाकघरों में सीधे तार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

तापीय संयंत्रों के लिए कोयला ढुलाई संयन्त्र

391. श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड तापीय संयंत्रों के लिए कोयले की अपेक्षित मात्रा में ढुलाई करने के लिए 180 ढुलाई संयंत्र स्थापित करेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन ढुलाई संयंत्रों के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड ने छोटे और बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्रों के निर्माण की एक योजना तैयार की है ताकि ताप बिजली घरों और अन्य उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार किया जा सके । जिन कोयला रख-रखाव संयंत्रों का निर्माण किया जाना है उनके विवरण नीचे दिए गए हैं :—

	ई. को. लि.	वे. को. लि.	से. को. लि.	भा. को. को. लि.	जोड़
1. निर्माणाधीन बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्र	7	10	4	3	24
2. वह छोटे को. र. सं. जो निर्माणाधीन/ कार्याधीन हैं ।	29	10	3	7	49
3. प्रस्तावित बड़े और छोटे को. र. सं.	64	26	10	7	107
	100	46	17	17	180

(ग) प्रस्तावित 180 संयंत्र जिन स्थानों पर लगाए जाएंगे उनके नाम एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे ।

असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रसारण तथा टेलीविजन की अतिरिक्त सुविधाएं

392. श्री सन्तोष मोहन देव :
श्री पियूष तिरकी :
श्री चिंगवांग कोयनक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रसारण और टेलीविजन की अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत से भागों में लोग बंगलादेश का रंगीन टेलीविजन देख रहे थे ;

(ग) क्या सरकार ने प्रसारण केन्द्रों, रिले केन्द्रों, नए ट्रांसमीटरों और गोहाटी रंगीन टेलीविजन प्रसारण केन्द्र सहित व्यापक प्रसारण विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी खबर है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में बंगलादेश टेलीविजन के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) छठी 'योजना' के अन्तर्गत गोहाटी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाना है ।

छठी 'योजना' में इस क्षेत्र में प्रसारण सेवा का विस्तार करने तथा उसको सुदृढ़ करने के लिए (1) इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) तुरा (मेघालय) और दिफू (असम) में नए केन्द्र स्थापित करना ; (2) शिलांग में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना तथा (3) डिब्रूगढ़ के उच्च शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाना आदि जैसी विभिन्न स्कीमें भी शामिल हैं ।

इस क्षेत्र में माध्यम विकास के लिए अन्य स्कीमें भी है अर्थात् (1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असमिया, मणिपुरी तथा अन्य क्षेत्रीय आदिवासी बोलियों में फिल्में बनाने के लिए कलकत्ता में प्रभाग का क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र स्थापित करना, (2) गोहाटी में विज्ञापन और दृश्य प्रचार के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना, (3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित आदिवासी क्षेत्रों के लोक रूपों का उपयोग करने के लिए गीत और नाटक प्रभाग का पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करना, (4) और अधिक क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों की स्थापना, आदि ।

त्रिपुरा में तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना

393. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य की बढ़ती हुई विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तापीय संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा में बारमुरा कुंए से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता राज्य में तापीय संयन्त्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) त्रिपुरा में बारमुरा क्षेत्र में उपलब्ध गैस का उपयोग करके वहां 2 X 5 मेगावाट के गैस टर्बाइन उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए त्रिपुरा सरकार ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस समय इस परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी-आर्थिक जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही है। ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना का त्रिपुरा का अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) बारमुरा कुंए में गैस के लिए कुंए की विस्तृत जांच इस समय की जा रही है। ऐसी स्थिति में इस कुंए की गैस की शक्यता के बारे में बता सकना संभव नहीं है।

भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों के नाम

394. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को कौन-कौन से देश तेल दे रहे हैं ;

(ख) क्या इन देशों के साथ तेल सप्लाई के ठेके रद्द कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय देश की तेल की आवश्यकता कितनी है ; और

(घ) कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जायेगा और कितनी मात्रा स्वदेशी स्रोतों से पूरी की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1981 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिये इरान, ईराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सोवियत रूस, वेन्जुएला, नाइजीरिया तथा मैक्सिको के साथ ठेके किए गए हैं।

(ख) भारतीय शोधन शालाओं में मैसिक्को के भारी अशोधित तेलों को साफ करने में अनुभव की गई कठिनाइयों के कारण, उठान रोक दी गई है और मैक्सिको के प्राधिकारियों को हमारी समस्यायें समझा दी गई हैं।

(ग) और (घ) लगभग 16 मिलियन मी० टन के आयात अंश के साथ वर्ष 1981-82 के लिए देश की तेल की आवश्यकता का अनुमान लगभग 32 मिलियन मी० टन लगाया गया है। बकाया आवश्यकता को देशीय साधनों से पूरा किया जायेगा।

तापीय संयंत्रों की संयंत्र भार निर्माण क्षमता में सुधार के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

395. श्री जगदीश टाइटलर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है कि वर्तमान तापीय विद्युत केन्द्रों की भार निर्माण क्षमता में, तापीय केन्द्र में लगी वर्तमान प्रौद्योगिकी में मामूली सुधार करके, किस सीमा तक वृद्धि की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा एक दल का गठन किया गया है जो मौजूदा क्षमता के अधिनिर्धारण की संभाव्यता की जांच कर रहा है। साथ ही, मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं तथा उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में ये शामिल हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना ;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमियों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना ;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई।

(ङ) जिन इंजीनियरों और तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ; और कुछ ज्ञात विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए, समस्याओं का तथा उपचार हेतु उठाये जाने वाले कदमों का पता लगाने के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा रही है।

इन कदमों के फलस्वरूप अप्रैल से सितम्बर, 1981 तक के पहले छः महीनों में ताप विद्युत संयंत्रों का भार अनुपात जोकि अप्रैल से सितम्बर, 1980 में 42.1 प्रतिशत थी बढ़कर 44.7 प्रतिशत हो गया है। यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में संयन्त्र भार अनुपात और बढ़कर 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

(च) विशेषकर 200 मेगावाट के यूनिटों में कमियों का पता करके इन यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बल का गठन करना, जिसमें के० वि० प्रा०, भा० है० इले० लि०, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हों।

(द) प्रचालन पद्धतियों की मानीटरिंग करने तथा परामर्श देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे ।

राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर राज्यों की टिप्पणियां

396. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) उपरोक्त समिति की प्रमुख सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों पर कुछ राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं ।

सिफारिशों पर अभी हाल ही में 6 नवम्बर से 9 नवम्बर, 1981 तक हुए विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था ।

राज्य सरकारों ने चाहा है कि उन्हें कुछ और समय दिया जाय ताकि वे अपने विचार और सुझाव भेज सकें ।

चूंकि समिति की सिफारिशें मुख्य तौर से विद्युत उद्योग के संगठनात्मक ढांचे से संबंधित है अत: इन पर कोई कार्रवाई आरंभ करने से पहले राज्यों से परामर्श करना आवश्यक समझा गया है ।

अमरीकी कम्पनी से छिद्रण कार्य करने वाला जहाज किराए पर लिया जाना

397. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आरम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए अमरीकी कम्पनी से छिद्रण करने वाला एक जहाज किराये पर लेने के लिए बातचीत कर रहा है ;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के छिद्रण करने वाले जहाजों के बेड़े में इस समय कितने जहाज हैं ;

(ग) क्या छिद्रण करने वाले ऐसे जहाजों के निर्माण के लिए स्वदेशी स्रोतों का उपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। सरकार के अनुमोदन से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में आगे और अन्वेषी कार्य जारी रखने के लिए एक गतिशील स्थिति (डी. पी.) (ड्रिलशिप 'सेडको 445' को किराये पर लेने के लिए हाल ही में तीन वर्षों की अवधि के लिए एक करार किया है।

(ख) वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास अपतटीय क्षेत्रों में कार्यरत कोई डी. पी. ड्रिलशिप नहीं हैं। तथापि, वह निम्नलिखित अपतटीय व्यधन रिगों के साथ प्रचालन कार्य कर रहे हैं :

स्वयं के रिग	रिग की किस्म
1. सागर सम्राट	जैक—अप
2. सागर विकास	,,
3. सागर प्रगति	,,
किराये के रिग	
4. डब्लयू टी. आदम्स	,,
5. शिनानदोह	
6. गैट सवर्ग	ड्रिल नौका (ड्रिल वार्ज)

(ग) और (घ) वर्तमान में अपतटीय ड्रिलिंग रिगों के निर्माण के लिए कोई देशी स्रोत नहीं है।

सालबुटामोल का उत्पादन

398. श्री जगदीश टाइटलर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालबुटामोल एक दमा निरोधक औषधि का अभाव होने के कारण इसके उत्पादन के लिए कदम उठाए जा रहे है ;

(ख) क्या इस औषधि के उत्पादन के लिए वर्तमान उत्पादनकर्ताओं को अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस मंजूर किए गए हैं ?

(ग) क्या वे इस औषधि के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाले प्रौद्योगिकी संबंधी विवाद का समाधान कर पाये हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मै० सिप्ला और मै० फेयरडील नामक दो भारतीय कम्पनियां साल्बूटामोल का निर्माण देश में कर रही है । मै० सिप्ला ने 900 कि.ग्रा. की अतिरिक्त क्षमता के पंजीकरण के लिए डी. जी.टी.डी. को आवेदन किया है । इस आवेदन पत्र के लिए डी.जी.टी.डी. 335 कि.ग्रा. की क्षमता का पंजीकरण कर चुकी है और पूर्ण अनुमोदन के लिए कम्पनी के अभ्यावेदन पर भी विचार कर रही है ; प्रति वर्ष 100 कि.ग्राम साल्बूटामोल की क्षमता की स्थापना के लिए मै० ग्लेक्सो को जारी किये गये आशय पत्र को परिवर्तित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) मै० कैमिकल्स, इण्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरीज लि० बम्बई, नामक एक भारतीय कम्पनी ने अभ्यावेदन किया है कि साल्बूटामोल का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की सहायता से उनके द्वारा विकसित की गई प्रक्रिया में आसान अभिक्रियायें और प्रक्रियायें निहित है और उसे प्रयोग करना सरल है, अतः साल्बूटामोल को कम प्रौद्योगिकी निहित के रूप में घोषित किया जाये । यह मामला राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के निदेशक के साथ उठाया गया था, जिनके उत्तर में इस कार्य में सहयोग देने वाले एक वैज्ञानिक का नोट सलग्न था । इस नोट से पता चला कि प्रक्रिया में सिन्थेंटिक के कई प्रयोग और कार्बनिक रसायनज्ञ द्वारा प्रयोग की गई कुशल अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं । सरकार द्वारा गठित की गई उच्च प्रौद्योगिकी समिति जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, ने मै० ग्लैक्सो द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया को उच्च प्रौद्योगिकी वाली श्रेणी में रखा क्योंकि इसमें प्रक्रिया का बहु-चरणीय परिवर्तन निहित है, जिसके लिए अभिक्रिया की स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने और ध्यान पूर्वक रख-रखाव की आवश्यकता है ।

समाचारपत्रों के मूल्यों पर नियंत्रण

399. **श्री मूल चन्द डांगा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में समाचारपत्रों की बिक्री प्रति हजार व्यक्ति केवल 20 है जबकि विकसित देशों में यह 100 है और अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के साथ ही समाचार-पत्र और ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है कि भविष्य में समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि न हो और हाल ही में । सितम्बर, 1981 में समाचार-पत्रों के मूल्यों में हुई वृद्धि को नीचे लाया जाये जिससे समाचारपत्रों की प्रसार संख्या न गिरे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत में दैनिक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या प्रति हजार व्यक्ति 21 प्रतियों से थोड़ी अधिक है । छपाई की लागत में समग्र वृद्धि हो जाने के कारण समाचारपत्रों का मूल्य बढ़ गया है ।

(ख) इस प्रकार का काई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मांग से अधिक उत्पादन की व्यवहारिकता

400. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या विद्युत की मांग के अतिरिक्त 10 प्रतिशत विद्युत क्षमता का उत्पादन करने का योजना आयोग का लक्ष्य व्यवहार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मांग से 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन क्षमता की आयोजना व्यवहार्य तो है लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं। तथापि योजना अवधि के अन्त में बिजली की मांग का अनुमान योजना आयोग ने लगाया है। योजना अवधि के दौरान मांग की पूर्ति करने के लिए योजना आयोग द्वारा विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परिकल्पना है कि 1980-85 की अवधि के दौरान 19,666 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की प्रतिस्थापना की जाएगी।

पश्चिम बंगाल में बिजली की संकटमय स्थिति तथा बांकुरा और मुर्शिदाबाद में तापं संयंत्रों के लिए स्वीकृति

401. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित विद्युत जांच आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए यदि 1700 मेगावाट की क्षमता वाले नए संयंत्रों की स्थापना नहीं की जाती है, तो वहां इस दशाब्दि के अन्त तक बिजली की स्थिति संकटमय हो जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार, बांकुरा और मुर्शिदाबाद में 630 मेगावाट के ताप संयंत्रों के लिए स्वीकृति प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विद्युत आयोग का गठन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किया था और विस्तृत जांच के उपरान्त कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को दे दी है। उच्च न्यायालय रिपोर्ट पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मेजिया (चरण-एक) में 3X210 मेगावाट का एक पिटहैड ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रेल लिंकेज पर्याप्त न होने तथा मेजिया में कोयले की उपलब्धता पर्याप्त न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, जिसने

इस रिपोर्ट की जांच की थी, प्रस्तावित समय-सीमा में इस स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया। जहां तक मुर्शिदाबाद में विद्युत केन्द्र स्थापित करने का संबंध है, पश्चिम बंगाल राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य बिजली बोर्डों का वित्तीय लेखा-जोखा

402. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यवार, पृथक-पृथक रूप से राज्य बिजली बोर्डों की कुल प्रदत्त पूंजी, ऋणों की राशि, लगाई गई कुल धनराशि, लाभ अथवा हानि क्या-क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : राज्य बिजली बोर्डों में किए जाने वाले निवेशों की वित्त व्यवस्था ऋणों द्वारा तथा राज्य बिजली बोर्डों के अपने आन्तरिक स्रोतों द्वारा की जाती है। ऋणों की राशि, कुल किए गए निवेश तथा राज्य बिजली बोर्डों को हुए लाभ और हानियों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-1 से 3)।

विवरण -1

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ

(सरकारों से प्राप्त आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के पश्चात)

	रा. वि. बो.	क	ख
		रु० लाखों में	
1.	महाराष्ट्र	7992	1139
2.	तमिलनाडु	6914	598
3.	कर्नाटक	3964	1463
4.	राजस्थान	1161	1221
5.	मध्य प्रदेश	1458	74
	जोड़	21939	4495
6.	असम (क्रमश: 31.3.78 को समाप्त हुए वर्ष तक और के लिए संचयी)	1124	×

क = 31.3.1979 तक संचयी

ख = 31.3.1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

× = 31.3.1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हुई हानियां = 331

विवरण -2

राज्य बिजली बोर्डों की हानियाँ

(सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के पश्चात)

रा.बि.बो.	क		ख	
	रुपए लाखों में			
1. उत्तर प्रदेश	42271	ज	9144	ज
2. पंजाब	8655		छ	
3. हरियाणा	5401	ज	361	ज
4. बिहार	5294		—	
5. उड़ीसा	4391		1698	
6. गुजरात	3730		392	
7. हिमाचल प्रदेश	2494	ज	435	ज
8. आन्ध्र प्रदेश	1801		छ	
9. केरल	1240		छ	
10. पश्चिमी बंगाल	591		129	
जोड़	75868		12129	
11. मेघालय (क्रमशः 31.3.1977 को समाप्त हुए वर्ष तक और के लिए संचयी)	1505		92	

क = 31.3.1979 तक संचयी

ख = 31.3.1979 को समाप्त वर्ष के लिए

छ = इन्होंने 31.3.1979 को समाप्त हुए वर्ष के अन्त में नीचे लिखे के अनुसार लाभ प्राप्त किया। पंजाब = 517, आन्ध्र प्रदेश = 668, केरल = 2215

ज = निकट भूतकाल में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी।

विवरण -3

31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा किए गए वित्तीय निवेश निम्नानुसार थे :—

( ) इक्विटी पूंजी : कुछ नहीं

(2) ऋण बकाया :

राज्य बजली बोर्ड	रुपए करोड़ों में
उत्तर प्रदेश	1600
महाराष्ट्र	783
पंजाब	567
मध्य प्रदेश	499
आंध्र प्रदेश	459
तमिलनाडू	398
गुजरात	358
हरियाणा	330
बिहार	303
राजस्थान	284
पश्चिमी बंगाल	234
केरल	176
उड़ीसा	146
कर्नाटक	119
हिमाचल प्रदेश	70
15 बोर्डों के लिए जोड़	6323

शेष तीन बिजली बोर्डों नामशः असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के 1978-79 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

नए शाखा डाकघरों के खोले जाने के लए मानदन्ड

403. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए शाखा डाकघरों को खोलने के लिए क्या मानदन्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या दूरी वास्तविक रूप से पहुंचने के रास्ते के आधार पर नापी जाती है अथवा हवाई मार्ग के आधार पर ; और

(ग) क्या अधिक जनसंख्या के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर कोई अपवाद भी होता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) नए शाखा डाकघर खोलने हेतु अपनाए जाने वाले मानदंड विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) सुगम्य रास्ते के आधार पर दूरी का नाप किया जाता है ।

(ग) पोस्टमास्टर जनरल को प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में निर्धारित शर्तों में छूट देकर ग्रामीण डाकघर खोलने की शक्तियां प्राप्त हैं । जनसंख्या सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की छूट दी जाती है ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदण्ड

ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर तथा

(2) आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

(1) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

(i) निम्न शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) यदि प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर न हो ; तथा

(ख) प्रस्तावित डाकघर को इसकी प्रत्याशित लागत का कम से कम 25 प्रतिशत आय होने की संभावना हो ।

(ii) गैर ग्राम पंचायत गांव में निम्न शर्तों पर डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) गांव की जनसंख्या 2000 या इससे अधिक हो ।

(ख) यदि प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर न हो, तथा

(ग) प्रस्तावित डाकघर को इसकी प्रत्याशित लागत का कम से कम 25 प्रतिशत आय होने की संभावना हो ।

(2) आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

(I) निम्न शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं ।

(क) यदि प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर नहीं होना चाहिए ।

(ख) प्रस्तावित डाकघर को उसकी प्रत्याशित लागत का कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभवना हो ।

(II) ग्राम पंचायत गाँवों में निम्न शर्तों के अधीन डाकघर खोले जा सकते हैं ।

(क) गांव (अथवा 1.5 कि०मी० की अरीय दूरी के अंदर गांवों का एक समूह) की जनसंख्या 1000 अथवा इससे अधिक होनी चाहिए ।

(ख) यदि प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की अरीय दूरी के भीतर कोई अन्य डाकघर नहीं होना चाहिए, तथा

(ग) प्रस्तावित डाकघर को उसकी प्रत्याशित लागत का कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो ।

उपर्युक्त के होते हुए भी पोस्टमास्टर जनरलों को एतद्द्वारा यह शक्ति प्रदान की जाती है कि (आंतरिक वित्त सलाहकार के परामर्श से) प्रत्येक वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में किसी भी उपर्युक्त मानदंड में ढील दे सकते हैं । न्यूनतम गारंटी की राजस्व/आय को मौजूदा फार्मूला के अनुसार निकालना जारी रखा जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों के लिए स्थानों का चयन

404. **श्री जैनुल बशर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन समिति ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले चार उर्वरक संयंत्रों के लिए स्थानों का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चुने गए स्थान कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इन संयंत्रों के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कावेरी बेसिन में तेल की खोज

405. **श्री के०ए० राजन :**

श्री टी० दामोदर रेड्डी :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को दक्षिण भारत में तट-दूर कावेरी बेसिन में पाक-जल डमरु-मध्य में छिद्रित पहले कुएं में तेल मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या उपरोक्त सफलता के बाद इस क्षेत्र में छिद्रण-कार्य को तेज कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां । पाक जल डमरुमध्य में पी.एच.-9 संरचना में व्यधन किये गये प्रथम कूप में तेल पाया गया था ।

(ख) तेल 2301 से 2312 मीटर की गहराई में पाया गया था । क्षेत्र से 68 के गैस-तेल अनुपात सहित 1/2" चोक से 1488 बी.ओ.पी.डी. का उत्पादन किया गया । संरचना का क्षेत्रीय विस्तार लगभग 35 वर्ग किलो मीटर है ।

(ग) वर्तमान में, एक दूसरे कूप का व्यधन कार्य शुरू किया गया है । क्षेत्र का रेखांकन करने के लिए तथा उसकी संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये कुछ और कूपों का व्यधन किया जायेगा ।

(घ) जी हां । पी.एच.-9 संरचना के अतिरिक्त, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की हाईड्रोकार्बनों के लिए पास के सम्भावित स्थानों/संरचनाओं तथा कावेरी बेसिन के अन्य भागों में खोज की योजना है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस और तेल के लिए सर्वेक्षण

456. **श्री रूपचन्द पाल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक इलाके में सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों ने कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में गैस और तेल के भारी भण्डार होने की सूचना दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने ऊपरी असम, कछार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय के कुछ भागों में हाईड्रो-कार्बन्स के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ख) और (ग) रुद्रसागर, लकवा, गेलेकी, बोरहोला, अम्गुडी, नापामुआ, देमुल गांव, चराली और ऊपरी असम में नाहरहावी के क्षेत्रों में कछार क्षेत्र में बारक, तथा नागालैंड में पम्पाँग में स्थान पर तेल की खोज की गई है जबकि गैस त्रिपुरा में बारामूरा संरचना में मिली है ।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की समस्यायें

407. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान 5716.79 लाख लिटर की संभावित मांग की तुलना में सिर्फ 4200 लाख लिटर अल्कोहल की उपलब्धता की आशा है । अल्कोहल पर आधारित कुछ रसायन उद्योग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और आँध्र प्रदेश जैसे कमी वाले राज्य अल्कोहल की पूरी मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं ।

(ग) सरकार यह प्रयास कर रही है कि परम्परागत अधिशेष वाले राज्य अल्कोहल और सीरे की अधिकतम सम्भावित मात्रा कमी वाले राज्यों को दें । अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार लाने के क्रम में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है । कि वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को मामला दर मामला के आधार पर जारी किए जाने वाले लाइसेंसों के आधार पर अल्कोहल के आयात की अनुमति दी जाय । अब तक 98 लाख लिटर की मात्रा के लिए वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को आयात लाइसेंस दिए गए हैं ।

"इन्सेट" द्वारा लाभान्वित राज्य

408. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इन्सेट-वन" अप्रैल, 1982 में छोड़ा जाएगा और इसका विभिन्न राज्यों में 18 जिलों को लाभ पहुंचेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों को कब तक लाभ मिलने लगेगा ।

(ग) क्या केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में "इन्सेट" सेवा सबसे पहले शुरू की जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तीन तीन जिलों के अगले वर्ष में कवर हो जाने की उम्मीद है । शेष बारह जिलों, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के तीन-तीन, के छठी योजना के उत्तरवर्ती वर्षों में कवर हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । अनुकूलतम अवलोकन अवधि के अन्दर सुविधा का समय विभाजन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की संख्या 6 तक सीमित रखी जानी है ।

कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा का कार्यकरण

409. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों और चुने हूए संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा के असन्तोषजनक कार्यकरण की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बिभिन्न कारण क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को टेलीफोनों का फिजूल उपयोग और दुरुपयोग न करने के बारे में कोई अनुदेश या मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं; और

(घ) पूरे देश में टेलीफोस सेवा के कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) केन्द्र शासित प्रदेशों में टेलीफोन प्रणालियों का कार्यकरण आमतौर पर संतोषजनक है । परन्तु कुछ राज्यों में कार्यकरण अपेक्षित स्तर का नहीं है ।

(ख) बिजली की खराबी, तांबे के तार एवं भूमिगत केबुलों की चोरी के कारण टेलीफोन प्रणालियों के कार्यकरण पर बुरा असर पड़ता है । विभिन्न एजेन्सियों के खुदाई कार्यों से भूमिगत केबुलों में खराबियां आ जाती है । कभी-कभी तूफान, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पैदा हो जाती है ।

(ग) उपभोक्ताओं को टेलीफोनों का प्रयोग करने की छट है । फिर भी टेलीफोन निर्देशिका के सूचना पृष्ठ के माध्यम से टेलीफोन के सही प्रयोग के सम्बन्ध में सामान्य मार्ग-निर्देशन जारी किए हैं ।

(घ) निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

1. जंक्शन, प्राथमिक एवं गौण केबुलों का दाबीकरण ।
2. भूमिगत केबुलों के बचाव के लिए केबुलों को डक्ट में विछाने हेतु केबुल डक्टों का निर्माण ।
3. वितरण केन्द्रों एवं उपभोक्ताओं की फिटिंग की पुनः मरम्मत ।
4. केबिनट एवं खम्भों में जंपरों की पुनः वायरिंग करना ।
5. वितरण जालकार्य में जेली भरे केबुलों का प्रयोग ।
6. दोष का पता लगाने हेतु खुदाई के कारण जहां भूमिगत केबुल भूमि से बाहर निकल जाते हैं वहां खाइयों का भरना ।
7. बड़ी संख्या में परीक्षण काल करके अन्तर-एक्सचेंज जंक्शनों की व्यापक जांच ।
8. ग्राहक सेवा केन्द्र खोलना ।
6. अनुपस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित आपरेटरों के आरक्षित पूल का सृजन ।

उत्तर प्रदेश में माइक्रोवेव प्रणाली का विस्तार

410. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में संचार सेवा के आधुनिकीकरण के लिए माइक्रोवेव प्रणाली के विस्तार से सम्बन्धित योजनाएं क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का तथा वर्ष 1981-82 और 1982-83 में शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अब तक मंजूरशुदा सूक्ष्म-तरंग योजनाएं नीचे दी जा रही है :-

1. इलाहाबाद-जबलपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना
2. आगरा-ग्वालियर झांसी-सागर-भोपाल-जबलपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना
3. इलाहाबाद-वाराणसी-पटना चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना
4. इलाहाबाद-सतना—तंग पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना
5. आगरा-टूंडला -वही-
6. आगरा-फिरोजाबाद -वही-
7. लखनऊ-रायबरेली -वही-
8. इलाहाबाद-मिर्जापुर -वही-

(ख) उपरोक्त क्रम 1 से 7 तक सूक्ष्मतरंग योजनाएं 1979-80 से पूर्व कार्यान्वयन के साथ में ली गई थी जबकि क्र० 8 की सूक्ष्मतरंग योजना 1980-81 में कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली गई । निम्नलिखित दो सूक्ष्मतरंग प्रणालियां चालू कर दी गई हैं :-

(1) इलाहाबाद-जबलपुर-चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना

(2) आगरा-ग्वालियर-झांसी -वही-

बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में विद्यमान कानूनों का मूल्यांकन

411. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय लागू कानूनों का, यह देखने के लिए कि क्या ये कानून देश की और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप हैं, कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन या प्रतिपादन अथवा निर्धारण किया गया है ताकि उनमें आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किए जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क),(ख) और (ग) विभिन्न अधिनियमों के भारसाधक प्रशायनिक मन्त्रालय देश और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को तथा अधिनियमों के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं । इसके अतिरिक्त सरकार, केंद्रीय अधिनियमों की समीक्षा तथा उनका पुनरीक्षण करने के लिए और आवश्यकतानुसार विद्यमान विधियों में सुधार का सुझाव देने के लिए, अथवा नए बिधान का सुझाब देने के लिए, जिसके कि अधिनियमों में जो अनावश्यक बातें और विषमताएं हैं वे दूर की जा सकें, नियतकालिक रूप से विधि आयोग का गठन करती है । विधि आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य देश की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

कानून पुस्तक को अधतन बनाने के उपायों की सिफारिश करना है। अन्य बातों के साथ-साथ अप्रचलित विधियों के निरसन के लिए निरसन और संशोधन विधेयक समय-समय पर संसद के समक्ष लाए जाते हैं।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन परियोजना

412. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना में वित्तीय रूप से भाग लेने के मामले को उनके मन्त्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) हल्दिया की पेट्रो-रसायन परियोजना को लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी स्थिति क्या है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) हल्दिया पेट्रोरसायन प्रायोजना में वित्तीय भागीदारी के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिये अनेक अन्य उपायों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष हैं। आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के प्रश्न पर उपयुक्त समय आने पर विचार किया जा सकता है।

शहीद खुदीराम बसु और शहीद मतांगिनी हाजरे की स्मृति में डाक-टिकटों का जारी किया जाना

413. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार (एक) शहीद खुदी राम बसु और (दो) शहीद मतांगिनी हाजरे की स्वीकृति में डाक-टिकटें जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारक डाक टिकट चरण बद्ध ढंग से जारी करने के सामान्य प्रश्न पर

फिलैटली सलाहकार समिति की एक उपसमिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर स्मारक डाकटिकट जारी करने के निर्णय लिए जायेंगे।

रंगीन टेलीविजन शुरू किया जाना

414. **श्री टी० दामोदर रेड्डी :**
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री जय नारायण रौट :
श्री पी० रामगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष किसी समय रंगीन टेलीविजन शुरू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) देश में रंगीन दूरदर्शन प्रेषण चालू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब तक का निर्णय विदेशी प्रसारण संगठनों के उपयोग के लिये एशियाई खेलों का सीमित रंगीन दूरदर्शन कवरेज प्रदान करने का है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में तेल के कुओं की खुदाई

415. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के कितने कुएं खोदे गए हैं ; और

(ख) उसके परिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में अभी तक पश्चिम बंगाल में 6 कूपों का व्यधन किया है अर्थात वोदरा-1, वकुल-तल्ला-1, गल्सी-2, गल्सी-3, डायमंड हारवर-1 तथा राधा-1 अभी कूप संख्या 1 में व्यधन कार्य पूरा हो गया है तथा कूप का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जगुली कूप संख्या-1 में व्यधन कार्य प्रगति पर है।

(ख) उपरोक्त कूपों में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। तथापि, डायमंड हारवर तथा राधा कूपों में छोटे रिग के साथ और आगे परीक्षण करने का प्रस्ताव है ?

आर० आई० सी० लिमिटेड, कलकत्ता के चेयरमैन, प्रबन्ध-निदेशक आदि को अनुमत परिलब्धियां

416. **श्री रेणुपद दास** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्तमान चेयरमैन, प्रबन्ध-निदेशक, एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० और वाणिज्यिक प्रबन्धक को कितनी-कितनी परिलब्धियां दी जाती है ;

(ख) इन परिलब्धियों का धन के रूप में क्या मूल्य है और इन ओहदों पर इनसे पहले काम करने वाले अधिकारियों को प्रदत्त परिलब्धियों में तथा इनमें कितना अन्तर है ;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि निगम के कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे थे, उनमें कटौती की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख)

(i) पुनर्वास उद्योग निगम के वर्तमान अंशकालिक चेयरमैन की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें 1000/- रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों को स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता निगम की दरों पर दिया जाता है तथा निवास स्थान पर टेलीफोन की सुविधा दी गई है। इनसे पहले काम करने वाले अधिकारी को बोर्ड तथा उसकी किसी भी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 100/- रुपये प्रति बैठक फीस दी जाती थी और उक्त दरों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता दिया जाता था ।

(ii) कम्पनी के कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के अतिरिक्त वर्तमान प्रबन्ध-निदेशक, अपने पूर्व अधिकारी की भांति सरकार के निर्देशों के अनुसार कम्पनी की कार तथा 2000/- रुपये प्रति मास रिहायशी आवास पाने के हकदार हैं। आयकर प्रयोजन के रूप में दी जानी वाली परिलब्धियों के अतिरिक्त उन्हें कोई विशेष परिलब्धियां नहीं दी जाती है ।

(iii) वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और वाणिज्य प्रबन्धक को भी, कम्पनी के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, परिलब्धियां तथा अन्य भत्तों के अलावा कोई विशेष परिलब्धियां नहीं दी जाती है। तथापि, 50 रुपये प्रति माह का भुगतान करने पर उन्हें निवास स्थान से कार्यालय और कार्यालय से निवास स्थान जाने के लिए कम्पनी की कार का प्रयोग करने के अधिकार दिए गए हैं ।

(ग) वर्तमान प्रबन्धक के समय-काल के दौरान, निगम के कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे हैं, उनमें कोई कटौती नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कुएं में तेल का पाया जाना

417. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में स्थित एक अपतटीय कुएं से 3000 मीटर की गहराई से लिए गए चूने के पत्थर के अन्दरूनी टुकड़े के एक नमूने से तेल रिस रहा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उस पर आगे क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब

418. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**

श्री आर. पी. यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना में गैस पर आधारित 6 संयंत्रों सहित 8 उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए योजना आयोग द्वारा प्राथमिकता दिये जाने के बावजूद उनकी स्थापना के निर्णय में कुछ विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा बनाई गई दो समितियों ने एक स्थल के चयन के लिए तथा दूसरी पाइप लाइन एलाटमेंट के लिए मन्त्रालय को अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन समितियों में से किसी ने इस सम्बन्ध में अंतरिम रिपोर्ट दे दी है ;

(घ) देश में 8 उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है ; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि इसमें अनुचित विलम्ब न हो तथा संयंत्रों पर कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) 8 नए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक प्लांटों को चरणवद्ध रूप में निर्माण करने का विचार है —6 गैस पर आधारित, एक नैफ्था पर आधारित और एक कोयले पर आधारित । तथापि कोयले पर आधारित प्लांट का तभी निर्माण किया जा सकता है जब राममुण्डम और तालचर प्लांटों के अनुभव के माध्यम से कोयले पर आधारित प्लांट की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता निश्चित हो जाए । उर्वरक उत्पादन के लिए पर्याप्त अधिशेष-नैफ्था की उपलब्धता होने पर ही नैफ्था पर आधारित प्लांट लगाया जा सकता है ।

जहां तक प्रस्तावित गैस पर आधारित 6 प्लांटों का संबंध है, सिद्धान्त रूप में यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि एक-एक प्लांट मध्य प्रदेश और राजस्थान में तथा 4 प्लाँट उत्तर प्रदेश में लगाये जायें । गैस पर आधारित प्लांट के उपयुक्त स्थल और इन प्लांटों को गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन को सही डंग से डालने का सुझाव देने के लिए स्थल चयन समितियां गठित की गई हैं । स्थल चयन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट अप्रैल, 1981 में प्रस्तुत की जिसमें उसने व्यापक तकनीकी-आर्थिक जाँच के लिए राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए 30 स्थलों में से 17 की छोटी सूची बनाई । उसके बाद दो समितियों ने संयुक्त रूप से 17 स्थलों का व्यापक अध्ययन किया । अन्ततः दोनों समितियों ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध होने की आशा है । दोनों समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर गैस पर आधारित प्लांटों के स्थल के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । यह कहना सही नहीं है कि गैस पर आधारित नये प्लांटों के स्थापित करने के बारे में निर्णय लेने में बिलम्ब हुआ है ।

बेनेजुएला और नाइजीरिया द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

419. **श्री एच० एन० नंजे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनेजुएला और नाइजीरिया अगले वर्ष की कच्चे तेल की सप्लाई करने के लिए भारत के साथ समझौते की नवीकरण करने के लिए सहमत हो गए हैं ;

(क) यदि हां, तो अब तक ये दोनों देश तेल की कुल कितनी मात्रा सप्लाई करते रहे हैं ;

(ग) क्या दोनों देशों के शिष्ट मण्डलों ने अक्टूबर महीने के दौरान भारत की यात्रा की थी ;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक समझौतों का नवीकरण किया गया और ये दोनों देश चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के भी दौरान तेल की कुल कितनी मात्रा सप्लाई करेंगे ;

(ङ) ईराक, इरान और सऊदी अरब सहित अन्य देश कौन से हैं जो भारत को और अधिक तेल की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए हैं ;

(च) क्या तेल उत्पादक और निर्यातक देशों ने 30 अक्टूबर, 1981 को तेल के मुल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया था ;

(छ) क्या "ओपेक" के इस निर्णय से भारत का तेल के आयात पर होने वाला खर्चा बढ़ जाएगा ; और

(ज) दिसम्बर, 1981 के अंत तक भारत कितने तेल का आयात करेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क), (ख), (ग) और (घ) जी, हां । इन ठेकों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए भारत से शिष्ट मण्डलों ने नाइजीरिया तथा वेनेजुएला की क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 1981 में यात्रा की थी । इन देशों में से प्रत्येक वर्ष 1981 में 0.5 मिलियन मी० टन की दर से भारत को अशोधित तेल की सप्लाई कर रहा है, और उन्होंने इसे वर्ष 1982 में भी जारी रखने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है ।

(ङ) ईराक, इरान, वेनेजुएला जैसे कुछ अन्य देशों ने वर्ष 1982 के दौरान अशोधित तेल की अतिरिक्त सप्लाई के लिए अपनी सहमति प्रदान की है ।

(च) और (छ) समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओ० पी० ई० सी०) ने अरेनियर लाइट क्रूड आयल के सरकारी मूल्य को मार्कर क्रूड के मूल्य के रूप में 34 डालर प्रति बैरल का एक समान मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाने के लिए निर्णय लिया है । जबकि, वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1982 में आयात किये जाने वाले अशोधित तेल की आवश्यकता वर्ष 1981 में आयात किये जा रहे अशोधित तेल की तुलना में कम होगी, इस स्थिति में वर्ष 1982 में अशोधित तेल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा के वहिर्गमन की मात्रा बताना कठिन है, क्योंकि यह विद्यमान विनिमय दर और वर्ष 1982 के लिए अशोधित तेल के स्रोतों जैसे तथ्यों पर निर्भर होगी ।

(ज) जनवरी से दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान लगभग 16 मिलियन मी० टन अशोधित तेल के आयात की मात्रा का अनुमान लगाया गया है ।

पेट्रोलियम उत्पादों और तेल का आयात

420. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में पेट्रोलियम, उत्पादों और तेल के आयात में कमी होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होने की सम्भावना है और कब तक ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार आयात कम करने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) भविष्य में आयातित किये जाने वाले कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन स्तर, उपलब्ध शोधन क्षमता और पंजीकृत मांग के वास्तविक स्तर पर निर्भर है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार देश में स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन और शोधन क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के कार्यक्रम के कार्यान्वित किये जाने के साथ, यह परिकल्पना की गई है कि 1982-83 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता 1981-82 की तुलना में करीब 3 मि० मी० टन घट जायेगी।

जन संचार के विकास के लिए नया कार्यक्रम

421. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन संचार के विकास के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कौन-कौन से राज्य शामिल किए जाएंगे ;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि के खर्च होने की आशा है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य देश भर के लोगों को अपने माध्यम एककों अर्थात् पत्र सूचना कार्यालय आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन विभाग, क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों, गीत और नाटक प्रभाग, तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से उपर्युक्त कार्यक्रम रूपों के जरिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से सूचित रखना है। नये उपर्युक्त कार्यक्रमों का क्षेत्र बढ़ाने और उन्हें तैयार करने के रूप में इन माध्यम एककों का विस्तार और विकास करना हमारी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के अंग के रूप में एक सतत प्रक्रिया है। छठी योजना अवधि के दौरान इस मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों के विस्तार और विकास के लिए 240.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभाव में वृद्धि करने का है ताकि संचार का उपयोग विकास प्रक्रिया में एक प्रभावी साधन के रूप में किया जा सके। इसके लिए सभी स्तरों पर विभिन्न माध्यम एककों के कार्यकरण के और अधिक प्रभावी समन्वय पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली में बिजली की कमी

422. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री भीकू राम जैन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी भी बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग कैसे तथा किन स्त्रोतों से ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली में इस समय फालतू बिजली है । दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं हैं । दिल्ली की विद्युत संबंधी सभी आवश्यकताएं इन्द्रप्रस्थ केन्द्र, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से होने वाले, उत्पादन से तथा जब कभी आवश्यकता होती है तब भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड से सहायता लेकर पूरी की जाती है ।

खाना पकाने की गैस में आत्म-निर्भरता

423. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 से भारत खाना पकाने की गैस के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा ; और

(ल) यदि हां, तो इस समय खाना पकाने की गैस के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 से आगे पर्याप्त मात्रा में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की उपलब्धता में पूर्वानुमानित वृद्धि के साथ, ऐसी आशा है कि देश में एल० पी० जी० के लिए माँग को पूर्ण रूप से देशीय उत्पादन से पूरा किया जायेगा । वर्ष 1980-81 के दौरान एल० पी० जी० के आयात पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे ।

निशापुर, आंध्र प्रदेश में छिद्रण-कार्य

424. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि निशापुर, आंध्र प्रदेश में छिद्रण—कार्य में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि छिद्रण-कार्य के लिए उपयोग में आने वाला आवश्यक साज-सामान सप्लाई नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) । (क) यह अनुमान है कि माननीय सदस्य नरसापुर का उल्लेख कर रहे हैं कि आन्ध्र प्रदेश में निशापुर का ।

नरसापुर में व्यधन कार्य में आवश्यक बिलम्ब नहीं हुआ है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नरसापुर संरचना में प्रथम कूप 5000 मीटर प्रक्षिप्त गहराई तक 5.4 1978 को खोदा गया था । 19.12 1979 तक जब वहां गैस फटी थी यह कूप 4035 मीटर तक व्यधन किया गया था । आवर्ती खोज प्रचालन (फिशिंग आपरेशन) नहीं हुए तथा अन्ततोगत्वा कूप को 2932 मीटर तक साफ किया जा सका था ।

नरसापुर संरचना में दूसरा कूप दिनांक 1-3-1981 को खोदा गया था तथा इसका दिनांक 9.11. 1981 तक 2970 मीटर तक व्यधन किया गया था ।

व्यधन कार्य के दौरान अन्तर्निहित विस्तृत अन्वेषण को ध्यान में रखते हुये ऐसे जोखिम वाले कूपों के व्यधन की प्राप्त की गयी गति को सन्तोषजनक समझा जा सकता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें

42*. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**
श्री वीर भद्रसिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मन्त्रालय में उपमंत्री ने सितम्बर 1981 के अन्तिम सप्ताह में दरियागंज दिल्ली टेलीफोन के क्षेत्र प्रबन्धक के कार्यालय का दौरान किया था और वहां अधिक राशि के टेलीफोन बिलों की शिकायतें करने वाले बहुत से लोगों को विभिन्न काउंटरों पर लाइन में खड़े पाया था ; और

(ख) यदि हां; तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां, । संचार उप-मन्त्री ने सितम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तर) दिल्ली टेलीफोन के कार्यालय का दौरा किया । उन्होंने नए प्रारंभ किए गए उपभोक्ता सेवा काउंटर का निरीक्षण किया । उन्हें पता चला कि अधिक बिल की शिकायतों सहित विभिन्न श्रेणियों की केवल 8-10 शिकायतें ही इस काउंटर पर प्रतिदिन दर्ज की गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोदावरी बेसिन में तेल का पता लगाना

426. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी के बेसिन में तेल का पता लगा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बेसिन में तेल की खोज करने के लिए विदेशी सहायता मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी है और कितनी प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या इसके लिए किसी विदेशी कम्पनी से तकनीकी सहयोग मांगा गया है, और यदि हां, तो इस कम्पनी का नाम क्या है ; और

(ङ) तेल की खोज का काम कब आरंभ कर दिया जायेगा ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी हां । गोदावरी-कृष्णा बेसिन के तटीय और उप-तटीय क्षेत्रों में आगे और भूकम्पीय सर्वेक्षण करने और अन्वेषी खुदाई के लिए कार्यक्रम के एक भाग को कार्यान्वित करने के लिए विश्व-बैंक की 120 मि० अमरीकी डालर तक सहायता मांगी जा रही है ताकि बेसिन की हाइड्रोकार्बन्स सक्षमताओं को निश्चित किया जा सके ।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गोदावरी बेसिन में हाईड्रोकार्बन्स के अन्वेषण के लिए विदेशी परामर्शी सेवाएं लिये जाने की लाभप्रदत्ता पर विचार कर रहा है, परन्तु इस संबंध में अन्तिम रूप अभी दिया जाना है और प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है ।

(ङ) इस बेसिन में दोनों तटीय और उपतटीय क्षेत्रों में पहले से ही अन्वेषी कार्य चल रहा है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत कंपनियों द्वारा कोर क्षेत्र निवेश

427. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर से कोई प्रतिबन्ध हटाये हैं ताकि उन्हें 'कोर' क्षेत्र में निवेश करने में सुविधा हो ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) समग्र मात्रा में सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की उपलब्धि को प्राप्त करने की दृष्टि से, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के संशोधनों पर सरकारी उच्च स्तर पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यथाशीघ्र निर्णय होने पर आवश्यक विधायी कार्यवाही को प्रारम्भ किया जायेगा।

खाना पकाने की गैस की एजेंसी वालों द्वारा कदाचार

428 **डा० ए० यू० आजमी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की एजेंसी वाले, एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, लोगों को मंजूर किए गए गैस कनेक्शन देते समय उन्हें चूल्हा, लाइटर आदि अपने ही यहां से खरीदने को बाध्य करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस कदाचार को न होने देने तथा लोगों को इस बारे में सचेत करने हेतु व्यापक प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ; और

(ग) यह सुनिश्चय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि गैस के चूल्हे निर्धारित किस्म के हों क्योंकि यह देखा गया है कि ये चूल्हे अत्यन्त घटिया किस्म के होते हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) मंत्रालय में कुकिंग गैस (एल. पी. जी.) के वितरकों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त की गई है, जिसमें बताया गया है कि वे एल. पी. जी. के प्रत्याशित उपभोक्ताओं को केवल उनसे ही एल. पी. जी. के स्टोवों को खरीदने के लिए वाध्य करते हैं।

(ख) तेल कम्पनियों ने अपने वितरक-कर्ताओं को कड़े अनुदेश जारी किए हैं कि वे अपने प्रत्याशित उपभोक्ताओं को एल. पी. जी. के उनसे ही खरीदने के लिये मजबूर न करें और उपभोक्ता आम बाजार अथवा अपनी मर्जी के मुताविक किसी डीलर से स्टोव खरीदने के लिए स्वतन्त्र हैं। तेल कम्पनियों को परामर्श दी गई है कि इस सम्बन्ध में वे विस्तृत प्रचार करें।

(ग) उपभोक्ताओं को क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एल. पी. जी. कनैक्शन उन उपभोक्ताओं को ही केवल दिए जाते हैं जिनके पास आई. एस. आई. (भारतीय मानक संस्थान) चिन्ह वाली हाट प्लेट हैं।

छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों के लिए एक वित्त निगम की स्थापना

429. **श्री जमीलुरहमान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, समाचारपत्र उद्योग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से चयन आधार पर वित्तीय सहायता लेने का पात्र है। इसके अलावा, लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली समाचार पत्र लघु औद्योगिक यूनिटों को ऋण लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अन्तर्गत डिपोजिट इन्स्योरेंस क्रैडिट गारंटी कारपोरेशन की गारन्टी पर भी दिए जाते हैं।

जिला पूर्निया (बिहार) के लिए उपग्रह दूरदर्शन

430. श्री जमीलुर्रहमान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जिला पूर्निया (बिहार) को उपग्रह दूरदर्शन के प्रसारणों के अन्तर्गत लाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य

431. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है तथा कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल सम्बन्धी पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाने और उत्पादन में वृद्धि होने से देश छठी योजनावधि में कोयले (कोकिंग कोल सहित) के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान कोयला का आयात करने की कोई संभावना है ; और

(घ) उक्त अवधि में संभवत: कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) छठी योजना के समाप्ति वर्ष (1984-85) के दौरान देश में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 165 मि. टन निर्धारित किया गया था जिसमें से 38 45 मि. टन कोककर कोयला और 126.46 मि. टन अकोककर कोयला होगा।

(ख) से (घ) कोयले के मामले में देश स्वावलम्बी है। इस समय प्राइम कोककर कोयले की बहुत थोड़ी मात्रा का ही आयात किया जाता है जिससे इस्पात संयंत्रों की विशेष आवश्यकता की जा सके। कोककर कोयले का आयात समय-समय पर होने वाली आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

भारत में तेल की खोज का कार्य करने वाली विदेशी कम्पनियां

432. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री निहाल सिंह :
श्री अर्जुन सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं जो संभवतः भारत में तेल की खोज का कार्य करेंगी ;

(ख) उन तटदूर तथा तट पर के बेसिनों की संख्या कितनी है जहां तेल की खोज का उक्त कार्य आरंभ किया जाना है ;

(ग) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा गोदावरी तथा महानदी के बेसिनों में भी तेल की खोज का और आगे कार्य किये जाने की संभावना है ; और

(घ) उन तट-दूर तथा तट पर के बेसिनों में वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) प्रस्तुत किए गए खण्डों में से एक खण्ड के सम्बन्ध में बातचीत पूरी कर ली गयी है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा। तथापि, अभी और ब्यौरे देना जनहित में न होगा।

(ग) गोदावरी तथा महानदी बेसिनों को अन्वेषण के लिए अभी तक विदेशी तेल कंपनियों के लिए खोला नहीं गया है।

(घ) विदेशी तेल कम्पनी को प्रदान किए जाने के शीघ्र बाद इस खंड में सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जायेगा। व्यापारिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए लिया जाने वाला समय विभिन्न सकनीकी कठिनाइयों पर तथा इस बात पर निर्भर करेगा कि तेल की खोज कब होती है।

राजस्थान में तेल की खोज

433. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** . क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने आग्रह किया है कि राज्य के मरुस्थली क्षेत्रों विशेषतया जैसलमेर जिले में तेल की खोज तथा छिद्रण-कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये ;

(ख) इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये जा रहे ठोस कदमों का पूरा ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) वहां छिद्रण-कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचद्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जैसलमेर क्षेत्र में सुधरी तकनीकी के साथ विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है ।

(ग) वर्तमान में किए जा रहे भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप उपयुक्त सम्भावनाओं के स्थल पर व्यधन संचालनों को पुनः आरम्भ करना निर्भर होगा ।

देश में टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए साज-सामान की कमी होना

434. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि देश में टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के खोले जाने के साज-सामान (लाईन स्टोर्स) की कमी सबसे बड़ी बाधा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा किए गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त सामग्री की कमी को दूर करके संभवतः कब तक स्थिति सामान्य कर दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में लाइन सामग्री की कमी दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में बड़ी बाधा रही है । ये कमियां पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में आधारभूत कच्चे माल तथा इस्पात, ढलवां लोहा, अल्यूमीनियम आदि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण पैदा हुई । कच्चे माल की इन मदों की उपलब्धता में हाल ही में हुए सुधार से इन लाइन सामग्रियों की सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

435. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनके लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर किए गए थे, किस किस तारीख को उक्त मंजूरी दी गई थी और क्या उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त जिलों में कई ऐसे स्थान हैं जहां पुलिस स्टेशन तो हैं परन्तु उनके लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं मंजूर किए गए है ; और यदि हां, तो, उनके लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक मंजूर किए जाएंगे ; और

(ग) उन स्थानों पर कब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित हो जाएंगे तथा काम करना आरम्भ कर देंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) विवरण के अनुसार ।

(ख) जी हाँ । तथापि ऐसे स्थानों, जहाँ पुलिस थाने हैं तथा जो विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार इस सुविधा के हकदार हैं, के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मँजूरी दे दी गई है ।

(ग) चूंकि स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए भंडार प्रतीक्षित हैं । अतः समय बताना संभव नहीं है । पूरा साज-समान प्राप्त होते ही तत्काल कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

विवरण

बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोनघरों की सूची

क्रम संख्या	स्थान का नाम	मंजूरी की तारीख
1.	अदैल	5-10-81
2.	होडडो	15-10-81
3.	छाबो	14-10-81
4.	बेतभीमजी	28-8-81
5.	गुडामीलनी	26-3-77
6.	कास्नासवाऊ पदमसिंह	30-10-81
7.	कारना	30-10-81
8.	मूंझार	7-11-78
9.	अंद्र	7-11-78

10.	मेदेसर	7-11-78
11.	बतोद्दू	24-11-78
जैसलमेर		
1.	लोहारकी	21-8-80
जोधपुर		
1.	पलसानी	7-11-81
2.	सलवानकलां	7-11-81
3.	खबरा खुर्द	12-11-81
4.	बोरी	12-11-81
5.	दसमीया	7-11-81
6.	छाम	5-10-81
7.	सेतीरावा	15-10-81
8.	समराऊ	26-9-81
9.	पनासर	26-9-81
10.	झोलामंड	15-10-81
11.	मरहा बिसनोई	30-10-81
12.	जैक्खन	15-10-81
13.	नोसर	26-8-81
14.	नेवारा	26-8-81
15.	भीकमकोर	26-8-81
16.	पाली	26-8-81
17.	फौजासर	17-4-78
18.	आऊ	17-11-78

राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गाँवों की संख्या

436. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ;

(ख) चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का कार्यक्रम बाडमेर तथा जैसलमेर जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में बहुत पीछे पड़ा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किये गये गांवों की संख्या निम्नानुसार है : —

वर्ष	विद्युतीकृत किये गये गांवों की संख्या
1978-79	2312
1979-80	1520
1980-81	1284

(ख) 1981-82 के दौरान 1610 गांवों का विद्युतीकरण करने और 32,045 पम्पसैटों/टयूबवैलो को उर्जित करने का प्रस्ताव है । जुलाई, 1981 के अंत् तक की वास्तविक उपलब्धियां हैं, 96 गाँवों का विद्युतीकरण और 2359 पम्पसैटों/टयूबवैलों का उर्जित किया जाना । आगामी वर्ष 1982-83 के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई बाड़मेर जिले में 506 गांवों के विद्युतीकरण की 18 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की और जैसलमेर जिले में 13 गांवों के विद्युतीकरण की 3 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृति दे दी है । इनमें से बाड़मेर जिले की 16 स्कीमें और जैसलमेर जिले की सभी तीनों स्कीमें पिछड़े क्षेत्रों के लिये हैं । राज्य बिजली बोर्ड से 30 जून, 1981 को समाप्त हुई अवधि के लिये प्राप्त हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि बाड़मेर जिले में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत 58 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है तथा 438 पम्पसैटों को उर्जित किया गया है जिनमें पीने के पानी की सप्लाई करने के 5 पम्पसैट भी शामिल हैं और जैसलमेर जिले में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत 9 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 14 पम्पसैटों को उर्जित किया गया है ।

(ग) स्कीमों का कार्यान्वयन राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जा रहा है । स्कीमों के कार्यान्वियन में धीमी प्रगति के लिये राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बताये गये कारणों में निम्नलिखित

शामिल हैं इस क्षेत्र का काफी भाग रेत के टीलों से घिरे होने के कारण परीक्षण लाइनें बिछाने में अधिक समय लगना, आवश्यक निर्माण सामग्री आदि की कमी होना ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले की उपलब्धता तथा सप्लाई के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

437. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले की उपलब्धता तथा सप्लाई के सम्बन्ध में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट में निकट भविष्य में कोयले के अभाव की भविष्यवाणी की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिक्रम महाजन) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने कोयला क्षेत्र पर एक आरम्भिक अध्ययन कर लिया है और रिपोर्ट का प्रारुप अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है । प्रारुप को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

हाल्दिया पेट्रो-रसायन संकुल में उत्पादन पद्धति की समीक्षा

438. **श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो रसायन संकुल के लिये अपनाई जाने वाली उत्पादन-पद्धति तथा प्रौद्योगिकी और इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समीक्षा कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के बाद अन्तिम निर्णय क्या हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं की गहनता

439. **श्री चित्त बसु** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में विस्थापित लोगों की पुनर्वास संबंधी वर्तमान समस्याओं की गहनता का कोई मूल्याँकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समस्याओं को हमेशा के लिये हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याओं का 1975-76 में मूल्यांकन किया था ।

(ख) इस मूल्यांकन के ब्यौरे कार्यकारी दल, जिसमें पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, की रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसकी प्रति संसदीय पुस्तकालय में जुलाई 1976 में रख दी गई थी ।

(ग) कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, आवश्यक योजनाएं मंजूर की गई थी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और उनके लिये निधि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । इनमें पुराने एवं नए प्रवासियों की चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं, भूमि ऊर्जन और सरकारी तथा अनुमोदित अनधिवासी बस्तियों के विस्थापित व्यक्तियों एवं भूतपूर्व शिविर स्थलों पर रह रहे विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण ऋण प्रदान करना, टाइप ऋणों की माफी, विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां विकसित करना इत्यादि शामिल हैं ।

राजाध्यक्ष समिति का प्रतिवेदन और राज्यों की उसके प्रति उपेक्षा

440. **श्री बी०बी० देसाई :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार बिजली उद्योग के बारे में राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के प्रति राज्यों की उपेक्षा कर चिन्तित है ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों की इस उपेक्षा को देखते हुए केन्द्रीय मन्त्रालय ने नवम्बर के प्रथम सप्ताह में राज्यों में बिजली मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो कितने राज्यों ने उक्त बैठक में भाग लिया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि राजाध्यक्ष समिति का प्रतिवेदन राज्यों के विचार जानने के लिये अब से 18 महीने से भी पहले परिचालित कर दिया गया था और राज्य सरकारों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की ; और

(ङ) यदि हां, तो सभी राज्यों से उक्त प्रतिवेदन की सिफारिशें क्रियान्वित कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) विद्युत समिति की रिपोर्ट राज्यों और राज्य बिजली बोर्डों को दिसम्बर, 1980 में परिपत्रित की गई थी। चूंकि सिफारिशें मुख्य तौर से विद्युत उद्योग के संगठनात्मक ढांचे से संबंधित है, अतः इन पर कार्रवाई आरम्भ करने से पहले राज्यों से परामर्श करना आवश्यक समझा गया है। कुछ सिफारिशों पर इस वर्ष के आरम्भ में क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया था। 6 नवम्बर, 1981 से 9 नवम्बर, 1981 तक हुए विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में भी, जब अधिकांश राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था राज्य सरकारों ने कुछ और समय देना चाहा है ताकि वे अपने विचार और सुझाव भेज सकें।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल की खोज करने की योजना

441. श्री बी०वी० देसाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड ने जिसे सरकार ने सितम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में अपने अधिकार में ले लिया था, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर व्यवस्थित ढंग से तेल का पता लगाने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने कोई शीघ्र कार्यवाही योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि शीघ्र कार्यवाही योजनाओं में एक योजना यह भी है कि दिग्बोई रिफाइनरी को कच्चा तेल सप्लाई करने वाले तेल क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाया जाये ; और

(घ) कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं से कब तक सफलता मिल जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) आयल इंडिया लिमिटेड ऊपरी असम अर्थात् बाहरकटिया नाहरकटिया विस्तार, मोरान, हुगरीजन तथा दुम दुमा में अपने खनन पट्टे में पहले ही अन्वेषण (उत्पादन प्रचालनों सहित) कार्य कर रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र के 551 वर्ग किलो मीटर में भी अन्वेषण कार्य कर रहा है। आयल इंडिया लिमिटेड के पास केवल अपने रियायती क्षेत्रों में अन्वेषण तथा विकास की नियमित योजनाए हैं।

(ग) दिग्बोई शोधनशाला को जोराजन तथा दिग्बोई क्षेत्रों से अशोधित तेल की सप्लाई की जाती है। जोराजन तथा दिग्बोई क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने की योजना है।

(घ) आयल इंडिया लिमिटेड ने एक कार्यवाही योजना तैयार की है जिसमें विकसित तथा नये क्षेत्रों में व्यधन तथा कार्य पूरा करने के प्रयासों को तीव्र किया जायेगा जिससे कि उसके

उच्च असम तेल क्षेत्रों से तेल उत्पादन को 3.07 एम० टी० पी० ए० तक बढ़ाया जाए और इसे उस स्तर तक लगभग शताब्दी के अन्त तक कायम रखा जाए। इस योजना का प्रथम लाभ-दायक प्रभाव 1983-84 तक प्रकट होगा। आयल इंडिया लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश में अपने रिआयसी क्षेत्रों में अन्वेषण तथा विकास के लिये भी योजनाएं तैयार की हैं।

कोयला विकास कार्यक्रम तथा निजी क्षेत्र एवम् राज्य सरकारों की भूमिका

442. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के कोयला विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के योगदान की संभावना समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों ने यह भी मांग की है कि उन्हें अलग अलग पड़े छोटे कोयला निक्षेपों के पट्टे दिये जायें तथा कार्य करने की अनुमति दी जाये ;

(ग) क्या कोयला विभाग और कोल इंडिया लिमिटेड विस्तृत अध्ययन के पश्चात् इस बात से आश्वस्त हो गये थे कि इन छोटे छोटे कोयला निक्षेपों पर कार्य करना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रहेगा ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने कोयला विकास कार्यक्रम के बारे में कोई ब्यौरा तैयार किया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विश्व बैंक के हाल ही में किये गये उस अध्ययन को स्वीकार नहीं किया था जिसमें छठी योजना के दौरान कोयले की उपलब्धता और मांग के बीच भारी अन्तर दर्शाया गया था ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में विश्व बैंक के अध्ययन को स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) केवल गुजरात सरकार ने मैसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (राज्य सरकार का उपक्रम) को कोयला खनन-पट्टे देने के लिए दो प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) कोयला विभाग में छोटे कोयला भंडारों से कोयला निकालने की व्यापारिक व्यव-हारिकता के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। यह सूचना प्राप्त की जा रही है कि क्या कोल इंडिया लि० ने ऐसा कोई अध्ययन किया है।

(घ) मंत्रालय में जो विस्तृत कोयला विकास कार्यक्रम तैयार किया जाता है वह कोयला कंपनियों के परामर्श से हर वर्ष तैयार किए जाने वाले "वार्षिक योजना कागजात" में दिया जाता है।

(ङ) और (च) विश्व बैंक ने कोयला क्षेत्र के संबंध में एक सर्वेक्षण किया है और प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विश्व बैंक के निष्कर्ष अभी अस्थायी ही हैं और मसौदा रिपोर्ट की इस समय संविक्षा की जा रही है।

विडलाओं द्वारा छटी योजना के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव

443. **श्री वी.वी. देसाई** : : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विड़लाओं ने छठी योजना के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में से एक संयंत्र के लिए अपना दावा पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए दौड़ में आने वालों में विड़ला गृह चौथा बड़ा औद्योगिक गृह है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सितम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में रसायन विभाग को एक प्रस्ताव पेश किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों के आवेदन पत्रों पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के कारण उपरोक्त राज्यों में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में रुकावट आयेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) विरला ग्रुप की एक उर्वरक कम्पनी मैसर्स जुआरी एग्रो केमिकल्स लि० ने गैस पर आधारित या नैफ्था पर आधारित किसी नए उर्वरक प्लाँट को स्थापित करने में रुचि दर्शाई है। तथापि उन्होंने लाइसेंस के लिए कोई औपचारिक आवेदन पत्र या कोई तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) किसी निर्णय या किसी विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

काली नदी परियोजना

444. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में काली नदी परियोजना के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) काली नदी परियोजना के कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या कर्नाटक तथा पड़ौसी राज्यों में बिजली की कमी की पूर्ति के लिए कोई नई परियोजना आरम्भ की गई है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) काली नदी परियोजना के चरण-I के अन्तर्गत, बोमनहालूली पिक अप बांध, हैड रेस सुरंग, सर्ज टैंक, ततीहाला बांध, बोमनहालूली-तत्सीहाला जल वाहक प्रणाली से संबंधित कार्य पूरे कर लिये गए हैं। 135-135 मेगावाट के प्रथम तीन उत्पादन यूनिटों को चालू कर दिया गया है ।

काली घाटी में एक मिलियन से अधिक शक्यता का तीन चरणों में विकास किया जा रहा है । चरण-II के अन्तर्गत कोदेसली और क़ादरा पर काफर बांध का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया था । किन्तु परियोजना के परिस्थितिक प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए परियोजना पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है ।

(ग) जी, हाँ । कई परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

महानगरीय क्षेत्रों में स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज

445. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी महानगरीय क्षेत्रों में स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) सभी चार महानगरीय शहरों में क्रमबार किस्म के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज पहले से ही उपलब्ध है । उक्त नगरों में एस० पी०सी० (स्टोर्ज प्रोग्राम कन्ट्रोल्ड) ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की स्थापना करने की योजना है ।

(ख) एस०पी०सी० ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज पर लगभग 54 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) उक्त एक्सचेंजों के चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू किए जाने की संम्भावना है ।

मुजफ्फरपुर में तापीय बिजलीघर को चालू किए जाने में असामान्य बिलम्ब

446. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) क्या बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर के समीप तापीय बिजली घर को चालू किये जाने में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(दो) इस बिजली घर से जिन क्षेत्रों का विकास किये जाने का प्रस्ताव था, उनके विकास में पिछले पांच वर्षों के दौरान इस महत्व आदान की मांग और सप्लाई का क्या अन्तर रहा ;

(तीन) इस यूनिट को यथाशीघ्र चालू किये जाने के लिए यदि कोई प्रयास किए गए हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ख) बिहार में भागलपुर के समीप कोलोगंज में प्रस्तावित सुपर तापीय परियोजना पर निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है तथा इस संयंत्र के कब तक चालू होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) (एक) मुजफ्फरपुर ताप विद्युत परियोजना को चालू करने में विलम्ब होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) भा०है०इ०लि० के साथ टर्की ठेके को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ।

(2) पहली बार लगाई गई पाइलों का भार परीक्षण के समय फेल हो जाना । अतः पाइलों के डिजाइन को बदलना पड़ा और पाइल संबंधी कार्य पुनः शुरू किया गया ।

(3) रेलवे द्वारा रेल साइडिंग को पूरा करने में विलम्ब ।

(4) भा०है०इ०लि० द्वारा, जो टर्न-की आधार पर परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, एल०पी० पाईपिंग, विद्युत और नियंत्रण केबलों, वातानुकूलन और संवातन, वितरण ट्रांसफार्मर आदि के लिए आर्डर देने में विलम्ब ।

(5) भा०है०इ०लि० द्वारा संरचनात्मक इस्पात और बॉयलर उत्थापन संबंधी कार्य शुरू करने में विलम्ब ।

(दो) ग्रिड से संबंद्ध किसी विशिष्ट क्षेत्र की मांग और सप्लाई की स्थिति राज्य में विद्युत सप्लाई की समग्र स्थिति पर निर्भर करती है । दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित क्षेत्र को छोड़कर बिहार राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रत्याशित आवश्यकता	ऊर्जा की सप्लाई	कमी
	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)
1976-77	2600	2526	74
1977-78	3720	2624	1096
1978-79	3670	2481	1189
1979-80	3644	2483	1161
1980-81	3721	2233	1486

(तीन) समुचित मानीटरिंग की जा रही है और निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए भा०है०इ०लि० पर जोर डाला गया है।

(ख) 49358.0 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-एक में 4X210 मेगावाट की यूनिटों की प्रतिष्ठापना की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 28.3.1981 को हुई अपनी 39 वीं बैठक में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी थी। सरकार द्वारा इस स्कीम पर निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 3X210 मेगावाट से लाभ 1985-90 की अवधि के दौरान तथा 210 मेगावाट की चौथी यूनिट से 1989-90 के बाद प्राप्त होने की सम्भावना है।

"आई०बी०आर०डी० फर्म आन फार्मल एन०टी०पी०सी०एस०ई०बीज पैक्टस, शीर्षक समाचार

447. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में आई० बी० आर०डी० फर्म आन फार्मल एन०टी०पी०सी०एस०ई० बीज पैक्टस, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को और ऋण देने के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या पूर्व शर्तें लगाई गई हैं ;

(ग) आई० बी० आर० डी० (विश्व बैंक) द्वारा अपनाये गये सख्त रवैये को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अल्पावधि तथा दीर्घावधि क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ठोस वाणिज्यिक आधार पर कार्य करेगा तथा अपनी विभिन्न परियोजनाओं पर किए जा रहे निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करेगा । अतः राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए यह भी आवश्यक है कि अपने उत्पादन केन्द्रों से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य बिजली बोर्डों को ऊर्जा की सप्लाई के लिए निगम ठोस अनुबन्ध करे । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ठोस वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने के इस उद्देश्य के अनुरूप ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं के लिए विभिन्न ऋणों के बारे में विश्व बैंक के साथ समझौते हुए हैं । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को और ऋण देने के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई भी नई शर्तें नहीं लगाई गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों का कार्य-निष्पादन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है तथा वित्तीय और तकनीकी मामलों पर उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते हैं । अन्य बातों के साथ साथ परियोजना निर्माण में देरी को कम करने, क्षमता समुपयोजन, को बढाकर, पारेषण और वितरण हानियों को कम करके तथा श्रमशक्ति और सामग्री सूची पर नियंत्रण करके, अच्छे परियोजना प्रबंध से और टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर सुधरे हुए प्रचालनात्मक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं । राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन की समीक्षा पिछली बार 6 नवम्बर, से 9 नवम्बर, 1981 तक हुए विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में की गई थी ।

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों द्वारा भारत को बेकार औषधियों का बेचा जाना

448. **श्री हरिनाथ मिश्र** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1981 के इकोनोमिक टाइम्स में स्टगलहोल्ड आफ ड्रग मेजर्स आन थर्ड वर्ल्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या आयल कैमिकल्स एण्ड एलाईड वर्क्स को आर्गेनाइजेशन आफ दी ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल के सेक्रेटरी श्री पाल जर्जली ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें भी कही ;

(एक) बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों ने स्वास्थ्य के स्थान पर अपने लाभ को ध्यान में रख कर स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत कम प्रयास किये हैं ;

(दो) ये कम्पनियां उन औषधियों को भी बेचना चाहती हैं जो बेकार है ; और

(ग) यदि हां, तो अपने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उक्त खतरे से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) श्री पाल जर्जेली द्वारा की गई टिप्पणी आम तौर पर तीसरे विश्व के देशों के बारे में हैं न कि विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में । भारत में औषध बाजार में विदेशी औषध कंपनियों के शेयर पर्याप्त मात्रा में हैं, यद्यपि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण गत कुछ वर्षों से यह शेयर कम होता जा रहा है । सरकार ने मार्च 1978 में एक विस्तृत औषध नीति की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-2 औषधों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व कम करना और सरकारी क्षेत्र और गेर सरकारी भारतीय कंपनियों के औषध उत्पादन को प्रोत्साहन देना था । औषध नीति में यह व्यवस्था है कि विदेशी कंपनियों को फार्मूलेशनों का निर्माण करने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए यदि वे फार्मूलेशनों में निहित उच्च प्रौद्योगिकी औषधों का मूलतः निर्माण मूलभूत स्तर से करने को सहमत हों । यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया है कि बल्क औषधों के उत्पादन के मूल्य और फार्मूलेशनों के मूल्य में अनुपात विदेशी औषध यूनिट के मामले में 1:5 और भारतीय औषध कंपनियों और संगठित क्षेत्र में सरकारी यूनिटों के मामले में 1:10 होना चाहिये ।

जहां तक असंगत औषध मिश्रणों का संबंध है औषध परामर्शदात्री समिति, जो औषिध और प्रसाधन अधिनियम के आधीन एक कानूनी समिति है, ने देश से विपणन किये गये औषध मिश्रणों की जांच के लिये एक उप समिति नियुक्त की है । इस उप समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर औषध परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 19.10.1981 को विचार किया जा चुका है । इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिये औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा आगामी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

जहां तक नई औषधों का संबंध है, औषध और प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार औषध नियन्त्रक (भारत) की अनुमति के बिना न तो किसी नई औषध का देश में आयात किया जा सकता है और न ही देश में निर्माण किया जा सकता है । नई औषधों के आयात अथवा निर्माण के लिये समस्त आवेदनपत्रों की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और केवल सुरक्षित और प्रभावोत्पादक समझी जाने वाली औषधों के आयात अथवा निर्माण की अनुमति दी जाती है ।

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों द्वारा भारतीय औषध फार्मूलेशन बाजार का नियन्त्रण

449. **हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अक्तूबर, 1981 के इकानामिक टाइम्स में स्ट्रेंगलहोल्ड आफ ड्रग मेजर्स आन थर्ड वर्ल्ड शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारत के बारे में बोलते हुए श्री पाल जर्जली के द्वारा यह कहे जाने का समाचार है कि ये फर्मे विशेषकर विकासशील देशों में पाई जाने वाली बीमारियों पर अनुसंधान कार्यों पर केवल 0.3 प्रतिशत व्यय किया जाता है, उन्होंने स्थानीय भाज्य औषधि कोष की परम्परागत औषधियों का कोई अध्ययन नहीं किया है, इस स्थिति के परिणाम विशेषकर भारत के लिये गम्भीर है जहां बहुराष्ट्रीय फर्मों के नियंत्रण में देश के औषध फार्मूलेशन बाजार का 80 प्रतिशत ; और

(ग) यदि हां, तो श्री पाल जर्जली द्वारा लगाये गये आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उन आवश्यक औषधियों का जिनका इस समय विदेशों से आयात किया जाता है उत्पादन करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(क) यह अनुमान है कि वर्ष, 1980-81 के दौरान देश में 1200 करोड़ रुपये मूल्य के फार्मुलेशनों का निर्माण हुआ था जिसमें से विदेशी कम्पनियों और भारतीय संगठित निजी क्षेत्रीय कम्पनियों दोनों का अंश लगभग 66 प्रतिशत था । इसलिए यह सही नहीं है कि विदेशी फर्मों का देश के औषध फार्मुलेशन बाजार पर 80 प्रतिशत नियंत्रण है ।

श्री पाल जर्जली के निष्कर्षों का संबंध विशेषरूप में भारत से नहीं है बल्कि उनमें तृतीय विश्व देशों का हवाला दिया गया है । सरकार ने मार्च, 1978 में एक व्यापक औषध नीति की घोषणा की थी । अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति का उद्देश्य यह है कि औषध क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की अग्रणी भूमिका कम की जाए और सरकारी क्षेत्रीय तथा निजी भारतीय कम्पनियों को औषध निर्माण के लिए प्रेरणा दी जाए । इस नीति के ब्यौरे दिनांक 28-3-1981 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र में निहित है । इस नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

450. **श्री चतुर्भुज :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 23 सितम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "मोर जजिज लाइकली टु क्लीयर पेंडिंग केसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं, कब से लंबित हैं तथा एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है विशेषकर ऐसे मामले जिनमें सरकारी आदेशों के प्रवर्तन के विरुद्ध रोक आदेश जारी किए गए हैं ;

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है । विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन 1980 में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सात ऐसे राज्यों की जहां समस्या जटिल है, सरकारों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए लिखा गया था । किन्तु जहां तक बकाया मामलों का सवाल है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने से ही उस समस्या का कोई प्रभावी समाधान नहीं होगा ।

(ग) तारीख 31. 12. 1980 को दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की अवधि-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । यह बताना संभव नही है कि एक वर्ष से अधिक पुराने मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ।

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय की रजिस्टरी में ऐसे मामलों से संबंधित आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है जिनमें सरकारी आदेशों को प्रवृत्त होने से रोक दिया गया है ।

विवरण											
क्रम	1 वर्ष से 1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 से 6 वर्ष	6 से 7 वर्ष	7 से 8 वर्ष	8 से 9 वर्ष	9 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	9185	6394	3230	2504	2040	1859	1418	1230	998	893	1236	30987

पारादीप उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि

451. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितने एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है ;

(ख) पारादीप में उक्त उर्वरक संयंत्र के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के कारण प्रभावित व्यक्तियों को क्या मुआवजा दिया गया है अथवा दिए जाने का विचार है ; और

(ग) पुनर्वास के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पारादीप फास्फेटिक उर्वरक परियोजना के लिये अभी कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है। परियोजना के लिये कुल 835 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमें से 735 एकड़ भूमि मुख्य संयंत्र के लिए और 100 एकड़ भूमि टाउनसिप के लिए है। भूमि का लगभग 45 प्रतिशत गैस सरकारी मालिकों से अधिग्रहित किया जाता है, क्योंकि शेष भूमि सरकार की सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त लगभग 600 एकड़ भूमि फास्फोरिक एसिड संयंत्र से उप-उत्पाद जिप्सम के निपटान के लिए अपेक्षित होगी। उड़ीसा सरकार इस क्षेत्र का अनुमेय कब्जा देने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की जायेगी उनकी क्षतिपूर्ति भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के समय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ग) भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उचित समय पर कदम उठाये जायेंगे।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ कच्चे तेल की सप्लाई के लिए समझौता

452. **श्री के० मालन्ना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऋण की आसान शर्तों पर कच्चे तेल की सप्लाई के लिए संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों की असन्तोषजनक प्रक्रिया

453. **श्री के० मालन्ना :**

श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेशकश किए गए 35 अपतटीय तथा तटदूर ब्लाकों के लिए पहली बार कुछ ब्लाकों के लिये विदेशी कम्पनियों की बहुत ही असंतोषजनक प्रतिक्रिया रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों को अब तक पेशकश किए गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक दी गई बरीयता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों से पुनः बोली लगवाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सात तेल कम्पनियों ने प्रस्ताव दिये हैं ।

(क) इस समय उनके ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

(ग) मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय संचार संघ द्वारा वर्ष 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय संचार वर्ष के रूप में मनाया जाना

454. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने विश्व में रहने वाले प्रति एक सौ व्यक्तियों के लिए एक टेलीफोन प्रदान करने का प्रयास करने के घोषित उद्देश्य सहित वर्ष 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार वर्ष के रूप में मनाने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) एवं (ग) अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

455. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उच्चतम न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और उन्हें न भरने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के दो पद रिक्त हैं और उनको भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी की कथित अनियमितताएं

456. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी की कथित अनियमितताओं के बारे में 17 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड तथा स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का कुप्रबन्ध सिद्ध होने के बाद भी सरकार उक्त कम्पनी का राष्ट्रीयकरण तथा इसके सभी एककों/उपक्रमों के अधिग्रहण की कार्यवाही को अविलम्ब पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है जिससे हजारों श्रमिकों, भागीदारों, जमाकर्ताओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सार्वजनिक धन को और अधिक हानि न हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जैसा कि पहले बताया गया था, इस समूह से सम्बन्धित निम्नांकित रुग्ण मिलों का उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था, एवं ये नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को सौंप दी गई हैं :—

1. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर
2. रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली
3. स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ
4. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी
5. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर
6. स्वदेशी काटन मिल्स पान्डेचेरी

इस प्रकार, इस कार्यवाही से, कर्मचारियों एवं श्रमिकों की नौकरी बना रहना, सुनिश्चित हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशनों पर, कम्पनी के साथ की गई सुनवाई के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को इन उपक्रमों के भविष्य के बारे मे अभी निर्णय करना है।

स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, सूचित अनियमितताओं के लिए वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत एक निरीक्षण किया जा रहा है, एवं इसकी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जायेगा।

आर० आई० सी० लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा की गई खरीद की मदें

457. **श्री रेणुपद दास** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम, लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा गत एक वर्ष के दौरान किन मुख्य मदों की खरीद की गई ;

(ख) कुल कितने मूल्य की इस तरह की खरीद की गई ; और

(ग) क्या ये खरीद सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की गई हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

458. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के छह पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के हल करने के लिए किए गए प्रयास का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तारीख 15-11-1981 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 74 पद रिक्त थे। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से उनके निश्चित प्रस्ताव पूर्णरूप में प्राप्त होने हैं। उनको बराबर स्मरण कराया जा रहा

है। ऐसे पदों को जिनके रिक्त होने की सम्भावना है, भरने के लिए भी अग्रिम कार्रवाई करने की आवश्यकता के विषय में बल देते हुए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों को लिखा गया है।

उड़ीसा के निचले न्यायालयों में लम्बित मामले

459. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में निचले न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में मामले अभी तक लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में यदि इस राज्य को कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने विशेषकर पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत में न्यायालयों द्वारा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई नई नीति तैयार की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तारीख 30-6-81 को उड़ीसा में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) विधि आयोग ने देश के विभिन्न न्यायालयों में मामलों में होने वाले विलंब से संबंधित समस्या की समीक्षा की है और उसने विचारण न्यायालयों में विलंब और बकाया मामलों के बारे में अपनी 77वीं रिपोर्ट में और उच्च न्यायालयो तथा अन्य अपील न्यायालयों में विलंब और बकाया मामलों के बारे में अपनी 79वीं रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। उनमें से अधिकांश सिफारिशों का संबंध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से है जिन्हें रिपोर्ट की प्रतियां समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

सातवें वित्त आयोग ने केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 538 अतिरिक्त जिले और अधीनस्थ न्यायालय स्थापित करने और उनके लिए न्यायालय भवन बनाने के लिये सहायता अनुदान की मंजूरी किए जाने की सिफारिश की है। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने अभी तक 397 अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इनमें से 7 न्यायालय उड़ीसा राज्य के लिए मंजूर किए गए हैं।

विवरण

30-6-81 को उड़सी राज्य में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित आंकड़े संबंधी जानकारी

1. दांडिक न्यायालय	30 जून, 1981 को लंबित मामले	
(i) सेशन न्यायालय		
मूल	687	
पुनरीक्षण	1034	
अपील	1818	
(ii) मजिस्ट्रेट न्यायालय		
पुलिस चालान के मामले	136960	
परिवाद मामले	70884	
II. सिविल न्यायालय	नियमित वाद	प्रकीर्ण वाद
1. प्रारंभिक अधिकारिता		
(i) जिला/अपर जिला न्यायाधीश	46	1961
(ii) लघुवाद न्यायालय	2438	—
(iii) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/ सब जज (वरिष्ठ)	6895	3065
(iv) मुंसिफ/सब-जज (कनिष्ठ)	12867	3880
2. अपीली अधिकारिता		
(i) जिला/अपर जिला न्यायाधीश	1450	537
(ii) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सब जज (वरिष्ठ)	985	412
III. उच्च न्यायालय		
1. मूल पक्ष		
(i) दांडिक	28	
(ii) सिविल	5505	
2. अपील पक्ष		
(i) दांडिक	1969	
(ii) सिविल	4708	

निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

460. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन विधियों में परिवर्तन करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन से सुझाव स्वीकार किए हैं ;

(ग) कितने सुझाव अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या निर्वाचन आयोग के जिन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है उन्हें आने वाले उप निर्वाचनों में लागू किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) निर्वाचन विधियों में परिवर्तन के बारे में निर्वाचन आयोग के सुझावों पर मंत्रिमंडल की एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2300 दिनांक 1-9-1981 में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

दिनांक 1-9-1981 के लोक सभा जिस अतारांकित प्रश्न सं० 2300 में मध्य प्रदेश के रायगढ़ की कोयला खानों में उपलब्ध कोयले की मात्रा के बारे में सूचना मांगी गई थी, उसके भाग (क) का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, मध्य-प्रदेश के मांड-रायगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध कोयले की मात्रा 977 मि० टन है जिसमें से केवल 1.15 मि० टन प्रमाणित है, 1.32 मि० टन निर्दिष्ट है और बाकी अनुमानित भंडार हैं । यह सूचना भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान की "0.5 मी० और इससे अधिक मोटाई की सीमों के भारत में कोयले के कुल भंडार" शीर्षक रिपोर्ट के आधार पर दी गई थी । यह रिपोर्ट सितम्बर, 1978 में प्रकाशित हुई थी । परन्तु भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण संस्था ने अब बताया है कि अब तक किए गए समन्वेषण के आधार पर 1238 मि० टन के सकल भंडार का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 12.40 मि० टन प्रमाणित है, 251.32 मि० टन निर्दिष्ट है और 974.60 मि० टन अनुमानित है । उपर्युक्त सूचना भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण संस्था से उक्त प्रश्न का उत्तर देने के बाद प्राप्त हुई है ।

प्रश्न के भाग (क) का संशोधित उत्तर निम्नलिखित होगा ।

प्रश्न

(क) मध्य प्रदेश में रायगढ़ की कोयला खानों में उपलब्ध कोयले की मात्रा क्या है ?

उत्तर

(क) अभी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था के वर्तमान अनुमान के अनुसार, मध्य प्रदेश के मांड-रायगढ़ क्षेत्र में अनुमानित कोयला भंडार लगभग 1238 मि० टन है जिसमें से 12.40 मि० टन प्रमाणित है, 251.32 मि० टन निर्दिष्ट है और 974.60 मि० टन अनुमानित है ।

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

कुछ माननीय सदस्य : उठ खड़े हुए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही-वृतांन्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । (व्यवधान)* ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इनको कह दें कि चुप हो जायें, ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । सभी के सभी विपक्षी दलों ने गढ़वाल चुनाव सम्बन्धी रिपोर्ट पर स्थगन प्रस्ताव भेजे हैं । यह चुनाव आयोग का तो प्रश्न है ही नहीं । चुनाव आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सूचित किया है कि चुनाव कराने के लिए वह विधि और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हैं । यह तो संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असफलता की बात हुई । हम चुनाव आयोग के बारे में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं । इस मामले में तो संवैधानिक दायित्वों को निभाने में सरकार असफल रही है । अतः स्थगन प्रस्ताव के लिए तो यह सही मामला है । (व्यवधान) । अपना विनिर्णय देने से पहले मामले को समझने का प्रयास कीजिए । आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम चुनाव आयोग सम्बन्धी मामला नहीं उठा रहे हैं । हम तो सरकार द्वारा संवैधानिक दायित्वों को निभाने में असफलता की बात उठा रहे हैं । यही मामला हम उठा रहे हैं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठ जाइये । मैंने कल आपसे अनुरोध किया था । आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है ।

*कार्यवाही-वृतांन्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

रातोंरात नियम नहीं बदलते हैं। और सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सामूहिक बैठक में हमने इस मामले पर विचार विमर्श किया था।

मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह तो लोकतन्त्र पर एक घातक प्रहार है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के बारे में मुझे बहुत अधिक चिन्ता है। मुझे यह दायित्व सौंपा गया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों व्यवधान डालते हैं ? (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे बोलने में व्यवधान क्यों डालते हैं ? (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये।

मैंने कल भी कहा था और आज भी. जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह कहता हूं कि मैं व्यक्तिगतरूप से इसमें रुचि रखता हूं क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और सुदूर गांव से आया हूं तथा इस उच्चस्थ पद पर केवल इस कारण आशीन हूं कि भारतवर्ष की जनता ने लोकतन्त्र को चुना और उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं यहां हूं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से बंधा हूं। नियम सदन द्वारा बनाए जाते हैं (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : जनता ने हमें भी उसी तरह चुनकर भेजा है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने भी कहा है। यह ती एक उदाहरणमात्र है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कार्य में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं ? (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। यदि कार्य करने का आपका यही लोकतांत्रिक ढंग हैं तो, यह तो पूर्णरूपेण उत्तरदायित्वविहीन है।

मैं तो यही समझ पाया हूं और सभी सदस्य भी इस बात पर सहमत हैं कि नियम पुस्तिका में दिए गए नियमों के अनुसार मैं हर बात पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं और मैंने यह भार आपको सौंपा है। मुझे कोई रास्ता तो निकालने दो, फिर मैं इस पर चर्चा कराऊंगा। पिछली बार हमने इस पर चर्चा की थी। (व्यवधान)।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं । यह बड़ी ही गैर-जिम्मेदारान बात है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक गढ़वाल में होने वाले उप-चुनाव के स्थगित किए जाने के बारे में स्थगन-प्रस्ताव के नोटिस का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय का ही प्रश्न उठता है, जो कि एक संवैधानिक प्राधिकारी है । (व्यवधान) मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री महोदय .....(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? पहले मेरी बात सुनिए । आपमें मेरी बात सुनने का धैर्य क्यों नहीं है ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मैं तो सुन रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने मेरी बात सुनी होती तो आपने यह नहीं कहा होता । नहीं, मैं आगे कार्यवाही नहीं चलाऊंगा । आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं तो सुन रहा हूं । लेकिन आप इसे ठीक ढंग से नहीं रख पा रहे हैं··· ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर सुनिये । आप मेरी बात में बाधा डाल रहे हैं । (व्यवधान) मैं अपनी बात को ठीक कर रहा हूं । कृपया बैठ जाइये । जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है, किसी मूल प्रस्ताव द्वारा ही मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्य के बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है । (व्यवधान) पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दो ।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप कैसे उठ सकते हैं या व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ? आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये । मैं उसी नियम पुस्तक के अनुसार कुछ कह रहा हूं जो कि आप लोगों ने ही मुझे दी हैं, यह कोई मेरी अपनी नहीं हैं ।

आपको यह बात याद होगी कि मेरे पूर्ववर्ती सम्माननीय अध्यक्ष श्री ढिल्लों ने 25 मार्च, 1971 को जब चुनाव आयोग के क्रिया-कलाप के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये, यह टिप्पणी की थी :

"जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है यह संसद चुनाव आयोग से ऊपर नहीं है।"

माननीय सदस्य जानते हैं कि गत सत्र में हमने चुनाव प्रक्रिया में सुधारों की वांछनीयता के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला था। सदस्यों को यह अधिकार है कि वे एक उपयुक्त नोटिस भेज सकते हैं जिस पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं देते हैं। हमें उस पर स्पष्टीकरण चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोई प्रस्ताव लेकर आइये, जिसे मैं स्वीकार कर सकूं और मैं अवश्य करूंगा लेकिन इस तरह नहीं। (व्यवधान) मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)** यदि आप चाहते हैं तो मैं अनुमति दे दूंगा। इन सभी सज्जनों को बैठ जाने दीजिए, परन्तु इस प्रकार नहीं। श्री सतीश अग्रवाल।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपकी अनुमति से मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है उसकी भाषा से चुनाव आयोग के निर्णय को कतई चुनौती नहीं दी गई है, इसमें तो केवल चुनाव आयुक्त को आवश्यक सहायता प्रदान करने में सरकार द्वारा निभाये जाने वाले संवैधानिक दायित्व में सरकार की असफलता की बात कही गई है···।

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान के लिए मुझे कृपया क्षमा कीजिए। मुझे तो आपकी ओर से एक ऐसा प्रस्ताव चाहिए जिसे मैं स्वीकार कर सकूं। यह आप भी जानते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, हम चुनाव आयोग का कतई सेंसर नहीं कर रहे हैं। हमने तो केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा समय पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को आवश्यक सहायता प्रदान न करने पर, उनका सैन्सर करने हेतु स्थगन प्रस्ताव की सूचना भेजी है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं एक स्पष्टीकरण माँग सकता हूं···।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी सीमाएं जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी सीमाओं को जानते हुए ही तो मैं कुछेक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। आपका विनिर्णय उस सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं रखता जो कि हम सभी ने भेजी हैं। मैं यह बात कतई स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम आपके इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि जहां तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा की स्थिति का सम्बन्ध है, इसके एक स्वायत निकाय होने

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के कारण, संसद चुनाव आयोग के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। इसलिए हमने आपको परेशानी में न डालने के लिए जानबूझकर चुनाव आयोग का प्रश्न नहीं उठाया है। जो कुछ मुद्दा हमने उठाया है वह तो चुनाव आयोग के उस वक्तव्य के आधार पर उठाया है जिसमें उन्होंने यह कहा है··· ।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार आपने कुछ और बात कही थी और फिर आप कुछ और बात उठा रहे हैं। मैं इसकी अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मुझे वाक्य तो पूरा कर लेने दीजिए। मेरा तो इतना भर कहना है कि हमने अपने स्थगन प्रस्ताव में, निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में सरकार की असफलता की निंदा की है। यदि मुख्य मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि वह चुनाव के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं तो यह केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करता है कि वह प्रशासन की बागडोर सम्भाले और चुनाव कराये··· ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यदि चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया होता तो तब मैं··· ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया हमें यह बताइये कि हमारा स्थगन प्रस्ताव किस प्रकार आपके विनिर्णय से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रस्ताव भेजिए मैं उसे स्वीकार करूंगा, उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु इस ढंग से नहीं। यह आप जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय हमारे स्थगन प्रस्ताव को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा के लिए प्रस्ताव की अनुमति तो दूंगा, परन्तु दूंगा सही तरीके से।

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री प्रकाश चन्द्र सेठी··· (व्यवधान) आप उचित ढंग से नोटिस दीजिए और मैं इसे स्वीकार कर लूंगा आप जानते हैं, सभी जानते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2895/81] ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (सभापति तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 7 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 508 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2896/81] ।

भारतीय तार-यंत्र अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचा

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : मैं भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार-यन्त्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 8 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 744 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2897/81] ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकरदाता) अधिनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं: -

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (20वां संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 525 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (21 वाँ संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 7 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 991 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (22वां संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 1009 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी 2898/81]।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शुल्क-वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 528(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 2899/81] ।

(3) अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकरदाता) अधिनियम, 1974 की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अनिवार्य निक्षेप (आयकरदाता) (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना, संख्या सा० साँ० नि० 520 (ङ) में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2900/81] ।

(4) सीमाशुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पाकिस्तान से आयात की जाने वाली रुई पर सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट के बारे में सा० साँ० नि० 519(ङ) जो दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) विकृत अल्कोहल को मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमाशुल्क से छूट के बारे में सा० सां० नि० 534(ङ) और 535(ङ) जो दिनाँक 25 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 869 जो दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 179-सी० में कतिपय संशोधन किया गया है । जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों की सूची में प्रबन्ध निदेशक, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का नाम जोड़ा गया है ।

(चार) शीर्षक संख्या 84-66 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को अखबारी कागज, छपाई और लिखाई के कागज के निर्माण के लिए भारत में आयात करते समय 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में सा० सां० नि० 536(ङ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) ट्रांलरों के विनिर्माण हेतु आयातित कतिपय संघटकों और उपकरणों को समस्त मूल, अतिरिक्त और उपषंगी सीमाशुल्क से छूट के बारे में सा० सां० नि० 539 (ङ) और 540 (ङ) जो दिनांक 28 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) बिनाइल क्लोराइड मोनोमर को सीमाशुल्क की अदायगी से छूट के बारे में सा० सां० नि० 546 (ङ) और 547 (ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल और गैस को खोज और सप्लाई के लिए संघतक (कम्प्यूटर) और दूरसंचार परियोजना टिटन परियोजना को मूल सीमाशुल्क की 40 प्रतिशत मूल्यानुसार समान रियायती दर के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्षक 84-66 के अन्तर्गत एक परियोजना घोषित करने तथा अपतट प्रतिष्ठानों के लिए उपकरण के विनिर्माण के लिए संघटकों और उपसंजनों को सीमाशुल्क से छुट देने के बारे में सा० सां० नि० 570 (ङ) से 572 (ङ) जो दिनाँक 2 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 582 (ङ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनाँक 5 नवम्बर 1981 को अधिसूचना संख्या 238/81 —सीशू में कतिपय संशोधन किया गया

है, जिसके द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1979 और 12 मई, 1981 को अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट प्राधिकारियों की सूची में महाप्रबन्धक भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड का नाम जोड़ा गया है।

(नो) कच्चे लोहे को उस पर उदग्रहणीय सीमाशुल्क से 15 मई, 1982 तक छूट देने के बारे में सा० सां० नि० 597 (ङ) और 598 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) टोन मिल ब्लैक प्लेट को टिन प्लेट के निर्माण के लिए उस पर उदग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से 30 सितम्बर, 1982 तक छूट देने के बारे में सा० सां० नि० 599 (ङ) और 600 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2901/81]।

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) गैर-सम्मिश्रित चाय के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में रिबेट के बारे में सा० सां० नि० 526(ङ) और 527(ङ) जो दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सा० सां० नि० 561 (ङ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) जिंक ओवसाइड को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक हो, छूट देने के बारे में सा० सां० नि० 947 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजना 'टिटन' के कम्प्यूटर/दूरसंचार उपस्करों पर केन्द्रीय सीमाशुल्क से छूट के बारे में सा० सां० नि० 573 (ङ) जो दिनांक 2 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 579 (ङ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा वायरलैस रिसीविंग सेटों, कार्यालय मशीनों, ग्रामोफोनों और हिस्से पुर्जों तथा वाद्य यंत्रों से संबंधित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं जिसके द्वारा उन अधिसूचनाओं के प्रयोजनार्थ 'मूल्य' शब्द को परिभाषित किया गया है।

(पांच) चाय क्षेत्रों के पुर्नवर्गीकरण के बारे में सा० सां० नि० 580 (ङ) और 581 (ङ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जिंक ओक्साइड के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले जिंक हाइड्रोक्साइड को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में सा० सां० नि० 992 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 583 (ङ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 95-79 में कतिपय संशोधन किया गया है जिसके द्वारा बिजली के पंखों को भी शुल्क जमा की पात्र अर्न्तगामी माल की सूची में शामिल किया गया है यदि प्रशीतक, वातानुकूल अथवा प्रशीतक अथवा वातानुकूलक संयत्रों और मशीनों के निर्माण में उनका इस्तेमाल किया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2902/81] ।

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा 17 सितम्बर, 1981 को सभा में एक रिपोर्ट दिए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 1981

(2) नागालैंड राज्य (संशोधन) विधेयक, 1981

(3) श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1981

(4) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1981

(5) आय—कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1981

(6) असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1981

2. महोदय, मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और 17 सितम्बर, 1981 को सभा में एक रिपोर्ट दिए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयकों की राज्य सभा के महा सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक 1981

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

(3) भारतीय आयात निर्यात बैंक विधेयक, 1981

(4) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1981

(5) डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1981

(6) विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक, 1981

(7) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1981

(8) आवश्यक सेवा विधेयक, 1981

(9) बर्मा आयल कम्पनी (आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और बर्मा आयल कंपनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1981

(10) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) विधेयक, 1981

(11) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1981

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चलती रेलगाड़ियों में डकैतियों और अराजकता की बढ़ती हुई घटनायें

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे इस पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :

"चलती रेलगाड़ियों में डकैतियों और अराजकता की बढ़ती हुई घटनाओं, विशेषकर लखनऊ-नई दिल्ली मेल में 30 अक्तूबर 1981 को हुई लूटपाट और लखनऊ-झांसी यात्री गाड़ी में 21 नवम्बर, 1981 को हुई सशस्त्र डकैती जिसमें वायु सेना का एक अधिकारी मारा जाना ।" (व्यवधान) ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में-जारी

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं आपके विनिर्णय को मानता हूं। हम केवल सरकार की असफलता की ही निन्दा कर रहे हैं····हम चुनाव आयोग की जरा भी निन्दा नहीं कर रहे हैं ···।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है।···इस पर स्थनग प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।·· (व्यबधान) आप इस पर किसी और रूप में चर्चा कर सकते हैं, परन्तु इसके अन्तर्गत नहीं।···(व्यवधान) मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं। ···(व्यवधान)···इस तरह से कोई नहीं बोलने देगा।····(व्यवधान)...सब कुछ बता दिया है, सब कुछ डिसकस कर लिया ···(व्यवधान)···आप मेरे पास चेम्बर में आयें···(व्यवधान)··· पटनायक जी, आप पढ़ लें और इसके बाद आकर मुझे समझा दें, मैं मान जाऊंगा ···(व्यवधान)···।

श्री के. लकप्पा (तुमकुर) : इन्हें आपके विनिर्णय के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके कार्यवाही विनियमित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज साढ़े तीन बजे विजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसमें तय कर लो कैसे डिसकस करना है। मैं तैयार हूं। (व्यवधान)।

आपके कहने से राज थोड़े ही चलेगा। कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा यहां तो खुली किताब है। आपकी मर्जी से करना चाहता हूं, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में तय कर लें। (व्यवधान)।

श्री के. लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे रक्षा का अनुरोध करते हैं। आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। कृपया सभा की कार्यवाही को विनियमित करें। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विपक्ष आपके विनिर्णय के विरुद्ध क्यों जाता है कृपया उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। उनके मन में प्रजातंत्र के लिए कोई आदर नहीं है ; वे अध्यक्ष के विनिर्णय का कोई आदर नहीं करते। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुर्सी पर बैठकर नियमों की हत्या नहीं कर सकता। मैं नियमों को भंग करने का भागीदार नहीं बन सकता।

श्री बीजू पटनायक : आप हमें एक एक करके बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने चेम्बर में बुलाऊंगा। किसी भी नियम के अन्तर्गत मैं आपको यहां नहीं बुला सकता, यदि आप सभा को नहीं चलने देना चाहते तो न चलने दीजिए। जैसा चाहें, करें।

श्री बीजू पटनायक : हम चाहते हैं कि सारा भारत इस पर विचार करे ; हम चाहते हैं कि सारा विश्व इस पर विचार करे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं संविधान के अनुसार चल रहा हूं ।

श्री बीजू पटनायक : यह आपकी व्याख्या है आप गलत कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुसार मैं गलत कह रहा हूंगा । लेकिन यह मेरी व्याख्या है । लेकिन मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं । मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे सलाह मिली है और मैं इस बारे में पढ़ चुका हूं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : बात इसके विपरीत है ।

श्री बीजू पटनायक : आपकी संसद केवल उस सरकारी पक्ष में ही है । विपक्ष भी यहां है । लेकिन इस बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिये । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या तकलीफ है ? आप मुझे मिलें और मैं आपको बताऊंगा । आप इस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते । मैं चर्चा को रोक नहीं सकता । मैं कोई समाधान निकालने के लिए आपको मिलने के लिए कह रहा हूं । मैं नियमों की हत्या नहीं करूंगा ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को खुश करने के लिए नियम नहीं तोड़ूंगा ।

मैं तो सुनना चाहता हूं आपको, कोई आदमी सुनने देगा आपको ? बोलिये । 50 आदमी एक साथ बोल रहे हैं, यह डेमोक्रेसी है ? (व्यवधान) ।

श्री के. लकप्पा : आप इस पक्ष को भी अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : सारों को एलाऊ करता हूं, मैं किसी को रोकता हूं क्या ?

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो ऊंची आवाज में इसलिए बोलता हूं कि आप मेरी आवाज सुन लें । (व्यवधान) ।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की असमर्थता की ओर ध्यान देने में असफल रही है । देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है । इसी कारण हम सभा में चर्चा चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यही समझा दीजिए कि रिस्पोंसिबलिटी आपकी है मैं मान जाऊंगा। (व्यवधान) आप आकर बता दीजिए, मीटिंग कल कर रहा हूं साढ़े तीन बजे। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं नही मानता, चीज गलत है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सारे मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता कि हम इस पर चर्चा नहीं करते। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि हमें इकठ्ठे बैठकर सभा में इस पर चर्चा करने का उपाय ढूंढना चाहिये। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है। तरीका गलत है। हम 3½ बजे बैठक कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, तो आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे स्थगन प्रस्तावों की शब्दावली ठीक हो, तो उन्हें स्वीकार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी नियमों के अनुसार होगा मैं उसकी अनुमति दे दूंगा। यह सीधी सी बात है मैं नियमों की अवहेलना नहीं करता। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही समय क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात को कोई नहीं लिख पा रहा है। इससे किसी को फायदा नहीं होता है। आप में इतनी एकता भी नहीं है कि एक वक्त एक आदमी बात कर सके। आप अपनी बात को जबर्दस्ती दूसरों के गले में ठूंसना चाहते हैं।

क्या यह प्रजातंत्र है ?

श्री हरिकेश बहादुर : केन्द्रीय सरकार ने तो राज्य सरकार की असफलता की ओर भी ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम विचार करेंगे। कृपया मेरे पास आयें ; मैं बता दूंगा।

श्री रावत, ध्यानाकर्षण। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : चेम्बर भी आपका ही है, मेरा नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपने स्थगन प्रस्ताओं को अस्वीकार कर दिया है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : शांति रखिये।

श्री आरीफ मोहम्मद खां (कानपुर) : क्या आपके विनिर्णय पर चर्चा हो सकती है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने सभी स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। आपको नियमों की पूरी जानकारी है। आपको नियमों की अद्यतन जानकारी है कृपया हमें बतायें ···।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर व्यंग्य कर रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए मैं कैसे व्यंग्य कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के विद्वान हैं। आप नियमों को अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए आप ठीक हो सकते हैं। क्या आप सभा की भावनाओं को जानते हुए, हमें बतायेंगे कि हम इस मामले पर नियमों के अन्तर्गत कैसे चर्चा कर सकते हैं ? सिद्धान्त में, क्या आप इस मामले पर चर्चा के विरुद्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी आपको यही बताया था। हम 3½ बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करने जा रहे हैं। हम मामले पर विचार करेंगे।

अब श्री आरिफ मोहम्मद खां।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : आपको बताना चाहिये कि आप क्या करना चाहते हैं। सामान्य समय में एक भी उप-चुनाव नहीं हो सकता तो संविधान कैसे चल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बुलाया है। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। शांति रखिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि सिर्फ थोड़े से लोग इस सदन में हंगामा और अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। इस सदन का बहुमत काम को नियमानुसार और शान्तिपूर्वक चलाना चाहता है (व्यवधान) मेरी प्रार्थना है कि आप हम लोगों का रक्षा कीजिए, हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। इस सदन का कार्य ठीक तरीके से चलना चाहिए। (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाता हूं। आज के समाचार पत्रों में ···।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस विषय पर चर्चा के लिए कोई और प्रस्ताव देना पड़ेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय को इन निष्कासनों के बारे में वक्तव्य देना चाहिये, मंत्री को इस बारे में सभा को बताना चाहिये। तीन पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। सही स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : फारेन मिनिस्टर कल स्टेटमेंट करेंगे । फारेन पालिसी पर । उसके बाद डिसकशन में आ जायेगा ।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : मैंने एक एजर्नमेंट मोशन दिया था । मै आपसे अपील करता हूं कि आप मेरी बात सुन लें । मैं नियम 60 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकार । आप तो स्पीकर रहे हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए । मैं नियम 60 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मैंने जो ऐडजर्न-मेंट मोशन दिया, आपने उसको अस्वीकार कर दिया । तो आप नियम 60 के तहत मुझ को एक मिनट अपनी बात कहने का मौका दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसके लिए मैं अनुमति नहीं दे सकता । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं यह कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि यह जिम्मेदारी सरकार की है कि कहीं चुनाव करवा दें । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मुल्क में कोई सरकार है या नहीं ? ••• (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । आप यहीं नहीं चलने देते तो बाहर की बात क्या करते हैं ? आप तो हाउस को ही नहीं चलने देते । कोई पार्टी आपकी है कि नहीं ? कोई व्यवस्था ही नहीं चलने देते । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : लोग क्या कहेंगे आपके लिए ? यह क्या कर रहे हैं आप ? अगर बाहर वालों को पता लग गया तो क्या गत बनायेंगे आप की ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : हो गया । बैठ जाइएं । किसी बात की हद् होती है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अब वहां बात करेंगे । (व्यवधान) ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चलती रेलगाड़ियों में डकैतियों और अराजकता की बढ़ती हुई घटनायें

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"चलती रेलगाड़ियों में डकैतियों और अराजकता की बढ़ती हुई घटनाएं विशेषकर लखनऊ-नई दिल्ली मेल में 30 अक्तूबर, 1981 को हुई लूटपाट और लखनऊ-झांसी यात्री गाड़ी में 21 नवम्बर, 1981 को हुई सशस्त्र डकैती जिसमें वायु सेना का एक अधिकारी मारा गया।"

अध्यक्ष महोदय : राजनाथ जी, डेमोक्रेसी की हत्या मत करिए। इस डेमोक्रेसी को बचे रहने दीजिए। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : क्या बताऊं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह जो इतना शोर शराबा हुआ उसका क्या उत्तर आप ने दिया ?

अध्यक्ष महोदय : कहते हैं सारी रात रोयी मरा वह भी पड़ोसियों का। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप तशरीफ रखिए। ब्लड प्रेशर हो जायगा आप को। बैठ जाइए। ···(व्यवधान) ···।

अध्यक्ष महोदय : यह काल अटेंशन उसी पर हो रहा है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ काम करने दीजिए। ···(व्यवधान)···· ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही वृतांत में मेरी अनुमति के बिना सम्मिलित नहीं होगा। (व्यवधान)*।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : चलती गाड़ियों में लूट-पाट/डकैतियों की घटनाओं में वर्षानुवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस प्रकार की घटनाएं 1978 में 223, 1979 में 253 और 1980 में 351 हुई थीं। जनवरी से अक्तूतबर, 1981 तक की अवधि में गाडियों में लूट-पाट और डकैतियों के 3,3 मामलों की रिपोर्ट अब तक की गयी है। अधिकतर घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अधिकार-क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों में हुई।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

2 30-10-81 को जैसे ही लखनऊ-नयी दिल्ली मेल गाड़ी लखनऊ से रवानी हुई, कुछ बदमाश गाड़ी के दूसरे दर्जे के वातानुकूलित गोरखपुर-नयी दिल्ली शयनयान में चढ़ गये और गाड़ी में चढ़ने-उतरने वाले और डिब्बे में स्थान ढूंढने वाले यात्रियों में घुल-मिल गये । बदमाशों ने डिब्बा परिचर के साथ-साथ ड्यूटी पर मौजूद इलैक्ट्रिशियन को दबोच लिया और पिस्तौल तथा चाकू दिखाकर यात्रियों को लूटना आरम्भ कर दिया । 28 यात्रियों, जिनमें 2 संसद सदस्य गोरखपुर के श्री महावीर प्रसाद और बस्ती के श्री कल्पनाथ सोनकर तथा एक भूतपूर्व मंत्री श्री सुखदेव प्रसाद शामिल थे, को लूट लिया और उनका लगभग 80,000/- रु० मूल्य का कीमती सामान और सम्पत्ति लूट ली गयी । जब गाड़ी हरदोई से रवाना हुई और पश्चिमी केबिन के निकट पहुंची तो बदमाशों ने खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी को रोक लिया और बच निकले । गाड़ी को वापस हरदोई रेलवे स्टेशन पर लाया गया और राजकीय रेलवे पुलिस, हरदोई के पास रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी ।

3. यात्रियों में से एक व्यक्ति को, जिसे बदमाशों ने चाकू मार कर घायल कर दिया था, चिकित्सा सहायता प्रदान की गयी और तत्पश्चात् गाड़ी 31-10-81 को 1.52 बजे रवाना हुई । गाड़ी में सशस्त्र पुलिस अनुरक्षियों की व्यवस्था थी, जिनमें राजकीय रेलवे पुलिस के एक उप-निरीक्षक के अधीन राजकीय रेलवे पुलिस के 2 सिपाही, 20 रंगरूट सिपाही शामिल थे । वे तत्काल नीचे उतरे और अपराधियों को गिरफ्तार करने की दृष्टि से उन्होंने आस-पास के क्षेत्र को छान डाला, परन्तु कोई लाभ न हुआ । सूचना प्राप्त होने पर, राजकीय रेलवे पुलिस, हरदोई ने बच निकलने के मार्गों को रोकने और बदमाशों की खोज-बीन करने के लिए आस-पास के क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों को बेतार संदेश भेजे बेतार संदेश प्राप्त होने पर, पुलिस स्टेशन, भागोली, जिला हरदोई का उप-निरीक्षक हरदोई-लखनऊ सड़क पर भागोली चौराहे के निकट पाइप ले जा रहे ट्रक सं०पी. एस. ई. 5913 को रोकने में सफल हो गया इस डकैती में शामिल कुछ अपराधी इस ट्रक से भागने का प्रयास करते पाये गये । पुलिस दस्ते को देखते ही डाकुओं ने गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक पुलिस घायल हो गये । पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप डाकुओं में से नवरतन पुत्र जगन्नाथ उर्फ बिदिया, निवासी समस्तीपुर, बिहार नामक एक डाकू उसी स्थान पर मारा गया और उसके दो साथी जिनके नाम राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू और देवेन्द्र सिंह उर्फ डियर घायल हो गये और उन्हें पुलिस की हिरासत में ले लिया गया । किन्तु चौथा डाकू जिसका नाम विजय सिंह बताया जाता है, बच निकला । लगभग 60,000/- रु० की लूटी गयी सम्पत्ति बरामद की जा सकी ।

4. राजकीय रेलवे पुलिस, लखनऊ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अन्तर्गत दिनांक 31-10-81 को एक मामला सं० 807, दर्ज कर लिया और इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है । बिहार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को भी पुलिस पार्टियां भेजी जा चुकी हैं ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके और साथ ही फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके ।

5. जहां तक फ्लाइट लैफ्टिनेंट शंकर चन्द्र शेखर अय्यर की हत्या किये जाने का संबंध है, अभी तक जो तथ्य सामने आये हैं उनके अनुसार 21/22-11-81 की रात्रि को, जब 106 अप

झांसी पेसेंजर गाड़ी भीमसेन स्टेशन से रवाना हुई, 4 नवयुवक प्रथम दर्जे के यान के गलियारे में घुस गये । उन्होंने कक्ष के कैबिनों पर दस्तक देनी आरम्भ कर दी किन्तु किसी ने भी केबिनों के दरवाजे नहीं खोले । तब नवयुवकों ने यान के एक 4 शायिकाओं वाले केबिन के दरवाजे को तोड़ दिया जिसमें (1) श्री सन्तानम्, उप-निदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ (2) श्री के० पी० गर्ग, ड्राफ्ट्स मैन, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ, (3) श्री गुप्ता, चार्जमैन, मध्य रेलवे, झांसी और (4) श्री शंकर चन्द्र शेखर अय्यर, फ्लाइट लैफ्टिनेंट, भारतीय वायुसेना सवार थे । दरवाजा तोड़े जाने के पश्चात् नवयुवक शायिकाओं पर आराम से बैठ गये । इसका यात्रियों ने विरोध किया । श्री सन्तानम्, जो कि ऊपरी शायिका पर थे, नीचे उतरे और उन्होंने उनमें से एक नवयुवक को ऐसा करने से रोका । इस पर एक नव युवक ने श्री सन्तानम् पर चाकू से वार कर दिया और उसके दूसरे सहयोगी ने उन पर गोली चला दी, किन्तु वे अचानक झुक गये । गोली अपनी शायिका पर बैठे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अय्यर को जा लगी और वे घटनास्थल पर ही मारे गये । तब नवयुवक खतरे की जंजीर खींचकर बच निकले । नवयुवकों द्वारा यात्रियों की सम्पत्ति लूटने का कोई प्रयास नहीं किया गया । इस गाड़ी में राजकीय रेलवे पुलिस के 3 मार्गरक्षी तैनात थे, जो पिछले यान में सवार थे ।

6. राजकीय रेलवे पुलिस/कानपुर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 307 के अन्तर्गत एक मामला सं० 190 दर्ज कर लिया है और इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। सम्बन्धित डिब्बे को कालपी स्टेशन पर गाड़ी से अलग कर दिया गया था । राजकीय रेलवे पुलिस/कानपुर के निरीक्षक तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच गये जो उस क्षेत्र की स्थानीय पुलिस की सहायता से अपराधियों को पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं ।

7. राजकीय रेलवे पुलिस, जो कि गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, गाड़ियों में मार्गरक्षियों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर नजर रखकर और विशिष्ठ मामलों में उन्हें गिरफ्तार करके और उन पर मुकदमा चलाकर रेलों में अपराधों की रोकथाम करने का भरसक प्रयास कर रही हैं । रेलवे सुरक्षा बल इस सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है । इस सम्बन्ध में पर्याप्त निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए मैं सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी पत्र-व्यवहार कर रहा हूं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, रेलवे हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित पब्लिक प्रतिष्ठान है । माननीय रेलवे मंत्री जी ने जो ब्यान दिया है ; उससे ऐसा लगता है कि जैसे तल्ला लगाया गया हो । तल्ला लगाने से मेरा मतलब है, जैसे कहीं पर कोई रेलवे की खामी है, उसको दबाने की कोशिश की गई है ।

आप हमारी पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं और आप एक अच्छे प्रशासक रहे हैं । आज जिस तरीके से रेलवे में अव्यवस्था है ; जैसे जगह-जगह रेल पटरी से उतर जाती है,

कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं ; कहीं लूट-डकैती और माल की चोरी हो जाती है ये सारी चीजें बहुत बढ़ रही हैं। आज सारा राष्ट्र या सदन आपसे बावजूद इस बात के यह जानना चाहता है कि ट्रेनों में जो सफर करने वाले लोग हैं, जिस तरह से उनका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप किस तरीके के कारगर कदम उठाना चाहते हैं ? इस घटना विशेष को उठाने से मेरी भी और मेरे साथियों की कोई गलत मंशा नहीं है, बल्कि हम यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनायें न हों, उनको रोकने के लिए आप और आपका मंत्रालय तथा आपका रेलवे बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है ?

आज हालत यह है कि रेलवे में जो सामानों की चोरी होती है ; उसमें रेलवे के कर्मचारी मिले हुए रहते हैं ; बिना उनके मिले हुए कुछ काम नहीं हो सकता है। आपके जो छोटे-छोटे स्टेशन्स हैं ; वहां जिस तरीके से थानों की नीलामी होती है ; जैसे यू० पी० में, उस तरह से उनकी नीलामी होती है कि कौन स्टेशन मास्टर आएगा ; ताकि वहाँ पर जितनी चोरी होती है उसी के हिसाब से उनको इनकम होती है। अब तो आदमी को यह भी भरोसा नहीं रह गया है कि जो सामान उसके द्वारा भेजा जाता है, वह भी सुरक्षित पहुच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। यह भी भरोसा नहीं रह गया है कि जो व्यक्ति उन ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, वे भी सुरक्षित पहुंच पायेंगे या नहीं पहुंच पायेंगे।

कल हमारी अपनी संसद में एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य मुझ को बतला रहे थे—जब हम पैदा हुए होंगे ये तब से इस संसद के सदस्य हैं—आज असुरक्षा की भावना केवल आम आदमियों में ही नहीं है, बल्कि रेल मंत्रीजी भी हवाई जहाज से जाते हैं, रेलवे बोर्ड के सदस्य ट्रेन से जाने की बजाय कार से जाना ज्यादा पसन्द करते हैं। यह इस बात का इण्डिकेशन है कि आज लोग रेलों के बारे में क्या सोचने लगे हैं। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आप और आप के सहयोगी दोनों बहुत काम्पिटेन्ट लोग हैं, यदि आप किसी काम के लिए तुल जाएं तो वह काम निश्चित रूप से हो कर रहेगा। जिस तरह से आप ने रेलवे की माल-वाहन क्षमता को बढ़ाया है, अन्य कई चीजों को कन्ट्रोल किया है, उसी तरह से इसको भी कामयाबी के साथ कन्ट्रोल किया जा सकता है।

आपने विभिन्न कैसेज के विवरण दिए हैं, जो काफी एलार्मिंग हैं। लेकिन बहुत से कैसेज ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। लोग प्लेट-फार्मों पर जाते हैं, आपके वैन्डर्स उनको जो खिलाते हैं उसमें पायजन होता है जिससे कई लोग मर जाते हैं, लोगों के सामानों की चोरी हो जाती है, जिनके लिये रिजर्वेशन होता है उनको वह रिजर्वेशन नही मिलता है, लोग यदि कम्प्लेंट करते हैं तो उनकी कम्प्लेंट को सुना नहीं जाता, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे कैसेज की संख्या बहुत लम्बी है। इस सम्बन्ध में मेरा आप से निवेदन है कि रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए इस समय आपके पास दो फोर्सेज हैं-- जी० आर० पी० और आर० पी० एफ०। जब पंडित जी रेल मंत्री थे उस समय कुछ सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों फोर्सेज को एक फोर्स बना दिया जाय, इन दोनों को एक में इन्टीग्रेट कर दिया जाय तथा इनका स्वामित्व रेल मंत्रालय अपने पास रखे। पंडित जी ने शायद उस समय यह

कहा था कि इस विषय पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। उस बात को काफी लम्बा अर्सा बीत चुका है और ये घटनायें दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं —इस संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया, अभी तक मालूम नहीं हो सका है। क्या इन दोनों फोर्सेज को ऐक्ट में संशोधन करके एक फोर्सेज नहीं बनाया जा सकता ? आज जी० आर० पी० का जूरिसडिक्शन ट्रेक की देखभाल करना है. जी० आर० पी० की स्ट्रेन्थ वैसे ही बहुत कम है, स्ट्रेट्स के पास पैसा नहीं है कि वे इनकी संख्या को बढ़ा सकें, जिन लोगों को इसमें भेजा गया है वे भी बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। मैं आप को एक उदाहरण देता हूं — ट्रेन में जो बोगी इनके लिए रिजर्व की जाती है, आप देखेंगे कि उसमें ज्यादातर ऐसे लोग सफर करते हैं जो बिना टिकट होते हैं। जो लोग स्वयं ऐसा गैर कानूनी काम करवाते हैं, उनके प्रति कैसे विश्वास किया जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जी० आर० पी० को स्ट्रेन्थन किया जाय, उसमें अच्छे लोगों को भरती किया जाय और इनकी संख्या भी उसी अनुपात में होनी चाहिए, जिस तरह से आज रेल्वे का अर्गेनिजेशन बढ़ रहा है। साथ-साथ इनको आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाय, आज जो राइफलें इनको दी जाती हैं वे पर्याप्त नहीं है। आज डकैतों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, यही कारण है कि ये लोग उनकी चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाते। आप उन्हें आधुनिक हथियार देने के बारे में तुरन्त विचार करें।

जहां तक ट्रेनों की आधुनिकीकरण की बात है—ट्रेनों में ऐसे डिवाइजेशन लगाने चाहिए जिससे यदि कहीं पर ट्रेन में डकैती हो रही है तो उसकी सूचना प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों को मिल सके। आज क्या होता है कि डकैती करने के बाद जब डकैत स्वयं गाड़ी को रोकते हैं तब उनको पता चलता है कि कोई डकैती हुई है, उसके पहले उनको डकैती का कोई पता नहीं चल पाता है।

ट्रेनों में जो एटेण्डेन्ट्स चलते हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। इनको बढ़ाने के बारे में भी आप विचार करें। आज ट्रेनों की हालत इतनी खस्ता है कि यदि कोई दर्वाजा बन्द है तो साधारण धक्के से वह खुल जायगा। यदि कुन्डी लगी हुई है तो भी वह एक ही धक्के से खुल जायगा ...।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : कुण्डी होती ही नहीं है। मैं सहरसा गया था, वहां थी ही नहीं।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : ट्रेनों की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। लखनऊ-दिल्ली मेल जो आपकी है, वह रेलवे की एक प्रेसटीजस ट्रेन है और उस ट्रेन में आपके संसद सदस्यों के साथ ऐसा हुआ है। संसद सदस्य आपके ट्रेन एक्सीडेंट्स में घायल भी हो चुके हैं। तो यह एक ऐसा प्वाइन्ट है, जिस पर तत्काल विचार करने की जरूरत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे। उनको अच्छे हथियार दिए जाएं और जो एक्ट बना हुआ है, उसको संशोधित करने पर विचार करेंगे या नहीं ? इसके अलावा स्टेट

गवर्नमेंट्स के साथ कोआर्डीनेशन करके किस तरह से इस फोर्स को इफेक्टिव बनाया जाए, उसके बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगें ।

इसके अलावा एक बात और यह कहना चाहता हूं कि आपकी ट्रेनों में जो आपका सुपरवाइजरी स्टाफ है, वह क्या करता है, इसका आपने पता लगाया है । हमने अपनी आंखों से देखा है कि मान लीजिए कि थिरी-टायर में आप जा रहे हैं, आप ट्रेन से दिल्ली से निकल जाइए लेकिन दिल्ली से अलीगढ़ पहुंच जायेंगे, तब तक आपका टिकट चैकर नहीं आता है और लोग वगैर टिकट सवार रहते हैं । जिनके पास रिजर्वेशन है, वे तो खड़े रहते हैं और जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, वे बैठे हुए हैं । आपका जो यह सुपरवाइजरी स्टाफ है, उसका कम से कम सुपरजीवन तो इफेक्टिव होना चाहिए और जो उसकी जिम्मेवारी है, उसको ठीक तरीके से वह देखे । होता क्या है कि वह एक कोच में आराम कर रहा है और उसमें रात को सोकर चला जाता है, सुवह जब स्टेशन आता है, तो वह उठकर चला जाता है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाह रहा था कि जो डकैती ट्रेन में हुई है और जिन लोगों की लूट हुई है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको आपने कुछ कम्पंसेशन दिया है और नहीं दिया है, तो कब तक देंगे । इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं । दूसरा यह है कि एक जानकारी अभी हमारे यादव जी ने दी है और इस विषय में मैं यह जानना चाह रहा था कि जो डकैत मारे गये, क्या इनमें से कोई व्यक्ति रेलवे वर्कस यूनियन के सैक्रेटरी का भतीजा भी है ? इससे लिंक ऐसा बनता है और ऐसा लगता है कि जो ये डकैतियां इत्यादि होती हैं और यदि यह एक फैक्ट है कि इसमें रेलवे वर्कर्स का कोई आदमी भी है, तो उन्हीं लोगों के रिलेशन्स इत्यादि जो हैं, उनके कोलावरेशन से यह सारा काम होता है । यदि यह एक फैक्ट है, तो इस पर कृपा करके विचार करना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ रेलवे के अन्दर जो इनडिसिपलिन है उसमें यूनियन्स का क्या रोल है, इसपर विचार करने की जरूरत है । यूनियनों के अधिकार की वात का जहां तक सवाल है, हम उसके समर्थक हैं लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग होने लग जाए और उस अधिकार के कारण आम आदमी का जीवन असुरक्षित होने लग जाए, तो इस विषय पर विचार करने की जरूरती है और मुझ को उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, इस विषय पर विचार करेंगे और इस चीज को देखेंगे कि भविष्य में यहां पर कम से कम हमें यह कहने की जरूरत न पड़े । आप एक क्षमतावान मंत्री हैं लेकिन आपके मंत्रालय में इस तरह की दुर्घटनाएं हों तो इससे निश्चित रूप से हमको बड़ा दुःख होता है ।

श्री केदार पांडे : मान्यवर, डकैती का जो अपराध है, यह होता है ला एण्ड आर्डर की गड़वड़ी से । इसलिए जिस क्षेत्र में रेलगाड़ी जाती है यात्री गाड़ी जाती है, उस क्षेत्र का ला एण्ड आर्डर जैसा है और जैसी स्थिति वहां पर है, उसका प्रोजेक्शन ट्रेनों में होता है ।··· (व्यवधान)··· आप जरा सुन लें । जो मैं कहता हूं, वह फैक्ट है । डकैती, चोरी, मर्डर जितने होते हैं···(व्यवधान)···आप सुनिये, मैं तो आपके सामने सारी वातें रखता हूं । हमारे पास जो

रिपोर्ट है···उसके अनुसार डकैती अगर हुई है, तो वहां पर ला एण्ड आर्डर उतना टाइट नहीं था और ट्रेनों की हालत यह है कि हम सारे देश के अन्दर रेलगाड़ी चलाते हैं और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से हमारी ट्रेनें गुजरती हैं और लखनऊ से दिल्ली को जो ट्रेन आ रही थी, उसमें जो डकैती हुई, तो इसके माइने यह हैं कि उस एरिया की विधि-व्यवस्था जरूर इफैक्टेड है ।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है ।···(व्यवधान)···।

श्री केदार पांडे : आप क्यों इतनी जल्दी घबड़ा जाते हैं । उसमें खासकर तीन-चार स्टेट्स हैं, बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : हमने तो आपके मंत्रालय की जिम्मेवारी की बात पूछी है ।

श्री केदार पांडे : डकैती की बात आप ने कही, तो हमको यह बताना पड़ेगा ना । सुनिये, ला एण्ड आर्डर की कैसी हालत है, यह मैं आपको बतला रहा हूं । बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र ये चार-पाँच स्टेट्स हैं जहां पर इसको ठीक करने की जरूरत है । (व्यवधान) आप जी०आर०पी० और आर०पी०एफ० की बात कर रहे हैं । जी० आर० पी० गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है और आर०पी०एफ० रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है । ये दोनों इस पर लगे हुए हैं कि किस तरह से ऐसी घटनाओं को कम किया जाए । ये सभी एफर्ट्स कर रहे हैं । हमने वहाँ के मुख्य मंत्रियों से भी बात की है कि किस तरह से आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० का कम्पलीट कोआरडिनेशन हो ।

जब आप कहते हैं कि इनका इन्टेग्रेशन करो तो उसके लिए कांस्टीच्युशनल अमेंडमेंट करना होगा क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है और दूसरा सेन्ट्रल सब्जेक्ट है । जब तक इसके लिए कांस्टीच्युशनल प्रोविजन नहीं होता तब तक आर०पी०एफ० और जी० आर० पी० का इन्टेग्रेशन नहीं हो सकता । जैसा मैंने कल राज्य सभा में भी कहा था कि इनमें कम्प्लीट कोआरडिनेशन की जरूरत है । जब तक जी०आर०पी० स्टेट सब्जेक्ट है और आर०पी०एफ० सैन्ट्रल सब्जेक्ट है तब तक हमें इनमें कोआरडिनेशन करना होगा और वह हम कर रहे हैं ।

एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि यू०पी० गवर्नमेंट ने इस बारे में अच्छा काम किया है । यू०पी० में दो-तीन कलिप्रट्स पकड़े गए हैं । एक आदमी गोली से मारा गया है । हमारा एक सब-इन्स्पेक्टर आफ पुलिस भी घायल हुआ है । हम कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिये पूर्व प्रयत्न करते हैं ।

इस तरह की चीजों में हमें अपने आज के समाज की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा और इन चीजों में वह भी प्रोजेक्ट होती है ।

श्री रामविलास पासवान : आप अपनी सरकार की बदनामी कर रहे हैं ।

श्री केदार पांडे : हमें ये सारी बातें दिमाग में रखनी चाहिए। जी० आर० पी० और आर०पी०एफ० के बारे में मेरा यही जवाब है कि जब तक कांस्टीच्युशनल अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक इनका इन्टेग्रेशन नहीं हो सकेगा।

एक बात यह कही गयी कि हम अपनी फोर्टिज का नम्बर बढ़ाएं। वह हमने बढ़ाया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने इस बारे में बातें की थीं और हमने तय किया था कि हमारे पास जी० आर०पी० की एन्जिस्टिंग नंबर बीस हजार है। उसमें हमने 6,018 नम्बर और बढ़ाया है। उत्तर बिहार में हमने 1,517, उत्तरप्रदेश में 2,311, महाराष्ट्र में 1,710, मध्यप्रदेश में 63, आंध्र प्रदेश में 20, उड़ीसा में 375 और तमिलनाडु में 30 नम्बर बढ़ाया है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : ये जो डकैती की इंसीडेंट्स बढ़े हैं क्या उनके अनुपात में यह संख्या ठीक है ?

श्री केदार पांडे : अभी हमने जो 6,018 फोर्स बढ़ाई है यह पर्याप्त है। हम आगे और भी बढ़ाते जाएंगे। अपनी फोर्स बढ़ाने के सम्बन्ध में हमें अपने रिसोर्सिज को भी देखना पड़ेगा।

यह जो हमने 6,018 नम्बर बढ़ाया है इसमें 50 परसेंट रेलवे मिनिस्ट्री का कांट्रीब्युशन है और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का है। तीन करोड़ रुपया हमने कंट्रीब्युट किया है और स्टेट गवर्नमेंटस को कहा है कि आप जी० आर० पी० को बढ़ाइये और मिल करके इस प्रकार की इंसीडेंट्स को रोकिये।

इसके अलावा हमने और भी कदम उठाये हैं। आइन्दा इस तरह की बात न हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं।

जो इम्पार्टेंट ट्रेन्स हैं, खासकर जो रात में चलती हैं, उनमें जी आर. पी. का गार्ड होना चाहिए। स्टेशन, प्लेटफार्म और वेटिंग हाल में पेट्रोलिंग हम कराते हैं। इसके अलावा जो क्रिमनल्स या बैड करेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी हम काफी सतर्क हैं। नाइटट्रेन्स को सुपरवाइजरी आफिसर से चैक कराया जाता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव भी दिया है। जिन स्थानों पर ज्यादा घटनाएं होती हैं, वहां पर स्पेशल पुलिस फोर्स का इन्तजाम किया गया है और राज्य सरकारों की ओर से सी. आई. डी. की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे आदेश दिए हैं कि रेलवे में जो क्राइम होता है, उसको प्रिआडिकली हाई लाइट किया जाए और जो कदम उठाए गए हैं, उनको भी हाई लाइट किया जाए। रात को चलने वाली ट्रेन्स में जी. आर. पी. हाई लाइट करे और पेट्रोलिंग करे। इस तरह के कदम उठाए गए हैं। जो ड्राइवर्स है, इस तरह की घटना होने पर डिस्ट्रेस विसिल बजाएंगे। ये सब कदम उठाए गए हैं।

इस सारी व्यवस्था के बावजूद जो डकैती हुई है, उसके लिए शासन को काफी अफसोस है और सरकार की ओर से पूरी कार्यवाही की गई। तभी तो वह आदमी मारे गए, दो पकड़े गए और एक भाग गया। इसलिए सरकार इसमें असफल नहीं हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि डकैती न हो और ट्रेनें ठीक तरह से चलें।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : जो डकैत भाग गए, उनके घर की कुड़की होगी ?

श्री केदार पांडे : यू० पी० और बिहार में हमारी इन्वेस्टीगेशन फोर्सेस चली गई हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं जो लोग नहीं पकड़े गए हैं, अगर उनके घर का पता लग जाता है तो नियमानुसार कुड़की जरूर होगी ।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं । 1979 में 253 केसेज हुए, 1980 में 351 केसेस हुए और 1981 अक्तूबर तक 313 केसेस हुए । इसके साथ-साथ 1979-80 में 31 केस में कलप्रिट एप्रीहेंड हुए, 1980 में 74 केस में एप्रीहेंड हुए और 1980-81 में अभी तक 81 केस में कलप्रिट एप्रीहेंड हुए । इसी तरह से 1979 में 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1980 में 278 को गिरफ्तार किया गया और इस वर्ष अभी तक 408 लोगों को गिरफ्तार किया गया है । इससे जाहिर है कि इस पर कड़ाई की जा रही है । हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं न हों । कोई भी इनको पसन्द नहीं करेगा कि ट्रेन में डकैती हो और लोग मारे जाएं । इसलिए हम चाहते हैं कि परफैक्ट ला एण्ड आर्डर हो और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर काम करना है, इस तरह की कोशिश हम कर रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार गवर्नमेंट कोआपरेट नहीं कर रही है ।

श्री केदार पांडे : बिहार, उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के सभी राज्यों की सरकारें कोआपरेट कर रही हैं, लेकिन समाज की जैसी स्थिति होती है, उसका असर हर जगह पड़ता है, इसमें लाचारी है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश में कोई कोताही नहीं है । हर जगह हमने सारे स्टैप्स लिए हैं ।

आपने कोचेज की बात कही । हमारे पास 25,000 कोचेज हैं और हर साल 1200 नई कोचेज बनाते हैं ।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : और बनाइए मंत्री जी ।

श्री केदार पांडे : जो हमारे पास आज साधन उपलब्ध हैं उसमें 1200 कोचेज ही बना सकते हैं । लेकिन इरादा है कि आगे कोच फैक्ट्री बैठायेंगे । जिस तरह की ट्रेन की आप कल्पना करते हैं थोड़े दिन आपको धैर्य रखना होगा । जो हमारे पास सीमित साधन हैं उनसे आज हम गाड़ी चला रहे हैं । आप चाहते हैं 25,000 कोचेज चमकीले हो जायें, वह भी करेंगे साधनों के अनुसार । रोलिंग स्टाक का मेंन्टेनेंस भी हमने जोरों से शुरू किया है । इसके अलावा कोच अटेंडेंट्स का नम्बर हम बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही फोर्स की भी संख्या बढ़ा रहे हैं । या जहां जरूरत हो वहां बढ़ाएंगे । इसके साथ साथ यह भी सोचते हैं कि इण्डियन रेलवेज को मौडर्नाइज किया जाय । बिना इसके किए हुए काम नहीं चलेगा । मैंने यहीं पर कहा था कि कम्प्यूटराइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन समय लगेगा । थोड़ा आपको धैर्य रखना चाहिए । इंटेंशन तो हमारी बहुत बड़ी है, मैं चाहता हूं कि इण्डियन रेलवेज को दुनिया की और रेलवेज से कम्पेयर करूं और कम्पटीशन में जाऊं । लेकिन साधन हमारे सीमित हैं ।

ट्रेड यूनियन की बात आप कहते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। जो हमारे 17, 18 लाख वर्कर्स हैं उनमें मेरा पक्का विश्वास है और उनके सहयोग से ही यह सब काम हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और वर्कर्स इन जनरल की बात कहता हूं उनका सहयोग हमको प्राप्त है। कुछ ब्लैक लेग्स हैं उनका इलाज कर रहे हैं। वर्कर्स के प्रति मेरे मन में आदर है क्योंकि वह श्रमिक वर्ग है और उनकी कमाई ही हम सब खाते हैं। उनके लिए मैंने बिना किसी के कहे स्वयं 23 दिन के बजाय 24 दिन का बोनस दे दिया बिना उनके मांगे हुए।

श्री रामावतार शास्त्री : बिना मांगे नहीं।

श्री केदार पांडे : हमने 24 दिन का बोनस दिया है। आर० पी० एफ० के लोगों को कानूनन बोनस नहीं मिलता था। लेकिन हमने उनको भी राशन पानी के नाम पर 50 रु० मासिक हर आर० पी० एफ० जवान का बढ़ा दिया है और इस प्रकार 600 रु० हर आदमी के परमानेंटली बढ़ा दिए हैं। जो कमियां हैं उन्हीं को आप कहते हो, लेकिन जो मैंने स्टाफ की भलाई के लिए अच्छे काम किए हैं उनको नहीं कहते। अच्छे काम भी कहिए और जहां ब्लैक स्पाट है उसको भी कहिए। लेकिन इतने उदार आप नहीं हैं।

फ्रेट ट्रेफिक के बारे में आप जो कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा टारजेट है 214 मिलियन टन उसको पूरा करके हम आगे बढ़ गए हैं।

इसलिए भिन्न-भिन्न पहलू हैं। पहला अनुशासन, दूसरा फ्रेट ट्रेफिक, तीसरा ऐक्सीडेंट्स, चौथा थैफ्ट, पांचवा डकैती और छठा डिसिप्लिन। इन सारे आसपेक्ट्स को एकदम हमने पूरा नहीं किया है और पूरी सफलता उस माने में नहीं है। लेकिन किसी किसी आसपेक्ट में पूरी सफलता मिली है, जैसे फ्रेट ट्रेफिक और दूसरा डिसिप्लिन।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री सहित माननीय सदस्य ध्यानार्कषण प्रस्ताव सम्बन्धी नियमों का पालन करें, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। मंत्री को भी विस्तृत उत्तर नहीं देना चाहिए। उन्हें केवल सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों का ही उत्तर देना चाहिए।

सभा 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 22 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तथा मंत्री को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में बोलना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन मुझे एक ही मानक का पालन करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे साथ साथ विषय के प्रति भी, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं न्याय करना है ।

मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि :—

"चलती रेलगाड़ियो में हर वर्ष लूटपाट/डकैतियों की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है ।"

यदि कुछ हो रहा है । मंत्री महोदय ने अन्त में कहा है :—

"सरकारी रेलवे पुलिस, जो रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा उनके सामान की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, रेलवे में होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के लिए, गाड़ियों में मार्ग रक्षा की व्यवस्था करके तथा अपराधियों पर निगरानी रखकर, पूरा प्रयत्न कर रही है···" ।

मैं आपका ध्यान इस विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अपराधों में वृद्धि हो रही है । वे भी सख्त कार्यवाही कर रहे हैं । वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इसके बावजूद भी रेलवे में अपराध बढ़ रहे हैं । मंत्री महोदय का इस बारे में क्या कहना है ? ये तो सख्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं या उन्हें और अच्छी कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि उनके सभी प्रयत्न विफल रहे हैं, अन्यथा ऐसी घटनायें न होतीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि आप पेसेन्जर रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं या नहीं । मैं अपने माननीय मंत्री जी से पेसेन्जर रेल गाड़ी से विशेषकर बिहार या उत्तर प्रदेश में, यात्रा करने का अनुरोध करूंगा । पेसेन्जर रेलगाड़ी में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है । मुझे नहीं पता क्यो नहीं है ? डिब्बों में अंधेरा रहता है । गाड़ी में हर जगह गहरा अंधेरा रहता है । आप किसी को देख नहीं सकते हैं । उन पेसेन्जर रेलगाड़ियों की दशा देखिए । आपको पता है क्या हो रहा है ? हाल ही में रेल गाड़ी में एक दक्षिण भारतीय की हत्या कर दी गई थी । उसके पिता ने दक्षिण से वाराणसी आने वाले सभी यात्रियों को लिख दिया कि वे शाम के बाद रेलगाड़ी में सफर न करें क्योंकि उसमें कोई सुरक्षा नहीं है ।

पहले भी डकैती पड़ी थी । मैं इससे इन्कार नहीं करता । परन्तु अपराधी सामान्यतया सुनसान या अकेली जगह तथा साधारण पेसेंजर रेलगाड़ी ही चुनते हैं, क्योंकि उनमें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है । परन्तु आज क्या हो रहा है ? ऐसा नहीं है कि केवल डकैतियां ही बढ़ रही हैं बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा मेल रेलगाड़ियों को भी लूटा जा रहा है । ऐसा ठीक वहां पर ही हो रहा है जहां रेलवे सुरक्षा बल या जी० आर० पी० है, जिन पर रेल मंत्री निर्भर करते हैं, तथा रेलवे स्टेशनों के आस पास भी यही हो रहा है । अत. अपराधी निर्भीक

हो गए हैं। वे जानते हैं कि यहां पर कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। वे जानते हैं कि आपके द्वारा उठाए गए कदमों का वे उल्लंघन कर सकते हैं।

जब हम इस संसद में आए थे तब हम नए थे और सरकार हमें बार-बार बताती रही थी कि जनता राज में कोई भी कानून और व्यवस्था नहीं थी और इसी कारण लोगों ने श्रीमती गांधी को वोट दिया ताकि वे पुनः कानून और व्यवस्था स्थापित कर सकें। हमारे माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार प्रतिवर्ष अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जनता राज के दौरान, 1978 में ऐसे 223 मामले हुए; कांग्रेस (ई०) राज में, 1979 में 253 मामले हुए। 1980 में इनकी संख्या 351 थी। जनवरी से अक्तूबर, 1981 में अभी तक रेलगाड़ियों में लूटपाट और डकैती की 340 घटनाएं बताई गई हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ऐसा जनता शासन काल की बजह से हुआ है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक पीस्टट है। माननीय मन्त्री इसे देखें। यह आपका चुनाव के समय दिया गया वचन है; यह श्रीमती गाँधी की फोटो है। वे कहती हैं, "आप ऐसी सरकार चुनें जो काम करे।" उन्होंने भारतीय लोगों से यह कहा "यहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है और आप इस सरकार को रद्द कीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए।" उन्होंने वचन दिया, "मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगी।" आप किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? पहले यात्रियों के सामान की सुरक्षा की कोई सुरक्षा नहीं थी और अब स्वयं यात्रियों की ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है आपने यही सुधार किया है। पहले वे सामान लूटते थे और अब वे केवल साधारण यात्रियों को ही नहीं बल्कि सैनिकों को भी जान से मार देते हैं। देश की रक्षा में लगे व्यक्ति की भी जिन्दगी रेलगाड़ियों में सुरक्षित नहीं है। अब रेलों में यह स्थिति चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए, अब समय है कि आप अपना प्रश्न पूछें। आपने एक बढ़िया भूमिका बांध दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह उपयुक्त समय है। मेरे मित्र श्री राव के प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा रहे हैं और इससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति या तो समाप्त हो जाएगी या न्यूनतम हो जाएगी। आपके वक्तव्य के अनुसार ठीक-ठीक क्या हुआ? लखनऊ-दिल्ली मेल में 2 संसद सदस्यों सहित 28 यात्रियों को लूटा गया और उसमें एक भूतपूर्व मन्त्री भी थे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? उस समय 28 कांस्टेबिल और एक इंस्पेक्टर उपस्थित था। मेरे विचार से यह संख्यां अपर्याप्त नहीं है लेकिन उनकी उपस्थिति से भी यह घटना रुक नहीं सकी। आपके अपने वक्तव्य के अनुसार, बदमाशों ने कोच परिचर के साथ-साथ कोच में तैनात इलेक्ट्रीशियन पर भी काबू पा लिया और यात्रियों को पिस्तौल और चाकू के बल पर लूटना आरम्भ कर दिया।

अत: प्रश्न यह है : सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाकर क्या आप यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि वहां पर सुरक्षा कर्मी होने चाहिए। परन्तु कुछ गड़-बड़ हो गई है। मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है। अपराधियों द्वारा चुने गए क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है ऐसा कैसे हुआ कि वे इतने निर्भीक हो गए ? किस बात ने उन्हें निर्भीक बनाया ? इस पर विचार करना होगा।

यह सच है—मेरे मित्र श्री रावत ने भी इसका उल्लेख किया है—कि अपराधियों और रेल कर्मचारियों के बीच सांठ-सांठ है ? यह सच है कि वे लूट के माल में से हिस्सा लेते हैं ? यह निश्चित करना बहुत कठिन है कि कहां पर प्रशासन असफल होत्ता है और अपराधी सक्रिय होते हैं। आप देश में विद्यमान स्थिति के बारे में विचार कीजिए। वे लोग जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी रक्षा करेंगे रात की रेलगाड़ियों, विशेषकर पेसेंजर रेलगाड़ियों में सफर नहीं करते हैं ; उनमें कोई सुरक्षा नहीं है।

हमेशा ऐसा होता है, हम संसद में चर्चा करते हैं और हमारे रेल मन्त्री कहते हैं ; "मैं उपयुक्त उपाय कर रहा हूं।" परन्तु अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है। क्या आप नहीं समझते कि अब समय आ गया है कि आप इस विषय में गम्भीरता से विचार करें ? लम्बे वायदे करने की बजाए कुछ करें। आखिरकार, वायदे से कुछ नहीं निकलता है। आपको कड़े कदम उठाने होंगे।

मेरा स्पष्ट प्रश्न है : क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए रेल मन्त्री का विशेष उपाय करने का विचार है ? यह बात वास्तव में बहुत हास्यास्पद थी। सम्भवत: उन्होंने यह कहकर प्रसिद्धि प्राप्त की, "जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक मैं यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।" अत: हम सबको संविधान के संशोधित होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। यह एक खोज है जिसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

मामले को टालने की कोशिश मत कीजिए। आखिरकार, यह रेल मन्त्री का उत्तरदायित्व है। दुर्भाग्य वश हमें उनके जैसे अयोग्य व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है। केवल वह ही नहीं, और भी अनेक हैं। जब तक उन्हें हम हटा नहीं देते तब तक हमें यह सब कुछ सहन करना होगा। उन्होंने बाहर हुए विशाल प्रदर्शन को देखा होगा और इसे भी कि आगे क्या होने वाला है।

बहरहाल, आप इस उत्तरादायित्व से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? आप यह कहकर कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सभा को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि यात्री आपको धन का मुगतान करते हैं, न कि राज्य सरकारों को। और यात्रियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी तर्क से इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। यदि आप इससे भागना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अच्छा होगा आप अपना पद छोड़ दें।

आपने काम के घंटों तथा अपने युक्तियुक्त अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले रेल कर्मचारियों को दंड देने को तो आप तुरन्त तैयार रहते हैं। आपने बड़ी जल्दी ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया। आपने उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया और आप सभा में घोषणा करते हैं, "मैं कड़ाई से काम लूंगा।" इन घटनाओं से निबटने के लिए आपका कड़ापन कहां गया ? अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। इनके लिए जिम्मेदार जी०आर०पी० या आ०पी० एफ० के कितने लोगों को आपने नौकरी से निकाल दिया है ? अपने काम के प्रति लापरवाही के लिए आपने अपने आदमियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? आपने इस संबंध में क्या किया है ?

जब रेल कर्मचारी अपनी रोजी-रोटी और सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं तो उनसे उनकी रोजी-रोटी छीनने में आप कड़ाई से काम लेते हैं। परन्तु जब अपराधियों का बोलबाला होता है तो आप अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं। लम्बे-लम्बे भाषण देने के सिवाय आपने कौन सा कदम उठाया है ?

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि कुछ अधिकारियों सहित रेलवे के कुछ लोग इसमें शामिल हैं। वे लूट में से हिस्सा लेते हैं। आपने इस विषय में क्या किया है ?

आप कहते हैं, "मैंने यह किया। मैंने इस आदमी को नौकरी से निकाल दिया। मैंने कार्यवाही कर ली है।"

मुझे पता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में आप पूरे देश को अव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं।

आप प्रशासन नहीं संभाल सकते हैं। आप अपराधियों को नहीं सभांल सकते हैं। कल ही हमने हरिजनों के हत्याकांड की चर्चा की थी।

परन्तु फिर भी कुछ न कुछ करिए क्योंकि यह आपके चुनाव घोषणा-पत्र में दिया गया है और जनता या संविधान संशोधन पर आरोप लगाने की पूरी कोशिश करते हुए लोगो की आँखों में धूल झोंकने, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। आप कुछ न कुछ कीजिए और कृपया बताइए कि अपराधियों को दंडित करने के लिए आपने कौन से कारगर कदम उठाए हैं। आपने क्या किया हैं ?

धन्यवाद।

श्री केदार पांडे : मान्यवर, श्री चक्रवर्ती जी ने बहुत फार्सफुल लेंग्वेज में अपनी बातें कहीं और काफी प्रभाव डालने की कोशिश की। हम पर भी उनका कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब इसके बारे में आप हमारी बातें भी सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह चुनाव सभा होती तो आप अनिच्छा से उन्हें बोट दे देते।

श्री केदार पांडे : एक बात उन्होंने यह कही कि लखनऊ-दिल्ली मेल में हाल में जो

डकैती हुई उस में पुलिस और डकैतों का कोल्यूजन था। यह बिलकुल झूठ बात है, एकदम असत्य है, इसका सुबूत क्या है ? कोई लाजिकल बात कहिए, इमोशनल होकर बात कहने से कोई फायदा नहीं है। इसमें एक क्रिमनल पुलिस ने शूट किया। पुलिस ने उन क्रिमनल्ज को चेज किया, एक को गोली से मारा, हमारे एक सब-इंस्पैक्टर ने गोली खाई और बाकी लोग भी पकड़े गये, इस से क्या साबित होता है ? इसलिए इन्होंने जो कहा है कि वहां की पुलिस और डकैती में कोलूजन था बिलकुल निराधार, बेसलेस बात है, आप कोई लाजिकल बात कहते तो मैं समझ सकता था। तर्कयुक्त बात आपको कहनी चाहिए थी। जैसे कि आप किसी चुनाव सभा में बोल रहे हों। मालूम होता था कि इलैक्शन मीटिंग हो रही है···।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपेक्षा करता हूं ···।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ठीक है। मन्त्री महोदय बात मान रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने जो कुछ कहा है भावना में नहीं कहा। यदि मंत्री महोदय पुलिस को दोषमुक्त मानते हैं तो जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन पर वह कोई सीधी कार्यवाही नहीं कर पायेंगे। यदि आप चाहें तो सभा में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो यह बताएंगे कि जब पुलिस रक्षा बल के कर्मचारी रेलवे लाइन पर होते हैं तब भी चोरियां होती हैं। ऐसा मैंने स्वयं अपने रेलवे स्टेशन में देखा है ··।

श्री केदार पांडे : यह एक भिन्न मामला है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बात कहकर आप उन्हें निश्चित रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसा न करें। आप कहते है सभी पुलिस मैन नहीं, आप कहते हैं कुछ अच्छे है, आप कहते है कि कुछ ऐसे हो सकते हैं। अन्यथा यदि आप उनका बचाव करते है, उन्हें सर्वथा दोष-मुक्त करते हैं, तो सभा में चर्चा करना व्यर्थ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री केदार पांडे : मैं पुलिस को संरक्षण नहीं दे रहा। परन्तु इस घटना विशेष के मामले में मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं सारी पुलिस की बात नहीं कर रहा। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, उन्होंने उन पर गोली चलाई उनमें से एक डाकू मारा गया और उन अपराधियों ने एक थानेदार पर गोली चलाई। यह स्थिति है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि मैं खुद इस बात को कबूल करता हूं कि ला एण्ड आर्डर कुछ एरियाज में ठीक नहीं है। मैं इस को डिफेन्ड नहीं करता, यह फैक्ट है और इस फैक्ट को मानकर हम आगे क्या करना चाहते हैं, क्या स्टेप्स हम ले रहे है, उनको मैंने अपने स्टेटमेंट में दिया है। मैंने कहा है कि जो हमारी फोर्स है, उस पर 6 हजार फोर्स और बढ़ाई गई है आर० पी० एफ० की नहीं, जी०आर०पी० की। उसके लिए 50 परसेन्ट कन्ट्रीब्यूट किया है सम्बंधित

स्टेट गवर्नमेंट्स को और 3 करोड़ रुपए दिए हैं। जी०आर०पी० की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। पुलिस के रहते रहते गड़बड़ी हो सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस को रखने की जरूरत नहीं है। पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में यह एक फंडामेन्टल चीज है कि उस पर विश्वास कर के चलना होता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और हमने इस चीज को देखा है और मैं समझता हूं कि बिना पुलिस फोर्स के ये डकैती, चोरी, ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं हो सकते। इसलिए पुलिस की जरूरत है और बिना पुलिस के हम समाज को नहीं चला सकते हैं और आज जैसा समाज है, उस में पुलिस की आवश्यकता है इसलिए जी०आर०पी० की स्ट्रेंथ को हमने और बढ़ाया है और 3 करोड़ रुपया हमने एनुअली कन्ट्रीब्यूट किया है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन को कन्ट्रीब्यूट किया है। मैं यह भी मानता हूं कि जहाँ ला एण्ड आर्डर ऐसा है, उसमें सुधार की जरूरत है। पुलिस सतर्क जरूर है लेकिन पुलिस के रहते रहते भी कहीं कहीं ऐसा हुआ है। इस पर्टीकुलर ट्रेन में 20 जी० आर०पी० के और 3 आर०पी०एफ० के आदमी थे। आर०पी०एफ० के बारे में आप जानते हैं कि यह तो वाच एण्ड वार्ड की तरह है अभी जो आर०पी०एफ० एक्ट है, उसके मुताबिक लेकिन ला एण्ड आर्डर लाने के लिए आर०पी०एफ०, जी०आर०पी० को एसिस्ट करता है। तो यह पोजीशन है। एक बात यह हुई। दूसरी बात यह है कि ये प्रधान मंत्री जी की अभी तस्वीर दिखा रहे थे ···(व्यवधान)···, उसके बारे में आप से यह कहना है कि हम लोग पावर में आए हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री हैं। हमने लोगों से वायदा किया है कि हम समाज में शान्ति लाएंगे, समाज को अच्छा बनायेंगे। आप कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर ऐसा हो गया है। मैं मानता हूं कि कुछ हुआ है लेकिन यह एक टेम्पोरेरी पीरियड है। हम इस को ठीक करेंगे। ला एण्ड आर्डर की कुछ बात ऐसी है कि समाज में जिस तरह की विषमता है, जिस तरह का ढंग है, वह एक दिन में तो ठीक नहीं होगा और इसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। हम खुद मानते हैं कि इसको सुधारा जाए और किस तरह से इसको किया जाए, यह देखने की बात है। आप देखिए, रेलवे वर्कर्स का पार्टीसिपेशन बहुत कुछ हो रहा है लेकिन रेलवे वर्कर्स का चोरों के साथ कूनीजन है, मैं ऐसा नहीं मानता दो-चार एक्सेप्शनल कैसेज हो सकते हैं, यह दूसरी बात है।

जितनी बातें थीं, वे मैंने अपने स्टेटमेंट में कह दी हैं और उसके बाद रावत जी ने जो बातें रखी थीं, उनके बारे में भी विधिवत बताया है और उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता हूं कि ला एण्ड आर्डर को हमें ठीक करना है और उसके लिए हम ने स्टेप्स लिए हैं।

दूसरी बात हमने यह सोची है कि इन चीजों के लिए हम कैसे सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए हमने एक नया स्टेप लिया हैं। जितनी भी इम्पार्टेंट ट्रेंस हैं जो कि रात में चलती हैं, उनको आर्म्ड गार्ड्स दिए जाएंगे। उनके साथ आर्म्ड गार्ड्स जाएंगे। यह पहले नहीं था। हमने यह नया स्टेप लिया है। जो पेसेंजर ट्रेंस हैं उनमें भी हमारे सुपरवाइजर चेक करेंगे। जो भी पासिबल है वह हम कर रहे हैं। लेकिन इन मामलों में जो समाज में स्थिति है वह तो प्रोजेक्ट हो ही जाती है।

हम अपनी तरफ से सारा प्रयास कर रहे हैं कि आर०पी०एफ० और जी०आर०पी० में कम्पलीट कोआरडिनेशन हो, पुलिस में मजबूती आये। लेकिन समाज की स्थिति का प्रोजेक्शन तो होता ही है। यहां पर ला एण्ड आर्डर के बारे में उपाय हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। बेकारी की बात है और दूसरी बातें हैं वे भी इनमें शामिल होती हैं। हम रेल चलाते हैं, हम उस से भागते नहीं है। इसीलिए हम आर०पी०एफ० और जी०आर०पी० में कोआरडिनेशन की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास जारी हैं। यह हालत बराबर नहीं रहेगी, इसमें जरूर सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सरदीश राय – उपस्थित नहीं हैं। श्री नारायण चौबे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमारे रेल मन्त्री ने इस चर्चा के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है तथा मुझे इस वस्तु स्थिति से लाभ उठाते हुए खुशी है·····।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक लाभ न उठायें।

श्री नारायण चौबे : पहली बात तो आप भली प्रकार जानते हैं क्योंकि आप भी कभी कभी रेल द्वारा यात्रा करते हैं। बेशक रेलों के कई महा प्रबन्धक, रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा हमारे मन्त्री गण रेल द्वारा यात्रा नहीं करते हैं वे प्रायः विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि रेलों द्वारा यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रेलें पटरियों से उतर जाती हैं तथा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये रुकी नहीं हैं। उनमें भी आम लोग मरते हैं। इस समय हम डकैतियों में मारे जाने वाले व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में एक बात की चर्चा की है परन्तु इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है ·····।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री नारायण चौबे : पृष्ठ 4 पर उन्होंने बताया है :

"नव युवकों द्वारा यात्रियों की सम्पत्ति लूटने का कोई प्रयास नहीं किया गया।"

आगे उन्होंने कहा है :

"इस गाड़ी में राजकीय रेलवे पुलिस के 3 मार्गरक्षी तैनात थे।"

यहां पर उन्होंने यह नहीं बताया कि जी. आर. पी. एफ के सिपाहियों ने अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की। इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। मैं यह बात उनसे जानना चाहता हूं।

आगे उन्होंने बताया है :

"राजकीय रेलवे पुलिस, जो कि गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके समान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है गाड़ियों में मार्गरक्षकों की व्यवस्था करके अपराधियों पर नजर रखकर···।"

श्रीमान, मैं इस वक्तव्य से पूर्णत असहमत हूं। यह सच नहीं है। 3 नवम्बर के समाचार पत्र में प्रकाशित एक पत्र में चलती गाड़ी में चोरी का समाचार छपा था। यह पत्र श्री एस. एन. दत्त का है। उन्होंने लिखा है कि एक साधारण गाड़ी में नहीं अपितु कालका मेल में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में दिल्ली से हावड़ा जाने वाली गाड़ी के पूरे डिब्बे को लगभग 2.30 से 3.30 बजे के बीच लूट लिया गया। रेल यात्रियों के सामान की बड़े पैमाने पर चोरी रेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण संभव हो सकती है ·····।

एक माननीय सदस्य : क्या आप वहीं पर थे।

श्री नारायण चौबे : मैं वहां पर नहीं था। उन्होंने आगे बताया है :

"बहुत से यात्रियों के समान की हानि से भी दुखःदायी बात यह थी कि रेलवे अधिकारियों की अति विमुखता तथा 'लापरवाही"।

कृपया सुनिए।

"जब गार्ड से कहा गया तो उसने इस मामले की पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया। जब हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी तब उन्होंने लूटे गये डिब्बे की जांच भी नहीं की ;"

आपने यह उत्तर दिया है कि अपराधों पर नियन्त्रण पाने की चेष्टा की जा रही है। वास्तव में कुछ नहीं किया जाता। मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं। अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में जबलपुर में एक टिकट निरीक्षक को डाकुओं को चुनौती देते समय गोली से मार दिया गया। उसी घटना में एक यात्री भी मारा गया।

इलाहाबाद और वाराणसी के मध्य एक डाकू का मुकाबला करते समय एक इंजीनियर को गोली से मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ मेल की घटना पहले ही बता दी गई है। 4.10.81 को विशेष कालका मेल दिल्ली से हावड़ा जाते समय लूट ली गयी। पुलिस को सूचित किया गया परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

अब, श्रीमान, दक्षिण-पूर्वी रेलवे में 4. 10.81 को डाऊन चक्रदरपुर-हावड़ा यात्री गाड़ी में भारी लूट मचाई गयी। आप जानते हैं कि आद्रा क्षेत्रीय सेना तथा रेलवे सुरक्षा बल का मुख्यालय है, आद्रा और इन्द्रवील के बीच गाड़ी को 3 घंटे से अधिक समय तक रोका गया तथा पूरी गाड़ी को लूटा गया इस स्थिति में यद्यपि इन्द्रवील के सहायक स्टेशन मास्टर ने रेलवे नियन्त्रण कक्ष को संदेश भेजा पर इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल कुछ ही व्यक्तियों को

पकड़ा गया । इस लूट की घटना की विचित्रता यह है । इस डाऊन ट्रेन में पुलिस सुरक्षा दल के लोग सर्वदा जाते हैं । परन्तु उस विशेष दिन वे नहीं गये । मैं नहीं जानता कि क्या डाकुओं तथा पुलिस के बीच कोई सांठ गांठ थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराधियों के नाम दिये गये हैं । मैं उनके नाम बता सकता हूं । उनके नाम हैं :

1. श्री प्रभाकर मण्डल
2. श्री राम कोनाली, और
3. श्री मकबूल रायदा का उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा । इसका कारण मुझे पता नहीं चला । क्या इसका कारण यह है कि उनका सम्बन्ध उस बड़े राजनीतिक दल के साथ है जो देश पर शासन कर रहा है ।

फिर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस गाड़ी में सितम्बर मास में आद्रा और जैचण्डी पहाड़ के बीच लूटपाट हुई । कई बातें समाचार पत्रों में नहीं आती । मैं नहीं समझता कि पूरी संसद मन्त्री महोदय की इस बात को कैसे स्वीकार कर सकती है कि जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाता जब तक जी. आर. पी. तथा आर. पी. एफ. को मिला नहीं दिया जाता, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आता बेरोजगारी समस्या का हल नहीं किया जाता, तब तक रेलों में इस प्रकार की डकैतियां पड़ती रहेंगी ।

आपका कहना है कि समाज को बदलना होगा । बेशक समाज पर बुर्जुआ लोगों का शासन है । इसे बदलना होगा— इस बात से मैं सहमत हूं । लोग इसे बदल देंगे । कल आपने एक महान प्रदर्शन देखा होगा जिसमें लोग कि लाल झण्डे लेकर आए थे । मैं मानता हूं कि इस समाज को बदलना होगा । मेरा सीधा प्रश्न है :

1. आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

बंगला में एक कहावत है जिसका अनुवाद है :

"चालाक लोग चोरियां करते हैं जबकि सीधे लोग पकड़े जाते हैं ।"

बंगाली की ही एक और कहावत है जिसका रूपान्तर है :

"आप सबको छोड़ दीजिए परन्तु आप सबसे छोटे व्यक्ति को पकड़ लीजिए ।"

क्या आप डी. एस. ई. को पकड़ते हैं । नहीं । आप गरीब खिलासी मिस्त्री अथवा लोकोमैन को पकड़ते हैं । आप यह कार्य करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका शासन बहुत से रेल कर्मचारियों को सेवा से निकलने के लिए प्रसिद्ध अथवा बदनाम है । आप 1200 से अधिक रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाने में सफल रहे हैं । आपने यह भी दावा किया है— कुछ सीमा तक मैं समझता हूं कि आपका दावा ठीक भी है—कि वास्तव में अनेप शासन के दौरान अधिक यातायात कर रहे हैं और इससे अधिक धन कमा रहे हैं परन्तु मैं फिर

कहना चाहता हूं कि सुरक्षात्मक उपाय आप कभी-कभी ही बरतते हैं। सुरक्षा के नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि आप बिना उचित बैकुअम पावर के रेलों को चला रहे हैं। आप गाड़ियों को बिना गार्ड के तथा रात में बिजली पानी के चला रहे हैं। इस प्रकार लोग स्थिति से लाभ क्यों न उठायें? क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि गाड़ियों में होने वाली इन डकैतियों और हत्याओं के मामलों में अब तक आपने कितने बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी यात्री, एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों में रात में बिजली पानी दोनों की व्यवस्था कर दी जाएगी। तीसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अब भी यही मानते हैं कि यदि समाज नहीं बदलता तथा जी. आर. पी. और आर. पी. एफ. को मिलाया नहीं जाता तो डकैतियाँ जारी रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आप इन घटनाओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस निश्चिय प्रश्न का उत्तर देंगे कि इन घटनाओं के बारे में रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

श्री केदार पाँडे : सबसे पहली बात यह है कि एक ट्रेन में डकैती हुई, और कुछ डकैतियाँ और भी पहले हुई हैं। माननीय चौबे जी ने बहुत से इन्स्टांसेज बताए करेंट जोन्स के, तो उनके बारे में अगर आप मुझे डिटेल दे दें तो मैं जांच कर के जवाब दे सकता हूं। क्योंकि जिस पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में यह बात है उसके अलावा इधर उधर की बात का आफ हैंड जवाब देना मुमकिन नहीं है। इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जहां तक आफिसर्स की बात है लिस्ट मेरे पास है, और कुछ ऐक्शन हुआ है। लेकिन जहां तक डकैती की बात है, कोई नई बात तो कही नहीं आपने जिसका नया जवाब कोई दिया जाय। डकैती के मुताल्लिक, ला ऐंड आर्डर के मुताल्लिक आपने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके पहले जो दो माननीय सदस्यों ने कहा है, मैंने उसका पूरा जवाब दिया है। डकैती और क्राइम रुके, इसका प्रयास मैंने किया है और कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो पुरानी बात कह रहे हैं।

श्री केदार पांडे : नई बात क्या कहूं? जो आपने कहा है, वही सवाल तो सब पूछते हैं और उसका जवाब भी वही है। सवाल कोई और हो तो उसका जवाब दे सकता हूं।

एक बात कह सकता हूं कि कितने अफसर सजा पाये हैं, उनकी लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन आज ऐसी पोजीशन नहीं है कि उनकी लिस्ट मेरे पास हो।

आपने दूसरे इंसीडेंट्स और ला एंड आर्डर की बात कही है, उनके बारे में डिटेल मुझे दें तो जरूर उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि आपकी भी फुल कोआपरेशन मिलनी चाहिए। आपका सहयोग अगर होगा, सब मिलकर सहयोग देंगे, यह समाज का सवाल है, एक पार्टी का सवाल नहीं है, समाज एज ए होल का सवाल है, उसमें आप की और

हमारी सब की जिम्मेदारी है कि क्राइम रुके, एफर्ट्स करें। हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें आप हमारी मदद करें। जैसी समाज की तस्वीर है, ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, पर्टिकुलर एरिया इफैक्टेड है, ला एण्ड आर्डर वहां खराब है, मैं क्या कहूं कि खराब नहीं है ?

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जब वर्तमान रेल मन्त्री ने कार्य-भार संभाला था, तो कहा था कि 6 महीने में रेल की सारी दुर्व्यवस्था को दूर कर देंगे और सुव्यवस्था कर देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी पिछले 12 नवम्बर को, जबकि उनका कार्यकाल या एक साल पूरा होता था, सालगिरह होनी थी, उस दिन कम-से-कम ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि अखबारों में आ गया है। हम समझते थे कि न उस दिन कोई रेल दुर्घटना होगी और न लूटपाट और डकैती की कोई घटना होगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही अपने क्षेत्र समस्तीपुर में उस दिन 12 नवम्बर को रेल दुर्घटना हुई, जैसे कि साल-गिरह मनाई गई हो।

स्थिति ऐसी हो गई है कि चारों तरफ विधि-व्यवस्था खराब है और ऐसा रेल मन्त्री ने भी परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि जब राज्य की विधि-व्यवस्था खराब है तो वैसी स्थिति में रेल में भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह ठीक है, लेकिन विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखना यह आपकी जिम्मेदारी है। आप जब यह कहते हैं कि आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है और फिर विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी आप राज्य के ऊपर डालते हैं तो हम समझते हैं कि आप समस्या को केवल टालते हैं। क्योंकि जब रेल यात्री आपकी रेल में यात्रा करते हैं तो विधि-व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कम-से-कम रेल के भीतर तो आपकी है, आप इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखें।

जहां तक आर. पी. एफ. और जी. आर. पी. के समन्वय की बात है, आप उसका उचित रास्ता खोजें, निकालें ताकि जो यात्री यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। जब आप भी सारी समस्या को विधि-व्यवस्था पर टालते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां विधि-व्यवस्था खराब है, ऐसा सब मानते हैं, वस्तुस्थिति यह है कि जब यात्री गाड़ी में बैठते हैं तो शायद पुकारने लगते हैं कि जय जगन्नाथ जी की और जय विश्वनाथ जी रक्षा करो।

मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय निश्चय ही इस स्थिति से निबटना चाहते हैं और यात्रियों को सुरक्षा देना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस समस्या का समाधान कहीं और ढूंढ़ रहे हैं। समस्या है मुख्यतः बेरोजगारी की। जिस क्षेत्र में विधि-व्यवस्था खराब है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बेरोजगारी है। जिन नौजवानों के सामने रोजगार के अभाव में भूखों मरने की स्थिति आ जाती है, वे और क्या करें ? उन्हें सबसे आसान रास्ता यही नजर आता है और वे लूट-पाट करते है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रेन में लूट-पाट की घटनाओं में अधिकतर नए नौजवान ही मिलेंगे। समस्या की जड़ यहां है।

बिहार और उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में रेलगाड़ियों की संख्या कम है। नतीजा यह है कि रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़ होती है। रेलगाड़ी के भीतर ही नहीं, रेलगाड़ियों की छत पर और दो डिब्बों के बीच में भी यात्री भरे रहते हैं। जब रेलगाड़ियों में इतनी भीड़ रहती है, तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। विधि-व्यवस्था की बात क्या करते हैं, कोई भी व्यवस्था वहां नहीं चल सकती। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ गाड़ियों को कैन्सल भी कर दिया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, मन्त्री महोदय स्वयं समझ सकते हैं।

रख-रखाव के अभाव में गाड़ी के डिब्बों में रात को बिजली नहीं रहती है, पंखा नहीं रहता है। जैसा कि अभी वर्णन किया गया है, दो तीन दिन पहले हम मधेपुर जा रहे थे। जानकी एक्सप्रेस नार्थ-ईस्टर्न रेलवे की एक महत्वपूर्ण गाड़ी है। उस लाइन पर केवल वही गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है। उसकी स्थिति यह थी कि जब हम लोग फर्स्ट क्लास के कम्पार्टमेंट में चढ़े, तो भीतर से सिटकिनी लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ उखड़ा हुआ था। कंडक्टर ने मुझसे आग्रह किया कि मैं कम्पार्टमेंट बदल लूं। नतीजा यह हुआ कि मैं पिछले कम्पार्टमेंट में आया। क्या ऐसी स्थिति में चोरी-डकैती नहीं होगी ?

फर्स्ट क्लास में एटेंडेंट और कंडक्टर की व्यवस्था है। फर्स्ट क्लास के डिब्बों का अरेंजमेंट ऐसा रखा जाता है कि एक डिब्बा तो ट्रेन के एकदम आगे रहता है, जबकि दूसरा डिब्बा उससे एक फर्लांग पीछे किसी भी स्टेशन पर गाड़ी तीन, चार या पांच मिनट के लिए रुकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप उम्मीद करेंगे एटेंडेंट से कि वह पिछले डिब्बे से दौड़ कर पहले डिब्बे में आए और यात्रियों को अपेक्षित सुबिधा प्रदान कर सके ?

जहां तक मै समझता हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटनाएं विबि-व्यवस्था के खराब होने के कारण होती हैं, ऐसा तो नहीं है। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि रेलवे के रख-रखाव के अभाव के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। 9,000 किलोमीटर रेलवे ट्रेक बदला जाना है, और बहुत से काम करने हैं। जब रेलवे का कम्पार्टमेंट पुराना हो, ट्रेक पुराना हो, तो दुर्घटनाएं होंगी ही और चोरी-डकैती भी होगी ही।

सरकार बिना-टिकट यात्रा करने वालों को रोकने में आज तक कितना सफल हो पाई है ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार इसमें कभी सफल नहीं हो पाएगी, जब तक वह बिना-टिकट यात्रा करने वालों को दंडित नहीं करेगी। आपने अभी तक तो यह किया है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों को, हाई जैकर्स को केवल पुरस्कृत किया है। पुरस्कृत करने की नीति को छोड़कर दण्डित करने की नीति अपनाएं।

अन्तिम बात···।

अध्यक्ष महोदय : हममें से सभी बिना टिकट यात्रा करते हैं।

श्री अजीत कुमार मेहता : श्रीमान, हमारे पास वैध, टिकट है। हम बिना टिकट नहीं है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहाँ भी लूट पाट और डकैती की घटनाएं ट्रेन में होती हैं उसके लिए आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाय ? अगर ऐसी व्यवस्था है तो आज तक आपने कितने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाली है क्योंकि ट्रेन में जो रावरी या डकैती की घटना होती है उसके अन्दर कहीं न कहीं, कोई न कोई लापरवाही जरूर होती है। आज तक आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल सके हैं ?

इन सारी बातों के साथ अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यात्रियों की यह दुर्दशा कब तक होती रहेगी ? यात्रियों की इस तरह की दुर्दशा कि कभी दुर्घटना के शिकार हो जायं, कभी चोरी डकैती के शिकार हो जायं, कभी लूटपाट के शिकार हो जायं, यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ? आखिर कब तक हम प्रतीक्षा करते रहेंगे ? क्या अनन्त काल तक ऐसे ही होता रहेगा ? आप उसके लिए एक समय की सीमा बांधें।

दूसरी बात यह कि आज तक जितनी भी लूट-पाट की और डकैती की घटनाएं हुई हैं उनमें आपके आर० पी० एफ० या जी० आर० पी० के लोगों ने कितनी घटनाओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। यदि उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है तो कितनी इस तरह की घटनाओं में जिनका सामान लूटा गया है उनके सामान की वापसी हुई है ?

अन्त में लखनऊ मेल वाली घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें हमारे कुछ माननीय संसद सदस्य यात्रा कर रहे थे जिनका सामान लूटा गया। मंत्री जी ने बताया है कि बहुत सा सामान उसमें बरामद हो गया है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उन दोनों माननीय संसद सदस्यों में से किस-किस का कितना सामान अब तक वापस किया जा सका है ?

श्री केदार पांडे : माननीय सदस्य मेहता जी हमारे पड़ोसी हैं। समस्तीपुर में जो अभी ऐक्सीडेंट हुआ मैं स्वयं वहाँ गया था और मैंने देखा, जो वहाँ पर लोग घायल हुए थे उनको भी मैंने देखा, 6 आदमी मर गए हैं, यह वास्तव में बहुत ही अफसोस की बात है। गत सेशन के बाद इधर ऐक्सीडेंट्स कम हो गए थे, एक भी घटना नहीं घटी थी···(व्यवधान)···। पिछली बार जब सदन ऐडजर्न हुआ उसके बाद और इसके बीच में यह एक ही दुर्घटना हुई है। इसके पहले तो सेरीज आफ ऐक्सीडेंट्स होते थे। इधर जब इटेंसिव इंसपैक्शन हम लोगों ने कराया है और ज्यादा ध्यान इस तरफ दिया है तो केवल यह एक दुर्गटना घटी। यह भी नहीं घटनी चाहिए थी। मैं यह नहीं कहता कि यह घटनी चाहिए थी। लेकिन इतनी बात कहता हूं कि जितने ऐक्सीडेंट्स पहले हुए उसके अनुपात में पिछले दो ढ़ाई महीने के अन्दर यह एक ऐक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 आदमी मरे हैं और करीब 38 आदमी घायल हुए हैं। मैंने जाकर उनसे मुलाकात की। काफी अफसोस हमको भी है, मेहता जी को भी है और तमाम माननीय सदस्यों को है। वह जानते हैं कि क्यों यह हुआ, यह कोलीज़न की बात है···(व्यवधान)··· इसमें न तो कोई ट्रेक की खराबी थी और न कोचेज की कोई खराबी थी इसमें ह्यूमन एरर थी··· (व्यवधान) मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, आप भी मेरे जवाब को ध्यान से सुनिए। मैं जब यह कह

रहा था कि दो ट्रेन्स का कोल्यूजन हो गया—एक ट्रेन तो स्टेशन पर खड़ी है और दूसरी ट्रेन आकर धक्का मारती है। इसमें तो कोई मैकेनिकल ट्रबुल वगैरह की बात ही नहीं थी। इसमें तो ह्यूमन नैग्लिजेन्स हुआ है और उनको मैंने डिसमिस कर दिया है। जो उसमें एम्पलाईज थे, ऐसा मालूम होता है, या तो वे शराब पिये हुए थे या उनकी आंखें बन्द थीं। इसलिए मैंने उनको तुरन्त डिसमिस किया है। यही ऐक्शन हम ले सकते थे, और क्या कर सकते हैं? उसके बाद इंक्वायरी भी चल रही है। (व्यवधान)।

जैसा कि मैंने बतलाया है, हमारे पास टोटल 25 हजार कोचेज हैं जिसमें से साढ़े सात हजार ओवर-एजेड हैं। 1200 नयी कोचेज बनाकर हर साल हम अपनी फ्लीट में जोड़ते हैं। इस तरह से कुछ कोचेज को हम रिप्लेस करते हैं और कुछ को आगे बढ़ाते हैं। (व्यवधान) जो कोचेज पुरानी हो जाती हैं उनको हम स्क्रैप करके बेचते हैं। जो कोंचेज ठीक करने लायक होती हैं उनको ठीक करते हैं और जो यूजलेज हैं उनको ढ़ोने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उनको स्क्रैप कर देते हैं।

जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया, पहले एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, पिछले सेशन के पहले दिन ही मुझे यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन फेस करना पड़ा था और उसमें पूरी तरह से डिस्कशन हुआ था। जब पुरानी कहानी को दोहराने से तो फायदा होगा नहीं, आगे की बात हमको सोचनी चाहिए। जहां तक एकेसीडेंट्स की बात है, भगवान न करे, कोई भी एक्सीडेंट हो। हम तो एक भी एक्सीडेंट नहीं चाहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। न तो हम चाहते हैं और न आप ही चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स हों। एक्सीडेंट कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन इसको रोकने के लिए दो चीजें चाहिए —एक तो रेल बढ़िया हो, व्हील बढ़िया हो और कोचेज, वैगन्स अच्छे हों। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कहें कि अवधि बतला दूं तो यह सम्भव नहीं है। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कोचेज चाहिए जिसके लिए एक और नयी कोच फैक्टरी बनानी होगी। लेकिन एक दिन में यह कैसे हो सकता है। अभी हम 1200 से अधिक कोचेज एक साल में नहीं बना सकते हैं। नयी कोच फैक्टरी बनाने के लिए समय चाहिए। आप चाहते हैं वन फाईन मार्निंग सभी कुछ सुधर जाए—ऐसा तो नहीं हो सकता है।

जहां तक लॉ-एंड-आर्डर की बात है, वह भी सुधरेगी। ऐसा नहीं है कि वह बराबर वैसी ही रहेगी। उसमें सुधार होगा और सुधार हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया हैं कि दो—तीन कदम हमने उठाए हैं—एक यह कि जो नाइट ट्रेन चलेंगी, उनमें हम गार्ड दे रहे हैं और दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन हैं, उनको सुपरवाइजर भी चैक करेंगे। अभी पीछे दो लाख आदमी बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़े गए। उनको सजा भी हुई और यह काम फिर शुरू हो जाएगा। बिना टिकट सफर करने वालों में बड़े-बड़े आदमी पकड़े गए हैं। बिना टिकट सफर करना तो लोगों ने एक रुटिन वर्क बना लिया है, जो कि देश के लिए हितकर नहीं है। यह अपने देश की बात है, मैं और ज्यादा क्या कहूं। टिकट-लैस ट्रैवलिंग एक पुरानी बीमारी है।

एक माननीय सदस्य : बिहार में ज्यादा है ।

श्री केदार पांडे : बिहार में ही नहीं सारे देश में है । बंगाल में और भी ज्यादा है । आप भारत की बात कीजिए । सारे भारत में टिकट लैस-ट्रैवलिंग एक बीमारी है, रुटीन-वर्क है । इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप सारे भारत की बात सोचिए ।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि लॉ-एंड-आर्डर भी सुधरेगा, डकैती भी बन्द होगी, चोरी भी बन्द होगी औ बिना टिकट के चलने वालों की संख्या में भी कमी होगी । बड़े-बड़े लोग पकड़े गए हैं-- कोई प्रिंसिपल है और न जाने कौन-कौन लोग हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : टी० वी० पर बिना टिकट सफर करने वाले लोगों को दिखाया गया है ।

श्री केदार पांडे : मंत्री जी बता रहे हैं कि टी० वी० पर टिकट लैस पकड़े गए लोगों को दिखाया गया है । हमने देखा है कि बड़े-बड़े लोग पकड़े हैं । टिकट लैस-ट्रैवलिंग ब्लड-शूगर जैसी बीमारी है जो समाज के ब्लड में घुस गई है; इसको निकालना होगा और यह सब के सहयोग से ही निकलेगी केवल हमारे ही प्रयासों से नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निराशा की बात नहीं है, यह देश बनेगा, जरूर बनेगा । हम इस दिशा में बहुत कुछ आगे गए हैं, कहीं-कहीं पर गड़बड़ियां हैं, उसको हम ठीक करेंगे ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कालीकट में एक हवाई अड्डे का निर्माण

श्री वी० एस० विजय राघवन* (पालघाट) : ताजा समाचार के अनुसार, कालीकट में हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित भूमि अपर्याप्त है । इससे केरल के लोगों के मन में कुछ आशंका पैदा हो गई है कि अन्ततः इस परियोजना को किसी न किसी बहाने से स्थायी तौर से छोड़ा जा सकता है । यह मामला एक दशाब्दी से अधिक समय से लटक रहा है । कई अनिश्चितताओं में से गुजरने के पश्चात आखिरकार अधिकारियों ने उस स्थल का निरीक्षण करने और भूमि का अर्जन करने का निर्णय किया । 1 अप्रैल, 1981 को माननीय प्रधान मंत्री ने केरल के लोगों को आश्वासन दिया था कि कुछ महीनों के भीतर इस हवाई अड्डे के संबंध में काम शुरू हो जाएगा । यह समझा जाता है कि प्रारम्भिक अनुमान भी तैयार किये गये थे । किन्तु अब यह कहा जा रहा है कि अर्जित भूमि हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त नहीं है ।

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

सामान्य रूप से यह मान लिया जाना चाहिए कि स्थल का चुनाव इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा भूमि की पर्याप्तता आदि संबंधी सभी पहलुओं पर सावधानी-पूर्वक विचार करने के पश्चात किया गया था। अतः इस बात पर आश्चर्य होता है कि अधिकारी गण ने अब इस प्रकार का तर्क पेश किया है।

केरल के लोग कालीकट में एक हवाई अड्डे की मांग लम्बे समय से करते चले आ रहे हैं। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि इस हवाई अड्डे का बहुत वाणिज्यिक एवं सामरिक महत्व है। यदि इस सारहीन आधार पर इस परियोजना को समाप्त कर देने का इरादा है कि पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अतः मैं सरकार से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त पर्याप्त भूमि अर्जित करे और काम को शुरू करे और इस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा केरल को दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करे।

(दो) जेलों में विशेष रूप से सेंट्रल जेल, मुजफ्फरपुर (बिहार) के कैदियों के साथ होने वाला व्यवहार

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : देश के विभिन्न जेलों की दुर्दशा के सम्बन्ध में आये दिन अखबार में समाचार आते रहते हैं लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारावास की जो दुर्दशा मैंने देखी, उससे किसी को भी आश्चर्य एवं दुख हो सकता है। मैंने 16-9-1981 को गिरफतारी दी। तत्पश्चात् मुझे मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारावास में ले जाया गया जहां आम कैदियों का स्थानान्तरण एक जेल से दूसरे जेल होता रहता है, वहीं कुछ कैदी 10-10 साल तक उसी जेल में हैं। कई कैदी को एक टिकिया दवाई और समुचित भोजन के अभाव में दम तोड़ देना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर एक-एक कैदी प्रति माह 4-5 हजार रुपये जेल से नाजायज कमाकर घर भेजता है। जेल में 9 बजे रात्रि के बाद जेल की खाद्य सामग्री एवं तेल आदि प्रतिदिन बाहर भेजी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जेल में कुछ कुख्यात अपराधियों को रात्रि में जेल से बाहर निकाल कर डकैती कराई जाती है और पुनः सवेरा होने के पहले जेल में बन्द कर दिया जाता है।

दलाल कैदियों द्वारा प्रतिदिन छोटे-छोटे लड़कों के साथ अनैतिक कार्य किया जाता है और यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसे अपने जीवन से भी हाथ गंवाना पड़ता है। कैदी की रिहाई के समय वस्त्र तथा आकस्मिक खर्चे के नाम पर प्रति वर्ष लाखों रुपये के घोटाले होते हैं। शुरू में जो कैदी आता है, उसे पीटना और उसके यहां से पैसा मंगवाना आम बात है। रिहाई आदेश आने के बाद भी उन कैदियों द्वारा घूस में पैसा जब तक नहीं दिया जाता है, तब तक उसे जेल से बाहर नहीं निकालते हैं। खाने के नाम पर सड़ा हुआ आटा, कंकड़ मिला चावल, सड़ी-गली सब्जी, पानी के समान दाल, जेल का उत्तम भोजन माना जाता है...।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : हम लोगों को भी आपके शासनकाल में हजारीबाग जेल में काला-काला बैंगन दिया गया था और वह भी सड़ा-गला।

श्री रामविलास पासवान : वही कह रहा हूं, आपके साथ भी ऐसी घटना घटी थी, मुजफ्फरपुर जेल में आपको भी चीना गया था।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : आप लोगों के वक्त में हम लोग भी हजारीबाग जेल में रखे गये थे, तीन दिन तक खाना नहीं मिला था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या मंत्री महोदय जनता सरकार के कुशासन के औचित्य को सिद्ध कर रहे हैं। मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि चूंकि जनता शासन में ऐसा हुआ हैं, इसलिए ऐसा होना चाहिए। इसलिए, सरकार को यह कहने दिया जाना चाहिए कि जनता शासन द्वारा स्थापित परम्परा जारी रहेगी।

श्री रामविलास पासवान : चिट्ठी जो कैदी के नाम से आती है वह उसे नहीं दी जाती है और महीने के अन्त में हजारों चिठ्ठियों को जला दिया जाता है। मैंने जब इस सम्बन्ध में जेल अधीक्षक से शिकायत की तो जेल अधिकारियों द्वारा कुख्यात दलालों से मुझे तथा मेरे अन्य साथियों को जान से मारने की साजिश की गई।

जब जेल में एक सांसद इतना असुरक्षित है तो आम कैदी कितना सुक्षित होगा, यह शोचनीय प्रश्न है। अतः आपसे आग्रह है कि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न जेलों में हो रहे जुल्म को रोकने हेतु कोई कारगार कदम उठावे।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

(तीन) रानीगंज में धसकन की समस्या को हल करने के लिए किए गए उपाय

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय मैं सभा का ध्यान रानीगंज में भूमि धंसने की समस्या की जांच करने के लिए पौलेंड के एक विशेषज्ञ की सेवाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। ऊर्जा मन्त्री ने सूचित किया था कि इस मामले को पौलेंड की सरकार के साथ उठाया गया था और उसने इसके लिए उपयुक्त विशेष भेजना स्वीकार कर लिया है और विशेषज्ञ को भेजे जाने से पूर्व सभी उपलब्ध तकनीकी जानकारी पौलेंड की सरकार के अध्ययन हेतु उसे भेज दी गई है।

महोदय ऊर्जा मन्त्री ने यह भी सूचित किया था कि पौलेंड का दल इस वर्ष सितम्बर में दिल्ली आयेगा। किन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार की लापरवाही के कारण इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई मालूम नहीं हो रही है जिससे लोगों तथा कर्मचारियों को कठिनाईयां हो रही हैं। मंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद भी रानीगंज में कोल डम्प को खोला नहीं गया है और इस प्रकार उपभोक्ताओं को तस्करों और चोरबाजारी करने वालों की दया पर छोड़ दिया गया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध तुरन्त कार्यवाही करे और हमें उस सम्बन्ध में उठाये गए पगों के बारे में जानकारी दें ।

मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में इस सभा में वक्तव्य देने की मांग करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । गढ़वाल के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया है । भूतपूर्व संसद सदस्य श्री प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में तेरह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । इस देश में लोक तन्त्र की हत्या की जा रही है और यही कारण है कि उन्होंने आज अपनी गिरफ्तारी दी है । आज देश में हो रही इस प्रकार की अनर्थकारी बातों को अवश्य ही रोका जाना चाहिए और इस सरकार की निन्दा की जानी चाहिये ।

(चार) हाई टेंशन पावर लाइन में तोड़-फोड़ के कारण असम के कछार जिला में बिजली का बन्द हो जाना

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : मैं ऊर्जा तथा बिजली मन्त्री का ध्यान शिलांग (मेघालय) और सिलचर (कचार) के बीच बड़ी शक्ति वाखी लाइन में तोड़-फोड़ होने के कारण कछार जिले में बिजली के पूरी तरह से फेल हो जाने की ओर दिलाना चाहता हूं । मेघालय राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किये जाने के बाद ऐसा हुआ है । गत वर्ष भी कछार को इसी तरह इस प्रकार की तोड़-फोड़ की गतिविधियों के कारण लगभग एक महीने तक सम्पूर्ण रूप से अन्धकार में रहना पड़ा था।

मैं इस प्रकार बिजली के फेल हो जाने के कारण कछार के उद्योगों तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अव्यवस्थित होने से बचाने हेतु तुरन्त निम्नलिखित पग उठाये जाने को सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं :—

(1) बदरपुर में आपात विद्युत के लिए एक गैस-टरबाइन संयंत्र की स्थापना की जाये ;

(2) सारे आसाम के क्षेत्र में एक वैकल्पिक बिजली की लाइन की व्यवस्था करने के लिए लुम्डिंग से माइबोंग हाफलोंग होते हुए कछार तक 33 के०वी०ए० लाइन तुरन्त पूरी की जाये ;

(3) लोकटक से मारियानी तक 132 के०वी० ए० बिजली लाइन तुरन्त पूरी की जाये ; और

(4) सिल्चर, करीमगंज और मलाकाडी नगरों में जल सप्लाई और अस्पतालों आदि के लिए आपात लाइन के लि डीजल चालित उत्पादन सेट की स्थापना की जाये।

मैं बिजली और ऊर्जा मंत्री तथा गृह मंत्री से इस विषय में वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं।

(पांच) गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित सूचना दे रहा हूं :

विहार एवं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के प्रति भयंकर धोखाधड़ी एवं चीनी मिल-मालिकों के प्रति सरकार के आत्म-स्मर्पण ने गन्ना उत्पादक किसानों में खलबलाहट पैदा कर दी है।

जगह-जगह सम्मेलन, प्रदर्शन एवं सभाओं के माध्यम से किसानों ने अपने गुस्से का इजहार आरम्भ कर दिया है।

पिछले साल केन्द्र सरकार से परामर्श कर के विहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गन्ने की कीमत 22 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिलवाई। पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में गन्ने की कीमत और अधिक रही।

पिछले साल की कीमत पर किसानों ने गन्ने की खेती एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य के रूप में की ताकि चीनी के आम संकट का सामना जनता को न करना पड़े।

इस बीच खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, पम्पिंग सैट आदि किसानों के द्वारा खरीदे जाने वाली सारी चीजों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। किसानों का लागत-खर्च 20 प्रतिशत से अधिक वढ़ गया है। ऐसी स्थिति में गन्ने की कीमत में पिछले साल से भी दो रुपये प्रति क्विंटल कम कर देना सरासर अन्याय है।

मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत कम करने से गन्ना उत्पादक किसानों का सरकार की किसान विरोधी नीति से भयंकर विद्रोह होगा। चीनी मिलें बन्द होंगी और उत्पादन की क्षति होगी। यह स्थिति राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होगी।

किसानों के लिए यह भारी क्षोभ का विषय है। यह सरकार की घोषित नीतिकि, किसानों को लाभकर मूल्य मिले, के खिलाफ है और राष्ट्रद्रोही एवं पूंजीपति प्रेमी है।

इसमें करोड़ों लोगों के जीवन-मान का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

अस्तु, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब राज्य सरकारों से सम्पर्क कर के गन्ने की कीमत 30 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित कराए ताकि आसन्न किसान विद्रोह को टाला जा सके और चीनी का उत्पादन प्रभावित न हो एवं राष्ट्र की क्षति न हो।

(छः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तुरन्त राहत उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : चेयरमैन महोदय, पिछले सितम्बर में घाघरा, राप्ती और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से गोरखपुर और बस्ती जिलों में खासतौर से गोरखपुर जिले की फरेन्दा, महाराजगंज तहसील में तवाही हुई। फरेन्दा तहसील के घानी व्रजमनगंज और मिश्रोलिया ब्लाक की तवाही और बरबादी ने इस क्षेत्र में बाढ़ की तवाही के सारे पिछले रिकार्ड तोड़ दिये। घानी ब्लाक का, रिगौली, पचमा मूसाभार, लुहारपुरवा घानी करखी आदि 80 से अधिक गांबों के अधिकतर मकान जमीन बराबर हो गये। इसी तरह की हालत नौतवां नगर के उस निचले भाग की थी जहाँ बड़ी संख्या में हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग बसते हैं। बाढ़ के पानी ने नौतवां और आसपास के पच्चीसों गांवों को तवाह और बरबाद कर दिया।

महाराजगंज तहसील में पैहरी बांध के टूटने से आस पास के पचासों गांव तवाह हो गए, सड़कें कट गई, कच्चे पक्के मकान ध्वस्त हो गये, खड़ी फसल बरबाद हो गयी। घानी ब्लाक में कुछ दिनों तक एयर फोर्स के हेलीकोप्टर से खाना पहुंचाया गया। कुछ स्थानीय और बाहरी स्वयंसेवी संस्थाओं ने सराहनीय काम किया।

जिन कारीगरों के करघे और सूत रखने और काम करने का स्थान सब तवाह व बरबाद हो गया वह लाचारी और बेवसी की जिन्दगी बिता रहे हैं और उनका भविष्य भी अन्धकारमय है। बाढ़ से तवाह व बरबाद यह किसान कारीगर और छोटे व्यवसायी और खेत मजदूर सरकार से इस बात की गारन्टी चाहते हैं कि भविष्य में सरकार ऐसे ठोस कदम उठायेगी जिससे इस प्रकार की तवाही का सामना फिर न करना पड़े। जिनका मकान ध्वस्त हो गया है उनको सिर छिपाने की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करनी होगी ताकि जाड़े में उनको सिर छिपाने की जगह मिल सके। सरकार को इस पूरे क्षेत्र के स्थाई पुनर्वास के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि इन तवाह और बरबाद लोगों को अपनी दस्तकारी, खेती फिर से आरम्भ करने का अवसर मिल सके।

लगातार आने वाली बाढ़ से जो कि घाघरा, राप्ती एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा नुकसान हर साल किया जाता है, को देखते हुए भारत सरकार को इस बारे में कोई स्थायी उपाय करना चाहिए। सरकार को इस बारे में नेपाल से समझौते के इन्तजार के बिना ही राप्ती नदी पर एक बांध बनाना चाहिये।

सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक - जारी

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य आरम्भ करेंगे। हम सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक के सम्बन्ध में आगे विचार करना शुरू करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, इस बार विज्ञान भवन में मैंने किसी पिक्चर को देखा था। वह बड़ी हृदय को छूने वाली पिक्चर थी। उसके बारे में उसकी महिला निर्देशका साई परांजपे ने यह बात सही कही थी कि मैं फिल्मों के माध्यम से और फिल्मों की भाषा से लोगों तक पहुंचना चाहती हूं। फिल्मों की भाषा से और माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

सिनेमा क्या कर सकता है? सिनेमा किसी की भी मुर्झायी जिन्दगी में जान फूंक सकता है। मैंने भी फिल्मों को देखा है और विज्ञान भवन में मैंने देखा है कि वहाँ ज्यादातर लोग बूढ़े आते हैं। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं। हमारे साठे साहब यहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ा-सा विषय से अलग जा रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विज्ञान भवन में मैंने देखा है कि एम०पी० के वहाँ जाने से पहले ही जो वहाँ की अच्छी अच्छी सीटें होती हैं उन पर दूसरे ही लोग बैठे होते हैं। हम भी अपनी जिन्दगी में नयापन लाना चाहते हैं। आज भी एक फिल्म 'चितचोर' चल रही है। वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है कि एम०पी० लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। (व्यवधान) आप जवान लोगों को फिल्म देखने में कम मजा आता है लेकिन जो जबानी से गुजर जाते हैं उनको ज्यादा मजा आता है।

ये जो आपकी पिक्चरें हैं ये बड़ा काम कर सकती हैं। ये इमोशन इन्टेग्रेशन ला सकती हैं। ये राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय जागृति, नवजागरण लाने का काम कर सकती हैं। इसीलिए इन फिल्मों के बारे में बराबर लोगों ने कहा है कि इनको कन्करेन्ट सूची में ले लीजिए, इनका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। यह बहुत बड़ी चीज है आप एडल्ट एजूकेशन पर बहुत पैसा खर्च करते हैं अगर आप जिन्दगी में नयापन, नवजागरण लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यही एक माध्यम है। ये फिल्में ही माध्यम है।

हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी कहा था और ठीक कहा था। मैं उस समारोह में मौजूदा था।

फिल्में जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं और इसलिए आज फिल्म उद्योग की चमत्कारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बात उन्होंने बहुत ठीक कही है और इसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। इस बात को समझते हुए ही कलाकारों की तरफ उनका

ध्यान गया है और जो शोषण करने वाले बिचौलिए और ठेकेदार हैं, उनसे बचाने के लिए यह सक्षम बिल पेश किया गया है। मैंने इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट भी देखा है, लेकिन इस बिल में उनका भविष्य सुधारने के लिए जो बातें कही गई हैं, वे बहुत ही अच्छी हैं।

इसके अन्तर्गत भविष्य निधि की व्यवस्था की गई है, ग्रेच्युटी की व्यवस्था की गई है और ट्रिब्यूनल को आदेश दिया गया है कि वह तीन माह के अन्दर ही अपना फैसला दे दे। पहले 2-2 साल तक फैसला नहीं हो पाता था। जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको असेसर अपाएंट किया जा सकता है। एक हाई कोर्ट के जज को भी रखा जा सकता है।

मैंने कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं। पहली चीज है कि कलाकारों को अच्छा अमाल्यूमेंट मिलना चाहिए। इस महंगाई के जमाने में जो कलाकार अपनी जिंदगी अर्पित कर देता है, उसको अगर 1000 रुपया दे देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार क्लाज 23 में आपने बताया है :—

> "केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबन्धनों यदि कोई हों अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए यह निदेश दे सकेगी कि इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध लागू नही होंगे ···।

इस क्लाज को तो हटा ही देना चाहिए। सारा एक्ट बनाने के बाद एक पावर आपने अपने हाथ में ले ली। आजकल इतने प्रेशर आते हैं और मैं नहीं जानता कि श्री वसंत साठे दबाव में आयेंगे या नहीं, लेकिन इस क्लाज को हटा देना चाहिए। चेयरमैन साहब भी 'ला' जानते हैं. इसमें मैं अमेंडमेंट भी नहीं ला सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, इसलिए केवल विरोध ही कर सकता हूं और मैंने विरोध किया है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर ट्रिब्यूनल गलत ढंग से स्थापित हो गया है तब भी कोर्ट में उसको कोई चेलेंज नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि चैलेंज करने का अधिकार देना चाहिए। जब तक कोई टेक्नीकल डिफीकल्टी हो, उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ये जो मैंने संशोधन रखे हैं, जब मैं अमेंडमेंट मूव करूंगा तब इन पर बात करूंगा। एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का यह एक कंप्रहेंसिव बिल है, इसके लिए मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। सिनेमा में जो काम करने वाले लोग हैं, थियेटर में काम करने वाले लोग हैं यह बिल पास होने से लाभान्वित होंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनका हौसला बढ़ेगा।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुहतरिम चेयरमैन साहब। सब से पहले मैं मुहतरिम वजीर साहब को इस बिल को लाने के लिए मुबारिकबाद पेश करना चाहता हूं। पिछले सैशन

में भी वह एक बिल लाए थे जिससे गरीब सिनेमा के वर्कर्ज को इस इंडस्ट्री में फायदा हुआ था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से पीसमील बिल लाने से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके जो आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं वह चीज ज्यादे फायदेमंद साबित नहीं हो सकती है। पहला बिल जब आया था तब भी मैंने कहा था कि आप सिनेमा को एक इंडस्ट्री डिकलेयर करें और इस पर आप इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट को लागू करें। इस चीज को दिए बगैर बहुत खातिर ख्वाह मदद इन वर्कर्ज की नहीं हो सकती है। थोड़ी थोड़ी मदद जो आप दे रहे हैं यह भी काबिले तारीफ है और इसकी भी सराहना होनी चाहिए। इसको हम सराहते भी हैं। लेकिन इस बिल को देखने से पता चलता है कि इस पर इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट का शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी पता नहीं चलता है कि आप इसको एक इंडस्ट्री मान रहे हैं। अखबारों में मैंने पढ़ा था कि साठे जी भी इस हक में है कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट के तहत एक इंडस्ट्री माना जाए, मुझे पता नहीं कि उस में क्या रुकावट आपको पेश आ रही है मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का बिल लाने का आपका इरादा हैं या नहीं है। इस तरह का बिल जरूर लाना चाहिए।

आपने इस में वर्कर्ज की डैफीनीशन दी है। मैं नहीं समझता हूं कि सिनेमा वर्कर्ज की डैफीनीशन में स्टूडियोज के जो परमानेंट मुलाजिम हैं वे भी आ सकते हैं। जो फिल्म बनाने से ताल्लुक रखते हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं सिर्फ वही मेरे ख्याल से इसके अन्दर आते हैं। लेकिन जो स्टूडियोज के परमानेंट वर्कज हैं, जो पेंटर होते हैं या जो मेंटेनेस का काम करते हैं वे इसमें कवर नहीं होते है। मैं चाहता हूं कि उन वर्कर्ज को भी इसमें जरूर शामिल किया जाना चाहिए। इन परमानेंट वर्कर्ज की जिन्दगी स्टूडियोज के मालिकों के हाथ में रहती है। वे रिलीफ वलेम नहीं कर सकते हैं। उनको इस बिल में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका फिल्म बनाने में सीधा हाथ नही होता है। मैं चाहता हूं कि स्टूडियो वर्कर्ज के लिए जरूर कुछ किया जाना चाहिए।

कंसिलिएशन अफसर जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे उसके बारे में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट को यह हक होगा कि वह उस रिपोर्ट को ट्रिब्यूनल के पास जाने दे या न जाने दे। मुझे शक है कि गरीब वर्कर्ज के केसिस को बहुत आसानी से गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल के पास भेजेगी अगर वे उसके खिलाफ आते हैं। कंसिलिएशन अफसर की रिपोर्ट से अगर किसी को इख्तलाफ हो तो उसको हक होना चाहिए कि वह ट्रिब्यूनल में जाए।

जैसे डागा ने कहा ट्रिब्यूनल के बाद जैसा कि और बहुत सी चीजों में होता है, कोर्ट में जाने का भी अख्त्यार होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंज रखनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहियें ताकि उनसे ज्यादा बैनीफिट हमारे वर्कर उठा सकें।

इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मामले पर तालीम देने के लिए फिल्में एक बेहतरीन मीडिया हैं। उनसे पब्लिक ओपिनियम बनती है, अखलाक पर असर पड़ता है, लोगों के रहन सहन, बोल चाल, उटने बैठने के ढंग पर असर पड़ता है। डागा जी ने संजेशन दिया है

कि इसका नैशनलाइजेशन कर दिया जाए। मुझे इसमें खतरा नजर आता है और उस खतरे से बहुत दिनों से हमें दो चार होना पड़ रहा है और इसमें हमारी रूलिंग पार्टी माहिर भी है। जो चीज उसके खिलाफ जाती होगी, जिससे उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता होगा, जो चीज लोगों को एजुकेट कर सकती है, जो लोगों को उनके हकूक के बारे में एजुकेट कर सकती है, उस पर हमारी रूलिंग पार्टी की ख्वाहिश रहती है कि उसका कब्जा हो जाए। मैं समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल भी नैशनलाइजेशन नहीं होना चाहिये। आप नैशनलाइजेशन की बात इस वास्ते करते हैं ताकि लोगों को तालीम न दी जा सके, उनको एजुकेट न किया जा सके अपने हकूक के बारे में। आप आज फिल्म इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करेंगे तो कल को प्रेस को भी आप अपने हाथ में लेना चाहेंगे। आपने जिस चीज का नैशनलाइजेशन किया है, जिस इंडस्ट्री को अपने हाथ में लिया है, उसके रिजल्ट्स को आप देखें। बेहतर यह होगा कि आप ऐसा कानून बनाएं ताकि वर्कर्ज का एक्सप्लायटेशन न हो सके सरमायेदारों के जरिये और ज्यादा बेहतर यह होगा कि बनिस्बत इसके कि आप नैशनलाइजेशन करें, आप यह जो तालीम का जरिया है इसको खुला छोड़ दें ताकि लोग अपने खयालात का इजहार इसके जरिए कर सकें। जेड 2 द्वारा जारी कि सरकार की पालिसी इसके मुताविक न हो। लेकिन वह अच्छा होता है। इसलिए मैंने जो दो, तीन सुझाव दिए हैं इन पर आप गौर कर लें। वैसे ओवर आल यह बिल बहुत अच्छा है और आप मुबारकवाद के मुस्तहक हैं और मैं आपको मुबारकवाद देता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय इस विधेयक का स्वागत है हालांकि इसको पेश करने में विलम्ब हुआ है क्योंकि इसे काफी वर्षों के पश्चात् पेश किया गया है। हमारे मंत्री-महोदय 1980 में मंत्री बनने के पश्चात् इसे लाने का वचन देते रहे हैं। चेयरमैन तथा स्वयं मैं भी एक प्रतिनिधिमंडल में उनके कक्ष में उनसे मिले थे और उन्होंने इसे पुरःस्थापित करने की कृपा की है। यह तो ठीक है, परन्तु इस विधेयक में कुछ कमियां है और मुझे आशा है कि वह इन्हें दूर कर देंगे।

इसमें सिनेमा कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है,

"एक व्यक्ति जो किसी कथा फिल्म के निर्माण में कलाकार के रूप में कार्य करने सीधे या किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति के माध्यम से नियोजित है···" आदि उत्पादन सिनेमाटोग्राफी का केवल एक ही अंग है। मैं मानता हूं कि उसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। किन्तु प्रदर्शक एक वितरक भी तो है। अब श्रमजीवी वर्ग के आन्दोलन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और आप स्वयं भी मजदूरसंघ अधिनियम में कुछ संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं अतः, मुझे आशा है कि आप इस विधेयक का इस प्रकार संशोधन करने के लिए सहमत हो जायेंगे जिससे कि वितरण और प्रदर्शन से संबंधित कर्मचारियों पर भी इसे लागू किया जा सके।

इन सभी कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मजदूर संघ अधिनियम लागू किये जाने चाहिए। इस विधेयक में इस बात की पर्याप्त गारंटी नहीं दी गई है कि इन सभी

तीनों क्षेत्रों से संबंधित सिनेमाटोग्राफी कर्मचारी इन अधिनियमों के अन्तर्गत आ जायेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप इस विधेयक का इस तरह संशोधन करेंगे कि बिना किसी आपत्ति के स्पष्ट रूप से चलचित्रों के उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत आ जायें।

आप ने 1000 रुपये या उससे अधिक प्रतिमास वेतन लेने वाले कर्मकारों को इस विधेयक की सीमा से परे रखा है। यह उचित नहीं है मेरे विचार में यह बात अत्याचारपूर्ण है क्योंकि धन का मूल्य कम हो गया है। मुआवजे के भुगतान संबंधी अधिनियमों में केन्द्रीय सरकार स्वयं संशोधन करने जा रही है जिसके द्वारा 1600 रुपये प्रति मास तक वेतन लेने वालों पर उन अधिनियमों को लागू किया जा सकेगा। अतः मैं यह आशा भी करता हूं कि आप इसका संशोधन करेंगे। आजकल 1000 रुपये कुछ भी नहीं हैं।

मैं अपने उस मित्र से सहमत नहीं हूं जो इसके राष्ट्रीयकरण के बारे बोले हैं राष्ट्रीकरण ने अनेक देशों में समस्याओं का समाधान कर दिया है क्योंकि राष्ट्रीयकरण उचित रूप से किया गया था। श्रमजीवी वर्ग के लोकतांत्रिक तथा रचनानात्मक समर्थन से किये गये राष्ट्रीयकरण के सदैव अच्छे परिणाम हुए हैं। महोदय आपने समाजवादी देशों की यात्रा की है और आपने देखा है कि उन क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण का अच्छा परिणाम हुआ है। किन्तु हमारे देश में इसके परिणाम स्वरूप केवल भ्रष्टाचार ही पनपता है जिससे कुछ अधिकारी गैर-सरकारी उद्योगपतियों से भी अधिक कमाने लगे हैं। परन्तु उसके लिए आप राष्ट्रीयकरण को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। वरन् प्रबन्धकों को ही दोषी ठहरा सकते हैं। विचार करने का प्रश्न यह है कि क्या यह पूंजीवादी राज्य हैं या कि समाजवादी राज्य जो भी हो मैं यह नहीं समझता कि इस तर्क को इस विधेयक में उठाया जाये।

इन टिप्पणियों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे द्वारा सुझाये गए संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे और उसके बाद हम इसका समर्थन करेंगे।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं एक सीमित प्रयोजन हेतु बोलना चाहता हूं, अर्थात यह अपील करना चाहता हूं कि विधेयक के यह 23 पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। यह खण्ड कुछ विशेष मामलों में छूट देने की शक्ति से संबंधित है। कई मामलों में इस प्रकार की शक्ति का, मैं दुरुपयोग तो नहीं करूंगा किन्तु अनुचित रूप से उपयोग किया जाता है यदि आप खण्ड 23 की समीक्षा करें तो आप पायेंगे कि यह आशंका वास्तविक एवं उचित है। यदि इस खण्ड को निकाल दिया जाये, तो अन्य धाराओं के परन्तु कभी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। अतः मैं मन्त्री महोदय से, जिन्होंने इस विधेयक को लाने के लिये काफी अधिक कार्य किया है, अनुरोध करता हूं कि वह इस खण्ड 23 पर पुनर्विचार करें और यदि सम्भव हो तो इसको निकाल दें ताकि इस विधेयक का बेहतर कार्यान्वयन किया जा सके।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, फिल्म उद्योग के बारे में यह कहा जाता है कि यह पूंजीपतियों के शिकंजे में है। कलाकारों का चयन, उनको मिलने वाला वेतन, फिल्म कौन सी चले कौनसी न चले, जो कलाकार हैं, काम करने वाले हैं ये सारे के सारे पूंजीपतियों के शिकंजे में रहते हैं।

मैं अपने माननीय मंत्री जी को 50 फीसदी तो बधाई इसलिए दूंगा कि सिनेमा के कलाकारों और उसमें जो काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत लम्बे अर्से की प्रतीक्षा के बाद एक बिल उन्होंने संसद में पेश किया है, लेकिन इस बिल के उद्देश्यों को जब तक और व्यापक नहीं बनाया जायेगा तब तक अपने उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर पायेंगे।

फिल्म उद्योग, जो आज पूंजीपतियों के चंगुल में है, उसको उससे निकाला जाये। इस बिल में हमने उनके वेतन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की बात की है, मैं समझता हूं कि इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा और कलाकारों का जीवन भी नौकरशाही के चंगुल में आ जायेगा और इससे कला का जो विकास होना चाहिये, उस पर भी कुठाराघात होगा।

अब सिनेमा ही इस देश में एक मनोरंजन का साधन है, पहले भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो मनोरंजन के साधन थे, वे अब समाप्त हो गये हैं। सिनेमा ही एक ऐसा साधन रह गया है जो सड़क पर बैठने वालों से लेकर बड़े-से-बड़े लोगों तक का मनोरंजन करता है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह इस बात का प्रयास करें कि सिनेमा के माध्यम से इस देश में हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप सही करैक्टर का निर्माण हो और वह लोगों की सही समस्याओं को उसमें दिखावें।

इस समय तक स्थिति यह है कि सिनेमा बहुत सी बुरी बातों के लिए उत्तरदायी है : तस्करी के लिए, डकैतियों के लिए। जो लोग रेलों में डकैतियों और बैंकों को लूटने के अपराधों में पकड़े जाते हैं, वे बताते हैं कि हमने यह सब कुछ सिनेमा से सीखा है। कैसे पार्कों में गाना गाया जाए और कैसे लड़कियों को छेड़ा जाए, यह भी लोग सिनेमा से सीखते हैं। इन बातों का नियंत्रण जरूरी है।

इस बिल में प्राविडेंट फंड की जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत सराहनीय है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ट्रिब्यूनल्ज की स्थापना की बात भी कही गई है। इस बिल को और व्यापक बनाया जाए और इसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि अदालतों और ट्रिब्यूनल्ज के चक्कर में पड़ कर कलाकारों का बहुत समय नष्ट न हो, वे पूंजीपतियों के चंगुल से बच सकें। सही कलाकारों का सम्मान हो और उनकी कला का विकास हो सके।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सबसे पहले मैं निस्संकोच भाव से मंत्री महोदय को उनके द्वारा सिनेमा कर्मकारों के कल्याणार्थ दिखाई गयी चिंता के लिए बधायी देता हूं। मैं यह नहीं कहता कि उनके उचित जानकारी नहीं है अथवा उन्हें फिल्मों के उत्पादन, प्रदर्शनी और वितरण कार्य

में लगे लोगों के जीवन तथा कार्य के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यह दृष्टिकोण एक श्रेत्र के लिए अंशतः ठीक है। आप यह जानकर कुछ चिंतित से होंगे कि विधेयक का उद्देश्य समझौता प्रक्रिया सम्पन्न एक न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। उस हेतु लगभग ऐसे ही तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसकी व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत भी की गई है। यह विधेयक का एक स्वागत योग्य पहलू हैं। आप इस बात को जानते होंगे, क्योंकि आप मजदूर संघ अन्दोलनों से सम्बद्ध हैं, कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्तत समझौता कार्यवाहियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। लेकिन इस मामले में यह उसी दशा में लागू होगा जबकि ठेके अथवा कार्य की शर्तों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाएं। ठेके अपंजीयकृत होते हैं। अब विधेयक में ठेके के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और उस ठेके का क्रियान्वयन न किए जाने अथवा उसे पूरा न करने सम्बन्धी कोई विवाद ही उस विवाद का आधार होगा। बोर्ड किसी अन्य विवाद को स्वीकार नही करेगा। करार से उत्पन्न विवादों को छोड़कर न्यायाधिकरण किसी अन्य विवाद को नहीं ले सकेगा। अतः क्या मैं यह समझूं कि मंत्री यह नहीं जानते कि कर्मकारों को, ठेके अथवा करार करने के अतिरिक्त, कुछ ऐसी अन्य शर्तों को भी मानना पड़ता है जो काफी सीमा तक उनके हितों के विरुद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ न्यायाधिकरणों ने कुछ उद्योगों के लिए न्यूनतम मजूरी लिखित कर रखी है। विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत श्रमजीवी वर्ग के कल्याणार्थ कुछ लाभकारी बातों की व्यवस्था की गई होंगी। यदि ये सुविधायें, जो प्रचलित श्रम कानूनों के अन्तर्गत मिलती हैं, करार में न हों, और यह लाभों के विरुद्ध हों तो कर्मचारियों को क्या राहत मिलेगी ? आपका विचार यह है कि करार को पंजीकृत किया जाये और करार का पालन किया जाये ; यदि करार का पालन न हो तो समझौते तथा बाद में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की गुंजायश है। लेकिन सिनेमा उद्योग में लगे कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों का समाधान समझौता कार्यवाही और न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बुनियादी विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। अतः विधेयक की व्यापकता का प्रश्न ही नहीं है। जिस सच्चाई से आप सिनेमा कर्मचारियों की शिकायतों तथा दयनीय दशा का समाधान करना चाहते हैं मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन आपने समस्या का एकपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है ; आपने समस्या को कर्मचारियों के हितों, उन्हें मिलने वालों लाभों, (देश के श्रमजीवी वर्ग द्वारा अर्जित अधिकारों, जिसके सिनेमा-कर्मचारी भी एक अंग हैं, के संदर्भ में नही देखा है और इन कर्मचारियों को श्रमजीवी आन्दोलन की मुख्य-धारा से दूर कर दिया है।

अतः मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को आधार बनाना चाहता हूं। वह भी मुझसे सिद्धान्ततः सहमत हैं। लेकिन विधेयक के प्रावधानों में औद्योगिक विकास अधिनियम के ऐसे मामलों के लिए लागू करने की कोई गुंजाइस नहीं है : औद्योगिक विवाद अधिनियम में छटनी, तालाबन्दी आदि के लिए व्यवस्था है। लेकिन इस अधिनियम के अन्तर्गत आप इन प्रश्नों पर कैसे विचार कर सकते हैं ? इसके लिये कोई गुंजायश नही है। अब इस देश के श्रमजीवी वर्ग के जीवन में छंटनी, नौकरी से निकाला जाना, आरोप-पत्र दिया जाना आदि साधारण सी

बातें हो गयी हैं जिनसे सिनेमा कर्मचारी भी अछूते नहीं हैं। अतः यदि आप सचमुच यह चाहते हैं कि हमारे देश के सिनेमा कर्मचारियों के भी वही लाभ मिले जो देश के अन्य वर्ग के कर्मचारियों को मिल रहे हैं, तो विधेयक के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है। मैं इसका अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास एक नये खंड को जोड़ने संबंधी एक संशोधन है, जिसमें मैंने कहा है कि सिनेमा कर्मचारी संबंधी सभी विवादों का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। जब वह संशोधन आयेगा तब मैं इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा।

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक विधेयक पारित किया था जिसके द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की स्क्रीनिंग कराने के लिए वितरकों को मजबूर करने का अधिकार प्राप्त किया गया था। चूंकि इसे राज्य विधान मंडल ने पास किया था, इसलिये यह राज्य की क्षेत्रीय भाषा से सम्बन्धित है। वह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

सभापति महोदय : क्या वह विधेयक पश्चिम बंगाल में बनी फिल्मों के बारे नहीं है ?

श्री चित्त बसु : इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में बनी फिल्मों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसे स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा, ताकि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकें। यदि आप सचमुच चाहते हैं ··।

सभापति महोदय : मेरे विचार में आप इस बारे में श्री साठे को छोड़ सकते हैं।

श्री चित्त बसु : सभापति महोदय, क्या यह आपका विनिणय है कि यह उनसे सम्बन्धित नहीं है ?

सभापति महोदय : यह उनसे सम्बन्धित है। लेकिन मेरे विचार में उनके मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है।

श्री चित्त बसु : इसका अर्थ है कि इन्होंने स्वीकृति दे दी हैं। मेरे विचार में विधि मंत्रालय इसके रास्ते में अड़ा है। क्या आप सभा को आश्वासन देंगे कि··· (व्यवधान)।

सभापति महोदय : निस्संदेह, सरकार के नाते। वह सरकार के एक अंग हैं।

श्री चित्त बसु : विधि मंत्रालय को समझाना या राजी करना भी उनका काम है। पश्चिम बंगाल सरकार को विश्वास में लेना तथा राष्ट्रपति की सहमति लेने में पश्चिम बंगाल सरकार का साथ देना भी उनका कर्तव्य है ताकि विधि मंत्रालय इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब न कर सके। क्या वह सभा को आश्वासन देंगे कि वह केबिनेट के सदस्य और विशेषकर सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते तथा फिल्म उद्योग तथा कला के प्रति रुचि लेने के कारण इस सहमति को प्राप्त करने के लिये प्रयास करेंगे।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि कुछ एककों के संकटग्रस्त होने का प्रश्न उठाया गया है और यदि ये ईमानदारी से चाहते हैं कि सरकार फिल्म उद्योग, सिनेमा कर्मचारियों तथा इस क्षेत्र के सभी कर्मकारों की सहायता करे तो उन्हें इस क्षेत्र के बन्द पड़े एककों के बारे में सरकार के रवैये के सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी घोषणा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे उस बारे भी कुछ स्पष्टीकरण दें। मेरे विचार में उन्होंने मेरी बात समझ ली है और उत्तर देने की कृपा करेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक की संक्षिप्त चर्चा में भाग लिया। जैसे कि मैंने पहले कहा यह विधेयक उन सिनेमा कर्मचारियों की, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, भविष्यनिधि अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून, के अधीन नहीं आते हैं, दीर्घकाल से चली आ रही मांग और इच्छा का परिणाम है। जो कर्मचारी स्टूडिओ जैसे स्थायी प्रतिष्ठानों के अधीन हैं, वे दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

श्री चित्त बसु : ऐसा स्थायी स्टूडियों के बारे में है।

श्री बसन्त साठे : इस फिल्म उद्योग की सबसे बड़ी कमी यह है कि लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारी या तो नैमित्तिक हैं या ठेके पर काम करते हैं और एक से दूसरी फिल्म में जाते रहते है और इसलिए उन्हें औद्योगिक अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। स्टूडियो बन्द होते जा रहे हैं बम्बई में भी स्टूडियो प्रणाली समाप्त हो गयी है। अब प्रणाली ठेके की है एक फिल्म से दूसरी फिल्म में किराये पर लोगों को ले जाने की है। अच्छे अच्छे कलाकारों को भी एक से दूसरी फिल्म में किराये पर लिया जाता है। तकनीशियनों को भी किराये पर लिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कर्मचारियों की इस गतिशील जनसंख्या को किसी भी औद्योगिक कानून के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है। वे हमारे पास आते रहे हैं और कहते रहे हैं "कृपया हमारे लिए कुछ कीजिए।" यद्यपि यह काफी समय से विचाराधीन रहा है। फिर भी एक बाधा इसे उद्योग के रूप में मान्यता देने की रही है। यदि समूचे सिनेमा उद्योग को औद्योगिक कानून के अन्तर्गत उद्योग के रूप में मान्यता दे दी जाती तो औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य अधिनियम उस पर स्वतः ही लागू किए जा सकते थे। लेकिन चूंकि सरकार को वित्तीय कारणों तथा अन्य कारणों से सिनेमा उद्योग को एक उद्योग के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई है। अतः इस दुविधा में पड़ गए हैं। हमने सोचा है कि इन कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। सभापति महोदय, श्री चित्त बसु और मैं स्वयं औद्योगिक कर्मचारियों की दशा जानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमें बहुत शीघ्र इस बारे में कुछ करना चाहिये और कोई रास्ता निकालना चाहिए। अतः यह विधेयक उन सभी कर्मचारियों को अपने अधीन लाने के लिए रखा गया है जो ठेके पर काम कर रहे हैं। आजकल ठेकों पर हस्ताक्षर नहीं होते —कुछ मामलों में हस्ताक्षर होते हैं और कुछ

में नहीं होते —और ये किसी भी रूप में पंजीकृत नहीं होते। अतः हमने सोचा कि हमें पहला काम यह करना चाहिए कि हर निर्माता के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि हर कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति —हमने कर्मचारी की परिभाषा 'व्यक्ति' की है —के काम के लिए एक लिखित ठेका करना होगा।

यह आशंका है कि इस ठेके की व्याख्या नहीं की जायेगी। यह एक प्रपत्र पर होगा। हम प्रपत्र निर्धारित करने जा रहे हैं जिसमें आप द्वारा बतायी गयी सब बातें आजायेंगी। हम नियोजक द्वारा लाभ उठाये जाने के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। अथवा निर्माता के लिए भी नहीं रखेंगे जिसके द्वारा वह उन्हें किसी ठेके को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके अतः यह ठेका एक प्रपत्र पर होगा। ठेका पंजीकृत होगा और इसका पालन करना पड़ेगा। मेरे विचार में सभापति महोदय, आप सहमत होंगे कि इन परिस्थियों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि समस्यायें कई वर्षों तक कैसे पड़ी रहती है, —मजूरी तथा अन्य बातों के मामले में भी हम जानते हैं कि किसी विवाद को खड़ा करने और फिर सारी प्रक्रिया का पालन करने आदि में क्या कठिनाई होती है —हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और स्थिति का लाभ उठाते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने तथा इसे विस्तृत करने तथा इसमें ठेके की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही किसी विवाद से यह स्पष्ट होगा कि ठेके का उल्लंघन हुआ है तो यह मामला समझौते के लिए जायेगा और ज्यों ही मध्यस्थ अनुभव करेगा कि उल्लंघन हुआ है, तो वह मामला न्यायाधिकरण के पास जायेगा। धारा 6 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को तत्सम्बन्धी शक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं। यदि न्यायाधिकरण यह देखेगा कि नियोजक ने शर्तों का पालन नहीं किया तो वह नियोजक को, जबकि मामला न्यायाधिकरण के निर्णयाधीन हो, भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसे मामलों के उच्च न्यायालय में जाने के बारे में हमने वास्तव में यह अनिवार्य कर दिया है कि उस समय तक कोई भी पुनरीक्षा याचिका दायर नहीं की जा सकेगी जब तक नियोजक न्यायाधिकरण के आदेश का पालन न करे और भुगतान न करे। ये सब बातें हमारे अभी तक के अनुभव को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक विवाद अधिनियम से भी आगे के कदम हैं। इसी कारण हमने ये सब प्रावधान किए हैं।

जहां तक वितरण तथा प्रदर्शन के क्षेत्रों का सम्बन्ध है। मैं पिछलीबार भी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर चुका था कि दुर्भाग्यवश ये राज्य विषय के अन्तर्गत आते हैं। मैं राज्य सरकारों से कहता आया हूं। कि हम केवल इसी उद्देश्य के लिए करेंगे। मैं इस बात को बार-बार स्पष्ट करूंगा। हम इसकी व्यवस्था अधिनियम में कर सकते हैं यदि आप चाहें कि हम राज्य के मनोरंजन कर सम्बन्धी अधिकार को न छुए। वह प्रभावित नहीं होगा। लेकिन वितरण, के उद्देश्य, से जो एक राष्ट्रीय कार्य है, और प्रदर्शन के उद्देश्य से आप कृपया इसे समवर्ती सूची में रखने के लिए सहमत हो जायें। केवल उसी स्थिति में हम एक विस्तृत कानून बना सकेंगे जिसके अन्तर्गत वितरण भी आयेगा। इस उद्योग की असली गड़बड़ वितरण में ही है। यह एक घोटाला ही बन जाता है और नियन्त्रण···।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यदि आप इसे इस प्रकार संशोधित करते हैं तो क्या आप बंगाली अथवा क्षेत्रीय फिल्मों को अन्य राज्यों को छः महीनों के लिए वितरित कर सकेंगे ?

श्री बसन्त साठे : जी हां। विचार यही है। छः महीने—मैं नहीं जानता। मैं आप को अपना विचार बताऊंगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, नियन्त्रण, वितरण और प्रदर्शन। आज आप फिल्म निर्माताओं की दया पर निर्भर करते हैं। वे तो टिकटों की भारी बिक्री के लिये विकसित तथा कथित मानक सूत्रों के आधार पर फिल्में बनाते हैं क्योंकि प्रदर्शक इसी प्रकार की फिल्में पसन्द करते हैं। फिल्में तब तक नहीं दिखाई जायेगी जब तक कि इस आशय का कानून नहीं बन जाता है कि जिन फिल्में की अनुशंसा की जाये वे कुछ फिल्में दिखाई जानी चाहिये। यहां तक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी नहीं दिखाई जाती है। फिर उन्हें पुरस्कार देने से क्या लाभ है ? जब तक यह कानून नहीं बन जाता कि क्षेत्रीय फिल्में दिखाई जानी चाहिये तब तक वे ऐसा नहीं करेंगे।

आप राष्ट्रीय एकता चाहते हैं। यदि आप क्षेत्रीय फिल्में नहीं दिखाते हैं तो राष्ट्रीय एकता कैसे बनी रह सकती है ? अतः क्षेत्रीय फिल्मों के हिन्दी और अन्य भाषाओं में डब करने का कांम हम आरम्भ कर रहे हैं। वास्तव में, हमारे देश में क्षेत्रीय फिल्मों की संख्या अधिक है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि आज देश में तैयार होने वाली 750 फिल्मों में से 500 से अधिक फिल्में क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार होती हैं जो कि मुख्यता दक्षिण में तैयार होती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में मुश्किल से 10,000 सिनेमाघर होंगे जिनमें से 6000 से 7000 तक दक्षिणी राज्यों में अवस्थित हैं। जहां तक सघनरूप से बसे या बड़ी संख्या वाले राज्यों की स्थिति है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश में समस्त राज्य में भी 400 सिनेमाघर थियेटर नहीं हैं। यही स्थिति उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों की है।

यद्यपि इस बात की बड़ी भारी मांग है कि सिनेमा थियटरों का निर्माण किया जाना चाहिये, अधिकाधिक सिनेमा थियेटरों पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये तथा ऐसे विनियम तैयार किए जाने चाहिये कि कम से कम कुछ प्रतिशत ऐसी क्षेत्रीय फिल्में और अन्य फिल्में अवश्य दिखाई जानी चाहिये जिनकी राज्य सरकार अनुसंशा करे और ये सब बातें तभी सम्भव हो सकती हैं जबकि यह समवर्ती सूची का विषय बन जाए। वास्तव में मैं यह नहीं सोच पाता कि इस विधेयक के बारे में शंका क्या होनी चाहिये। आज क्या स्थिति है ? मनोरंजनकर के रूप में जो 300 करोड़ रुपया कमाया जाता है, उसमें से एक पैसा भी अच्छी फिल्म तैयार करने सिनेमा-घरों के निर्माण पर व्यय नहीं किया जाता है। यदि प्रत्येक राज्य सिनेमा-थियेटरों की वृद्धि के लिए मनोरंजन कर का एक छोट सा प्रतिशत भी व्यय करता होता और यह शर्त रखता कि वह उन्हें थियेटरों के लिए धन देगा बशर्ते कि वे अच्छे सिनेमाओं का एक निश्चित प्रतिशत उन अच्छी फिल्मों के लिए आरक्षित रखें जिनकी राज्य अनुसंशा करे अर्थात क्षेत्रीय फिल्में, राष्ट्रीय-मूलक फिल्में आदि, तो यह बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि अन्ततः फिल्में तो दिखाई ही जानी

है। अन्यथा ऐसी अच्छी फिल्म बनाने से क्या लाभ, जिनका प्रदर्शन ही न हो पाये। इसलिए हम इस संकटापन्न क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। यही हमारा मन्तव्य है।

यदि दूसरी ओर बैठे हमारे सभी साथी सहमत हों तो मैं इस विधेयक को कल संशोधित कराने का इच्छुक हूं। इसके लिए एक मामूली से सवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। आपके मन में किसी प्रकार की आशंका हो तो उसे निकाल दीजिए। मैं चाहता हूं यह विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक आप यह सब अपने मनोरंजनकर से नपीं कर पायेंगे।

पश्चिम-बंगाल के मामले में, वास्तविक कठिनाई यह है कि विधि मन्त्रालय का कहना है कि यह भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाता है। क्योंकि आप क्षेत्रीय फिल्मों को अनिवार्य तो अपने राज्य के लिए ही बनायेंगे। बात अंन्य राज्यों पर लागू नहीं हो सकती है। ये सब दायित्व इसलिए उठते हैं कि निर्माण केन्द्रीय रूप से ही किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। कृपया इस पर अपने स्तर पर विचार करें। यदि आप सहमत हों, तो मैं भी सम्मिलित होने का इच्छुक हूं। इससे वास्तव में ही सहयता मिलेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं यह कहना चाहता था कि बंगाली फिल्मों का अन्य क्षेत्रीय फिल्मों से कोई टकराव नहीं है।

श्री बसन्त साठे : परन्तु भेदभावपूर्ण बात हो जाती है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : हम खुले दिमाग के लोग हैं। पश्चिम बंगाल में कोई साम्प्रदायिक या प्रान्तीय भावना नहीं है और नहीं वहां कोई सांस्कृतिक विद्वेष ही।

श्री वसंत साठे : मैं अभी कह रहा था कि यह बात भेदभावपूर्ण रवैये के अन्तर्गत आयेगी।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

श्री बसन्त साठे : यदि आप कहते हैं कि इस अवधि में केवल एक ही भाषा की फिल्म अनिवार्य रूप से दिखाई जानी चाहिए तो यह सब कुछ होगा-अन्य क्षेत्रीय फिल्में क्यों न दिखाई जाएं ? आप शान्तरूप से इस पर विचार कीजिए और आपको अन्तर का पता चल जायेगा। कुछ भी हो, मुझे उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे बिचार से श्री चित्त बसु समझ गये होंगे कि हम औद्योगिक विवाद अधिनियम को पूर्णतया क्यों लागू नहीं कर सकते हैं। उसका यहां कोई लाभ नहीं है।

जहाँ तक खण्ड 23 के बारे में दिए गये सुझाव का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्रों को बता देना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि इससे

वास्तव में हम लाभ के बजाय और अधिक कठिनाई में पड़ जायेंगे। हम सरकार के हाथों में कुछ शक्ति लेने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इस प्रकार के उद्योग में इस प्रकार की शक्ति पाकर, एक बार आप छूट प्रदान करना आरम्भ कर दें तो आप जानते हैं कि हम कहां जा पहुंचेंगे। वास्तव में आप कुछ भी न बचा पायेंगे। अतः मैं श्री डागा और श्री अराकल की बात से सहमत हूं। अब कठिनाई यह है कि मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे नियमों के अधीन नकारात्मक संशोधन अनुमतेय नहीं है। और न ही इस अवस्था में आप कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका एक मात्र मार्ग है कि इस पर मतदान करा लिया जाए। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। यदि सदन के दोनों पक्षों के सभी वर्गों का खण्ड 23 पर मतदान कराकर उसे अस्वीकृत कर लिया जाए तो मैं इसको गलत नहीं समझूंगा। सम्भवतः इसके लिए यह उचित समय होगा। परन्तु यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। मैं इसे अन्यथा नहीं मानूंगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप कितने न्यायाधिकरण रखेंगे ?

श्री वसन्त साठे : यह तो एक शक्ति प्रदान करने वाला उपबन्ध है। जितनों की हमें आवश्यता होगी उतने बना लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। यह एक व्यापक विधेयक है। पहले पारित किए जा चुके दो विधेयकों समेत, जहां तक इस उद्योग के इस वर्ग के कर्मचारियों का संबंध है, हमने उनके हितों के रक्षार्थ यह एक भारी कदम उठाया है। इसके समर्थन में अपनी सर्व सहमति प्रदान करने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

श्री जेवियर अराकल : हम भी मंत्री महोदय के आभारी हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थियेटर कर्मकारों के रोजगार की शर्तों का विनियमन करने और तत्संबंधित मामलों का उपाबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड—2

श्री चित्त बसु : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने कर्मकारों के इस वर्ग को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रखने में इस विशेष कठिनाई का विवरण दिया है और आश्वासन के आधार पर।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं ? मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है ।

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 42—43 और 1 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

'(ट) "मजदूरों" से मजदूरी संदाय अधिनियम में यथा परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है ।" (1)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय :—

"(ठ) 'नियोजक' से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(ड) 'कर्मकार' से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है ।" (2)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर

"एक हजार छह सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाय । (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17, —

"पांच हजार" के स्थान पर

"पन्द्रह हजार" प्रतिस्थापित किया जाय । (15)

श्री चित्त बसु : इसके उप-खण्ड (ट) में 'मजदूरी' को परिभाषित करते हुए कहा गया है ।

"(ट) "मजदूरी" से वे सभी उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो कर्मकार को नियोजन की संविदा के निबन्धन के अनुसार नकद संदेय है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) किसी खाद्य रियायत का नकद मूल्य, --

(ii) कोई मंहगाई भत्ता (अर्थात् वे सब नकद संदाय, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कर्मकार को निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण या इस कारण से कि उसे उस स्थान से जहां वह सामान्यतया निवास करता है भिन्न स्थान में काम करने की अपेक्षा की गई है, दिये जाते हैं), मकान किराया भत्ता, अतिकाल भत्ता, बोनस, कमीशन या कोई अन्य समरूप भत्ता जो कर्मकार को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत है संदेय है ;

(iii) कोई ऐसा अभिदाय, जिसका संदाय नियोजक ने किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में अथवा उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मकार के फायदे के लिए, किया है जो उसके द्वारा संदेय है ;

(iv) कोई उपादान जो उसकी संविदा के पर्यवसान पर संदेय है ।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यहां "मजदूरी" को परिभाषित करने के मामले में कुछ सुविख्यात और सर्वाधिक ग्राह्य सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया गया है । दूसरी ओर, मजदूरी भुगतान अधिनियम में "मजदूरी" की परिभाषा सुस्पष्ट रूप से दी गई है । इसलिए मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि मजदूरी की परिभाषा को इस प्रकार के शब्दों में रखा जाए, अर्थात 'मजदूरी' का अभिप्राय मजदूरी भुगतान अधिनियम में दी गई परिभाषा से हो ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कल भी कहा था कि आपने जो एक हजार और पांच हजार रुपया रखा है, यह कलाकारों और संगीतज्ञों को प्रोत्साहन देना नहीं है । मैंने उनके लिए कम से कम पन्द्रह सौ और एक हजार छः सौ रुपये रिकमण्ड किया था और दूसरों को कम से कम पन्द्रह हजार रुपये रिकमण्ड किया था । आप आजकल के टाइम में इस प्रकार से कलाकारों को देना चाहते हैं जो कि सारे देश के अन्दर अच्छी भूमिका निभाते हैं । यह बहुत कम है । मैंने कल भी इस बात पर बहुत प्रेस किया था और आज फिर कहना चाहता हूं कि आज की मंहगाई को देखते हुए इनकी तनख्वाहें और एमोल्युमेंट्स बढ़ने चाहिए । इसलिए मैंने कहा है—

"एक हजार रुपये" के स्थान पर

"एक हजार छः सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए ।

"पांच हजार" के स्थान पर

"पन्द्र हजार" प्रतिस्थापित किया जाए ।

यही मेरा कहना है ।

श्री वसन्त साठे : जहां तक श्री चित बसु के सुझाव का सम्बन्ध है, हमने मजदूरी भुगतान अधिनियम से केवल परिभाषा ही ली है किन्तु चूंकि मजदूरी भुगतान अधिनियम अन्य आधार पर बना है—यह संविदा सम्बन्धी नहीं है, यह रोजगार, रोजगार की मान्य शर्तों के बारे में है—और

क्योंकि यह संविदा के सम्बन्ध में हम इसे संविदा में सम्मिलित कर रहे हैं, इसलिए परिभाषा में वास्तव में कोई अन्तर नहीं है। जो भी लाभ वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए हैं वे इसमें भी हैं। इसलिए मैं श्री चित्त बसु से अनुरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु : आप कृपया इसकी जांच कीजिए।

श्री बसन्त साठे : मैंने इसकी जांच कर ली है। हमने इसे ...।

श्री चित्त बसु : इन बातों पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री बसन्त साठे : ऐसा कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ये लाभ 'मजदूरी' की परिभाषा के अतिरिक्त होंगे। हमारा उद्देश्य यही है। मंहगाई आदि सब कुछ मजदूरी के रूप में नहीं माना जाएगा, यह कर्मचारियों के लाभ में ही होगा।

जहाँ तक श्री डागा के सुझाव का संबंध है, मैं उनका संशोधन स्वीकार करता हूं। मैं इससे सहमत हूं कि यह काफी छोटा है।

सभापति महोदय : क्या आप उन दोनों को स्वीकार करते हैं ?

श्री बसन्त साठे : संख्या 14 और 15 दोनों को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री सभापति महोदय : श्री बसु, क्या मैं आपके दोनों संशोधन एक साथ रख सकता हूं ?

श्री चित बसु : जी हां।

सभापति महोदय : अब मैं श्री चित्त बसु द्वारा पेश किए गए खण्ड 2 में संशोधन सं० 1 और 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूल चन्द डागा द्वारा पेश किया गया खण्ड 2 में संशोधन सं० 14 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 में,

'एक हजार रुपए' के स्थान पर

'एक हजार छह सौ रुपये' प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किया गया खंड 2 में संशोधन सं० 15 सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

'पृष्ठ 2, पंक्ति 17 में,

"पाँच हजार" के स्थान पर

"पन्द्रह हजार" प्रतिस्थापित किया जाए । (15)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : खंड 5 और 6 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 7

श्री मूल चंद डागा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 16 से 18 का लोप किया जाए।

खंड 7 का उप-खण्ड (4) इस प्रकार है :

"यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना उचित समझे तो वह अधिकरण को उसके समक्ष की किसी कार्यवाही में सलाह देने के लिए दो व्यक्तियों को असेसर नियुक्त कर सकेगी।" (5)

यदि आप खण्ड 12 (5) को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि उसमें यह कहा गया है :

"यदि कोई अधिकरण उचित समझता है तो वह अपने समक्ष किसी कार्यवाही में सलाह देने के लिए असेसर या असेसरों के रूप में एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जिसे या जिन्हें विचाराधीन मामले की बाबत विशेष ज्ञान हो।"

खंड 12 (5) के अन्तर्गत अधिकरण का न्यायाधीश या अध्यक्ष एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को असेसर या असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकता है जिसे या जिन्हें विचाराधीन मामले की बाबत विशेष ज्ञान हो। खण्ड 7 (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार भी, यदि ऐसा करना उचित समझे तो व्यक्तियों को असेसर नियुक्त कर सकती है। मेरे विचार से यह बात दोनों में से एक पर छोड़ देनी चाहिए। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। ये दो बातें अलग-अलग हैं। अगर ट्रिब्यूनल में जज अपाएंट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्यों अपाएन्ट करना चाहते हैं। यह बात मेरी ससझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने संशोधन चाहा है।

श्री बसन्त साठे : जहां कहा है कि असेसर होना चाहिए गवर्नमेंट अपाएंटेड, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपाएंट नहीं किया तो एडीशनल पावर ट्रिब्यूनल को दे दी गई हैं। इस प्रकार एक से दो भले। यह काम अच्छा ही तो किया गया है ?

श्री मूलचन्द डागा : एक आप अपाएन्ट कर रहे हैं, एक वे अपाएन्ट कर रहे हैं ?

श्री बसन्त साठे : जहां हमने अपाएन्ट किया और यदि उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है, एक तो यह बात हो गई और दूसरा जहां गवर्नमेंट ने अपाएन्ट किया ही नहीं तो उनको कह दिया कि वे करें। मेरे ख्याल से अब आप समझ जाएंगे।

श्री मूल चंद डागा : इसमें दिया है कि इन एडीशन टू दैट···।

श्री वसन्त साठे : एडीशन भी नहीं है, सब्स्टेक्शन भी नहीं है—आइदर ऑर है ।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है ।

सभापति महोदय : क्या श्री डागा अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सं० 5 वापस सभा की अनुमति से लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8

सभापति महोदय : श्री डागा द्वारा एक संशोधन की सूचना दी गई है । क्या वह इसे पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं, मैं पेश नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 10

सभापति महोदय : श्री डागा द्वारा एक संशोधन की सूचना दी गई है । क्या वह इसे पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचंद डागा : जी नहीं, मैं पेश नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6 और 7,—

"क्रमशः पंक्ति 39 से 42 और 1 से 4" का लोप किया जाए। (8)

पृष्ठ 7, पंक्ति 6 और 7,—

"प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पूर्व" का लोप किया जाए। (9)

महोदय खण्ड 12 के उप-खण्ड (6) में यह कहा गया है :

"कोई अधिकरण संविदा के एक पक्षीय रूप से समाप्ति किये जाने को अपास्त करते हुये या किसी कर्मकार को पदच्युत करते हुए या किसी कर्मकार को पुनःस्थापित करते हुए जैसा कि मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतीत हो अपने समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को ऐसा अन्तिरिम या अन्य अनुतोष (चाहे वह किन्ही शर्तों के साथ हो अथवा नहीं) मंजूर कर सकेगा जिसमें आदेश का स्थगन, किसी व्यादेश का जारी किया जाना या मजदूरी के संदाय के संबंध में निदेश या धारा 3 में निर्दिष्ट करार के अधीन संदेय अन्य रकमें भी सम्मिलित हैं।"

मैं चाहता हूं कि इस परन्तुक का लोप कर दिया जाए। परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु अधिकरण ऐसा कोई अन्तरिम अनुतोष तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कार्यवाही के सभी पक्षकारों पर ऐसे अन्तिरिम अनुतोष के लिए आवेदन पर सूचना तामील न कर दी गई हो तथा उन्हें सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।"

एक तरफ आप इंटेरिम आर्डर ग्रान्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्राविसो में कहते हैं कि सारी पार्टीज को बुला कर, सुनने के बाद और उन पर नोटिस सर्व करने बाद ही ऐसा हो सकेगा। अब आप तो जानते ही हैं कि कितनी मुश्किल के साथ नोटिस सर्व होता है और इस में कितना समय लग जाता है। इसमें बहुत मुश्किल होती है। प्राविसी में आप कहते हैं :

"परन्तु यह और कि कार्यवाहियों से सम्बद्ध पक्षकारों पर पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने से पहले ऐसा अंतरिम अनुतोष, जैसा वह मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित समझे, मंजूर करने वाला उचित आदेश पारित कर सकेगा।"

आप कहते हैं कि इंटेरिम आर्डर मिल सकता है। दूसरी बात कहते हैं कि सारी पार्टीज पर नोटिस सर्व हो जाने के बाद ही ऐसा हो सकता है। फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसे सरकमस्टांसिस में बिना पार्टी पर नोटिस सर्व हुए भी वह ग्रान्ट कर सकता है। इसमें यहां प्राविसो में आपने कहा है :

"परन्तु यह और भी कि जहां ठीक पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन अधिकरण कोई आदेश करता है, वहां वह प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अनुपालन करने के पूर्व आदेश किए जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा।"

आपका इरादा यह है कि हर आदमी को जल्दी से रिलीफ मिले। जजमेंट होने के बाद वह रिलीफ पा सके। लेकिन आप साथ ही यह कहते हैं कि सब पार्टीज पर नोटिस सर्व होना चाहिये। फिर आप कहते हैं कि बिना नोटिस सर्व किए हुए भी हो सकता है। फिर कहते हैं कि नहीं यह जरूरी नहीं है लेकिन रीजंज रिकार्ड करने के बाद दिया जा सकता है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आई है। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्राविसो की आवश्यकता है। आपने यहां लिखा है :

"परन्तु यह कि जहां अधिकरण कोई ऐसा आदेश करता है, वहां वह आदेश किए जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा।"

यह पर्याप्त है।

यह बहुत ज्यादा अनहैपीली वर्डिड है। यह बात समझ में नहीं आई है। इस वास्ते इस प्राविसो को ओमिट कर दिया जाना चाहिए।

श्री बसन्त साठे : मैंने श्री डागा की बात सुनी। यदि हमने इस परन्तुक को बिलकुल नहीं रखा होता तो भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता। परन्तु हमने सोचा कि जब हम अन्तरिम अनुतोष देने के लिये एक असाधारण शक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमें सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये जहां साधारणतया एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किए जाने चाहिएं। श्री डागा जानते हैं वह भी वकील हैं और मैं भी हूं। हम जानते हैं।

यह विधि के हितकारी सिद्धान्तों में से एक है कि पार्टी की अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं होना चाहिये। इसलिए, हमने सोचा कि हम यह उपबंध करेंगे कि इस संबंध में संबद्ध पार्टी को सूचना/नोटिस दिया जाना चाहिए। परन्तु जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि

फिर नोटिस में देर करने या उसे न भेजने की शरारत की सम्भावना हो सकती है। इसलिए इस पर नियंत्रण करने के लिए, विशेष मामलों में, पर्याप्त सावधानी के रूप में हमने यह उपबंध किया है। जो कुछ आपने कहा इससे उसकी भावना नष्ट नहीं होती है। आपने जो कुछ कहा मैं उसकी भूरि-भूरि प्रसंशा करता हूं। मुझे आशा है कि आप अपने सभी संशोधन वापस ले लेंगे।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा . मैं जोर नहीं डाल रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या आप उन्हें वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, श्रीमान।

सभापति महोदय : क्या श्री डागा को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सं० 8 और 9 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खड 13

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 13 पर आता हूं। श्री डागा का एक संशोधन है। क्या आप उसे पेश कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 20, —

"तीन मास" के स्थान पर

"छ : मास" प्रतिस्थापित किया जाये। (10)

निर्णय कैसे लिया जा सकता है ? यह संभव नहीं है। क्या न्यायाधिकरण अपना निर्णय तीन महीने में दे सकता है ?

सभापति जी, मेरा कहना है कि ट्रिब्यूनल का जजमेन्ट तीन महीने में हो जायेगा यह संभव नहीं है। क्या यह असंभव अथवा अव्यवहार्य नहीं है ? तीन महीने का समय बहुत कम

होता है । जब कोई विवाद न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए सौंपा जाता है तब यह अपनी कार्यवाही शीघ्रता से करता है और 3 महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन नहीं देता थोड़े दिनों बाद आपको फिर संशोधन लाना पड़ेगा । लेबर ट्रिब्युनल्स के अन्दर 2, 3 साल तक कैसेज चलते हैं । और आप 3 महीने कर रहे है । यह कैसे होगा ?

न्यायाधिकरण के लिए 3 महीने में निर्णय लेना संभव नहीं हैं ।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : क्यों नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप मुझे बताएंगे कितने मामलों में श्रम न्यायाधिकरण ने इतने समय में निर्णय लिया है ? इसने मामले पर निर्णय लेने पर कई वर्ष लगाये हैं । इतने कम समय में अवार्ड देना नामुमकिन लगता है । इसलिये कम से कम 6 महीने तो लिजिए ।

श्री बसन्त साठे : वह अनावश्यक रूप से चिन्ता क्यों करते हैं ? वास्तव में हम देखते हैं कि लोग यही कहते आयें है कि श्रमिक कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों के विवाद शीघ्र तय किये जायें । इसलिए हमने संबद्ध खण्ड में व्यवस्था की है । "सामान्य तथा 3 महीनों की अवधि में" शब्दों पर ध्यान दें । असाधारण कारणों के उत्पन्न होने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । इसे बढ़ाये जाने पर कोई रोक नहीं है । इस धारा के अन्तर्गत यदि न्यायाधिकरण किसी मामले पर 3 महीने में निर्णय लेता है तो आपको कोई आपत्ति है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहता हूं कि 3 महीने में ऐसा कर पाना संभव नहीं है ।

सभापति महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं इस पर जोर नहीं दे रहा ।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 10 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री चित्त बसु : मैं अपना संशोधन नहीं रखना चाहता ।

सभापति महोदय : यह नये खण्ड 15 (क) के बारे में था । वह इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अतः हम खण्ड 16 को लेते हैं ।

खण्ड 16

श्री बसन्त साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8 पंक्ति 19 —

"पांच" के स्थान पर

"तीन" प्रतिस्थापित किया जाये । (11)

श्रीमान यह एक छोटा सा-संशोधन है । मैं इसे पांच से घटा कर तीन करना चाहता हूं, ताकि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने केवल तीन फिल्मों में कार्य किया है वे भी इसके अंतर्गत आ सकें । इसलिए मैं इसे पांच से घटा कर तीन कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 19—

"पांच" के स्थान पर

"तीन" प्रतिस्थापित किया जाये । (11)

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 17 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खण्ड 23

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : खण्ड 23 के सभा द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बाद, खण्डों की संख्या का पुनः संख्याकन अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

खण्ड 24

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 24* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 25

सभापति महोदय : इसमें सरकारी संशोधन संख्या 12 है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 35,—

"के अधीन" के स्थान पर

"प्रन्तुक के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये" । (12)

(श्री बसंत साठे) :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 25 संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया ।

खण्ड 26

सभापति महोदय : इसमें सरकारी संशोधन संख्या 13 है ।

*खण्ड 23 अस्वीकृत हो जाने पर खण्ड 24 से 26 का संख्यांकन अध्यक्ष के निर्देशानुसार खण्ड 23 से 25 के रूप में पूनः संख्यांकन किया गया ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 11, पंक्ति 4 —

"को वैसे ही 1। के स्थान पर

"को या उसके सम्बन्ध में जैसे हो" प्रतिस्थापित किया जाये । (13)

(श्री बसंत साठे) :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री बसन्त साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रो० एन० जी० रंगा बोलना चाहते थे ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने विधेयक को तथा पेश किये गये विभिन्न संशोधनों को ध्यान से देखने का कष्ट किया है तथा पेश किए गए संशोधनों पर रूढ़ि विरोधी रवैया अपनाया है । मैं अपने मित्र श्री डांगा को बधाई देता हूं कि वह मंत्री महोदय से अपना संशोधन मनवाने में सफल हुए हैं । यह एक असाधारण बात है कि विधेयक में जो एक संशोधन उन्होंने सम्मिलित किया है उसके बारे में मंत्री महोदय ने समझ लिया है कि उससे वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इन खण्ड को निकालने के बारे में उन्होंने सभा के साथ सहयोग दिया है । यह बहुत अच्छी मिशाल है । मुझे

उम्मीद है कि जब भी आवश्यक हो अन्य मन्त्री भी इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। पहली बार मंत्री महोदय ने सिनेमा कर्मकारों के लिए विधेयक रखा है, जो कि उन्हें संरक्षण देता है। मुझे उम्मीद है कि सिनेमाघरों के मालिक अपना उत्तरदायित्व निभायेंगे तथा सरकार के साथ सहयोग करेंगे ताकि कार्मिकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, जो कि सभा देना चाहती है। मुझे यह भी उम्मीद है कि न्यायाधिकरण तथा अन्य संगठन जोकि विवादों के फैसले के लिए स्थापित किए जायेंगे वे भी भरसक प्रयत्न करेंगे ताकि 3 महीने की अन्य अवधि में ही अपनी जांच पूरी करके निर्णय दे सकें, जोकि साधारणतः इन मामलों के लिए निर्धारित की गई है इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। विधेयक पारित हो गया है। अब हम अगला मद लेते हैं।

आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होगा) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

औद्योगिक (विवाद और विनियमन) अधिनियम 1951 में पारित हुआ था ताकि अधिनियम में उल्लिखित कतिपय की प्रथम अनुसूची उद्योगों का विकास तथा विनियमन किया जा सके। अधिनियम की धारा 24 के अधीन कोई भी उद्योग, जो बिना लाइसेंस के उत्पादन कर रहा है। अथवा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है, दण्ड का भागी है।

फिर भी इस अधिनियम को वास्तविक रूप से लागू करने में यह देखा गया है कि अधिनियम के लागू करते समय जब तक अपराध का पता चलता है तथा सम्बद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तब तक अपराध को दण्डित किये जाने की दण्ड संहिता प्रक्रिया की धारा 468 के अंतर्गत निर्धारित एक वर्ष की सीमा समाप्त हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम को आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 की

अनुसूची के अंतर्गत लिया जाये । ऐसा करने से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आने वाले अपराध काल-बाधित नहीं हो पायेंगे ।

आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम 1974 के उपबन्धों में संशोधन करने वाला विधेयक पहले ही आपके समक्ष पेश है ताकि उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम) को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जा सके । मैं इस विधान के अधिनियमन के लिए आपका पूरा समर्थन तथा सहयोग चाहता हूं जिसके द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के समर्थकारी उपबन्धों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान की जायेगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, यह विधेयक छोटा सा है और मैं कहूंगा कि यह मधुर अथवा अच्छा है । और मेरे विचार में मंत्री महोदय ने इस विधेयक को इस सभा के समक्ष पेश करके ठीक ही किया है और हम बिना किसी हिचकचाहट के इसका समर्थन करते हैं । मैं मंत्री महोदय के विचार के लिए इससे संबंधित मामले या मामलों को उठाना चाहता हूं । हमारे देश में हमने देखा है कि निजी उद्योगपति, यहां तक कि बड़े-बड़े औद्योगिक घराने अनेक मामलों में विभिन्न प्रकार के कुप्रबन्ध, दुरुपयोग आदि कर रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप कई कम्पनियां संकटग्रस्त हो गई हैं और मंत्री महोदय जानते हैं कि हम अतीत में कितने मामलों को लेकर उनके पास गए हैं और हमें भविष्य में भी उन मामलों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पुनर्जीवित करने हेतु लाये जा सकने के लिए उनके पास जाना होगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि सदस्य महोदय मेरे साथ सहमत होंगे, जैसा कि हमारा अनुभव रहा है कि अधिकांश मामलों में संकटग्रस्तता का कारण औद्योगिक संबंधों की समस्या नहीं है प्रत्युत वास्तव में यह तो निजी उद्योगपतियों द्वारा धन को और कामों में लगाये जाने, कुप्रबन्ध एवं दुरुपयोग का मामला है । हमने अनेक मामलों में देखा है कि श्रमिकों को भविष्य निधि, उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा आदि को देय राशियों से वंचित रखा जाता है । अतः हम केवल यह ही नहीं चाहते कि श्रमिकों को देय उचित राशि की व्यवस्था करने के लिए ही सभी उपचारात्मक कदम उठाये जायें अपितु हम उन लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करना चाहते हैं जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं ।

अतः औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम पुनर्जीवित करने हेतु, एक महत्वपूर्ण विधान बन चुका है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय और उनके मार्गदर्शन में उनका मंत्रालय उपयुक्त मामलों में सभी आवश्यक पग उठायेंगे ताकि इस अधिनियम के लाभकारी और निवारक उपबन्धों को पूरी शक्ति के साथ लागू किया जा सके । हम महसूस करते हैं कि कई

मामलों में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम को कुछ अधिक जोरदार ढंग से और तुरन्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है जिससे कम्पनियों को और अधिक संकटग्रस्त होने से बचाया जा सके, यदि मैं यह कहूं कि विकृत रूप से संकटग्रस्त होने से बचाया जा सके, तो यह अधिक अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है। यदि कोई कम्पनी संकटग्रस्त होने लगती है और यदि उस समय हस्तक्षेप कर दिया जाता है, तो कम्पनी को पुनर्जीवित करना अधिक आसान हो जाता है। यदि संकटग्रस्तता गहरी हो जाती है तो यह कैंसर बन जाता है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि सरकार की नीति संकटग्रस्त कम्पनियों को सरकारी धन से पुनर्जीवित करने के पश्चात इन्हें वापिस कर देने की नहीं है। इन कम्पनियों को श्रमिकों के प्रयासों से पुनर्जीवित किया जाता है जो अनेक मामलों में पर्याप्त त्याग करते हैं। यदि आप ऐसी कम्पनियों को पुनर्जीवित करते हैं और उन्हें पुराने प्रबंधकों को लौटा देते हूं, तो ऐसा करना आत्मघातक होगा। अन्ततः ऐसी कम्पनी को सरकारी नियन्त्रण में लेना पड़ता है। ऐसी किसी कम्पनी को लौटाने की बजाए उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। एक कम्पनी को, जिसे निजी उद्योगपतियों, बड़े औद्योगिक गृहों तथा एकाधिकारी गृहों द्वारा सभी प्रकार के आर्थिक अपराधों के द्वारा संकटग्रस्त कर दिया गया है, पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और तब ऐसी कम्पनियों को सरकारी धन तथा श्रमिकों के खून पसीने तथा श्रम से पुनर्जीवित कर लिया गया हो, तो इन्हें उन व्यक्तियों को लौटाया नहीं जाना चाहिए जो इस संकटग्रस्तता के लिए जिम्मेदार रहे हों।

अतः मैं गम्भीरतापूर्वक मन्त्री महोदय से बहुत सी गम्भीरता से इस मामले पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं क्योंकि ऐसी अनेक कम्पनियां है जो उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि श्री रंगा इसके लिए अपने सद्भाव का प्रयोग करेंगे। यद्यपि ये कम्पनियाँ उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं, तथापि इसमें अभी तक बड़ी अनिश्चितता है ऐसी कई कम्पनियाँ हैं जो दिवालियाँ हो गई हैं, किन्तु उन्हें पुनर्जीवित कर लिया गया है और अनेक मामलों में कार्य-कुशलता के साथ कार्य कर रही हैं। ऐसा इस कारण से है क्योंकि उद्योग विकास विनियमन अधिनियम में एक ऐसा उपबन्ध है कि यदि उच्च न्यायालय को आवेदन किया जाता है कि सरकार एक कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहती है, तो उच्च न्यायालय सरकारी परिसमापक या अभिरक्षक से अथवा नियुक्त प्रबन्धकों से प्रबन्ध ले लेने के आदेश देगा और इसे सरकार को दे देगा। अनेक मामलों में वैसा आदेश दिया गया है। मैं कलकत्ता की एक बहुत ही विख्यात कम्पनी कृष्णा ग्लास एण्ड सिलीकेट वर्क्स का उदाहरण दे सकता हूं जो चश्मा आदि के निर्माता हैं। सिद्धार्थ राय के शासन के समय भी यदि मैं भूल नहीं करता 1973 या 1974 में उद्योग विकास विनियमन अधिनियम को लागू किया गया था। यह न केवल मेरा निर्वाचन क्षेत्र ही है अपितु मैं वहाँ श्रमिक संघ का अध्यक्ष भी हूं। हम काफी समय से राष्ट्रीय-करण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि यह बात मन्त्री महोदय के विचाराधीन है। इसकी प्रगति में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हालांकि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने काफी अधिक धन खर्च किया है। हमने हाल ही में राज्य सरकार को

आधुनिकीकरण के लिए लगभग 16 लाख रुपये खर्च करने के लिए राजी किया है किन्तु कठिनाई यह है कि बैंककारी संस्थायें उनकी सहायता नही करती हैं। बैंक कहते हैं कि आप एक या दो वर्ष के लिए यहां हैं, कोई नहीं जानता कि यदि इसे निजी प्रबन्धकों को लौटा दिया जाये क्या होगा ; उनके बैंक को देय राशियों का क्या होगा ? कोई उचित आधुनिकीकरण की योजना नहीं हो सकती विस्तार की कोई योजना नहीं हो सकती और श्रमिकों को सदैव बड़ी चिन्ता रहती है कि उद्योग विकास विनियमन के अन्तर्गत मामले समाप्त हो जाते हैं तो अतीत की तरह उनका भविष्य पूरी तरह अंधकार पूर्ण में होगा। इसी प्रकार एक अन्य कम्पनी ब्रेंटफोर्ड है जो तीन वर्षों से कार्य कर रही है। मैंने मन्त्री महोदय से बात की थी और उन्होंने कृपा करके कुछ समय दिया। मैं उनके द्वारा दी गई पुष्टि, समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद करता हूं। अब यह लाभ दे रही है। हमसे पुर्व यह घाटे में चल रही थी। इसमें अत्यधिक सम्भाव्यता है। क्रमादेशों का अभाव नहीं है कार्य चालन पूंजी का अभाव है। इन मामलों में उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा। मेरा विश्वास है कि सरकार इसे इन सभी बुराइयों के लिए उत्तरदायी पिछले प्रबन्धकों को लौटाने के लिए उत्सुक नहीं है। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम की उचित भावना है और इसके उपबन्धों को दृढ़ता से तथा व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए। हम अत्याधिक उत्सुक हैं और हम अतीत में कई अवसरों में यह कहते रहे हैं। कम्पनी अधिनियम में अनेक दण्डों की व्यवस्था की गई है आप ने कितने मामलों में इसका सहारा लिया है और कितने मुकद्मे दायर किये हुये हैं ? बहुत कम जुर्माने लगाये जाते हैं। ऐसा वकीलों अथवा न्यायिक पद्धति के कारण हुआ है अथवा हम पद्धति में फैले धन के कारण हैं, फिर भी इन मुकद्मों में बड़े लोग नहीं पकड़े जाते। प्रबन्धकों, सचिवों के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाने हैं और इन गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है। निदेशकों को कभी भी नहीं छोड़ा जाता।

प्रो एन० जी० रंगा : किन्तु आपको चोर को पकड़ना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किन्तु यदि आप ने उन्हें सबक सिखाना है, तो आप को मुख्य चोर को पकड़ना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : वकीलों की सहायता से इसे पकड़ना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वकीलों की सहायता से अथवा उनकी सहायता के बिना इसे पकड़ना होगा किन्तु इसके लिए प्रशासकीय इच्छा महत्वपूर्ण है। ऐसे वकील भी हैं जो सदैव अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसा राजनीति व्यवसाय सहित प्रत्येक व्यवसायों में होता है किन्तु भाग्यवश सब ऐसा ही नहीं करते। अतः, केवल दण्डों एवं अपराधों का उपबन्ध कर देने से ही काम नहीं चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मन्त्री महोदय अपने अनुभव से यह मालूम कर लेंगे कि कितने मामलों को शुरू किया गया और कितने मामलों को जोरदार ढ़ंग से चलाया जाता रहा। यदि इनके आंकड़ों को तैयार किया जाये, तो आपको इस बारे में बहुत सी खराब स्थिति का पता चलेगा। मैं प्रसन्न हूं कि श्री साठे ने अपने विधेयक में ही प्रश्नों के निर्णय का उपबन्ध कर दिया है। उन्होंने सामान्य प्रक्रिया पर इसे छोड़ नहीं दिया है। उन्होंने

उच्च न्यायालयों के पुनरीक्षा संबंधी अधिकार क्षेत्र का भी उपबन्ध कर दिया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य अन्तर है और बहुत ही स्वागत-योग्य पग है। अतः, मैंने उसकी सराहना की है और हमने उनका धन्यवाद किया है। किन्तु इन उपबन्धों को केवल जनता के लिए नहीं होना चाहिए। हम उत्सुक हैं कि उद्योग विकास विनियमन उल्लंघन अधिनियम का जोरदार ढंग से अनुसरण किया जाना चाहिए और इसमें कोई सीमाबद्धता नहीं होनी चाहिए। किन्तु हम चाहते हैं कि इसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा उठाई गई बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। कम से कम उन्हें सभा को यह आश्वासन तो देना चाहिए कि यह संशोधन एक कागजी संशोधन नहीं है। इसे पूरी ईमानदारी और शक्ति से लागू किया जायेगा। उन व्यक्तियों को, जो इस देश में औद्योगिक उत्पादन के साथ खिलवाड़ करते हैं और अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे लोग जो हजारों श्रमिकों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन अपराधियों को खुली आजादी नहीं दी जानी चाहिए और उन श्रमिकों को हानि नहीं पहुंचायी जानी चाहिए जिन्होने देश की भलाई के लिए इसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने हेतु इन कम्पनियों को सुधारने के लिए अपना खून पसीना बहाया है।

इस सम्बन्ध में वह जो कुछ करेंगे उसको हम उत्सुकता से देखेंगे और हमारा प्रयास उनकी सहायता करना रहेगा।

श्री जेवियर अराकल : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि, मैं सभा का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा।

23 जुलाई, 1980 को उद्योग मन्त्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा में भाग लेते हुए मैंने सभा के सामने आठ ठोस सुझाव रखे थे जिनमें से पहला तथा सबसे प्रमुख सुझाव यह था :

> "वर्तमान औद्योगिक तथा वितीय कानूनों तथा वर्तमान विधिक प्रणाली का मूल्यांकन होना चाहिए।"

23 जुलाई 1980 को जो मेरा विचार था, आज भी वही है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के बारे में चर्चा करने से पहले क्या मैं सभा से 1948, 1956, 1977 तथा 5 जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति संकल्पों की ओर ध्यान देने का अनुरोध कर सकता हूं ? यदि आप इन नीतियों को तथा इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के कथन को देखें तो आप मेरे इस सुझाव की सराहना करेंगे कि उद्योग सम्बन्धी समूची विधिक प्रणाली का मूल्यांकन, निर्धारण, तथा उसकी पुनः परिभाषा होनी चाहिए तथा उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

जो अपराध इन फर्मों ने किये हैं और हम इन अपराधियों को पकड़ने तथा दंडित करने में हम किस सीमा तक सफल हुए है उद्देश्य तथा कारणों का कथन इस बारे में मौन है।

इस बारे में हम बिलकुल मौन है, औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के खंड 24 में 6 महीने की जेल अथवा 5000 रुपये जुर्माने अथवा दोनों की व्यवस्था है। सरकार इस सभा को बताये कि कितने उद्योगपतियों ने इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया या अवहेलना की और कितने इस कानून के अधीन जांच से तथा इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन से बच गये।

खण्ड 27 में कहा गया है कि केवल एक सरकारी कर्मचारी की रिपोर्ट पर ही अपराध माना जा सकता है। मेरा पहला अनुरोध यह है : यदि हम उचित औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में गम्भीर हैं, तो श्रमिकों, प्रबन्धकों और सरकार से सम्बन्धित समूचे औद्योगिक कानून की पुनः परिभाषा की जानी चाहिये।

इन फर्मों द्वारा किये गये अपराधों तथा उन पर की गयी कार्यवाही के बारे में मंत्री महोदय उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में मौन हैं इस कथन में कहा गया है कि इन मामलों के लिए बहुत समय चाहिये। इन मामलों में बहुत समय क्यों लगता है ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? इस बात को इस विधेयक की परिध में लाकर आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे ? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह 'बहुत समय' कम हो जाये ? उद्देश्य तथा कारणों के कथन का सबसे बुरा अंश वह है, जहां यह कहा गया है :—

> "इसके अतिरिक्त, यह अवधारित करने के लिए कि किसी मामले में अभियोजन आरम्भ किया जाये या नहीं अन्वेषणों में पर्याप्त समय लगता हैं।"

कौन संकोच करता है ? क्या कानून अथवा अधिकारी ? कथन में यह भी कहा गया है :—

> "अतः अनेक मामलों में, अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए, उस परिसीमा काल के भीतर जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 में उपबन्धित है अभियोजन आरम्भ करने में कठिनाई होती है।"

आप इस समस्या को किस प्रकार हल करेंगे ? अतः मैं सभा के सामने प्रश्न रखता हूं : क्या आप इसे आर्थिक अपराध अधिनियम के अन्तर्गत लाकर अर्थात वर्तमान अनुरूची में एक और अधिनियम जोकड़र, इसे समाप्त कर रहे हैं ? मेरा कहना है कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने तथा इसे पेश करने में बहुत ही उदासीनता से काम लिया गया है। सभा के सामने बताये गये कारण संतोषजनक नहीं हैं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने अपराध हुए हैं, कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी, कितने मामले निर्णयाधीन हैं और कितने व्यक्ति अभियोजन कार्यवाहियों से बच निकले हैं ? यदि आप पहली बात को लें तो आप यह देखेंगे कि यह कहा गया था — "उप उद्योगों की अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी"। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे और कितने मामले है जिनका पता लगाया जाता है और जिनका विनियमन करने की आवश्यकता है ?

मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह चाहते हैं कि अधिकतम उत्पादन ही चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन उन लोगों के प्रति हमारा क्या रुख है जो पंजीकरण, लाईसेंस, उप्पादन क्षमता, विनियमन, विस्तार और परिसमापन कार्यवाही के बारे में इस बिधान के खण्डों तथा नियमों का उल्लंघन करते हैं ? इस विधेयक को लाने के लिए सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, मैं उसकी सराहना करता हूं, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं और मुझे खुशी है कि मार्कसिष्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने भी इसका समर्थन किया है। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को एक व्यापक औद्योगिक कानून लाना चाहिये क्योंकि 1951 के कानून को 1981 में कार्यान्वित किया गया। जैसे कि मैंने 23 जुलाई, 1980 के अपने भाषण में कहा था इस सभा में औद्योगिक जटिलता तथा पर्यावरण सम्बन्धी एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये, मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

*श्री सी० पलानीअप्पन (सलेम) : मैं अपने दल द्रमुक की ओर से आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक 1981 के बारे में कुछ सुझाव देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य, औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों को आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 की परिधि में लाना है। मैं इस वियेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके द्वारा औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों को सजा देने में हो रहा विलम्ब समाप्त किया जा सकेगा।

यद्यपि जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं वे वित्त मंत्रालय से सम्बन्थित हो सकते हैं, फिर भी मैं उनके बारे उद्योग मंत्री को संकेत देना चाहता हूं ताकि वह इस कानून को कार्यान्वित करने में हो सकने वाली त्रुटियों को दूर कर सकें। पर चोरी को रोकने के लिए आयकर विभाग देश भर में कम्पनियों पर छापे मारता है और अखबारों में उसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाता है। बात वहीं समाप्त हो जाती है और जनता को इन छापों से बाद की गई कार्यवाही के बारे में कोइ भी जानकारी नहीं दी जाती। उदाहरणार्थ वेलौर के एक व्यापारी के यहां छापा मारा गया और किसी को भी बाद में हुई कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार इस सभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में, मद्रास के दो प्रमुख व्यापारियों पर डाले गये छापों के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। समाचार पत्रों ने भी इस गरमागरम समाचार को प्रकाशित किया गया। उसके बाद, किसी को भी बाद में की गयी कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। सरकार का कर्तव्य कालेधन तथा कर चोरी का पता लगाते हेतु ऐसे छापे डालने मात्र से ही पूरा नहीं हो जाता। इसी प्रकार इस सभा को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा देय 32 लाख रुपये के बकाया आयकर की भी सूचना दी गयी। सभा यह जानने में दिलचस्पी

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रखती है कि उन्होंने इस बकाया कर का भुगतान कैसे किया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के मकान को स्वयं अपनी पत्नी को बेचा और बकाया कर का भुगतान किया। मुझे हैरानी है कि आयकर विभाग ने इसकी कैसे अनुमति दी।

इन बातों से जनता के बीच यह धारणा बन जाती है कि भारत सरकार के दिल में बदले की भावना केवल अपने विरोधियों ही के लिए है और कभी-कभी ऐसे छापे, जो समाचार में प्रकाशित होते हैं, सत्तारूढ़ दल के लिए धन एकत्र करने के साधन बन जाते हैं। इस कहावत के अनुसार कि सीजर की पत्नी संदेहों से ऊपर होनी चाहिए, भारत सरकार को राजनैतिक गठबंधनों और राजनैतिक आवश्यकताओं के बावजूद भी अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षतापूर्वक करना चाहिये। भारत सरकार का वार्षिक बजट 10,000 करोड़ रुपए का है। इस बात को सभी अनुभव करते हैं कि काला धन रखने वाले तथा कालाबाजारी करने वाले लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है और वे ही मूल्य वृद्धि के लिए मुख्यरूप से जिम्मेवार हैं, यदि भारत सरकार उनकी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकती, तो सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। उदाहरणार्थ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने के लिए 17 लाख रुपये का जुर्माना किया गया और इस मामले को एक फौजदारी मामले के रूप में अदालत तक भी ले जाया गया। फिर भी श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के साथ सौदा किया और वह एक राजनैतिक सौदा था। उन्होंने उन्हें अपने दल के श्रीमती इंदिरा गांधी को तंजावुर लोक सभा चुनाव के दौरान दिए जाने वाले समर्थन को वापिस लेने के लिए मजबूर किया और उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन सम्बन्धी फौजदारी मामले को वापिस लिया गया। मैं मांग करता हूं कि श्री मोरारजी देसाई तथा तमिलनाड के मुख्यमंत्री के विरुद्ध ऐसी धोखाधड़ी करने के लिए कार्यवाही की जाए। जनता यह भी अनुभव करती है कि जब से शिकायतें की जाती हैं कि कुछ राजनीतिक नेताओं के पास काला धन है जो उस धन का उपयोग राजनैतिक सौदों के लिये करते हैं तो सरकार उन शिकायतों पर कोई कारगार कार्यवाही क्यों नहीं करती। तमिलनाडु में चीनी कारखाने के मालिकों के विरुद्ध उत्पादनशुल्क की अभूतपूर्व मात्रा में चोरी करने के लिये फौजदारी के मामले दर्ज कराये गए। उसके बाद उस कार्यवाही की पैरवी करने हेतु कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए जिसका कारण यह बताया गया कि न्यायालयों ने ऐसे मामलों में रोकादेश जारी किये हैं। भारत सरकार को इस तर्क का सहारा नहीं लेना चाहिये। इस प्रकार के रोकादेशों को रद्द करने के लिये इन न्यायालयों में तुरन्त कानूनी कार्यवाही शुरू करके शीघ्र ही प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिये। यदि आवश्यक हो तो सरकार एक ऐसा संविधान (संशोधन) विधेयक पारित कर सकती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायालय देश के कर सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित करने में हस्तक्षेप न कर पायें। जब कभी भी देश के लोगों के हितों तथा देश को अपनी सम्पत्ति से बर्बाद करने वाले लोगों के हितों के बीच संघर्ष होता है तो सरकार को ऐसे संघर्ष को इस ढंग से सुलझाना चाहिए जो लोगों के लिये हितकारी हो और देश की प्रभुसत्ता तथा आजादी के महत्व को कम मानने वाले लोगों को दंडित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। ऐसा लगता है कि इसके जरिये से एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर करने में हमें काफी मदद मिलेगी।

आज तक जितनी भी इंडस्ट्रीज या कम्पनियां सरकार अधिग्रहण करती थीं और उनके सम्बन्ध में जो भी कदम उठाए जाते थे वे बहुत देर से उठाये जाते थे। तब तक उन कम्पनियों के मालिक कायदे-कानून की सीमा से बाहर निकल जाते थे। इससे इंडस्ट्री में या कम्पनी में काम कर रहे मजदूरों को और देश को बहुत नुकसान होता रहा है। उसका विधान करने के लिए यह जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है यह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है।

मैंने पिछले साल यहां पर निवेदन किया था कि बहुत से पूंजीपति अपनी इंडस्ट्रीज से पैसा निकाल कर नयी नयी इंडस्ट्रीज खड़ी कर लेते हैं और फिर अपनी उस पुरानी इंडस्ट्री को सिक बनाने की कोशिश करते हैं। जब जनता की तरफ से, मजदूरों की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से टेक ओवर करने की बात की जाती है, या इस बात की घोषणा की जाती है तब तक उस इन्डस्ट्री की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और वह इन्डस्ट्री बिल्कुल बन्द हो जाती है। वहाँ काम कर रहे मजदूरों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। इससे बचने के लिए इस इकोनोमिक ओफेंसिज लिमिटेशन अमेंडमेंट बिल से बहुत मदद मिलेगी। इसलिए यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके द्वारा हम उन पूंजीपतियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो कि सरकार, मजदूरों और अन्य प्रकार के लोगों के साथ धोखाधड़ी कहते हैं। उनको इस कानून के जरिये संभाला जा सकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पिछले साल मैंने निवेदन किया था कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा जिसको कि राजस्थान सरकार ने सन् 1968-69 में टेक ओवर किया था वह इसी वजह से सिक कर दी गयी थी। लाखों रुपया उस मिल पर कर्जा हो गया और मशीनें बरवादी के कगार पर पहुंच गई। इसके बाद राज्य सरकार ने उसको अपने कब्जे में लिया और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ने उसे फिर से डेवलप किया। डेढ़-दो करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत 5-6 साल बाद उस इंडस्ट्री को पुराने मालिक के सुपर्द कर दिया गया। उस मालिक को सुपुर्द कर दिया गया, जिसने उस इंडस्ट्री को सिक बनाया था। उसकी उन्नति के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने पैसा खर्च किया और जिस मालिक ने रुपया निकाल कर उस उद्योग को सिक किया था, उसी मालिक को फिर से उस उद्योग को सिक करने के लिए लौटा दिया गया। मेरा कहना है कि इस प्रकार के उद्योगों को सरकार को अपने हाथ में ही रखना चाहिए, ताकि मजदूरों को भला हो और उन्हें बेरोजगारी से बचाया जा सके। उस पूंजीपति को दोबारा उस उद्योग को वापिस नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर सरकार द्वारा दो-ढाई करोड़ रुपया लगाया गया, मजदूरों का पैसा

चुकाया गया और इन्डस्ट्री को माडर्नाइज किया गया, उस उद्योग को पुनः मिल मालिक को वापिस दे दिया जाए, यह बात ठीक नहीं है। वह मिल फिर किसी भी समय बन्द हो सकती है। उस मिल का मालिक फिर से वही पुरानी बातों को दोहरा सकता है। मिल मालिक की बेईमानी की वजह से मिल फिर से सिक होती जा रही है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार इसको अपने हाथ में ले ले। इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि कोई मिल मालिक मिल को सिक करता है तो वह मिल फिर से उसको नहीं सौंपी जाएगी। इसके बारे में राज्य सरकार को और भारत सरकार को इत्तला दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर इस कानून में हो जाएगी तो माकूल व्यवस्था हो सकेगी। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह बात स्वागत योग्य है। एक दफा इंडस्ट्री सिक हो जाने के बाद वापिस नहीं लौटाई जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को इस ओर कार्यवाही करनी चाहिए। उस पूंजीपति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और इकनामिक ओफेंस के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए और मिल पूंजीपति को लौटाई नहीं जानी चाहिए।

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्णतया हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और इस विधेयक-विशेष को प्रस्तुत करने के लिए मन्त्री मदोदय एवं सरकार को बधाई देता हूं। यह तो पहले ही किया जाना चाहिए था। फिर भी, वह इसे अब ले आये हैं तो मैं प्रसन्न हूं।

मैं यह तो नहीं जानता कि इस उपाय विशेष को इस अधिनियम में सम्मिलित करने के लिए उनके मन्त्रालय को 8 वर्ष तक क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्या इसका कारण यह है कि क्योंकि आपका सामना कुछ मामलों से पड़ा जिन्हें आप परिसीमा के कारण न्यायालय में नहीं ले जा सके। यदि यही बात है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्मानित सदन को विश्वास में लेकर हमें यह बताए कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 के अधीन इस परिसीमा के कारण कितने मामलों में मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सके। यदि ऐसे कुछ मामले हैं तो, उनमें कौन अभियुक्त हैं, क्या ये बहुत बड़े लोग हैं और क्या अभियोजनों में जानबूझ कर विलम्ब किया गया है ? जो उपाय अब वह कर रहे हैं उसको ठीक से समझने के लिए वह सब जानना आवश्यक है।

मैं मन्त्री महोदय से और उनके माध्यम से समस्त सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध व्यापक विधेयक लाने का समय आ गया हैं। इस बात का कोई फायदा नहीं है कि एक समय एक ही अधिनियम लाया जाए और फिर दो वर्ष की प्रतीक्षा करने के बाद

दूसरा लाया जाए । हम देखते हैं कि ऐसे अपराध करने वाले बहुत से अपराधी या तो फरार होकर या, विदेशों में चले जाकर अथवा जांच-अधिकारियों को धन देकर, जोकि छह मास तक प्रतीक्षा करते हैं, दण्ड से साफ बच निकलते हैं । जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो ये लोग इस अपराध-विशेष से बच निकलते हैं । मैं सविनय निवेदन करता हूं कि यह तो बलात्कार तथा ऐसे अन्य अपराधों से भी कहीं अधिक गम्भीर और घृणित अपराध है । अतः इससे निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाने ही होंगे ।

मैं मन्त्री महोदय से और उनके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि यह उपाय केवल आर्थिक अपराधों पर ही लागू न किया जाए, अपितु जो लोग ऐसे अपराध करते हैं उन्हें भी बचकर कतई नहीं जाने दिया जाये । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि सम्भव हो तो वह गृह मन्त्री महोदय से बातचीत करें और यह निश्चित करें कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 को संविधि पुस्तिका से पूरी तरह हटा दिया जाता है । जिससे कि अपराधी साफ बचकर न निकल सकें । मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस समस्या-विशेष से इस ढंग से ही निपटें । मैं अनुभव करता हूं कि मेरी भावना से जिसे मैं यहां प्रकट कर रहा हूं, इस सदन में बैठे सभी लोग सहमत होंगे ।

मुझे डर है तो केवल इस बात का है कि क्या औद्योगिक । (विकास और विनियमन) अधिनियम में जो अपराध गिनाए गए हैं क्या वे वास्तव में ही आर्थिक अपराध हैं । आर्थिक अपराध क्या होता है ? मेरे मतानुसार आर्थिक, अपराध वह कर्म होता है । जिसमें कोई व्यक्ति विशेष करों से बचकर आर्थिक लाभ उठाता है । आर्थिक अपराध का यही सार है । परन्तु यदि आप औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम को पढ़ें तो उसकी धाराएं 24 और 24 क कुछ क्रिया-कलापों को दण्डनीय करार देती हैं । इसमें जो अपराध गिनाए गए हैं वे इस प्रकार हैं —धारा 10 (1) बिना पंजीकरण के कोई औद्योगिक इकाई आरम्भ करना ; धारा 10 (4)-प्राधिकारियों को पंजीकरण का प्रमाणपत्र न दिखाना धारा, 11 (1)—बिना लाइसेन्स लिए उत्पादन करना । क्या ये आर्थिक अपराध हैं ? यदि ये आर्थिक अपराध नही हैं और यदि आप इन्हें आर्थिक अपराधों की अनुसूची में सम्मिलित करने जा रहे हैं तो आपका समग्र उद्देश्य बेकार सिद्ध होगा । यदि आप एक वर्ष पश्चात न्यायालय में अभियोजन के लिए जाएंगे तो अपराधी की ओर से यह दलील दी जायेगी कि उसने किसी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया है । इसलिए आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम के अन्तर्गत इस अनुसूची विशेष में इसको सम्मिलित करना अवैध, अप्राधिकृत और अधिकारातीत है । इस प्रकार धारा 368 अभी भी लागू होती है और इसलिए अभियोजन काल-बाधित है । मैं नहीं जानता कि आपने इस पहलू-विशेष पर विचार किया है या नहीं यदि आपने इस पर विचार नहीं किया है तो आप इस पहलू पर फिर से बिचार कीजिए, क्योंकि अन्यथा आपका उद्देश्य पूरा न हो सकेगा और वह व्यर्थ हो जायेगा । हम सभी प्रसन्न हैं कि इस अधिनियम विशेष को पारित करके हमने एक बड़ा काम कर रहे हैं हम सभी आर्थिक अपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हमें इसके अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे । इसलिए

इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कानूनी पहलू पर पुनर्विचार करें। यदि आवश्यक हो तो आप और समय लीजिए, विधेयक को वापिस, लीजिए, विधि मन्त्रालय से सलाह-मशविरा कीजिए, और इसे कुछ समय बाद लाइए। परन्तु यह मत कहिए कि ये आर्थिक अपराध हैं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि अधिनियम विशेष में जो भी अपराध सम्मिलित किए गए हैं उनमें से कोई भी प्रथम दृष्टया आर्थिक अपराध नहीं हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि आपको वे उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे। जो आपने इसमें रखे हैं, जो आपने पढ़कर सुनाए हैं और जिन्हें आपने अपने भाषण में दोहराया है। इन शब्दों के साथ मैं आपके मन्तव्य का समर्थन तो करता हूं, परन्तु केवल इस शर्त के साथ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल, कानून काफी बनते हैं और अलमारियों में पड़े हुए अपने दम तोड़ रहे हैं। क्या अलमारियों में रखने के लिए यह कानून हैं माननीय मंत्री जी ? बिजनेसमैन हर बक्त सरकारी आदमी को अपने कब्जे में रखता है और उसका जो सम्बन्ध है उसको आप नहीं तोड़ सकते।

जो कानून आप लाये हैं उसकी मंशा को समझिये। एक तरफ आपने रिजोल्यूशन किया है कि देश में उद्योग पनपने चाहियें और आपकी नीति बहुत अच्छी है। हमने सोचा था आप एक नई बात करना चाहते हैं कि जो उद्योग चलाने वाले है उनका सहयोग लेकर सही रूप से उद्योग बनाये जायें जिससे लोगों को काम मिलता है और देश में धन भी पैदा होता है। इधर आपने 30 साल बाद क्या सोचा ? एक लाइन का आप बिल अमेंडमेंट करने के लिए लाए। पता नहीं संसदीय कार्य मंत्री ने इसको देखा भी है कि नहीं। इस बिल के औबजेक्ट में लिखा है :

> "औद्योगिक (बिकास और विनियमन) अधिनियम के कार्यकरण के अनुभव से यह पता चला है।"

यह 30 साल के बाद आपको रिवील हुआ। यह रात में रिवील हुआ या कब हुआ मालूम नहीं। 1951 में यह ऐक्ट बना।

औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 इसके सेक्शन 24 में लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती करे तो उसको आप उसी समय सजा दे दो। और लिखा हुआ है।

> "धारा के अधीन छः मास तक के कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।"

अब आप यह बतायें कि ऐक्ट के नीचे आपने 1951 से 1982 तक कितने लोगों को सजा दी है ? 1951 से 1981 तक कुछ नहीं किया और आज श्री तिवारी जी यहां आये नहीं और यह बिल आपके गले डाल दिया, यह गलती हो गई। (व्यवधान) मैंने कब कहा है कि आपकी रिस्पौंसेब्लिटी है इसको ? आप लेबर मिनिस्टर हैं, लेकिन आप स्टेट मिनिस्टर हैं, आप केबिनेट में नहीं जाती होंगी ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जाते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जाती हैं, अच्छी बात है ।

अब 30 साल के बाद आपके दिमाग में आया कि इस बिल में कुछ गड़बड़ हो रही है, कानून में कुछ तवदीली करो । सैक्सन्ज 10,11,19 और 23 या 29 । इन सैक्शन्ज में आपने कौन-कौन से औफेन्सेज में चालान करके कितने-कितने उद्योगपतियों को सजा दी है ? आप इसका डेटा बनाइये, आपका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है । इससे आपको मालूम होगा कि कितने लोग इकानामिक औफेन्सेज से बच गए । कौन-कौन बच गये, जिसके लिए आप कानून के नीचे आ रहे हैं कि उनकी मियाद बढ़ा दी जाए । क्या 30 साल में आपने कुछ सोचा भी है ?

जब पार्लियामेंट के सामने आप बिल पेश करें तो यहां मैम्बर जानना चाहते हैं कि कानून क्या बनता है, इसकी आवश्यकता क्यों पैदा हुई ? कानून इसलिए बनता है कि समाज के अपराधों को रोका जाये और समाज में अच्छाई लायी जाये । कानून इसलिए नहीं है कि समाज को बिना कारण बताये परेशान और तंग किया जाये या उन पर तलवार लटकाईए, कानून इसलिए नहीं बना है । कानून जनता की रक्षा के लिए बनता है, तलवार लटकाने के तरीके गलत तरीके हैं । 1951 में एक एक्ट बना ।

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी आप तो पीछे 1931 तक चले गए हैं, मुझे तो आपको 1981 में वापिस लाना है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अभी आ रहा हूं । अगर आप यह चाहते हैं कि इकनामिक औफेन्सेज किस को कहते हैं तो आप ला कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए । यह औफेन्सेज कहते हैं—

देश के उद्योग में गिरावट आती है, लोग काला धन इकठ्ठा कर लेते हैं, यह कुछ औफेन्सेज ही नहीं है । आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लाइसेंस नहीं लिया, आपके कैपेसिटी ज्यादा की, यह सारी बातें जो आपने नीति रखी थी, उसके खिलाफ हैं ।

एक तरफ तो आप कहते हैं उद्योग बढ़ने चाहियें । दूसरी तरफ जो नियम चलाए गए हैं, उनकी आप एग्जैम्पशन लेना चाहते हैं कि उनकी मियाद दी जानी चाहिए । कितनी मियाद आप बढ़ाना चाहते हैं ? आप अन-लिमिटेड चाहते हैं और इसका मतलब यह है कि जो बेचारे आदमी हैं, 5,7 साल कब तक उनको जिन्दा रखोगे ? जो उनको मैंटल टेंशन होती है, कब आपने इस बात को सोचा है ? एक तरफ आप न्यूज देते हैं, दूसरे दिन अखबार में क्रिटिसिज्म आता है संडे में तो आप देखते हैं कि क्या हो गया ? कानून इसलिए थोड़ी बनाया गया है कि लोगों की रक्षा न की जाए ? यह समझा जाये कि सभी उद्योगपति चोर हैं, बेईमान हैं, यह गलत है । इकनामिक औफेन्सेज के बारे में ला कमीशन ने डिटेल में सर्वे किया है—जब मैं इसे पढ़ता हूं तो "अनुभव से यह पता चलता है···" मैं कहता हूं कि यह एक बेकार अधिनियम

है। यह आउट-डेटेड एक्ट है, यह आपने स्टेटमैंट दिया है। आपको इस एक्ट में अमेंडमैंट करनी चाहिए। 1951 के एक्ट के नीचे आप क्या करना चाहते हैं— इसमें कहा गया है :

"औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के कार्य कारण के अनुभव से यह पता चला है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध ज्यों ही किये जाते हैं, वे साधारणतया प्रकाश में नहीं आते हैं।"

मन्त्री महोदय, द्वारा दिया गया यह एक बेकार सा विवरण है। इकनामिक के सबजक्ट्स में डेट के बारे में इस तरह से आप वेग स्टेटमेंट देंगे, तो इससे फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट को हर वक्त यह जानने का हक है कि सरकार पूरी बात बताए कि वह कौन से हीनस क्राइम्ज को पनिश करना चाहती है। हम नहीं चाहते कि लोगों के सिर पर बिना कोई गुनाह किए हुए तल बार लटकती रहे और वे डरते रहें। इस तरह सरकार कितने ही लोगों की जिन्दगी खराब कर देगी और कितने ही लोगों की बददुआ लेगी।

स्टेटमैंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्ज में आगे कहा गया है :—

"इसके अतिरिक्त यह अवधारित करने के लिए कि किसी मामले में अभियोजन आरम्भ किया जाये या नहीं, अन्वेषणों में पर्याप्त समय लगता है।" इसके लिए कनसिडरेबल टाइम क्यों चाहिए ? वे आफेंसिज क्या हैं ? वे टेकनिकल आफेंस होते है, सीरियस आफेंस नहीं होते। वे किसी भी तरह इकानोमिक आफेंस की डेफिनीशन में नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी सरकार ने टाइम बढ़ाने के लिए बिल पेश किया है।

कोर्ड आफ क्रिमिनल प्रासिजर के सैक्शन 468 में कहा गया है :—

"468 (1) इन संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।

(2) परिसीमा काल, —

(एक) छह मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है ;

(दो) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ;

(तीन) तीन वर्ष होगा यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।"

जब सरकार छः महीने, एक साल और तीन साल तक मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर वह चाहती क्या है ? क्या वह दस साल के बाद मुकदमा चलाना चाहती है ? तब तक

सब एविडेंस गायब हो जाएगा, रामलाल या खुदाबक्श मर जाएगा, कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी और फाइल भी नदारद होगी। मुझे मालूम नहीं है कि आखिर इस बिल की मंशा क्या है। मंत्री महोदय इसकी मंशा बताएं। 1974 में इकानोमिक आफेंसिज (इनएप्लिकेबिलिटी आफ लिमिटेशन) एक्ट बना इंडस्ट्रीज (डेवेलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट 1951 में पास हुआ था। उस वक्त सरकार को ध्यान नहीं था कि इस सिलसिले में कोई आफेंसिज होंगे। उसने 1974 तक तो कुछ नहीं किया और उसके बाद बिना कोई रीजन दिए हुए यह व्यवस्था कर दी कि हमको लिमिटेशन से एगजम्प्ट कर दिया जाए। पार्लियामेंट एगजम्प्ट कर सकती है, ताकि इकानोमिक आफेंडर्ज के खिलाफ एक्शन लिया जा सकते। लेकिन डीले डिफीट्स जस्टिस। अगर डीले के बाद भी मुकदमा चलाने से कोई फायदा होता, हो तो मंत्री महोदय बतायें।

एक्ट के सेक्सन 2 में लिखा है :

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 की कोई बात —

(i) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितयों में से किसी अधिनियमिती के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को ; अथवा

(ii) किसी अन्य अपराध को, जो ऐसे अपराध के साथ उस संहिता के उपबन्धों के अधीन विचारणीय हो, लागू न होगी।"

इनकम टैक्स एक्ट के नीचे कितनी ही जमीनें गलत तरीके से और कम कीमत पर बेची गई। मैंने आंकड़े देखे हैं कि 11 करोड़ रुपए सर्विसिज पर खर्च हो गए, लेकिन दो करोड़ रुपए की जमीन भी नही ली जा सकी और अभी तक वह भी आक्शन नहीं हुई। गवर्नमेंट इकानोमिक आफेंडर्ज को पनिश नहीं कर सकती। जो पन्द्रह साल पहले मर गया, उसको कब्र से निकालकर लाया जायेगा। अगर किसी आदमी ने आफेंस किया, वह मर गया, कब्र में गाड़ दिया गया तो क्या उसके बेटे के नाम चलेगा, उसके पोते पर मुकदमा चलेगा? क्या सिविल ला लागू होगा?

तो यह सारी जो मंत्री महोदय की मंशा है इस मंशा से पहले वह इसको अच्छी तरह देख लें और मंत्री महोदय को कल का समय मिल जायगा, रात में अपने आफिसर्स से सारा डाटा कलैक्ट करवा लें, उसके बाद इतना बढ़िया उत्तर दें कि लोगों को मानना पड़ जाय तब तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन परे फैक्ट्स ऐंड फिगर्स लाएं कि इतने आफेंसेज में हमें चलाने हैं, इतने में नहीं चलाने हैं। तब तो हम आपकी तारीफ करेंगे। अन्यथा मैं कहना चाहता हूं, पार्टी का मैम्बर होने के नाते तो मैं कह नहीं सकता लेकिन यह जो वह लाना चाहते हैं यह एक प्रकार से कानून की तलवार लोगों के दिमाग पर लटका कर बिला वजह उनके दिमागों पर वजन डालना, उचित नहीं है, यह न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये आफेंसेज एकोनामिक आफेंसेज नहीं हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को आपको पूरा अमेंड करना चाहिए, तब जाकर यह ठीक हो सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उद्योगों के विकास और विनियमन में, हमारे मिलों को 30 वर्ष से भी अधिक समय लग गया है। परन्तु उन्होंने इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में उन विभिन्न संयुक्त स्टाक कम्पनियों के विकास के बारे में कुछ नहीं बताया जो कि अनेक उद्योगों की प्रभारी है और जो बाद में आर्थिक रूप से रुग्ण हो गई जिससे रोजगार को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार को उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ा। वे बीमार क्यों पड़ गई ? किस समय किसी न किसी प्रकार का विनियमन और जाँच होनी चाहिए ? वे प्रायः अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं और अपने लाभ की घोषणा करते हैं। सरकार को या सरकार के ही भीतर किसी अभिकरण को इस बात की खबर रखनी चाहिये कि क्या उनके लाभ घट रहें हैं और यदि हां तो क्या वे वर्ष प्रति वर्ष घटते-बढ़ते हैं या कभी-कभी ही और उनकी इस घट-बढ़ के पीछे क्या कारण है। केवल तब ही वे इनका ध्यान रखने की स्थिति में आ पायेंगे और इन उद्योगों को बीमार होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा पायेंगे। अन्यथा, होता क्या है ? वे सब सरकार पर भार बन जाते हैं और निश्चय ही सरकार के लिए यह न्यायसंगत बात नहीं है कि वह उद्योगों को अपने हाथ में लें और उन पर आम जनता के राजस्व को खर्च करे। जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध था, एक समय, उस बीमार उद्योग को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सरकार को 20 करोड़ रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक प्रति वर्ष व्यय करने पड़े, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कामगारों को सतत रोजगार देना और हमारे देश के औद्योगिक विकास को बनाए रखना।

दूसरी बात यह है कि क्या हमें निजी उद्यमियों और उद्योगों के अपराधों या असफलताओं पर तथा मजदूरों, प्रबन्धकगण और अंशधारियों के प्रति उनके व्यवहार पर ही विचार करना है ? क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना है हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्धक किस ढंग से काम चला रहे हैं ? जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है आज तो प्रबन्धकीय क्षेत्र में क्राँती आती चली जा रही है। सरकारी उद्योगों में और निजी उद्योगों, दोनों में ही प्रबन्धक सर्व-शक्तिशाली होते हैं। इन प्रबन्धकों को काबू में करना होगा। ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिससे ये लोग सरकार के स्वामित्व वाले और सरकार के प्रबन्ध के अधीन चलने वाले उद्योगों में भी सही ढंग का व्यवहार करें। औद्योगिक विकास और औद्योगिक स्वास्थ्य के इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। 30 वर्ष के बाद, अब सरकार के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह इन सब बातों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करे।

मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष के विभिन्न दलों के मित्रों ने इस विधेयक का हृदय से स्वागत किया है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : हम सही बात का समर्थन करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनकी बार-बार दोहराई जाने वाली इस शिकायत का विरोध करने के लिए क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं है कि यह सरकार पूंजीवादियों की हिमायती है। यह सरकार तो प्राथमिक रूप से एक कल्याण-मूलक सरकार है और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रति

वचन बद्ध है जहाँ तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है सरकार राज्य के स्वामित्व वाले और राज्य के प्रबन्ध के अधीन जो उद्योग हैं उनका भी अनुरक्षण और विकास करना चाहती है। यह निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना चाहेगी कि हमारे देश के समग्र आर्थिक विकास में उनका भी योगदान लिया जा सके।

इसी प्रक्रिया में, सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष ने इस विधेयक का स्वागत किया है और मुझे आशा है कि विपक्ष न केवल इस विधेयक में रुचि लेता रहेगा, बल्कि हमारे उद्योगों के विकास में हमारे देश में भी रुचि लेता रहेगा और पूंजीपति तथा औद्योगिक प्रबन्धकों और इन सभी लोगों को केवल असामाजित तत्व ही नहीं समझता रहेगा। उन्हें भी रचनात्मक भूमिका निभानी होती है। हमें इन लोगों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए तथा उन्हें अधिकाधिक उद्योग खोलने को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उसको गुप्त रूप से, असामाजिक रूप में न लगाकर, वापिस इन उद्योगों में ही अपने धन को लगाते रहें।

मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र मन्त्री महोदय, जो कि युवा हैं, विद्वान और हैं, हमारे देश में औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर कुछ रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सफल रहेंगे और जिस सरल ढंग से यहां इस विधेयक को पारित किया जा रहा है उससे उत्साहित होकर हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए एक व्यापक विधेयक लाने के प्रयास में सफल होंगे।

कार्य मन्त्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मान्यवर, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 25 नवम्बर, 1981/4 अग्रहायन 1903 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।
